भारतीय जनसंघ

घोषणाएं व प्रस्ताव 1951-72

I

सिद्धान्त और नीतियां
घोषणा-पत्र
संविधान

12८
2066

भारतीय जनसंघ घोषणाएं व प्रस्ताव 1951-72
I

भारतीय जनसंघ

घोषणाएं व प्रस्ताव

भाग 1

सिद्धान्त और नीतियां
घोषणा-पत्र
संविधान

भारतीय जनसंघ
विट्ठलभाई पटेल भवन
नई दिल्ली (पिन 110001), भारतवर्ष

भारतीय जनसंघ

घोषणाएँ व प्रस्ताव

भाग 1 { सिद्धान्त व नीतियां / घोषणा-पत्र / संविधान

मूल्य { साधारण जिल्द : [redacted] 15.00
पक्की जिल्द : [redacted] 20.00

प्रथम संस्करण, फरवरी 1973

प्रकाशक :
भारतीय जनसंघ
विट्ठलभाई पटेल भवन
नई दिल्ली (पिन 110001), भारतवर्ष

मुद्रक :
नवचेतन प्रेस प्रा० लि०
(लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस)
नया बाजार, दिल्ली (पिन 110006), भारतवर्ष

प्रस्तावना

भारतीय जनसंघ गत 21 अक्तूबर 1972 को, अपने जीवन के 21 वर्ष पूर्ण कर, तरुणाई में प्रविष्ट हो चुका है। भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के जीवन में दो दशक अधिक महत्व नहीं रखते, किन्तु जनसंघ के लिए यह कालखंड अत्यधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह उसके जन्म और प्रारंभिक जीवन की कहानी प्रस्तुत करता है।

जब जनसंघ एक नये राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व में आया तब देश विभाजनोत्तर समस्याओं में उलझा हुआ था। कांग्रेस नेतृत्व का यह आशावाद कि पृथक पाकिस्तान की स्थापना से साम्प्रदायिक घृणा और संघर्ष का दीर्घकालीन अध्याय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, फलीभूत नहीं हुआ था। हिन्दू-मुस्लिम द्वन्द्व समाप्त होने के बजाय, विस्तृत होकर, भारत-पाक संघर्ष में बदल गया था। जम्मू-काश्मीर पर पाक आक्रमण कायम था। पूर्व पाकिस्तान (अब बांगला देश) में हिन्दुओं का योजनाबद्ध विनाश चल रहा था। पाकिस्तान के प्रति सरकार की नीति के सम्बन्ध में, जो एक दृष्टि से विभाजन के पूर्व की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का ही विस्तार मात्र थी, व्यापक जन-असंतोष था। यहां तक कि स्वयं नेहरू मंत्रिमंडल में गहरे मतभेद थे जो डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के त्याग-पत्र के साथ प्रकाश में आ गए।

यह नितांत स्वाभाविक था कि इस विशेष परिस्थिति में गठित राजनीतिक दल पाकिस्तान के खतरे के प्रति देश को सावधान और सन्नद्ध करने पर सर्वाधिक बल देता। किसी देश के लिए और विशेषतः भारत जैसे नव-स्वतंत्र और विभक्त राष्ट्र के लिए अपनी स्वतंत्रता और अखण्डता की रक्षा से बढ़ कर और क्या कार्य हो सकता था? किन्तु जनसंघ नेतृत्व यह भलीभांति जानता था कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैन्य बल के साथ-साथ आर्थिक तथा औद्योगिक शक्ति का होना नितांत आवश्यक है। यही कारण है कि 21 अक्तूबर 1951 को स्वीकृत अपने प्रथम घोषणा-पत्र में जहां जनसंघ ने भारत को 'शक्तिशाली और सुसंगठित' बनाने का ध्येय सामने रखा, वहां उसकी 'सुसम्पन्नता' पर भी जोर दिया। घोषणा-पत्र में भारत को 'एक सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र' बनाने की बात कही गई 'जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतंत्रता हो।' समान अवसर का सिद्धांत दलित तथा उपेक्षित

वर्गों के लिए कठिनाई का कारण न बन जाए इस दृष्टि से उनको 'आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष सहायता' का प्रतिपादन किया गया।

आर्थिक प्रश्नों पर जनसंघ का दृष्टिकोण प्रारम्भ से मतवादी न होकर व्यवहारवादी रहा है। पूर्ण राष्ट्रीयकरण और खुली-छूट दोनों को अस्वीकृत करके जनसंघ ने एक मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया। उसने प्रतिरक्षा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया, किन्तु "अन्य उद्योगों को उत्पादन तथा उपभोक्ता दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य के नियंत्रण के अधीन व्यक्तिगत साहस का अवसर प्रदान करने" की नीति अपनाई। **आर्थिक उन्नति के लिए जनसंघ ने सन् 1951 में "उत्पादन में वृद्धि, वितरण में समानता तथा उपभोग में संयम" के जिस त्रि-सूत्र का उच्चारण किया था वह आज भी कितना सुसंगत, उपादेय तथा व्यावहारिक है यह बताने की आवश्यकता नहीं है।**

जमींदारी का उन्मूलन तथा कृषक को भूमि का स्वामित्व देने, श्रम को उद्योग के लाभ में साझीदार बनाने, कुछ उद्योगपतियों को अपने हाथों में देश की आर्थिक शक्ति को केन्द्रित करने से रोकने, अनुचित लाभ की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने, विभिन्न वर्गों की आय में बहुत अंतर न रहे इस दृष्टि से करा-धान करने के सुझाव देकर जनसंघ ने असंदिग्ध रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि वह यथास्थिति को बनाये रखने के लिए राजनीति के रंगमंच पर नहीं आया; वह परिवर्तन में विश्वास रखता है, किन्तु परिवर्तन भारतीय जीवन मूल्यों के अनुकूल और लोकतांत्रिक तरीकों से होना चाहिए।

सन् 1951 से लेकर 1972 तक की जनसंघ की यात्रा अनेक उतार-चढ़ावों से परिपूर्ण रही है। उसने 5 आम चुनाव लड़े हैं और जय-पराजय के मीठे-कड़वे फलों का समान रूप से रसास्वादन करते हुए भारतीय राजनीति में अपने लिए एक स्थान बनाने में सफलता पाई है। इसी बीच में देश की राजनीति में भी गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। बालिग मताधिकार, शिक्षा के प्रसार, संचार-साधनों के विस्तार तथा प्रैस और रेडियो ने जन-जागृति को बढ़ाने में योगदान दिया है। आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हुआ है। सदियों से दलित तथा उपेक्षित वर्ग अपनी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए व्यग्र है। राष्ट्रीय समृद्धि में साझीदार बनने की जन-साधारण की इच्छा नितांत स्वाभाविक है। इस स्थिति में किसी भी ऐसे राज-नीतिक दल के लिए जिसने जन-कल्याण का लक्ष्य सामने रखा है, जनता की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को समझना और उनके साथ स्वयं को अधि-काधिक एकाकार करना आवश्यक है। भारतीय जनसंघ ने ऐसा ही किया है। जनसंघ की आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का केन्द्र-बिन्दु वह 'दरिद्र' है जिसमें हमने 'नारायण' के दर्शन किये हैं और जिसे सुखी तथा सन्तुष्ट बनाने से बढ़कर

और कोई कार्य नहीं हो सकता।

एक मध्यमवर्गीय दल के नाते जनसंघ को अतिदक्षिण तथा अतिवाम दोनों ओर के हमलों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक क्षेत्र में खुली-छूट के हिमा-यतियों ने हमें कम्युनिस्टों से अधिक बुरा कहा है। दूसरी ओर कथित प्रगति-वादियों की दृष्टि में जनसंघ प्रतिक्रियावादी तथा निहित स्वार्थों का रक्षक है। ये दोनों ही प्रकार की आलोचनाएं सर्वथा निराधार और विद्वेषपूर्ण हैं।

जनसंघ आलोचकों का एक तीसरा वर्ग है जो उस पर हवा के साथ बहने और पुराने पथ से विचलित होने का आरोप लगाता है। उदाहरण के लिए गाजियाबाद में जनसंघ द्वारा शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधने के सम्बन्ध में किये गए निर्णय को पेश किया जाता है। अधिकतम और अल्पतम आय के अनुपात को मर्यादित करने के प्रस्ताव को भी इसी श्रेणी में माना जाता है।

शहरी सम्पत्ति की सीमाबन्दी का प्रश्न जनसंघ के जन्मकाल से उसके सामने रहा है। जब दल ने कृषिभूमि की अधिकतम सीमा तय करने का फैसला किया था तभी यह बात बलपूर्वक कही गई थी कि शहरी सम्पत्ति की भी सीमा तय होनी चाहिए। उस समय दल का मत बना कि अभी उसके लिए उपयुक्त अवसर नहीं है। वैसे 'भारतीय संस्कृति और मर्यादा' के आधार पर प्राचीन भारत को आधुनिक रूप देने तथा समतायुक्त समाज की रचना करने के लिए कृत-संकल्प दल सम्पत्ति, आमदनी तथा उपभोग के अधिकार को अमर्यादित नहीं मान सकता।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि भूमि तथा शहरी सम्पत्ति की सीमा के निर्धारण के पक्ष में जनसंघ के तर्क अन्य दलों से भिन्न हैं। हमें यह कभी भ्रम नहीं रहा कि जोत की हदबन्दी के बाद भूमिहीनों में वितरित करने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि मिलेगी और ग्रामीण बेरोजगारी दूर हो जाएगी। गत 25 वर्षों के अनुभव ने जनसंघ को सही सिद्ध किया है। हदबन्दी के सम-र्थन के अपने कारण थे और उनमें सबसे प्रमुख कारण यह था कि अन्नोत्पादन की वृद्धि के लिए सघन खेती आवश्यक है और उसके लिए खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत रुचि ली जा सके और जिसकी अच्छी तरह देखभाल की जा सके। भारत की वर्तमान स्थिति में कृषि का विशाल पैमाने पर यंत्री-करण अनुपयुक्त होगा, यह विचार भी जनसंघ के सामने था।

शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के मूल में भी शहरी भूमि का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग करने की भावना रही है। गाजियाबाद अधि-वेशन में जनसंघ ने शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधते समय भूमि तथा मकान की कीमत अलग-अलग आंकने का जो सुझाव दिया है, उसका व्यापक स्वागत हुआ है। नगरों में बड़े-बड़े बाग-बगीचों तथा तैरने के तालाबों से युक्त आलीशान

मकानों का निर्माण, आज की स्थिति में वैभव का भोंडा प्रदर्शन है। जनसंघ का मत है कि निवास के लिए कोई भी मकान 1000 वर्ग गज भूमि के अंतर्गत ही होना चाहिए।

गाजियाबाद अधिवेशन में स्वीकृत आर्थिक प्रस्ताव में जब जनसंघ ने आर्थिक विषमता को कम करने के लिए न्यूनतम व्यय-योग्य आय का अनुपात 1 : 20 करने के सुझाव को समाविष्ट किया तो कुछ लोग हैरत में आ गये। उन्होंने यह फतवा दे दिया कि जनसंघ वामपंथी हो रहा है। अनेक समाचार-पत्रों ने इस आशय की टिप्पणियां लिखी। उनमें से कुछ ने जनसंघ को 'नई दिशा' अपनाने के लिए सराहा भी। प्रशंसा और निन्दा के इस शोरगुल में दोनों प्रकार के लोग यह बात भूल गये कि 1 : 20 के अंतर की बात जनसंघ ने पहली बार गाजियाबाद में नहीं कही। यह सुझाव सबसे पहले 1952 में दिल्ली में हुई केन्द्रीय कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में दिया गया था था जिसे बाद में 1954 में इन्दौर में पारित दल के घोषणा-पत्र में समाविष्ट किया गया था। 'आय की मर्यादा' में कहा गया था :

"जनसंघ समाज के विभिन्न वर्गों की आय के अंतर में कमी करने के लिए धन का समवितरण तथा सभी नागरिकों को जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर का आश्वासन देगा। वर्तमान परिस्थितियों में इस दृष्टि से अधिकतम आय 2,000 रु० प्रति मास तथा न्यूनतम आय 100 रु० प्रति मास निर्धारित कर यह प्रयत्न किया जाए कि न्यूनतम आय निरन्तर बढ़ती रहे जिससे दृश्यमान भविष्य में न्यूनतम और अधिकतम आय के अंतर का अनुपात 1 : 10 का हो जाए।"

दो वर्ष बाद 1956 में दिल्ली अधिवेशन में इस प्रश्न पर पुनः चर्चा हुई और यह स्पष्ट किया गया कि इस संदर्भ में 'आय' का अर्थ 'व्यय-योग्य आय' है। यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक परिश्रम अथवा कार्य-कुशलता के बल पर अधिकतम से अधिक अर्जित करता है तो उस धन का उपयोग करने के बजाय 'उसे दान, कर, अनिवार्य ऋण अथवा विनियोजन के रूप में विकास कार्य में लगाना' चाहिए। बाद में सभी आम चुनावों के अवसर पर जारी घोषणा-पत्रों में व्यय-योग्य आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की बात को दोहराया गया। आलोचकों ने या तो उन्हें पढ़ा नहीं और यदि सरसरी तौर पर पढ़ा भी तो उसके महत्व को हृदयंगम नहीं किया।

अपनी आधारभूत मान्यताओं पर दृढ़ और अपने मौलिक चिंतन के प्रति प्रामाणिक रहकर जनसंघ ने वक्त के तकाजों को सुना है और उनके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास किया है। जैसा कि दल के नाम से ही स्पष्ट है, जनसंघ जनता का संघ है और आज बहुसंख्यक जनता स्वाधीनता के 25 वर्ष के पश्चात् और चार योजनाओं के बाद भी अभाव, अज्ञान और बीमारी से

पीड़ित है। इस स्थिति में सुधार करना, हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा तथा चिकित्सा की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सक्षम बनाना, तदनुसार माल तथा सेवाओं की वृद्धि का व्यापक कार्यक्रम अपनाना, उसके लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक विशेष प्रौद्योगिकी का विकास और अवलम्बन करना, जिससे उत्पादन के साथ उत्पादन में लगे हुए हाथ भी बढ़ सकें—ऐसे कार्य हैं जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जनसंघ की स्वदेशी योजना इन्हीं उद्देश्यों, वरीयताओं तथा रणनीति पर आधारित है। सम्भवतः जनसंघ ही एकमेव प्रतिपक्ष है जिसने न केवल आर्थिक नियोजन में आमूल परिवर्तन की मांग की है, बल्कि एक वैकल्पिक योजना का खाका भी प्रस्तुत किया है। जनसंघ के आर्थिक चिन्तन से किसी का मतभेद तो हो सकता है, किन्तु कोई विचारशील व्यक्ति अब उसकी उपेक्षा करने की भूल नहीं कर सकता।

वस्तुतः यदि आज जनसंघ सत्ताधीशों तथा उनके साम्यवादी और सम्प्रदायवादी साथियों के संयुक्त प्रहारों का केन्द्र बना हुआ है तो उसका कारण यही है कि ये तत्व इस तथ्य को अधिकाधिक समझने लगे हैं कि जनसंघ न तो किसी अन्य दल में से निकला हुआ असंतुष्ट लोगों का एक गुट है और न किसी वर्ग विशेष के स्वार्थों की रक्षा के लिए निर्मित एक 'लॉबी' है, बल्कि एक प्रभावी विकल्प है, जो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय की त्रिवेणी में भारतीय जनता को अवगाहन करने के लिए प्रेरित व संगठित कर सकता है।

मुझे खुशी है कि जनसंघ के सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों सम्बन्धी दस्तावेजों को, विषयानुसार संकलित करके, प्रकाशित किया जा रहा है। निस्संदेह यह दस्तावेज उन सबके लिए बहुत लाभदायक होंगे जिनकी भारत के सार्वजनिक जीवन में रुचि है।

मकर सक्रांति **—अटल बिहारी वाजपेयी**

14 जनवरी, 1973

प्राक्कथन

भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्तूबर, 1951 को हुई। तब से जनसंघ ने प्रायः सभी आम और मध्यावधि चुनावों में भाग लिया है। विभिन्न विधायिकाओं में तथा उनके बाहर भी, उसके प्रतिनिधियों को अपने दल के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इसके प्रस्तावों, संकल्पों और घोषणा-पत्रों के प्रति स्वभावतः जनता का व्यापक रूप से ध्यान गया और उन पर बहुधा सार्वजनिक रूप से चर्चा भी हुई। अतः यह इच्छा बढ़ना भी स्वाभाविक है कि दल के विचारों की जानकारी प्राप्त हो और उसके मत को समझा जाए। यह आवश्यकता अनुभव की जाती रही है कि दल के कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, शोधकर्ताओं और भारतीय सार्वजनिक मामलों के विद्यार्थियों को भी दल के दस्तावेज उपलब्ध हों। यह संकलन इस आवश्यकता की पूर्ति करने का ही एक प्रयास है।

'सिद्धान्त और नीतियां' के अतिरिक्त इसमें, दल के अखिल भारतीय घोषणा-पत्रों, केन्द्रीय कार्यसमिति, भारतीय प्रतिनिधि सभा तथा सार्वदेशिक अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों को ही सम्मिलित किया गया है। शोक प्रस्तावों को छोड़ दिया गया है।

जनवरी 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज़ 'सिद्धान्त और नीतियां', समस्त घोषणा-पत्र और मई 1972 में भागलपुर में भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा संशोधित दल के संविधान को प्रथम भाग में सम्मिलित किया गया है। द्वितीय भाग में 4 अध्यायों में संकलित आर्थिक विषयों पर प्रस्ताव हैं। वैदेशिक नीति, प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय प्रश्न, शिक्षा आदि से सम्बन्धित शेष सस्मत प्रस्तावों को आगामी भाग 3, 4 व 5 में प्रकाशित करने का आयोजन है।

विषयों का वर्गीकरण केन्द्रीय मंत्रालयों के अनुसार किया गया है। अनेक प्रस्तावों में एक से अधिक विषयों पर चर्चा है। ऐसे प्रस्तावों को विभक्त किया जा सकता था या विभिन्न विषयों के अध्यायों में से किसी एक में उन्हें जोड़ा जा सकता था। प्रस्तावों को विभक्त करने के बजाय, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर उपशीर्षक देकर उनका उल्लेख अनुक्रमणिका में किया गया है, जिससे विभिन्न

अध्यायों में उनका सहज-संदर्भ उपलब्ध हो सके। कुछ विषय ऐसे हैं जिनको एक अथवा दूसरे अध्याय में उचित रूप से सम्मिलित किया जा सकता था। ऐसे विषयों को उस अध्याय में रखा गया है जिसमें उनका अपेक्षाकृत अधिक महत्व हो सकता है। अनुवाद कार्य में, शब्द के स्थान पर शब्द के बजाय, निहित भाव के सहज प्रगटीकरण को प्राथमिकता दी गई है।

प्रस्तावों को तिथिक्रमानुसार अंकित किया गया है। प्रथम दो अंक वर्ष के हैं और बाद के दो अंक उस वर्ष की प्रस्ताव संख्या को सूचित करते हैं। उदाहरणस्वरूप 52.19 का अर्थ 1952 में पारित 19वां और 72.06 का अर्थ 1972 में पारित 6वां प्रस्ताव समझा जाना चाहिए। प्रत्येक प्रस्ताव के अन्त में तिथि, स्थान और प्रस्ताव पारित होने के प्रसंग का उल्लेख है। के०का०स०, भा०प्र०स० और सा०अ० संकेतों का अभिप्राय क्रमशः केन्द्रीय कार्यसमिति, भारतीय प्रतिनिधि सभा और सार्वदेशिक अधिवेशन से है। प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में उसका सार दिया गया है।

आशा है, यह संकलन उन सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा जिनको ध्यान में रखकर यह प्रस्तुत किया गया है।

—संकलनकर्ता

विषय-अनुक्रम

	पृष्ठ
प्रस्तावना	(iii)
प्राक्कथन	(ix)
सिद्धान्त और नीतियाँ	1–39
घोषणा-पत्र	41–183
1951	43
1954	54
1957	67
1958	91
1962	111
1967	133
1971	156
1972	172
संविधान	185–205
अनुक्रमणिका	207–215

सिद्धान्त

और

नीतियां

1

स्थिति

प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर उसे सुदृढ़ एवं स्थायी बनाने का प्रयत्न करे तथा अपने नागरिकों को एक ऐसा शासन प्रदान करे जिसके अन्तर्गत वे अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए समृद्ध, सोद्देश्य एवं सुखी समाज के संगठन में सचेष्ट रह सकें। भारत की स्वतंत्रता के उपरान्त जनमन में यह सहज आकांक्षा जागृत हुई थी और यह अपेक्षा की गई थी कि सदियों से परतन्त्र अतः संघर्षरत राष्ट्र अब अपने स्वाभाविक स्वरूप एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त कर अपने घर का नव निर्माण कर सकेगा, रूढ़ियां समाप्त होकर स्वस्थ चैतन्यमयी संस्थाएं जन्म लेंगी तथा आर्थिक दुर्व्यवस्था एवं सामाजिक अन्याय के पाटों में पिसने वाला जन-जीवन सम्पन्नता और समानता के वातावरण में संतोष की सांस ले सकेगा। बड़े-बड़े उद्घोषों और योजनाओं के बावजूद जनता की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हुईं। उल्टे अव्यवस्था और अनाचार, अभाव और असमानतायें, अरक्षा और असामाजिकता पहिले से अधिक तीव्र और व्यापक हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद स्वातन्त्र्य के प्रथम उद्रेक में देशी राज्यों के विलीनीकरण, संविधान का निर्माण तथा अर्थव्यवस्था के औद्योगीकरण एवं अभिनवीकरण की दिशा में अवश्य उल्लेखनीय पग उठाये गये, किन्तु वह आवेश शीघ्र ही समाप्त हो गया; यहां तक कि परिवर्तन से उत्पन्न स्वाभाविक समस्याओं के समाधान एवं सामञ्जस्य के प्रयत्नों के स्थान पर हम उनसे अभिभूत हैं। राष्ट्र को सुनिश्चित और सुनियोजित दिशा में प्रगत करने के स्थान पर शासक और शासित विभ्रम और विरक्ति के शिकार बन कर किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो प्रवाह-पतित-से चलते दिखाई देते हैं। अनास्था और आत्मविश्वासहीनता की यह अवस्था राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता के लिए संकटपूर्ण एवं अशोभनीय है। इसे बदलकर देश के पुरुषार्थ को सचेत करना होगा।

वर्तमान दुरवस्था का कारण

वर्तमान परिस्थिति का सबसे प्रमुख कारण राष्ट्र-जीवन की आत्मा का साक्षात्कार न करते हुए उसके ऊपर विदेशी और विजातीय विचारधाराओं और जीवन-मूल्यों को थोपने का प्रयत्न है। शीघ्र उन्नति की आतुरता में दूसरे

देशों का अन्धानुकरण करने और 'स्व' के तिरस्कार की प्रवृत्ति पैदा हुई है। इससे राष्ट्र-मानस में कुण्ठा घर कर गई है।

जनसंघ—एक ऐतिहासिक आवश्यकता

विश्व का ज्ञान हमारी थाती है। मानव-जाति का अनुभव हमारी संपत्ति है। विज्ञान किसी देश-विशेष की बपौती नहीं। वह हमारे भी अभ्युदय का साधन बनेगा। किन्तु भारत हमारी रंगभूमि है। भारत की कोटि-कोटि जनता पात्र ही नहीं प्रेक्षक भी है, जिसके रंजन एवं आत्मसुख के लिए हमें सभी भूमिकाओं का निर्वारण करना है। विश्व-प्रगति के हम केवल दृष्टा ही नहीं अपितु साधक भी हैं। अतः जहां एक ओर हमारी दृष्टि विश्व की उपलब्धियों पर हो वहां दूसरी ओर हम अपने राष्ट्र की मूल प्रकृति, प्रतिभा एवं प्रवृत्ति को पहिचान कर अपनी परम्परा और परिस्थिति के अनुरूप भविष्य के विकास-क्रम का निर्धारण करने की अनिवार्यता को भी न भूलें। 'स्व' के साक्षात्कार के बिना न तो स्वतंत्रता सार्थक हो सकती है और न वह कर्मचेतना ही जागृत हो सकती है जिसमें परावलम्बन और पराभूति का भाव न होकर स्वाधीनता, स्वेच्छा और स्वानुभवजनित सुख हो। अज्ञान, अभाव तथा अन्याय की परिसमाप्ति और सुदृढ़, समृद्ध, सुसंस्कृत एवं सुखी राष्ट्र-जीवन का शुभारम्भ सबके द्वारा स्वेच्छा से किये जाने वाले कठोर श्रम तथा सहयोग पर निर्भर है। यह महान् कार्य राष्ट्र-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नये नेतृत्व की अपेक्षा रखता है। भारतीय जनसंघ का जन्म इसी अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हुआ है।

उद्देश्य

भारतीय जनसंघ का उद्देश्य भारत को उसकी संस्कृति और मर्यादा के आधार पर एक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जनतन्त्र बनाना है जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतन्त्रता प्राप्त हो तथा जो भारत को सुदृढ़ एवं सुसम्पन्न बनाते हुए उसे एक प्रगतिशील, आधुनिक और जागरूक राष्ट्र बनाये, जो दूसरों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना कर सके और विश्वशांति के स्थापनार्थ राष्ट्र-संघ में समुचित रीति से प्रभाव डाल सके।

भारतीय सांस्कृतिक अधिष्ठान की अपरिहार्यता

लोकतन्त्र, समानता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा विश्वशांति परस्पर सम्बद्ध कल्पनायें हैं। किन्तु पाश्चात्य राजनीति में इनमें अनेकदा टकराव आया है। समाजवाद और विश्वशासन के विचार भी इन समस्याओं के समाधान के प्रयत्न में से उत्पन्न हुए हैं, पर वे कुछ कर नहीं पाये। उल्टे उन्होंने मूल को धक्का लगाया है और नई समस्यायें पैदा की हैं। भारत का सांस्कृतिक चिंतन वह तात्विक अधिष्ठान प्रस्तुत करता है, जिससे उपर्युक्त भावनायें समन्वित

हो वांछनीय लक्ष्यों की सिद्धि कर सकें। इस अधिष्ठान के अभाव में मानव चिन्तन और विकास अवरुद्ध हो गया है। भारतीय तात्विक सत्यों का ज्ञान, देश और काल से स्वतंत्र है। यह ज्ञान केवल हमारी ही नहीं वरन् पूर्ण संसार की प्रगति की दिशा निश्चित करेगा।

एकात्मवाद

भारतीय संस्कृति एकात्मवादी है। सृष्टि की विभिन्न सत्ताओं तथा जीवन के विभिन्न अंगों के दृश्य भेद स्वीकार करते हुए वह उनके अन्तर में एकता की खोज कर उनमें समन्वय की स्थापना करती है। परस्पर विरोध और संघर्ष के स्थान पर वह परस्परावलम्बन, पूरकता, अनुकूलता और सहयोग के आधार पर सृष्टि की क्रियायों का विचार करती है। वह एकांगी न होकर सर्वांगीण है। उसका दृष्टिकोण सांप्रदायिक अथवा वर्गवादी न होकर सर्वात्मवादी एवं सर्वोत्कर्षवादी है। एकात्मकता उसकी धुरी है।

व्यष्टि और समष्टि

व्यष्टि और समष्टि के बीच संघर्ष की कल्पना कर दोनों में से किसी एक को प्रमुख एवं सम्पूर्ण क्रियाओं का अन्तिम लक्ष्य मानकर पश्चिम में अनेक विचारसरणियों का जन्म हुआ है। किन्तु दृश्य व्यक्ति अदृश्य समष्टि का भी प्रतिनिधित्व करता है। 'अहं' के साथ 'वयं' की सत्ता भी प्रत्येक अहं' के द्वारा जीती है। प्रत्येक 'इकाई' में समुदाय की प्रकृति परिलक्षित होती है। व्यक्ति ही समष्टि के उपकरण हैं, उसके ज्ञान-तन्तु हैं। व्यक्ति के विनाश या अविकास से समष्टि पंगु हो जायगी। व्यक्ति ही समष्टि की पूर्णता का माध्यम और माप है। किन्तु व्यक्ति की साधना समष्टि की आराधना से भिन्न नहीं हो सकती। शरीर को क्षति पहुंचाकर कोई अंग कैसे सुखी हो सकता है? फूल का अस्तित्व पंखुडियों की शोभा तथा जीवन की सार्थकता पुष्प के साथ रहकर उसके स्वरूप को बनाने और निखारने में है। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और समाजहित अविरोधी हैं।

व्यक्ति का सर्वांगीण विकास

व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में चारों का ध्यान रखना होगा। चारों की भूख मिटाये बिना व्यक्ति न तो सुख का अनुभव और न अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की उन्नति आवश्यक है। आजीविका के साधन, शान्ति, ज्ञान एवं तादात्म्य भाव से ये भूखें मिटती हैं। सर्वांगीण विकास की कामना ही व्यक्ति को समाजहित में कार्य की प्रेरणा देती है।

पुरुषार्थ चतुष्टय

व्यक्ति के विकास और समाज के हित का सम्पादन करने के उद्देश्य से धर्म,

अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कल्पना की गई है। धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। मनुष्य की प्रेरणा का स्रोत तथा उसके कार्यों का मापक किसी एक को ही मानकर चलना अधूरा होगा। फिर भी धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का साधन, अतः आधारभूत है।

धर्म का स्वरूप

अनेकदा धर्म को मत या मजहब मानकर उसके गलत अर्थ लगाये जाते हैं। यह भूल अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का धर्म से अनुवाद करने के कारण हुई है। धर्म का वास्तविक अर्थ है वे सनातन नियम जिनके आधार पर किसी सत्ता की धारणा हो और जिनका पालन कर वह अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कर सके। धर्म के मूल तत्व सनातन हैं किन्तु उनका विवरण देश-काल-परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इस संक्रमणशील जगत में धर्म ही वह तत्व है जो स्थायित्व लाता है। इसलिए धर्म को ही नियन्ता माना गया है। प्रभुता उसी में निहित है।

राष्ट्र की आत्मा—चिति

समाज केवल व्यक्तियों का समूह अथवा समुच्चय नहीं अपितु एक जीवमान सावयव सत्ता है। भूमि-विशेष के प्रति मातृ-भाव रखकर चलने वाले समाज से राष्ट्र बनता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशेष प्रकृति होती है जो ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक कारणों का परिणाम नहीं अपितु जन्मजात है। इसे 'चिति' कहते हैं। राष्ट्रों का उदयावपात चिति के अनुकूल अथवा प्रतिकूल व्यवहार पर निर्भर करता है। विभिन्न विशिष्टताओं वाले राष्ट्र परस्पर पूरक होकर मानव एकता का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्रों की प्रकृति मानव एकता की विरोधी नहीं, यदि कहीं उसके विरुद्ध आचरण दिखता है तो वह विकृति का द्योतक है। राष्ट्रों का विनाश कर मानव एकता उसी प्रकार असम्भव तथा अवांछनीय है जिस प्रकार व्यक्तियों को नष्ट कर समष्टि का अस्तित्व या विकास।

चिति के आविष्कार के उपकरण

समाज की चिति स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा व्यक्तियों को विभिन्न पुरुषार्थों के सम्पादन की सुविधा प्राप्त कराने के लिए अनेक संस्थाओं को जन्म देती है। समाज में इनकी वही स्थिति है जो शरीर में विभिन्न अंगों की। जाति, वर्ण, पंचायत, सम्प्रदाय, संघ, पूग, विवाह, सम्पत्ति, राज्य आदि इसी प्रकार की संस्थायें हैं। राज्य महत्वपूर्ण है किन्तु सर्वोपरि नहीं।

राज्य की आवश्यकता

कृतयुग में जब मानव परस्पर धर्म के आधार पर एक दूसरे की रक्षा करते थे, राज्य नहीं था। किन्तु वह एक आदर्श स्थिति है और तभी सम्भव

है जब प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः द्वंद्वातीत, निस्वार्थी, निस्पृही एवं धर्मनिष्ठ हो। सामान्यतः समाज में सुव्यवस्था बनाये रखने तथा प्रत्येक घटक को धर्मपालन की सुविधा देने के लिए राज्य एक आवश्यक संस्था है।

आदर्श राज्य—धर्म राज्य

भारतीय राज्य का आदर्श 'धर्मराज्य' रहा है। यह एक असाम्प्रदायिक राज्य है। सभी पन्थों और उपासना पद्धतियों के प्रति सहिष्णुता एवं समादर का भाव भारतीय राज्य का आवश्यक गुण है। अपनी श्रद्धा और अंतःकरण की प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक नागरिक का उपासना का अधिकार अक्षुण्ण है तथा राज्य के संचालन अथवा नीति निर्देशन में किसी भी व्यक्ति के साथ मत या सम्प्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। धर्मराज्य थियोक्रेसी अथवा मजहबी राज्य नहीं है।

'धर्मराज्य' किसी व्यक्ति अथवा संस्था को सर्वसत्तासम्पन्न नहीं मानता। सभी नियमों और कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। कार्यपालिका, विधायिका और जनता सबके अधिकार धर्माधीन हैं। स्वैराचरण कहीं भी अनुमत नहीं। अंग्रेजी का 'Rule of Law' (विधि के अनुसार शासन) धर्मराज्य की कल्पना को व्यक्त करनेवाला निकटतम शब्द है। निरंकुश और अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को रोकने तथा लोकतन्त्र को स्वच्छन्दता में विकृत होने से बचाने में धर्मराज्य ही समर्थ है। राज्यों की अन्य कल्पनायें अधिकारमूलक हैं किन्तु धर्मराज्य कर्तव्यभाव-प्रधान है। फलतः इसमें अपने अधिकारों के हनन की आशंका, असीम अधिकार-प्राप्ति की लालसा, सीमित अधिकारों से असंतोष, अधिकारारूढ़ होने पर कर्तव्यों की उपेक्षा, अधिकारमद, विभिन्न अधिकारों के बीच संघर्ष, इन सबके लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

कर्तव्य और अधिकार

'धर्मराज्य' में जनाधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जनता का इन मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक रहना कर्तव्य है। बिना इसके धर्मपालन सम्भव नहीं। 'अधिकार' वह उपादान है जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होकर अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की तथा एक बड़ी सत्ता के अंगभूत होने की अनुभूति करता है। कर्तव्य और अधिकार उस त्रिकोण की दो भुजाएं हैं धर्म जिसका आधार है। सैनिक का अधिकार है कि उसे शस्त्र मिले। बिना उसके वह रक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। शस्त्र की उपलब्धि और प्रयोग कब और कैसे हो इसका नियमन धर्म से होता है।

लोकतन्त्र

लोकाधिकार की प्रतिष्ठा और लोक-कर्तव्य के निर्वाह का लोकतन्त्र एक

साधन है। केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी लोकतन्त्र चाहिए। वास्तव में जनतन्त्र अविभाज्य है। किसी भी एक क्षेत्र में लोकतन्त्र का अभाव एक दूसरे क्षेत्र में लोकतंत्र को नहीं पनपने देगा। सहिष्णुता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा समष्टि के साथ एकात्मता लोकतंत्र के प्राण हैं। बिना इन भावों के लोकतंत्र का बाहरी स्वरूप निष्प्राण एवं जड़ है। यदि चैतन्य विद्यमान है तो देशकाल परिस्थिति से लोकतन्त्र के रूप में भेद हो सकता है।

अपने प्रतिनिधि-शासन चुनने और चुने जाने का अधिकार राजनीतिक लोकतन्त्र का प्रमुख लक्षण है। आर्थिक लोकतन्त्र के लिए व्यवसाय और उपभोग की स्वतन्त्रता आवश्यक है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता से सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना होती है। इस बात का प्रयत्न करना होगा कि ये अधिकार एक दूसरे के पूरक एवं पोषक रहें, विरोधी एवं विनाशक नहीं।

स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रता मानव और राष्ट्र की स्वाभाविक आकांक्षा है। पराधीनता में न सुख है न शांति। राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता भी चाहिए। शासन का व्यक्ति और समष्टि के प्राकृतिक हित में हस्तक्षेप न करना तथा सदैव उसके अनुकूल चलना राजनीतिक स्वतन्त्रता है। अर्थ का भाव रूप अथवा अभाव रूप से मनुष्य के हित में विघ्न न होना आर्थिक स्वतन्त्रता है। समाज का व्यक्ति के स्वाभाविक विकास में बाधक न होकर साधक होना ही सामाजिक स्वतन्त्रता है। इन स्वतन्त्रताओं के राष्ट्रगत हुए बिना वे व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकतीं। राज्य के सब अंगों द्वारा अपने-अपने कर्तव्य का पालन करने से सबको स्वतन्त्रता प्राप्त होती है।

लोकतन्त्र के समान स्वतन्त्रता भी अविभाज्य है। बिना शासनिक स्वतन्त्रता के अन्य दो स्वतन्त्रताएं हो नहीं सकतीं। बिना आर्थिक स्वतन्त्रता के मनुष्य को सामाजिक और कुछ अंशों में राजनीतिक स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती तथा बिना सामाजिक स्वतन्त्रता के अर्थ मनुष्य को भाव और अभाव दोनों रूप में परतन्त्र कर देता है।

अर्थायाम

शासन-तन्त्र के समान अर्थतन्त्र में भी अराजकता केवल कृतयुग की चीज है अर्थात् अहस्तक्षेप *(Laissez faire)* का सिद्धान्त इसी अवस्था में सर्वहितकारी रूप से चल सकता है अन्यथा नहीं। अतः अर्थ के उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग को व्यवस्थित करने के लिए अर्थायाम आवश्यक है।

इस हेतु अर्थ के क्षेत्र में भी अनेक संस्थाओं का जन्म होता है। राज्य का भी इस विषय में महत्वपूर्ण दायित्व है। किन्तु सभी उद्योगों अथवा उत्पादन के साधनों का राज्य के स्वामित्व तथा प्रबन्ध के अधीन होना आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को जन्म देता है। अतः यह ठीक नहीं। पर यह भी स्वीकार करना होगा कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के आरम्भ के लिए अर्थव्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्र के आधारभूत लक्ष्यों की सिद्धि के लिए राज्य का कर्तव्य है कि वह आर्थिक क्षेत्र में नियोजन, निर्देशन, नियमन, नियंत्रण का सामान्यतः तथा विशेष क्षेत्रों और स्थितियों में स्वामित्व और प्रबन्ध का दायित्व ले।

अर्थ का अभाव और प्रभाव

अर्थ के अभाव से तो धर्म का ह्रास होता ही है; अर्थ का प्रभाव भी धर्म की हानि करता है। अर्थ के अभाव और प्रभाव दोनों से ही आर्थिक स्वतंत्रता का हनन होता है। सुसाध्य आजीविका की अप्राप्ति तथा उत्पादन को बनाये रखने अथवा बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी की कमी अर्थ का अभाव है। यह बात व्यक्ति और राष्ट्र दोनों पर लागू होती है। अर्थ की साधनता को भुलाकर उसमें आसक्ति, अर्थ से धर्मानुकूल कामोपभोग की इच्छा का, ज्ञान का और शक्ति का अभाव, अर्थ का अनुचित गौरव, समाज में आर्थिक विषमता, मुद्रा का आधिक्य एवं अवमूल्यन, वे कारण हैं जिससे अर्थ का प्रभाव उत्पन्न होता है। अर्थ का प्रभाव मानव की कर्म-शक्ति को कुण्ठित कर अर्थ और श्री के ह्रास का कारण बनता है।

सम्पत्ति का स्वामित्व

सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रश्न महत्वपूर्ण है। कुछ लोग सम्पत्ति पर व्यक्ति का निर्बाध अधिकार मानते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो निजी सम्पत्ति को, विशेषकर उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को, सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं। "ईशावास्यमिदं सर्व" के आधार पर कुछ तत्वज्ञ सम्पूर्ण सम्पत्ति को ईश्वर की मानकर मनुष्य को विश्वस्त के नाते उसका व्यवहार करने का परामर्श देते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से 'विश्वस्त' का विचार अच्छा है। किन्तु व्यवहार में 'विश्वस्त' को न्यास के किन नियमों और निर्देशों से बांधा जाय और कौन बांधे यह प्रश्न तो बना ही रहता है।

व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके साथ व्यक्ति, जीवन के सभी प्रमुख व्यवहारों तथा आवश्यकताओं के लिए निगड़ित है, बिना सम्पत्ति के नहीं रह सकते। कर्म के साथ कर्मफल जुड़ा है। अर्जित के उपभोग एवं उपयोग की स्वतंत्रता में से सम्पत्ति पैदा होती है। सम्पूर्ण आय का उपभोग न कर बचत करना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय गुण है। सम्पत्ति में भी

मानव को प्रतिष्ठा, सुरक्षा तथा तुष्टि की अनुभूति होती है। अतः हम संपत्ति को पूरी तरह नहीं मिटा सकते।

संपत्ति का आधार समाज-सापेक्ष है। सब वस्तुओं के लिए एक-सी संपत्ति-व्यवस्था नहीं है। एक ही वस्तु के लिए सब स्थानों पर और सब समय के लिए एक व्यवस्था नहीं है। यह विभेद समाज की आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित हुआ है। जो लोग समाज को संपत्ति का नियंता नहीं मानते वे केवल इतना चाहते हैं कि समाज विद्यमान मान्यताओं में परिवर्तन न करे। समाज को इस बात का अधिकार है तथा अनेक बार उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह संपत्ति सम्बन्धी मान्यताओं में फर्क करे। संपत्ति का अबाध एवं अपरिवर्तनीय अधिकार जैसी कोई चीज नहीं है।

संपत्ति का अधिकार हमें मर्यादाओं के अंतर्गत स्वीकार करना होगा। इन सीमाओं का निर्धारण समाज की तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं जीवन-मूल्यों के आधार पर निश्चित होना चाहिए। जब संपत्ति अपने प्रभाव से स्वामी को आलसी या विलासी और दूसरों को अभावग्रस्त या परतंत्र बनाये तो उसका नियमन आवश्यक है।

संपत्ति सम्बन्धी अधिकारों में परिवर्तन होने पर प्रभावित व्यक्ति के पुनर्वास का दायित्व मूलतः समाज पर आता है। किन्तु क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नैश्चिन्त्य तथा स्थायित्व की दृष्टि से आवश्यक है।

अर्थव्यवस्था की कसौटी

राज्य-व्यवस्था की भांति अर्थव्यवस्था का निकष भी मानव का सर्वतोमुखी विकास होना चाहिए। मानव का सुख ही अर्थोत्पादन का प्रमुख लक्ष्य है तथा मानव-शक्ति उसका प्रधान साधन है। प्रकृति के साधनों का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास ही मानव की आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य रहा है। जो इस उद्देश्य की सफल पूर्ति के साथ-साथ मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सके वही उपयुक्त व्यवस्था है। जिस व्यवस्था में आर्थिक क्षमता तो बढ़े किन्तु मानवता के अन्य अंगों की विकास की शक्ति कुंठित हो जाय, कल्याणकारी नहीं हो सकती। मानव ही हमारी व्यवस्था का केन्द्र होना चाहिए।

सम्पूर्ण मानव का विचार न केवल एक अर्थपरायण मानव का सभी कृतियों का केन्द्र बनाकर विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधूरी है। अधिकतम लाभ की स्थायी आकांक्षा इस व्यवस्था की प्रेरक तथा प्रतिस्पर्धा नियामक शक्ति है। ये भाव भारतीय जीवन-दर्शन से बेमेल है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं की प्रतिक्रिया में कल्पित समाजवाद, उसके उद्देश्य श्लाघ्य होने के उपरांत भी, परिणाम में मानव-हितकारी सिद्ध नहीं हुआ। कारण

वैज्ञानिक समाजवाद के उद्गाता कार्ल मार्क्स का व्यक्ति और समाज का विश्लेषण मूलतः भौतिकवादी और इसलिए अधूरा है। वर्ग-संघर्ष की भूमिका में से स्वेच्छया स्थायी सहयोग की भावना पैदा नहीं हो सकती।

पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं में पूंजी के स्वामित्व के विषय में मतभेद है किन्तु दोनों की परिणति केन्द्रीयकरण तथा एकाधिपत्य में होती है। फलतः दोनों मानव की उपेक्षा करती हैं। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जिसमें व्यक्ति की अपनी प्रेरणा बनी रहे तथा वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में मानवता का विकास कर सके। विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था ही इस लक्ष्य को सिद्ध कर सकती है।

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था

शक्ति का केन्द्रीयकरण लोकतन्त्र एवं मानव-स्वतंत्रता के अनुकूल है। राष्ट्रीय एकात्मकता के अधीन राजनैतिक एवं आर्थिक शक्तियों का भौगोलिक एवं व्यवसायात्मक दोनों ही दृष्टियों से विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। पाश्चात्य देशों में औद्योगीकरण की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है उससे शक्तियों का केन्द्रीयकरण हुआ है। सीमित समवाय, प्रबंध अधिकरण तथा सूत्रधारी समवाय आदि की कानूनी व्यवस्थाओं ने इसका पोषण किया है। पूंजीवादी व्यवस्था के अनेक दोष केन्द्रीयकरण की देन हैं। समाजवाद की व्यवस्था ने केन्द्रीयकरण को रोकने की कोई चेष्टा नहीं की। उसने व्यक्तियों के हाथ से पूंजी के स्वामित्व को छीनकर राज्यों के हाथों में सौंपने मात्र से संतोष कर लिया। किन्तु इससे राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्ति के एक स्थान पर एकत्र आने के कारण केन्द्रीयकरण तथा उसके दोषों में और अधिक वृद्धि हुई है। रोग का इलाज विकेन्द्रीकरण से ही सम्भव है। आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाओं का इस उद्देश्य से पुनर्निर्धारण करना होगा। विज्ञान की आधुनिकतम खोजें और प्रौद्योगिकी विकेन्द्रित उद्योगों के पक्ष में हैं। मानव व्यक्तित्व को बनाये रखने और उसके सर्वतोमुखी विकास की इस व्यवस्था में सर्वाधिक सुविधा है। निजी या सहकारी स्वामित्व में छोटे यंत्रचालित उद्योग, छोटा व्यापार और कृषि, हमारी अर्थव्यवस्था के मूल आधार हों। बड़े उद्योगों का विचार अपवाद रूप में ही किया जाय।

प्रगति के मानदंड

जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण-पोषण की, उसके शिक्षण की जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की ओर यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण-पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की

है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदण्ड हैं। अतः न्यूनतम जीवन-स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा।

एकात्म मानववाद

हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था का केन्द्र मानव होना चाहिए जो 'यत् पिण्डे तद्ब्रह्मांडे' के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन हैं साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्नरुचिलोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर-मन-बुद्धि-आत्मायुक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थचतुष्टयशील, पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाय वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्म मानव है जो अनेक एकात्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। एकात्म मानववाद (Integral Humanism) के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा।

मानवतावाद के नाम से कई विचारधारायें प्रचलित रही हैं। किन्तु उनका विचार भारतीय संस्कृति के चिंतन से अनुप्राणित न होने के कारण मूलतः भौतिकवादी है। मानव के नैतिक स्वरूप अथवा व्यवहार के लिए वे कोई तात्विक विवेचन प्रस्तुत नहीं कर पायीं। आध्यात्मिकता को अमान्य कर मानव तथा मानव और जगत् के सम्बंधों और व्यवहार की संगति नहीं बिठायी जा सकती।

आह्वान

भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर ही चलते हैं। वे वहां की किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध एवं वहां के दलों की अनुकृति मात्र हैं। वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं कर सकते और न चौराहे पर खड़े विश्वमानव का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं। किन्तु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जाति-भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की

सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष, जिनकी भारतीय परम्परा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्द्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियां, परकीयों के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाये गये उपाय अथवा परकीयों द्वारा थोपे गए या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गयी व्यवस्थायें मात्र हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जिन्दा नहीं रखा जा सकता।

एकात्म मानव विचार भारतीय और भारतबाह्य सभी चिंताधाराओं का सम्यक् आकलन करके चलता है। उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को भी परखता है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक के उसके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके।

पाश्चात्य जगत् ने भौतिक उन्नति तो की किन्तु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्दमात्र रह गयी। 'नाऽयमात्मा बलहीनेन लभ्यः' अशक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता। बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि 'बलमुपास्व' के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सकें तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सकें।

2

भारतीय संस्कृति के शाश्वत, प्रवहमान, दैवी एवं समन्वयकारी तत्वों को ही एकात्म मानव धर्म की अभिधा दी गई है। यह आदर्श है जो हमारी दिशा निश्चित करेगा। आदर्शोन्मुख रहते हुए भी जनसंघ किसी वाद को लेकर हठवादी बनना उचित नहीं समझता। आदर्श की व्यवहार में परिणति आवश्यक है। उसके लिए यथार्थ के ठोस धरातल का आकलन कर ही कार्यक्रम बनाने होंगे। यथार्थ ही प्रयत्नों की पूंजी, उपलब्धियों का माप तथा सिद्धान्तों की कसौटी है। इस पृष्ठभूमि में भारत की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनसंघ निम्नलिखित नीति और कार्यक्रम निर्धारित करता है।

एक देश

उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी पर्यन्त समस्त भारत-वर्ष भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सदैव एक और अखण्ड रहा है। इस जीवमान एकता तथा अखण्डता की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सभी क्षेत्रों में अभिव्यक्ति हुई है। देश के कण-कण के प्रति अपना पवित्र एवं अटूट प्रेम प्रकट करने के लिए हमने उसकी भारतमाता के रूप में उपासना की है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी राज्य की समाप्ति के साथ भारत की चली आई एकता को भी खण्डित कर दिया गया। भारत भूमि पर पाकिस्तान का अस्तित्व केवल एक स्वतन्त्र राजनीतिक सत्ता ही नहीं अपितु एक संस्कृति एवं एक राष्ट्र के सत्य सिद्धान्त के विपरीत दो संस्कृतियों और दो राष्ट्र के सिद्धान्तों को मूर्तिमान करने का प्रयत्न है। यह प्रवृत्ति भारत के मानस की विकृति है। अतः उससे अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है। भारतीय जनसंघ की नीतियों का लक्ष्य रहेगा कि भारत और पाकिस्तान के विलगाव को दूर कर उन्हें एक साथ लाया जाय।

भारतीय जनसंघ सम्पूर्ण जम्मू और काश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग मानता है। भारत का संविधान अन्य प्रदेशों की भांति ही इस प्रदेश पर लागू होना आवश्यक है।

पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी शासन से मुक्त भारतीय भू-भाग संलग्न प्रदेशों में जोड़ दिए जायं।

एक जन

भारत की भूमि पर निवास करने वाला तथा उसके प्रति ममता रखने वाला विशाल मानव समुदाय एक जन है। अनेक विविधताओं के होते हुए भी उसमें मूलभूत एकता है। विविधतायें विकृति अथवा विघटन की सूचक नहीं, उसके स्वाभाविक विकास का परिणाम एवं सांस्कृतिक समृद्धि की परिचायक हैं। भारतीय जन की एकता की रक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने होंगे। परस्पर आत्मीयता और समानता का भाव जन-एकता के लिए आवश्यक है। इन भावों की विघातक रीतियों तथा व्यवस्थाओं को समाप्त करना होगा। ऊंच-नीच तथा छुआछूत को मिटाने के लिए प्रशासनिक और वैधानिक ही नहीं अपितु शैक्षणिक, सुधारवादी एवं आन्दोलनात्मक कार्यक्रम भी लेने होंगे। जाति और वर्ग के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा की कल्पना और उस आधार पर भेदभाव नहीं रहना चाहिए। सार्वजनिक मन्दिरों तथा उपासनागृहों में सबको बिना किसी भेदभाव के दर्शन का अधिकार आवश्यक है।

सदियों से अभिशप्त, शिक्षा तथा संस्कार की दृष्टि से पिछड़े और आर्थिक क्षेत्र में अभावग्रस्त वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष सुविधा देनी होगी। बिना उसके उनके लिए सबके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर प्रगति करना संभव नहीं होगा। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछड़ेपन में लोगों का निहित स्वार्थ न बन जाय तथा जातिगत भेद मिटने के स्थान पर और रूढ़ न हो जायें।

महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक वियोग्यताओं को दूर करने के लिए विशेष उद्योग हों, जिससे वे घर, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाह कर सकें। जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर मिले। पर्दा, दहेज, बाल-विवाह, विषम-विवाह आदि कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सुधारवादी कार्यक्रम अपनाने होंगे।

मातृत्व की प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा है। मातृ-कल्याण के कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण अंग होने चाहिएं। वेतन और भृति में स्त्री और पुरुष दोनों के समान स्तर रखे जायें।

भारत के सभी जनों के विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक-विधान आदि का नियमन करने के लिए एक ही व्यवहार-विधि होनी चाहिए।

एक संस्कृति

एक भूमि के ऊपर एक जन के रूप में जीवित भारतीय समाज ने आसेतु हिमाचल जिस संस्कृति का विकास किया है, वह एक है। भारत जैसे विशाल देश में यह स्वाभाविक है कि विभिन्न प्रादेशिक, स्थानीय अथवा जातिगत जीवन-पद्धतियों का विकास हो। भारतीय संस्कृति में उन सबका समन्वय हुआ है। यह कभी किसी वाद या पंथ-विशेष से बंधी नहीं रही। परन्तु वे सभी भारतीय राष्ट्र के विशाल कुटुम्ब के अंग रहे हैं और भारतीय संस्कृति के विकास में उन सबने भाग लिया है। इसकी धारा वैदिक काल से अब तक अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित चली आती है। समय-समय पर विभिन्न जातियों, पंथों और संस्कृतियों से सम्पर्क आने पर इसने उनको इस रूप में आत्मसात् कर लिया कि वे इसके मूल प्रवाह के साथ अभिन्न हो गईं। यह भारतीय संस्कृति भारत के समान एक और अखण्ड है, मिली-जुली संस्कृति की चर्चा तर्क-विरुद्ध ही नहीं, प्रत्युत भयावह भी है क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता को क्षीण कर विघटनात्मक प्रवृत्तियों को पुष्ट करती है।

एक राष्ट्र

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से इसके चिरकालीन इतिहास में एक नवीन अध्याय आरम्भ हुआ है, किसी नये राष्ट्र का जन्म नहीं। स्वभावतः भारतीय राष्ट्रवाद का आधार सम्पूर्ण भारत एवं इसकी सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठा ही हो सकता है।

भारत की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को जनसंघ सर्वोपरि प्राथमिकता देता है।

राष्ट्रीय निष्ठाओं को बलवती बनाने के भावात्मक प्रयत्नों से ही राष्ट्रीय एकता को पुष्ट तथा विघटन और विच्छेद की प्रवृत्तियों को रोका जा सकता है। प्रत्येक को उपासना पद्धति की पूर्ण स्वतन्त्रता देते हुए भी भारतीय जनसंघ मजहब को राजनीति के साथ मिलाने अथवा साम्प्रदायिक आधार पर विशेष अधिकारों की मांग करने की प्रवृत्ति का, जो साम्प्रदायिक राज्य के सिद्धान्त के प्रतिकूल तथा राष्ट्रीय एकात्मता में बाधक है, विरोधी है और उसे किसी प्रकार का प्रश्रय नहीं दे सकता।

अल्पमतों के प्रति सहिष्णुता एवं उनके प्रति पूर्ण भेदभावरहित व्यवहार राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्र के अनिवार्य अंग हैं। भारतीय जनसंघ सभी प्रकार के अल्पमतों को इस बात की आश्वस्ति देता है, किन्तु मजहब या अन्य आधार पर भारतीय जन को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों में बांटना और उसे देश की राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक नीतियों का आधार बनाना अतर्कसंगत तथा राष्ट्रीयता की शुद्ध परिकल्पना के अज्ञान का परिचायक है। राजनीतिक तथा प्रशासन में इस प्रकार की भ्रान्त धारणाओं पर आधारित वर्गीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है।

पाकिस्तान में रहने वाली जनता मूलतः भारतीय राष्ट्र का अंग रही है। मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धान्त के प्रतिपादन तथा पाकिस्तान द्वारा इस्लामी राज्य की घोषणा से वहां के गैर-मुस्लिम जन विधानतः दूसरे दर्जे के नागरिक बना दिये गये हैं। अन्याय और उत्पीड़न का शिकार बन कर वे भारत आने को विवश हुए हैं। भारतीय राज्य का यह दायित्व है कि वह इन बन्धुओं को पाकिस्तान में समान अधिकार तथा सुरक्षा और सम्मानपूर्वक जीवनयापन की सुविधायें दिलाने के लिए प्रयत्न करे अथवा उन्हें योजनापूर्वक भारत लाने, उनका पुनर्वास करने तथा क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था करे।

जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व भारत के प्रति शत्रुभावापन्न एक पृथक् इस्लामी राज्य के रूप में विद्यमान है तब तक भारत के मुसलमानों की स्थिति नाजुक है। शासन को इस बात का विशेष प्रयत्न करना होगा कि पाकिस्तानी प्रवृत्ति को जन्म देने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया बदली जाय और ऐसे कोई कारण न रहें जिससे पाकिस्तान भारत के इन नागरिकों की निष्ठा डिगाने में सफल हो सके।

भारत-स्थित ईसाई एवं अन्य मतावलम्बी मिशनों को विदेशी प्रभाव एवं नियंत्रण से मुक्त करना होगा, जिससे वे विदेशी शक्तियों के हस्तक न बन सकें।

शासन व्यवस्था

एक देश, एक जन और एक संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय एकात्मता के लिए पोषक और उसकी अभिव्यक्ति का सफल उपकरण एकात्म राज्य संविधान ही हो सकता है। संघात्मक संविधान की कल्पना राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है।

भारत की राज्य-व्यवस्था तथा लोकजीवन के विकास में जनपदों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अतः वर्तमान प्रदेशों का ऐतिहासिक एवं लोकव्यवहार के आधार पर जनपदों में परिसीमन होना चाहिए। वहां निर्वाचित जनपद सभाओं को शासन के अधिकार हों। जनपदों के अंतर्गत जिले, विकासखण्ड तथा पंचायतें बनाई जायं। सम्पूर्ण देश के लिए विधान बनाने का अधिकार संसद को हो। जनपद सभाओं को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार उपविधियों के निर्माण का तथा विधान-विशेष के लिए संसद को अभिस्ताव करने का अधिकार हो। संवैधानिक राज्यपालों के स्थान पर विभिन्न जनपदों के कार्यों को समन्वित करने के लिए प्रदेशीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर प्रशासक नियुक्त हों।

विभिन्न निकायों के बीच शक्ति एवं साधनस्रोतों का इस प्रकार विभाजन किया जाये कि प्रत्येक आत्मनिर्भर होकर उत्तरदायी स्वायत्तता का उपभोग कर सके।

प्रशासन

प्रशासन राज्य का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि सामान्य जन उसी को राज्य समझकर चलते हैं। प्रशासन का सुदक्ष, सक्षम, सुचितापूर्ण, जन-भावनाओं तथा जन-आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्वक जागरूक, उत्तरदायी, अनुशासित, कर्तव्यदक्ष एवं आत्मसम्मानपूर्ण होना नितान्त आवश्यक है। साथ ही भृत्यवर्ग में अपनी सेवाओं और परिलाभ के सम्बन्ध में नैश्चिन्त्य रहना चाहिए, तथा यह विश्वास होना चाहिए कि भर्ती और पदोन्नति में पक्षपात नहीं किया जाएगा। कुशलता के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार तथा चूक के लिए दण्ड होना चाहिए।

सामान्यतः केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय शासन के कर्मचारियों के वेतन और परिलाभ की समान दरें होनी चाहिएं।

राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही कारणों से प्रशासन में मितव्ययता एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। सामान्य जन और प्रशासक वर्ग के जीवन-स्तर में भारी अन्तर, असन्तोष, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति तथा सामाजिक विभेद पैदा करता है। इस अन्तर को कम करना होगा। प्रत्युत सभी कर्मचारियों के मन में राष्ट्र-निर्माण के महान दायित्व में सहभागी होने का गौरव जागृत होना

चाहिए तथा वही उनके कर्म की मूल प्रेरणा होनी चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों के राजनीति-सम्बन्धी प्रजातंत्रीय अधिकारों को मतदान छोड़कर, समाप्त करने की परम्परा चली आ रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के साथ शासकीय भृत्यवर्ग का भी विस्तार होता जा रहा है। समाज के इस वर्धमान-वर्ग को राजनीति के प्रति उदासीन बनाना प्रजातन्त्र के स्वस्थ विकास की दृष्टि से अनुपयुक्त है। अतः अधिकारी वर्ग, सामान्य प्रशासन और सेना तथा पुलिस जैसे विभागों के अतिरिक्त शेष कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने की सुविधा होनी चाहिए।

न्याय

न्याय सस्ता, सर्वजन सुलभ तथा अविलम्बित होना चाहिए। भारत की न्याय-व्यवस्था अंग्रेजी परम्परा का अनुसरण करके ही चल रही है। उसमें सुधार और परिवर्तन करना होगा।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से सब स्तरों पर पृथक तथा मुक्त रहना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और प्रामाणिकता में बाधक प्रवृत्तियों और व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाये।

राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्र की सीमाओं का व्याप, उनकी स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, पड़ौसियों की नीति और तैयारी का ध्यान रखकर सुरक्षा-बल की सभी शाखाओं का पर्याप्त विकास कर उसे आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सुसज्ज किया जाए।

देश की अर्थनीति और विदेश-नीति के निर्धारण में सुरक्षा की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया जाय।

राष्ट्र को मानसिक एवं शारीरिक दोनों दृष्टि से सुरक्षा सन्नद्ध करने के लिए जनसंघ निम्नलिखित आवश्यक समझता है :

(1) राष्ट्र के युवकों के लिए 2 वर्ष की अनिवार्य सैनिक भर्ती।
(2) सुरक्षा सेनाओं की सभी शाखाओं का स्वरूप और अन्तःस्फूर्ति दोनों दृष्टियों से पूर्ण भारतीयकरण।
(3) रक्षा सम्बन्धी उद्योगों का पर्याप्त विकास।
(4) परमाणु-अस्त्रों का निर्माण।
(5) एक विशाल प्रादेशिक सेना का संगठन।

सीमांत क्षेत्रों का विकास

सीमांत क्षेत्रों के विकास की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए तथा वहां के निवासियों को पूर्णतः सुसज्ज किया जाय जिससे वे एक दृढ़ रक्षापंक्ति का काम कर सकें तथा सीमा के छोटे-मोटे उल्लंघनों को रोक सकें। पाकिस्तान से लगे सीमाक्षेत्रवासी पाक-अन्तः प्रवेश की योजनाओं को निष्फल करने में

समर्थ हो सकें, इस दृष्टि से उस क्षेत्र की रचना की जाय।

भाषा नीति

भारत में अनेक भाषायें और बोलियां हैं। वे भारतीय जीवन की आधारभूत एकता की अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम रही हैं। उनमें कोई प्रकृतिभेद नहीं है, प्रत्युत उनका संस्कृत के साथ आधारभूत सम्बन्ध होने के कारण तथा समान विचारधारा, समान धर्म, समान ज्ञान-विज्ञान होने के कारण उनकी एक बड़ी समान शब्दावली है तथा एक ही समाज की भावनाओं की अभिव्यक्ति के कारण उनके साहित्य की आत्मा एक है। पश्चिम के ज्ञान और विज्ञान को प्रकट करने के लिए आज सभी भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्दावली के सृजन की आवश्यकता है। केन्द्र के निर्देशन में समान शब्दावली का निर्माण इस कार्य को सुकर बनायेगा तथा इन भाषाओं के स्वरूप की निकटता को आगे बढ़ायेगा।

शासन और शिक्षा, उद्योग और व्यापार सभी क्षेत्रों में स्वभाषाओं का प्रयोग स्वराज्य की स्वाभाविक परिणति है। राष्ट्रीय मनीषा को प्रकट करने वाले जन-व्यवहार तथा जन-आन्दोलनों के परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं के प्रयोग-क्षेत्र का एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में विकास हुआ है। हमारा कर्तव्य है कि इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को आगे बढ़ावें। शासन एवं शिक्षा के क्षेत्र की भाषा-नीति का निर्धारण इसी आधार पर होना चाहिए।

राष्ट्रभाषा—संस्कृत

संस्कृत सदैव से भारत की राष्ट्रभाषा रही है। संस्कृत को इस रूप में मान्यता मिलनी चाहिए तथा विशेष संस्कारी अवसरों पर उसका प्रयोग करना चाहिए।

राजभाषा

भारत की भाषाओं में हिन्दी हो सर्वाधिक समझी जानेवाली तथा पिछले अनेक वर्षों में अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकासमान भाषा है। संविधान ने उसे केन्द्रीय भाषा के रूप में अंगीकार कर इस तथ्य को स्वीकार किया है। देवनागरी लिपि में हिन्दी का प्रयोग केन्द्रीय राजभाषा के रूप में होना चाहिए।

विभिन्न प्रदेशों में वहां की भाषायें राजकाज में प्रयुक्त होनी चाहिएं। केन्द्रीय शासन के जिन विभागों का जनता के साथ सीधा सम्बन्ध आता है वहां क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार हो।

भारतीय भाषाओं के राजभाषा के रूप में व्यवहार के कारण राजसेवा में भर्ती तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों के मन में आशंकायें पैदा हो सकती हैं जिनको इन भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अन्तरिम काल के लिए उन्हें इस विषय में आश्वस्ति देनी चाहिए।

अनुसूचित भाषायें

भारत की सभी भाषायें राष्ट्रीय भाषायें हैं। अतः भारत के किसी भी भू-भाग में किसी भी अनुसूचित भाषा में प्रशासनाधिकारियों को आवेदन देने पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। सिन्धी का अनुसूचित भाषाओं में समावेश हो।

उर्दू अलग भाषा न होकर, हिन्दी की एक शैली है जिसका साहित्य में महत्व का स्थान है। उसके विकास के लिए आवश्यक है कि वह नागरी लिपि में लिखी जाय।

संविधान में अनुसूचित भाषाओं के अतिरिक्त भी भारत में अनेक लोक भाषायें हैं। इनका विकास तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषा के साथ उनका निकट का सम्बन्ध दोनों के लिए पोषक होगा तथा हमारे साहित्य को सही अर्थ में जन-जीवन का आदर्श बनायेगा।

शिक्षा

शिक्षा व्यक्ति का समाजसिद्ध अधिकार है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समाज के साथ एकात्म होता है तथा अपने व्यक्तित्व की साधना के मार्ग तथा लक्ष्य को पाता है। शिक्षा के सहारे मानव की अद्यतन संचित ज्ञाननिधि हस्तान्तरित होती है। इस पूंजी को लेकर ही मानव समष्टि को अपना योगदान करता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह अपनी वृत्तियापन करता हुआ राष्ट्र के एक उत्तरदायी एवं संवेदनशील घटक के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। साक्षरता, पुस्तक ज्ञान तथा तन्त्रपटुता के साथ शारीरिक शक्ति का विकास, बुद्धिउद्बोधन, शीलसंवर्धन, आदर्शजनन, सामाजिकता एवं शिष्टाचार का स्वभाव-निर्माण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। स्पष्ट है कि यह शिक्षा राष्ट्रीय जीवनमूल्यों से अलग हटाकर नहीं दी जा सकती। इस दृष्टि से शिक्षा के भारतीयकरण तथा अभिनवीकरण की आवश्यकता है जिसकी कमी का अनुभव बहुत दिनों से व्यापक रूप से होते हुए भी उसे पूरा करने के लिए कोई पग नहीं उठाये गये।

शिक्षा-व्यवस्था

प्रजा को शिक्षा की उपेक्षा न करने देना, शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में उनकी सहायता करना, प्रत्येक स्थान में विद्वान् गुरुओं का प्राचुर्य रखना, देशकाल निमित्तों को शिक्षा के अनुकूल रखना, स्थान-स्थान में शिक्षाश्रमों की व्यवस्था करना, स्नातकों एवं आचार्यों का योगक्षेम करना, सर्वतः उनके उत्साह को बढ़ाये रखना, राज्य के परंपरागत कर्तव्य हैं।

राज्य की शिक्षा-नीति का निम्नलिखित लक्ष्य होना चाहिए :

(1) माध्यमिक स्तर तक प्रत्येक बालक और बालिका के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध। यह स्तर इतना हो कि व्यक्ति विषयों के सामान्य ज्ञान के साथ आवश्यकतानुसार जीविकोपार्जन की क्षमता प्राप्त कर सके।

(2) उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के शिक्षण की उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था।

स्वायत्त शिक्षा

शिक्षा का व्यय राज्य द्वारा वहन होने के उपरान्त भी उसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध करने के लिए शिक्षकों तथा शिक्षाविदों के स्वायत्त निकाय होने चाहिएं। सरकार के विभाग के रूप में उनको चलाना ठीक नहीं। सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं का भेद समाप्त कर देना चाहिए। सभी क्षेत्रों के शिक्षकों के वेतन-क्रम एवं अन्य सुविधायें ऐसी हों जिससे योग्य व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आने में संकोच न करें। शिक्षा-संस्थाओं को मैनेजरों अथवा प्रबन्ध-समिति की निजी सम्पत्ति बनने देना उचित नहीं।

शिक्षा समाज में भेद-निर्माण करने वाली न होकर उसमें एकात्म-भाव निर्माण करने वाली हो। भारत के 'पब्लिक स्कूल' इस उद्देश्य के प्रतिकूल हैं। आवश्यकता है कि सभी शिक्षा संस्थाओं का स्तर ऊंचा उठाया जाय।

शिक्षा का माध्यम

स्वभाषा के बिना जनता का विकास संभव नहीं है। जब तक भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाता तब तक न तो हम सभी जनों को साक्षर और शिक्षित कर सकेंगे और न उस पैमाने पर तन्त्रज्ञ एवं अन्य कार्यक्षम जन उत्पन्न कर सकेंगे जिनकी हमारी विकास योजनाओं को आवश्यकता है। मौलिक चिन्तन तथा खोज तो पराई भाषा द्वारा प्राप्त ज्ञान में सहज संभव ही नहीं।

जनसंघ अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं का विरोधी नहीं। दुनिया के विभिन्न देशों के साथ संपर्क बढ़ाने तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए हमें अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, जापानी, स्वाहिली, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का अध्ययन करना होगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी के प्रभुत्व एवं एकाधिकार ने हमें इन भाषाओं से भी दूर कर दिया है। फलतः आज हम दुनिया को अंग्रेजी भाषा-भाषी जगत के चश्मे से ही देख रहे हैं। अंग्रेजी हमको दुनिया के साथ जोड़नेवाली कड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़े भाग से तोड़नेवाली सिद्ध हो रही है।

शिक्षा क्षेत्र में भाषा के सम्बन्ध में यह नीति होनी चाहिए :

(1) प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाय।

(2) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रादेशिक भाषा के माध्यम से दी जाय और हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य हो।

(3) हिन्दी-भाषी विद्यार्थियों के लिए किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान आवश्यक हो।

(4) राष्ट्र-भाषा संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य हो।

जहां क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा के विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या हो वहां उस भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

हिन्दी माध्यम से पढ़ानेवाली शिक्षण-संस्थाओं की देश भर में व्यवस्था हो।

लोक शिक्षा

शालेय अध्ययन के अतिरिक्त लोक-संस्कार, स्वाध्याय, लोकमत-परिष्कार भी शिक्षा के साधन हैं। इस दृष्टि से रेडियो, टेलिविजन, सिनेमा, संगीत, कथा, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकालयों, क्लबों आदि का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इनकी योग्य व्यवस्था की ओर राज्य को ध्यान देना चाहिए।

रेडियो और टेलिविजन को सरकारी विभाग के स्थान पर एक स्वायत्त निगम के रूप में चलाना चाहिए।

चित्रपट लोक-शिक्षा का एक अत्यन्त प्रभावी साधन है। अभिव्यक्ति के इस माध्यम का विकास करना चाहिए। किन्तु शासन को यह ध्यान रखना चाहिए कि चित्रपट लोकमत-परिष्कार तथा सुरुचि पैदा करने के साधन बनने के स्थान पर लोगों की रुचि बिगाड़ने वाले न बनें।

विदेश नीति

राष्ट्र के उदात्त हितों का संरक्षण ही किसी देश की विदेश नीति का प्रमुख आधार है। भारतीय राष्ट्र की प्रकृति और परम्परा साम्राज्यवादी विस्तारवाद के प्रतिकूल मानव की समानता और आत्मीयता के आधार पर विश्व-एकता की रही है। विश्व-शान्ति और विश्व की एकता भारत की राष्ट्रीय मनीषा है। जब तक विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद कायम है, जब तक रंग, विश्वास और विचारों के भेद के आधार पर दूसरों को हेय समझने की प्रवृत्ति मौजूद है, जब तक राष्ट्रों के बीच भारी आर्थिक विषमतायें और उनके कारण शोषण विद्यमान है और जब तक दुनिया में युद्ध और शान्ति की ठेकेदारी दो चार बड़े राष्ट्रों के पास है, तब तक विश्व के तनाव कम नहीं होंगे तथा हम सदैव ही एक कगार पर खड़े रहेंगे। आवश्यकता है कि पराधीन राष्ट्र स्वतन्त्र हों, मानवाधिकारों की सर्वत्र मान्यता हो, विश्व को समान स्तर पर लाया जाय, विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग का क्षेत्र विस्तृत हो तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र-संघ अधिक सबल, प्रतिनिधिक एवं न्याययुक्त आधार पर विकसित हो। ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चों का विकास भी आवश्यक है जहां राज्यों के शासकीय प्रतिनिधियों के स्थान पर जन-प्रतिनिधि एकत्र होकर राष्ट्र राष्ट्र के बीच विद्यमान खाई को पाट सकें।

भारतीय दर्शन विश्व की विविधता को स्वीकार करता है। अतः भारतीय जनसंघ प्रत्येक राष्ट्र के मूलभूत अधिकार को मानता है कि वह अपनी जीवन-पद्धति का स्वयं अपनी इच्छानुसार निर्माण करे तथा इस कल्पना का विरोध करता है कि सब एक ही सांचे में ढाले जायें।

विदेशों से सम्बन्धों का आधार

विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारत के सम्बन्धों का निर्धारण किसी एक मोटे नियम के अधीन नहीं हो सकता। सबकी मित्रता और सद्भावना के इच्छुक भारत को मूलतः सम-सहयोग की नीति लेकर चलना होगा। बिना शक्ति और पौरुष के शांति की आकांक्षा दुर्जनता को बढावा देनेवाली और अन्त में शांति की घातक होती है। भारत को अपनी विदेश नीति तेजस्वी बनानी होगी। अन्तिम लक्ष्यों को सामने रखते हुए उसे विभिन्न राष्ट्रों के साथ शत्रु-मित्र भावों का निर्धारण यथार्थवादी आधार पर परिस्थिति अनुसार करना होगा। किसी भी एक अपरिवर्तनीय नीति से बंधे रहना अनीतिमत्तापूर्ण होगा। विश्व को दो शक्तिगुटों के बीच बंटा मानकर किसी के साथ लगाव या तटस्थता का विचार बीते दिनों की बात तथा अयथार्थ है।

आक्रान्त भू-भाग को मुक्ति

कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के प्रकृत शत्रु हैं। दोनों ने भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके देश के बड़े भू-भाग पर बलात् अधिकार कर रखा है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का अहित ही दोनों की नीतियों का प्रमुख लक्ष्य है। भारत का प्रयत्न होना चाहिए कि वह अपने खोये हुए भागों को वापिस ले तथा दोनों की आक्रामक प्रवृत्तियों को प्रतिबंधित करे।

पाकिस्तान के प्रति दृढ़ता

पाकिस्तान की जनता मूलतः भारतीय राष्ट्र का अंग है। वह पृथकतावादी राजनीतिक शक्तियों का शिकार बनकर अलग हुई है। पाकिस्तान की निर्मिति के बाद से वह बराबर पीड़ित है। जिस स्वर्ग की उन्हें आशा दिखायी गयी थी वह मृगमरीचिका सिद्ध हुई। पाकिस्तान के शासक विरोधी भावनायें भड़काकर अपना आसन स्थिर करने की नीति लेकर चले हैं। भारत द्वारा अपनाई गयी तुष्टीकरण की नीति ही उनका सबसे बड़ा बल है। भारत यदि दृढ़ता की नीति अपनाये तो पाकिस्तानी विरोध का बुलबुला अधिक दिनों नहीं टिक सकता।

कम्युनिस्ट चीन का संकट

कम्युनिस्ट चीन भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए एक संकट बना हुआ है। सभी शान्तिवादी एवं सह-अस्तित्व के पुजारी देशों के सहयोग से कम्युनिस्ट चीन के विस्तारवादी एवं

युद्धलोलुप प्रवृत्ति का विरोध करना होगा । तिब्बत, सिकयांग, मंचूरिया और मंगोलियाओं की स्वतन्त्रता, फारमोसा सरकार की मान्यता तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की चीन प्रभाव से मुक्ति इस दृष्टि से आवश्यक है ।

सांस्कृतिक सम्बन्धों का पुनरुज्जीवन

दक्षिण-पूर्व एशिया के तथा अन्य देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं । इन सम्बन्धों को पुनरुज्जीवित कर सुदृढ़ करने की दिशा में पग उठाने चाहिए ।

भारतीय प्रवासी

विश्व के अनेक देशों में भारतीय प्रवासी विभिन्न कारणों से जाकर बसे हैं । उन देशों के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है । इन देशों की स्वतन्त्रता के बाद कहीं-कहीं उनके साथ विभेदपूर्ण व्यवहार हुआ है जिससे वे भविष्य के प्रति आशंकित हैं । भारत का यह दायित्व है कि इन प्रवासियों को समान अधिकार प्राप्त हों जिससे वे उन देशों की प्रगति में अपना भाग अदा कर सकें ।

अफ्रीकी देशों से सम्बन्ध

अफ्रीकी देशों की स्वतन्त्रता सदैव से भारत की रुचि और समर्थन का विषय रही है । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । इन नये स्वतन्त्र देशों के साथ सहयोग और मित्रता के सम्बन्ध सुदृढ़ करने की नीति बढ़नी चाहिए ।

आर्थिक नीति

भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था विशृंखलित है । वह न तो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है और न समाज के सुरक्षा-सामर्थ्य की गारंटी दे सकती है । उसका पुनर्गठन करना होगा ।

स्वदेशी का मन्त्र

उत्पादन-वृद्धि के बिना देश की समृद्धि सम्भव नहीं । किन्तु समृद्धि की साधना और फल में सभी लोग साझीदार हों इस हेतु हमें समतर वितरण का भी ध्यान रखना होगा । वितरण को सुधारे बिना न तो आज का निर्धन, सधनता का अनुभव कर सकेगा और न उत्पादन-वृद्धि के लिए आवश्यक क्षमता और संकल्प जुटा सकेगा । पैदा माल की खपत के लिए बाजार का विस्तार जन-सामान्य की क्रय-शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि से ही सम्भव है ।

अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाने तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए पूंजी-निर्माण आवश्यक है । पूंजी के लिए बचत और साहस चाहिए । भारत में अधिकांश लोगों का जीवन-स्तर इतना नीचा है कि उपभोग को टालकर बचत की गुंजाइश ही नहीं । साथ ही परानुकरण से उत्पन्न प्रदर्शन-प्रभाव तथा जीवन-मूल्यों में परिवर्तन के कारण जीवन-स्तर की धारणा में भी अन्तर आया है । हमारी

उपभोग-प्रवणता, गुण और मात्रा दोनों में, बड़ी तेजी से बदल रही है । फलतः पुराने धन्धों में बेकारी और विपूंजीकरण तथा नयों में अभाव की स्थिति पैदा हो गई है । आधुनिकीकरण के नाम पर पाश्चात्यीकरण तेजी से आ रहा है । सामाजिक-क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक-क्षेत्र में भी इससे अनेक समस्यायें तथा अवांछनीय प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं । आवश्यकता है कि स्वदेशी के मन्त्र का पुनरुच्चार किया जाय । इससे आवश्यक संयम एवं स्वावलम्बन का भाव जागेगा तथा अनावश्यक रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भरता के व्यामोह से तथा उसके प्रभाव से बचेंगे ।

नियोजन

राष्ट्र के साधनों को न्यूनतम काल में अधिकतम लाभ के लिए प्रयुक्त करने की दृष्टि आर्थिक नियोजन की आवश्यकता है । किन्तु योजना साधन है साध्य नहीं । उसका निर्माण राज्य की स्थायी निष्ठाओं की मर्यादाओं के अंतर्गत ही करना होगा । भारत की राजनैतिक स्वतंत्रता, लोकतन्त्र तथा भारतीय संस्कृति के शाश्वत् मूल्य वे निष्ठाएं हैं जिनके प्रतिकूल कोई अर्थोत्पादन की योजना स्वीकार नहीं की जा सकती । वास्तव में ये मर्यादाएं नियोजकों के मार्ग में रुकावट नहीं बल्कि उनके संबल हैं । यदि उनका सही-सही उपयोग किया जाय तो उनसे राष्ट्र के सामूहिक प्रयत्नों को भारी बल मिल सकता है । कल की समृद्धि के लिए आज के कष्टों की प्रेरणा केवल आर्थिक उद्देश्यों से नहीं मिल सकती । जनमन में योजना की सिद्धि की आकांक्षा जागृत करने के लिए उसे आदर्शवादी बनाना होगा किन्तु उसके लक्ष्य जनता के सम्भव सामर्थ्य की कल्पना कर यथार्थ की ठोस भूमिका पर ही निर्धारित करने चाहिएं ।

भारत प्रजातन्त्रवादी देश है । हम रूस, चीन या दूसरे कम्युनिस्ट देशों की भांति एक अधिनायकवादी पद्धति नहीं अपना सकते । अतः हमें वही योजना बनानी होगी जिसका कार्यान्वयन लोकतन्त्रीय पद्धति से हो सके । सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पूर्ण सुविचारित, विवरणमूलक योजना बनानी चाहिए किन्तु निजी क्षेत्र में मोटे-मोटे लक्ष्य निश्चित करके लोगों को उनकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करने को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए । निजी क्षेत्र में पण्य-व्यवस्था मुख्यतः नियामक है, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशासनिक आदेश से नियमन हो सकता है । यदि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण प्रशासनिक आदेशों के अधीन करने का प्रयत्न किया जायेगा तो चोरबाजारी जैसी समस्यायें पैदा हो जायेंगी तथा लोग अपने स्वातन्त्र्य पर बन्धन अनुभव करने लगेंगे । सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विवरणमूलक तथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक नीति नियामक नियोजन होना चाहिए । वास्तव में तो योजना की

व्यूह-नीति होनी चाहिए उन अवस्थाओं को निर्माण करने वाली वित्तीय, मौद्रिक एवं औद्योगिक नीतियों को अपनाना जिनमें व्यक्ति के साहस को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिले तथा विनियोजन एवं वितरण पण्य-व्यवस्था के अंतर्गत ही वाञ्छित दिशाओं में प्रवाहित हों। नियोजन, नीति-निर्धारण, नियमन, नियन्त्रण और राष्ट्रीयकरण इनका क्रमावरोही रूप में प्रयोग करना चाहिए।

उद्देश्य—योजना के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिएं :

(1) राष्ट्र को सुरक्षा-सक्षम बनाना।

(2) पूर्ण रोजगार।

(3) प्रत्येक कुटुम्ब की न्यूनतम जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनके स्तर को ऊंचा उठाना।

(4) आय और सम्पत्ति की विषमताओं में कमी करना।

(5) विकासमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ध्यान रखते हुए भी राष्ट्र को मूलभूत, उपभोग एवं उत्पादक वस्तुओं में आत्मनिर्भर बनाना।

(6) सभी क्षेत्रों और जनों का विकास।

वरीयतायें—यद्यपि कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवायें, इन चारों का संतुलित विकास ही एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं और हमें इन सबकी ओर ध्यान देना होगा, किन्तु विकास को गति देने के लिए निम्नलिखित वरीयताओं का निर्धारण होना चाहिए :—

(1) सुरक्षा उद्योगों की स्थापना।

(2) कृषि उत्पादन में वृद्धि।

(3) जीवन की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए श्रम-प्रधान उद्योगों का विस्तार।

(4) सार्वजनिक सेवाओं तथा मूलभूत उद्योगों की स्थापना।

मूल्य-नीति

मूल्य-नीति नियोजन का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। मूल्य विभिन्न वर्गों की उपभोग-क्षमता के सूचक ही नहीं, अपितु वे विवरण और विनियोजन की दिशा भी प्रभावित करते हैं। अर्थनीति के आधुनिकीकरण में मूल्यों का कुछ अंशों में बढ़ना स्वाभाविक है, किन्तु जब वे तेजी से बढ़ते अथवा गिरते हैं या विभिन्न कालों और क्षेत्रों के मूल्यों में भारी अन्तर होता है तब उससे जन-जीवन तो सन्त्रस्त होता ही है, नियोजित विकास में भी भारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। यह अंतर उत्पादक या उपभोक्ता को लाभ नहीं पहुंचाता। इससे विनियोजन कृषि और उद्योगों की ओर प्रवाहित न होकर व्यापार और वितरण की ओर जाता है। सट्टे की प्रवृत्ति बढ़ती है। अतः मूल्यों का स्थिरीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

मूल्य-नीति का उद्देश्य कच्चे और पक्के माल के मूल्य, वेतन और उजरत, ब्याज और लाभ के बीच साम्य बनाये रखना तथा विनियोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। प्रशासकीय आदेशों के द्वारा मूल्यों को नियंत्रित करने के स्थान पर उन्हें वित्तीय, मौद्रिक, औद्योगिक आदि आर्थिक नीतियों एवं नियमन के उपायों से प्रभावित करना वांछनीय होगा।

खाद्य एवं कृषि

न्यूनतम आवश्यकताओं में से खाद्य एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना प्राणिमात्र जीवित नहीं रह सकता। "अन्न वै प्राणः" अन्न ही जीवन है। खाद्य के सम्बंध में पर-निर्भरता राष्ट्रीय एवं राजनीतिक और भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक है। जिन देशों से हम अन्न प्राप्त करते रहे हैं उनको निर्यात करने योग्य हमारे पास विशेष कुछ नहीं है। फलतः विदेशी ऋणों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इन ऋणों की अदायगी अथवा विभिन्न समझौतों के अंतर्गत मिश्रधन का विनियोग समस्यापूर्ण है। खाद्य में आत्म-निर्भरता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता।

कृष्यन्न, फल, दुग्ध, मांस, मछली, अण्डे आदि खाद्य के अंतर्गत आते हैं। किन्तु खाद्य पूर्ति की कोई भी योजना जनता के दृष्टिकोण, उसके संस्कार तथा भावनाओं का विचार करके ही बनानी होगी। कृषि, दूध और उससे बनी चीजें ही हमारे आहार का मुख्य अंग हैं। हमें उनके उत्पादन पर ही सर्वाधिक बल देना होगा।

जिस समाज में अधिकांश व्यक्ति खाद्योत्पादन में ही लगे रहें, तथा/अथवा खाद्योत्पादकों की क्रयशक्ति बहुत थोड़ी हो वहां अर्थव्यवस्था के विविधीकरण तथा विकास की सम्भावना नहीं। भारत में आज 69.8 प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं तथा उनमें अधिकांश भूमिहीन या इतने छोटे किसान हैं कि वे कठिनाई से जीवन-निर्वाह के लायक पैदा कर पाते हैं। उनके पास बाजार में बेचने के लिए अनाज नहीं होता। जब तक कृषि का विपणनीय अतिरेक नहीं बढ़ता तब तक न तो कृषितर पेशों में लगे व्यक्तियों को खाद्य की सुविधा होगी और न किसान का जीवन-स्तर ऊंचा होगा। जबरिया गल्ला वसूली, लेवी या मजबूरी में बिक्री की पद्धतियों से किसान से गल्ला लेने का तरीका ठीक नहीं। उपयुक्त तो यह होगा कि एक ओर तो किसान के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बेचने के लिए गल्ला हो और दूसरी ओर उसे उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग हो जो कृषितर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इसके लिए खेती के उत्पादन में वृद्धि, खेती पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या में कमी, फसल का अच्छा दाम तथा कृषक में जीवन-स्तर को ऊंचा करने की चाह, इन उद्देश्यों को लेकर ग्राम विकास कार्यक्रम अपनाने होंगे। भारत में भूमि

की कमी होने के कारण हमें प्रति व्यक्ति के साथ प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन करना होगा। खेती, लाभप्रद मूल्य तथा ग्रामों का उद्योगीकरण हमारे कार्यक्रम की आधारशिला होनी चाहिए।

कृषि-विकास के लिए भूधृति सम्बन्धी विद्यमान संस्थाओं को बदलना होगा, कृषि की पद्धति में प्राविधिक सुधार करने होंगे तथा साधनों को जुटाने एवं विपणन की व्यवस्था के लिए संस्थाएं बनानी होंगी। इस दृष्टि से एक समन्वित एवं सुनियोजित कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए। ग्राम के उद्योगधन्धों का भी इसके साथ विचार आवश्यक है।

खेती की पद्धति में सुधार

जहां तक खेती की पद्धति का सम्बन्ध है भारत के किसान ने परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त पद्धतियों का विकास किया है। युगों से चली आई पद्धतियों को आज की उन प्रक्रियाओं के पक्ष में, जिन पर न तो पूरे-पूरे प्रयोग हुए हैं और न भारत की समसमान अवस्थाओं में उन प्रयोगों को किया गया है, एकाएक नहीं छोड़ देना चाहिए। भारत का किसान फसलों की अदल-बदल कर बुवाई, हरी खाद का प्रयोग, मलमूत्र के खाद को पकाकर उपयोग करना, भूक्षरण रोकने के लिए मेंड बांधना तथा वृक्ष लगाना आदि विधियों को भली-भांति जानता है। उसने युगों से भूमि की उर्वरता को बनाये रखा है। हां, पिछले दिनों में विभिन्न कारणों से वह ज्ञान का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। उसके पूंजीगत साधनों को बढ़ाने तथा उसके मन में भूस्वामित्व के संबंध में निश्चितता पैदा करने की आवश्यकता है। नया प्रयोग और नया ज्ञान उसी अवस्था में संक्रमणशील रहता है जब समसमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों का सफल अनुभव उसके पीछे हो। इस दृष्टि से गांवों में योग्य कृषकों को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए। सरकारी फार्मों के स्थान पर इन कृषकों के खेतों को ही माडल फार्म बनाना चाहिए।

उपज बढ़ाने तथा भूमि की उर्वरता टिकाये रखने के लिए खाद की आवश्यकता है। उर्वरक और खाद की मात्रा और किस्म, मिट्टी, सिंचाई के साधन, फसल, उत्पादन की पद्धति आदि पर निर्भर है। प्रत्येक विकास खण्ड में एक परीक्षणशाला होनी चाहिए जो इस हेतु आवश्यक जांच करके किसानों को योग्य सलाह दे सके।

भारी ट्रैक्टर और मशीनों से खेती भारत के लिए अनुपयुक्त है। बंजर तोड़ने में उनका अवश्य उपयोग हो सकता है।

अच्छे औजार, बैल, खाद, उन्नत बीज, ऋण तथा विपणन के लिए साधन सहकारी समितियों का गठन उपयोगी होगा।

आदेवमातृका कृषि

सिंचाई की योग्य व्यवस्था करना भारतीय शासन का सदैव से ध्येय रहा है। कृषि को आदेवमातृका बनाना शास्त्रों का आदेश है। स्वातन्त्र्योत्तर काल में यद्यपि बड़े-बड़े बांधों के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं किन्तु फिर भी अधिकांश कृषि इन्द्रदेव की कृपा पर ही निर्भर है। छोटी योजनाओं की ओर दुर्लक्ष्य हुआ है। पुराने कुएं, तालाब, पोखरें आदि मरम्मत के अभाव में बेकार हो गये हैं।

सर्वतोमुखी दृष्टि से विचार किया जाय तो भारत के लिए छोटे-छोटे सिंचाई के साधन ही अधिक उपयुक्त हैं। बड़े बांध पूंजीप्रधान हैं। देश के अनेक भूभागों में भूमि और जलतल की ऐसी स्थिति है कि बड़े बांधों के कारण सेम और भूक्षार उत्पन्न होकर भूमि के अनुर्वरा होने की आशंकायें हैं। विद्यमान योजनाओं को छोड़कर आगे सामान्यतया छोटी योजनायें ही हाथ में लेनी चाहिएं। बड़ी योजनाओं में लगी पूंजी की शीघ्र वसूली की चिन्ता में सिंचाई एवं अन्य करों की दरें ऐसी नहीं होनी चाहिएं कि जिससे किसान उन्हें दुर्वह समझकर सिंचाई के साधनों का उपयोग ही न करें। छोटी योजनाओं में नलकूप बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

भूधृति

कृषि-उत्पादन का सम्बन्ध कृषक से भी आता है। खेत और खेतिहर इन दोनों का एक अविभाज्य सम्बन्ध है। भूमि में सुधार करने तथा अधिकाधिक श्रम से अधिकतम उत्पादन करने के लिए यह आवश्यक है कि किसान को इस बात की निश्चिति हो कि वह भूमि से हटाया नहीं जायगा तथा पैदा की हुई फसल का अधिकांश भाग उसका अपना ही होगा। विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से भारत की भूमि-व्यवस्था में बहुत से मध्यस्थों का समावेश हो गया है। जमींदार और जागीरदार तो अब समाप्त कर दिये गये हैं किन्तु रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो स्वयं खेती नहीं करते बल्कि दूसरों को पट्टों पर देकर उनसे फसल का निश्चित भाग लेते रहते हैं। कानून में वे कृषक हैं और कृषि के नाम पर मिलनेवाली सुविधाएं उन्हें ही प्राप्त होती हैं। फलतः वास्तविक कृषक निर्धन एवं सुविधाहीन बना हुआ है। कृषि विकास के लिए आवश्यक है कि वास्तविक किसान को भूमि का मालिक बनाया जाये। कुछ राज्यों में जहां इस प्रकार के कानून बने हैं, उनका ठीक-ठीक पालन नहीं हुआ। गैरकानूनी, बेदखली या मर्जी से खेत छोड़ने के मामले बहुत ज्यादा हैं। आवश्यकता है कि कागजों में सुधार हो तथा कानून की भावना के अनुसार उसका पालन हो।

जोतने वाले की भूमि : व्याख्या—'जोतने वाले की भूमि' का यह अर्थ

कदापि नहीं कि अपनी मेहनत को छोड़कर किसान किसी दूसरे की सेवाओं से लाभ नहीं उठा सकता। उसे आवश्यकतानुसार मजदूर रख सकने का अधिकार होना चाहिए, अन्यथा खेती चौपट हो जाएगी। 'जोतने वाले' का साधारण अर्थ यही हो सकता है कि वह खेती के हानि-लाभ के लिए उत्तरदायी हो, उसमें पूंजी लगाता हो, वहां परिश्रम करता हो तथा उसकी देखभाल करता हो।

ऐसी अवस्थायें भी हो सकती हैं जब किसी कारणवश किसान एक या दो वर्ष के लिए खेती न कर सकता हो। यदि उस अवस्था में भी वह अपनी जमीन दूसरों को कुछ समय के लिए खेती करने के लिए नहीं दे सकेगा तो वह या तो खेत को बिना बोये हुए छोड़ देगा या केवल कागजी कार्यवाही के लिए उस पर खेती करेगा। इसका परिणाम कृषि-उत्पादन के गिरने में होगा। अतः हमें कुछ अपवाद अवश्य करने होंगे। अवयस्कों, विधवाओं, अपंगों तथा फौज के लोगों को भी इस नियम से मुक्त रखना होगा।

इसी प्रकार आर्थिक जोतवाले किसानों को अपना खेत पट्टे पर देने और लेने का अधिकार होना चाहिए।

अधिकतम जोत—सघन खेती की अनिवार्यता के कारण हमें एक ओर आर्थिक जोतों की व्यवस्था करनी होगी तथा दूसरी ओर जोत की अधिकतम मर्यादायें भी बांधनी होंगी।

कृषि स्वामित्व—सहकारी या सामुदायिक खेती भारत के भूमि-जन-अनुपात, प्रजातन्त्रीय पद्धति, बेकारी का निवारण, प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन, कृषि में मानकों के निर्धारण की असम्भवनीयता, किसान का भूमि-प्रेम एवं हमारे जीवन-मूल्य इन सभी दृष्टियों से हमारे लिए अनुपयुक्त है। कृषक स्वामित्व ही भूमि व्यवस्था का आधार होना चाहिए।

चकबन्दी—भूमि का अन्तर्विभाजन एवं अपखण्डन भी भारतीय कृषि की एक समस्या है। इसे चकबन्दी द्वारा रोकने के प्रयास किये गये हैं। जिन तरीकों और कानून के अंतर्गत चकबन्दी की जा रही है, उनमें पक्षपात एवं विभेद के लिए बहुत गुंजाइश है। गांव का मास्टर प्लान बनाकर चकबन्दी करनी चाहिए। जिनके चक छोटे हैं उन्हें भूमि देते समय यह ध्यान रखा जाय कि वे उन्हें आर्थिक बना सकें।

आर्थिक जोत से नीचे अंतर्विभाजन और अपखण्डन पर रोक लगा दी जाय।

खेतिहर मजदूर

कृषि में खेतिहर मजदूर का सहयोग सदैव आवश्यक रहेगा। उसको पूरी मजदूरी, वर्ष भर तक काम तथा ग्रामवासियों को मिलनेवाली सभी सुविधायें मिल सकें इसकी व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु गांवों में सहायक उद्योगों की स्थापना आवश्यक है।

गोवंश की अवध्यता

गोवंश के प्रति भारतीय जनता की भावनाओं का समादर करने तथा उसका भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण, उसके संरक्षण एवं संवर्धन पर अत्यधिक बल देना चाहिए तथा गोवंश-हत्या पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। मिश्रित कृषि भारत के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

विपणन

उत्पादन-वृद्धि के कार्यक्रमों के साथ ही कृषि-माल के विपणन एवं ऋण की व्यवस्था भी करनी होगी। अभी तक गांव का साहूकार कुछ अंशों में ये कार्य करता है। किन्तु बाजारों की योग्य व्यवस्था न होने के कारण किसान को कभी उचित दाम नहीं मिल पाया है। कच्चे माल के कम दामों के लिए सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था ही मूलतः दोषी है। इसमें कच्चे माल और पक्के माल के मूल्यों के बीच कोई तालमेल नहीं। अतः किसान के साथ न्याय करने के लिए आवश्यक है कि गांवों में कोठार एवं गोदाम बनाए जायं, जिससे किसान को अपनी फसल की साख पर योग्य ऋण प्राप्त हो जाय। सहकारी समितियां यह काम भलीभांति कर सकती हैं। कृषि बीमा योजना भी उपयोगी सिद्ध होगी।

वन

वन देश की बहुमूल्य सम्पत्ति हैं। उनका प्रभाव देश की जलवायु एवं वर्षा पर भी पड़ता है। उनका ह्रास रोकने, संरक्षण एवं रोपण के लिए वैज्ञानिक आधार पर कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। वन और वनवासी दोनों ही पिछले अनेक वर्षों से बुरी तरह शोषण के शिकार हुए हैं। वनवासी को खेती के लिए भूमि देना तथा वनों से आजीविका चलाने की सुविधायें पुनः देना आवश्यक है।

उद्योग नीति

देश के उद्योगीकरण की अपरिहार्यता निर्विवाद है। किन्तु उसकी गति कितनी और स्वरूप कैसा हो, यह मतभेद का विषय है। सामान्यतः पश्चिम के औद्योगिक ढांचे को ही एकमेव ढांचा मानकर उसे जल्दी से जल्दी देश में लाने की आतुरता दिखती है। विदेशी पूंजी के सहयोग ने इस निर्णय को और भी प्रभावित किया है। अभी तक इस प्रकार का जो उद्योगीकरण हुआ है उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हुई है किन्तु दूसरी ओर पुराने उद्योग नष्ट होकर निरुद्योगीकरण एवं विपूंजीकरण हुआ है, बेकारी बढ़ी है, विदेशों पर निर्भरता तथा विदेशी ऋण में वृद्धि हुई है, केन्द्रीयकरण तथा आर्थिक विषमतायें अधिक हुई हैं तथा तेजी से होने वाले नागरीकरण एवं अपने घर और गांव से दूर बड़े-बड़े शहरों में समाज-सम्बन्ध-विहीन

जनसमुदाय के केन्द्रीयकरण से अनेक समस्यायें पैदा हुई हैं। हम इन समस्याओं को उद्योगीकरण के स्वाभाविक परिणाम कहकर टाल नहीं सकते।

नवीन प्रोद्यौगिकी — विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत देशकालनिरपेक्ष होते हुए भी उनका प्रयोग कर उपयुक्त उत्पादन की पद्धति का विकास प्रत्येक देश में उपलब्ध उत्पादन के साधन एवं पण तथा वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्थिति सापेक्ष होता है। देश की आवश्यकतायें, उपलब्ध प्राकृतिक साधन, विकसित तथा सम्भव शक्ति, श्रमिकों की संख्या तथा उनकी शिक्षा, प्रबन्ध कुशलता और तन्त्रपटुता का स्तर एवं संक्रमणशीलता, प्राप्त पूंजी, क्रय-शक्ति एवं पण तथा अर्थव्यवस्था के अन्योन्याश्रित अंगों की स्थिति का विचार करके ही हमें उपयुक्त मशीन का निर्धारण एवं निर्माण करना होगा। भारत को पश्चिम की प्रोद्यौगिकी का अनुकरण करने के स्थान पर अपने लिए उपयुक्त प्रोद्यौगिकी का आविष्कार करना चाहिए।

औद्योगिक विकेन्द्रीकरण

भारत का उद्योगीकरण प्रमुखतः यन्त्रचालित लघु उद्योगों के आधार पर ही होना चाहिए। ये एकात्म मानव के लिए पोषक हैं। विद्यमान आर्थिक कारण उनके पक्ष में हैं। इन उद्योगों के लिए जो कठिनाइयां थीं वे विज्ञान की आधुनिक प्रगति तथा खोजों के बाद दूर हो गई हैं। इनका कृषि के साथ मेल बिठाया जा सकता है। ये गांवों में स्थापित किये जा सकते हैं जिससे एक ओर तेजी से होने वाले नागरीकरण की समस्याओं से बचेंगे तथा दूसरी ओर गांव भी देश की समृद्धि में सहभागी बनेंगे। समाज का शिक्षित एवं युवक वर्ग यदि गांवों में न रहा तो उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता और न राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के कार्यक्रम ही सफल हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार से तो विकेन्द्रीकरण नितांत आवश्यक है।

छोटे उद्योग श्रमप्रधान होने के कारण बेकारी के निवारण में बहुत सहायक हैं। इनमें पूंजी कम लगती है और इसलिए इनको चलाने वाले साहसियों की संख्या बड़े उद्योगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो सकती है। इस कारण कुल मिलाकर इनके द्वारा अधिक पूंजीकरण होगा। ये विद्यमान उद्योगों के सहारे विकसित हो सकते हैं। अतः प्रोद्यौगिकीय विपूंजीकरण तथा बेकारी को बचा सकते हैं। ये उद्योग श्रमिक की मालिकी के आधार पर चलाये जा सकते हैं। यदि दूसरे श्रमिक मजदूरी पर रखने भी पड़ें तो मालिक और मजदूर परस्पर मानव सम्बन्ध रखकर सहयोग के आधार पर इनका विकास कर सकते हैं। सहकारिता के लिए भी यहां पर्याप्त गुंजाइश है। ये उद्योग आशुफलदायी हैं, अतः बहुत समय तक पूंजी फंसी नहीं रहती।

बैंक, साख, यातायात तथा राज्य के औद्योगिक नीति सम्बन्धी सभी

नियम इस प्रकार बने हैं कि उनमें बड़े उद्योग के साथ पक्षपात होता है। फलतः छोटे उद्योग पनपने नहीं पाते। फिर भी पिछले वर्षों में आधुनिक उत्पादन के अनेक क्षेत्रों में छोटे उद्योगों ने इतनी अधिक प्रगति की है कि वे बड़े उद्योगों के साथ टक्कर ले सकते हैं। विदेशी उद्योगों के मुकाबले जैसे स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है उसी प्रकार बड़े उद्योगों के मुकाबले छोटे उद्योगों को संरक्षण देने की नीति शासन को अपनानी चाहिए।

क्षेत्र विभाजन

छोटे और बड़े उद्योगों में क्षेत्रों का विभाजन होना चाहिए। सामान्यतः उपभोक्ता वस्तुएं छोटे उद्योगों द्वारा तथा उत्पादक एवं मूलभूत वस्तुओं का उत्पादन बड़े उद्योगों द्वारा होना चाहिए।

ग्रामोद्योग

परम्परागत ग्राम और कुटीर उद्योगों में से अधिकांश आज अनार्थिक हो गये हैं। उन्हें आर्थिक बनाना होगा। बिजली और यन्त्र के सहारे उनका आधुनिकीकरण करके उन्हें छोटे उद्योगों की श्रेणी में लाना चाहिए। इन उद्योगों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाये बिना वे टिक नहीं सकते। शैशव में पोषण के लिए संरक्षण उपयोगी है किन्तु वह स्थायी भाव नहीं बनना चाहिए।

ग्रामीण कारीगर

गांव के कारीगरों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण से वे विस्थापित होते जा रहे हैं। नई अर्थव्यवस्था में उनको योग्य स्थान मिल सके इसका प्रबन्ध करना होगा।

राष्ट्रीय क्षेत्र

बड़े उद्योग का स्वामित्व विवाद का विषय है। समाजवाद और पूंजीवाद के समर्थक अपने-अपने सिद्धांतों के आधार पर अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। भारत की वर्तमान परिस्थिति में जब विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त क्षेत्र पड़ा हो तथा राज्य एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों की शक्तियां अधूरी सिद्ध हो रही हों यह विवाद बेमानी है। हमें एक राष्ट्रीय क्षेत्र की कल्पना रख कर प्रत्येक को अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार काम करने का मौका देना चाहिए।

भारत में संमिश्र अर्थव्यवस्था आवश्यक है। उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दोनों क्षेत्रों में सहयोग और पूरकता का भाव रखना चाहिए। सार्वजनिक उद्योगों में 49 प्रतिशत तक पूंजी जनता के अंशदान के लिए खुली रखी जा सकती है।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के इस विवाद में जनक्षेत्र की ओर दुर्लक्ष्य हो रहा है। वास्तव में तो यही क्षेत्र सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली

होना चाहिए। *हमारी नीति होनी चाहिए कि जनता जहां चाहे वहां, पूंजीपति जहां चाहिए वहां, और सरकार जहां न निठे वहां।*

सार्वजनिक क्षेत्र

अविकसित अर्थव्यवस्था में ऐसी अनेक परिस्थितियां हैं जहां निजी क्षेत्र या तो प्रवेश की हिम्मत ही नहीं करता अथवा राजनीतिक एवं सामाजिक लक्ष्यों के हित में राज्य को ही उन क्षेत्रों में जाना आवश्यक होता है। निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं :

(1) आधारभूत एवं सार्वजनिक सेवा-उद्योग इतने पूंजीप्रधान एवं दीर्घफलदायी हैं कि बिना राज्य के उस क्षेत्र में प्रवेश किये वे स्थापित ही नहीं हो पायेंगे। अतः राज्य को इन उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए।

(2) जहां विदेशी पूंजी राजकीय स्तर पर उपलब्ध हो, राज्य को ही उस उद्योग का दायित्व संभालना आवश्यक होगा।

(3) निजी क्षेत्र के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करने तथा उसकी पूरकता के लिए भी राज्य को कुछ क्षेत्रों में आना आवश्यक हो सकता है। ये आंशिक सार्वजनिक क्षेत्र रहेंगे। खाद्यान्न का व्यापार, बैंक, बीमा, यातायात, विदेशी व्यापार इस क्षेत्र में आते हैं।

यदि किसी कारण निजी क्षेत्र में चलने वाले किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता अनुभव हो तो यह प्रश्न एक न्यायिक आयोग को सुपुर्द किया जाय तथा उसकी सिफारिशों के अनुसार ही राष्ट्रीयकरण की दिशा में पग उठाये जायं।

सार्वजनिक उद्योगों का प्रबन्ध स्वायत्त निगमों द्वारा होना चाहिए तथा उन पर वे सभी नियम लागू हों जो निजी क्षेत्र पर लागू होते हैं।

एकाधिपत्य पर रोक

राज्य का कर्तव्य है कि वह आर्थिक कारणों से होने वाले एकीकरण तथा एकाधिकार को रोके।

पूर्ण रोजगार

प्रत्येक समय और स्वस्थ व्यक्ति के जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना आर्थिक नियोजन एवं औद्योगिक नीति का लक्ष्य होना चाहिए। बेकारी को दूर करने के लिए रोजगार के नये अवसरों के निर्माण के साथ-साथ अर्ध-रोजगार वालों की उत्पादकता एवं आय बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। बढ़ी हुई क्रय-शक्ति से वे दूसरों को काम दे सकेंगे। रोजगार-संबंधी कार्यक्रमों के निर्धारण में श्रमिकों की संख्या, तज्ञता, उत्पादकता, काम और बेकारी की प्रकृति और व्याप्ति, संक्रमणशीलता आदि सभी प्रश्नों का विचार करना होगा।

काम न मिलने की अवस्था में जीवन-यापन के लिए बेकारी-भत्ते की व्यवस्था होनी चाहिए।

वैज्ञानिकन

अर्धबेकारी को दूर करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकन (Rationalisation) आवश्यक है। किन्तु भारत में वैज्ञानिकन मुख्यतः आयातप्रधान होने के कारण सहज नहीं। साथ ही उद्योग के आवश्यक विस्तार के अभाव में कई बार वैज्ञानिकन के छंटे हुए मजदूरों की दूसरी जगह खपत संभव नहीं होती। नई मशीन से अर्थव्यवस्था में तभी गति प्राप्त हो सकती है जब (1) बढ़ी हुई उत्पादकता से प्राप्त आय का श्रमिकों और पूंजी लगाने वालों में ठीक-ठीक वितरण हो; (2) इस आय का कुछ न कुछ अंश वित्त-संचय तथा उपभोग दोनों के काम आये; (3) देश में पूंजीनिर्माण की गति इतनी हो कि नई मशीनों के खरीदने में व्यय करने के बाद भी वह इतनी बच रहे कि केवल छंटनी किए हुए मजदूरों को ही नहीं अन्यों को भी काम देने के लिए उद्योगधन्धे प्रारम्भ किये जा सकें। सभी पहलुओं का विचार कर नियोजकों को इस सम्बन्ध में कार्यक्रम बनाने चाहिएं।

श्रम-नीति

श्रम की प्रतिष्ठा मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा है। श्रमिक को संगठन और सामूहिक रूप से पारिश्रमिक निश्चित कराने का अधिकार है। उसके हड़ताल के अधिकार को जनसंघ स्वीकार करता है, किन्तु उसका उपयोग अंतिम शस्त्र के रूप में ही करना चाहिए। इस अधिकार के उपयोग की आवश्यकता न पड़े इस हेतु शासन को परामर्श, समझौता-वार्ता, संधारण, पंचनिर्णय, अधिनिर्णय आदि के योग्य एवं प्रभावी तंत्र का निर्माण करना चाहिए।

भारतीय जनसंघ श्रमिक और मालिक में कोई स्थायी हित संघर्ष नहीं मानता। श्रमिक भी वास्तव में श्रम की पूंजी लगाता है। प्रबन्ध और लाभ में उसके साझे की व्यवस्था होनी चाहिए।

वेतन मण्डल

यद्यपि वेतन और अन्य परिलाभ सामूहिक सौदे से तय करने का श्रमिक को अधिकार है फिर भी औद्योगिक विवादों को बचाने तथा असंगठित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है कि समय-समय पर वेतन आदि की दरें निश्चित करने की व्यवस्था हो। इस दृष्टि से एक स्थायी वेतन मण्डल होना चाहिए जो समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में मूल्य-स्तर, राष्ट्रीय जीवन-स्तर की न्यूनतम आवश्यकताओं, उद्योग-विशेष की आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वेतन दरें निश्चित करे।

भारतीय जनसंघ समान काम के लिए समान मजदूरी के सिद्धांत को स्वीकार करता है।

वेतन नीति

भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन दर निश्चित करना आवश्यक समझता है। जीवन निर्देशांक के अनुरूप सम्पूर्ण परिलाभ की मात्रा ही वास्तविक वेतन-स्तर है। राष्ट्रीय-समृद्धि श्रमिक के जीवन-वेतन में परिणमित होनी चाहिए। समवितरण के इस स्तर के उपरांत ही 'बोनस' को लाभ में साझेदारी समझा जायेगा।

पूंजी-निर्माण

आर्थिक विकास के लिए पूंजी-निर्माण आवश्यक है। बचत और विनियोजना की प्रवृत्ति को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। समाज में संयम एवं मितव्ययिता का भाव आवश्यक है। उपभोग में शानशौकत तथा विलासिता पर रोक लगाने के लिए व्ययायोग्य आय की अधिकतम मर्यादा निश्चित होनी चाहिए। शासन को भी इस विषय में आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

अधिकोषण की अच्छी व्यवस्था और उसका विस्तार वित्त-संचय के लिए सहायक ही नहीं आवश्यक भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने की ओर विशेष ध्यान देना होगा। सहकारी बैंक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, किन्तु गांवों में ऋण और साख के अन्य संस्थान न होने के कारण वे ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। गांवों में बचत बढ़ाने और उनके वित्तीय साधनों को विनियोजन के हेतु जुटाने की ओर उनका विशेष लक्ष्य नहीं है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण आर्थिक लक्ष्यों के प्रतिकूल है। इससे पूंजी-निर्माण में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। राष्ट्रीयकरण से पूंजी बढ़ती नहीं केवल प्रबन्ध और स्वामित्व बदल जाता है। अधिकोषण का एकाधिपत्य अपने हाथों में न लेते हुए, राज्य आवश्यकतानुसार अधिकोषण संस्थान चला सकता है। अभी तक बैंक मुख्यतः व्यापार की आवश्यकताएं पूर्ण करते रहे हैं। वे उद्योग और कृषि की पूंजी सम्बन्धी मांगों की भी पूर्ति कर सकें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अधिकोषण के नियमन के सम्बन्ध में भी शासन एवं रिजर्व बैंक को पूर्ण जागरूक रहना चाहिए।

विदेशी पूंजी

अन्दर की पूंजी की कमी कुछ अंशों में विदेशी पूंजी से पूरी की जा सकती है। किन्तु उसका एक सीमित उपयोग ही है। अनेक देशों का अनुभव यही बताता है कि विदेशी पूंजी के रूप में जितना आयात होता है उससे कई गुना अधिक लाभ, ब्याज, मूलधन आदि के रूप में निर्यात होता है। प्रोद्यौगिक कारणों से भी, जिनका ऊपर उल्लेख किया है, विदेशी पूंजी बहुत उपयोगी नहीं होगी। केवल ऐसे क्षेत्रों में जहां विदेशी प्रोद्यौगिकी, उपयोगी और

आवश्यक है कि हम विदेशी पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः हमें इस मोह से बचना चाहिए।

कराधान

वित्त और मौद्रिक नीतियां आर्थिक नियोजन एवं उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के अत्यन्त महत्वपूर्ण, प्रभावी एवं नाजुक उपकरण हैं। भारत में विभिन्न राजकीय सत्ताओं के बीच करों का किसी वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण नहीं हुआ। पिछले वर्षों में विभिन्न सत्ताओं ने जिस प्रकार मनमाने ढंग से कर लगाये हैं उससे सम्पूर्ण व्यवस्था बड़ी बेढंगी हो गई है। आवश्यकता है कि एकात्मक वित्तव्यवस्था के आधार पर उसका विचार कर करों का पुनर्निर्धारण किया जाये। न्यूनतम जीवन की आवश्यक वस्तुएं सामान्यतः कर-मुक्त रहनी चाहिएं तथा राष्ट्रीय न्यूनतम आय से कम आय वाले व्यक्ति प्रत्यक्ष कर से मुक्त होने चाहिएं।

सहकारिता

सहकारिता भारतीय जीवन-व्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं केन्द्रीय तत्व रहा है। उसके आधार पर अर्थ-नीति की पुनर्रचना का प्रयास करना चाहिए। किन्तु यह आवश्यक है कि सहकारी समितियां स्वाभाविक रूप से विकसित हों तथा वे ऊपर से थोपी न जायें। शासन के कर्मचारियों का नियंत्रण एवं हस्तक्षेप सहकारिता की भावना एवं पद्धति के प्रतिकूल है। संयुक्त-कुटुम्ब प्रथा यदि सहकारी तत्व पर पुनर्जीवित हो सकती है तो उसका अवश्य उपयोग करना चाहिए।

आवास

नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं में आवास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के परिवर्तन से श्रमिक की संक्रमणशीलता तथा नागरीकरण के कारण आवास का अभाव अत्यन्त गंभीर रूप धारण कर गया है। राज्य को तथा विभिन्न निकायों को इस सम्बन्ध में एक व्यापक कार्यक्रम लेना चाहिए। प्रत्येक कुटुम्ब को रहने को मकान मिले यह राज्य का दायित्व होना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

समाज की अर्थव्यवस्था का यह लक्ष्य होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जीविकोपार्जन करता हुआ अपना और अपने कुटुम्बी जनों का सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सके। प्रत्येक नागरिक को एक न्यूनतम जीवन-स्तर की गारंटी होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ओर तो समाज-कल्याण के ऐसे कार्यक्रम लेने होंगे जिनमें प्रत्येक नागरिक कुछ सेवायें सहज अथवा निःशुल्क प्राप्त कर सके और दूसरी ओर उन वर्गों के लिए जो आयु अथवा अन्य किसी

कारण से असहाय हों, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी । निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, बेकारी और बीमारी बीमा, बुढापा पेंशन, अनाथाश्रम आदि के कार्यक्रम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाने होंगे ।

स्वास्थ्य और चिकित्सा

व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक सुख के लिए ही नहीं अपितु इसलिए भी कि वह समाज की योजनाओं में अपना पूर्ण योगदान कर सके उसका स्वस्थ रहना आवश्यक है । अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यापक एवं प्रभावी कार्यक्रम हाथ में ले । माहमारी और संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए । भोजन, पानी और हवा शुद्ध मिल सके, इसका ध्यान रखना होगा । खाद्य में मिलावट को रोकने के लिए कठोर उपाय अपनाने चाहिएं ।

आयुर्वेद स्वास्थ्य और चिकित्सा दोनों का विचार लेकर चला है । विगत शताब्दियों में भारत में अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हुई हैं । उनमें नये-नये शोध भी हुए हैं । भारतीय जनसंघ प्रत्येक चिकित्सा-पद्धति का उसकी प्रभावशीलता और देश की स्थितियों की पृष्ठभूमि में अनुकूलता का विचार कर पूर्ण प्रोत्साहन देने की नीति उपयुक्त समझता है । साथ ही यह भी आवश्यक है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्यतन ज्ञान और शोधों को समाहित कर आयुर्वेद का राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में विकास हो ।

हमारा आराध्य

आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज में ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा । आज देश में ऐसे करोड़ों मानव हैं जो मानव के किसी भी अधिकार का उपभोग नहीं कर पाते । शासन के नियम और व्यवस्थायें, योजनायें और नीतियां, प्रशासन का व्यवहार और भावना इनको अपनी परिधि में लेकर नहीं चलतीं । प्रत्युत उन्हें मार्ग का रोड़ा ही समझा जाता है । हमारी भावना और सिद्धांत है कि यह मैले-कुचैले, अनपढ़, मूर्ख लोग हमारे नारायण हैं । हमें इनकी पूजा करनी है । यह हमारा सामाजिक एवं मानव धर्म है । जिस दिन इनको पक्के, सुन्दर, सभ्य घर बनाकर देंगे, जिस दिन हम इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन-दर्शन का ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पांवों की बिवाइयों को भरेंगे और जिस दिन इनको उद्योगों और धन्धों की शिक्षा देकर इनकी आय को ऊंचा उठा देंगे उसी दिन तो हमारा मातृभाव व्यक्त होगा । ग्रामों में जहां समय अचल खड़ा है, जहां

माता और पिता अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में असमर्थ हैं, वहां जब तक हम आशा और पुरुषार्थ का सन्देश नहीं पहुंचा पायेंगे तब तक हम राष्ट्र के चैतन्य को जागृत नहीं कर सकेंगे । हमारी श्रद्धा का केन्द्र, आराध्य और उपास्य, हमारे पराक्रम और प्रयत्न का उपकरण तथा उपलब्धियों का मानदण्ड वह मानव होगा जो आज शब्दशः अनिकेत और अपरिग्रही है । जब हम उस मानव को पुरुषार्थ-चतुष्टयशील बनाकर समुत्कर्ष का स्वामी और विद्या-विनय सम्पन्न करके आध्यात्मिकता के साक्षात्कार से राष्ट्र और विश्व-सेवापरायण अनिकेतन और अपरिग्रही बना सकेंगे तभी हमारा एकात्म मानव साकार हो सकेगा ।

घोषणा पत्र

1951

प्रस्तावना

स्थिति

अनेक शताब्दियों के संघर्ष के पश्चात् भारत स्वतन्त्र हुआ है। किन्तु इस स्वतन्त्रता से जनता के जीवन में उल्लास नहीं उत्पन्न हो सका है, इस समय अनेक आन्तरिक और बाह्य कठिनाइयों से देश ग्रस्त है। पुरानी समस्याओं का हल नहीं हुआ है और नित्य नई समस्यायें खड़ी होती जा रही हैं। जनता आर्थिक दुरावस्था के पाटों में पिस रही है। राजनैतिक दृष्टि से वह कुचली जा रही है और सामाजिक दृष्टि से भी उसके कष्टों का ठिकाना नहीं। उपज घट रही है और खाने वाले बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार और पक्षपात तथा शेष चारों ओर भी चोरबाजारी और नफाखोरी का बोलबाला है। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध खुले आम भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। परिणामतः देश भर में सर्वत्र निराशा, आत्मविश्वासहीनता तथा दुराचरण का वातावरण छाया हुआ है। यदि इस प्रकार स्थिति बिगड़ी रही तो सम्पूर्ण भविष्य अन्धकारमय हो जायगा।

शासनारूढ़ दल का अभारतीय दृष्टिकोण तथा विभिन्न समस्याओं के प्रति उसकी अयथार्थवादी मनमानी नीति ही देश की इस दुरावस्था के लिए उत्तर-दायी है। भारत को पश्चिम की कार्बन कापी बनाने की जल्दबाजी में वह स्व-देशीयजीवन प्रणाली तथा सांस्कृतिक परम्परा के उदात्त आदर्शों को तिलांजलि दे चुका है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से उत्पन्न उत्साह का समुचित उपयोग करने में वह असमर्थ रहा है। अन्तर्निहित कर्म चेतना को पुनः जागृत कर, राष्ट्र का नव-निर्माण करना अब उसके बूते की बात नहीं रही है।

परन्तु एक दल चाहे वह सत्तारूढ़ ही क्यों न हो, राष्ट्र के समक्ष नगण्य है। यह नहीं होने दिया जा सकता कि कुछ लोगों के कारण भारत के भाग्यो-दय में बाधा पहुंचती रहे, इतिहास साक्षी है कि अतीतकाल में इससे भी बढ़कर भयावह संकटों का सामना किया गया है और अन्त में विजयश्री ने भारत के चरण चूमे हैं और आज भी यदि देशवासियों की नैसर्गिक कर्मण्यता और शक्ति को जागृत किया जाय, उनके राख से ढके आदर्शवाद में फूंक मारी जाय और प्रकृति के अनुकूल भाग्य निर्माण का अवसर दिया जाय तो पुनः सब कुछ हो सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नये नेतृत्व की

आवश्यकता है। भारतीय जनसंघ इसी को पूर्ण करने का प्रस्ताव करता है।

एक देश

हिमालय से कन्याकुमारी पर्यन्त समस्त भारतवर्ष, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से एक और अखण्ड रहा है। वह सब भारतीयों की माता है जिनके अधिकार समान हैं। इसके विभाजन से गम्भीर आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षात्मक तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न खड़े हो गये हैं। संयुक्त भारत की स्थापना में ही जनता के सभी वर्गों के हित निहित हैं और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जनसंघ सभी उपयुक्त साधनों का प्रयोग करेगा।

एक राष्ट्र

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। अभी जो स्वतन्त्रता मिली है उसे हम इसके चिरकालीन इतिहास में नवीन अध्याय का आरम्भ अवश्य मान सकते हैं, किन्तु नये राष्ट्र का जन्म नहीं। स्वभावतः, भारतीय राष्ट्रवाद का आधार सम्पूर्ण भारत एवं उसकी उस सनातन संस्कृति के प्रति अव्यभिचारी निष्ठा का भाव ही हो सकता है जो कि भारत को बाकी देशों से पृथक करती है।

एक संस्कृति

अनेकता में एकता का दर्शन ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारत जैसे विशाल देश में यह स्वाभाविक है कि विभिन्न प्रादेशिक, स्थानीय अथवा जातिगत जीवन पद्धतियों का विकास हो। भारतीय संस्कृति में उन सबका समन्वय हुआ है। यह किसी एक वाद या पन्थ विशेष से बंधी कभी नहीं रही। परन्तु वे सभी भारतीय राष्ट्र के विशाल कुटुम्ब के अंग रहे हैं और भारतीय संस्कृति के विकास में उन सबने भाग लिया है। इसकी धारा वैदिक काल से अब तक अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित चली आती है। समय-समय पर विभिन्न जातियों, पन्थों और संस्कृतियों से सम्पर्क आने पर इसने उनको इस रूप में आत्मसात् कर लिया कि वे इसके मुख्य प्रवाह के साथ अभिन्न हो गईं। यह भारतीय संस्कृति भारत के समान एक और अखण्ड है। मिली-जुली संस्कृति की चर्चा तर्क-विरुद्ध ही नहीं प्रत्युत भयावह भी है क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता को क्षीण कर विघटनात्मक प्रवृत्तियों को पुष्ट करती है।

धर्मराज्य—मजहबी राज्य नहीं, न्याय राज्य

भारतीय राज्य भारत की पुरातन संस्कृति से जीवन पाता हुआ सदा से ही एक लोकतन्त्रात्मक संस्था रहा है, जिससे उपासना-पद्धति का कभी सम्बन्ध नहीं था और जो भारतीय समाज को बनाने वाले विभिन्न पंथों और वर्गों की सदैव रक्षा तथा उनका पालन करता रहा है। 'मजहबी-राज्य' का विचार ही भारत के लिए विदेशी है, जहां 'खिलाफत' जैसी कोई भी वस्तु कभी न थी।

आधुनिक 'सेक्युलरिज्म' केवल मुस्लिम तुष्टीकरण का ही दूसरा अलंकारिक नाम है। तथाकथित मिली-जुली सेक्यूलर राष्ट्रीयता न राष्ट्रीयता है न ही सेक्यूलरिज्म है बल्कि केवल उन लोगों की साम्प्रदायिकता का तुष्टीकरण है, जो मौखिक देश-भक्ति का भी मूल्य मांगते हैं।

जनसंघ देश में भारतीय संस्कृति का पुनर्स्थापन तथा उस पर आधारित ऐसा राष्ट्रवाद चाहता है, जिसमें ऐसे आवश्यक परिवर्तन किये जायं जिनसे हमारा देश सच्चे अर्थों में आधुनिक, शक्तिशाली और प्रगतिशील बन सके। वह देश में एक ऐसे धर्म-राज्य अर्थात् न्याय-राज्य की स्थापना चाहता है, जिसके विभिन्न मतावलम्बी, विभिन्न भाषा-भाषी तथा पृथक्-पृथक् भागों में रहने वाले नर-नारी एकता, स्वतन्त्रता तथा परस्पर प्रेम के वातावरण में रह सकें और एक संस्कृति तथा मातृभूमि के विकासार्थ कार्य करते हुए भारतीय आदर्शों के अनुसार राष्ट्रीय तथा आध्यात्मिक उन्नति कर सकें।

उद्देश्य

जनसंघ का उद्देश्य भारत को उसकी संस्कृति और मर्यादा के आधार पर एक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जनतन्त्र बनाना है, जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतन्त्रता प्राप्त हो तथा जो भारत को सुसम्पन्न, शक्तिशाली एवं सुसंगठित बनाते हुए उसे प्रगतिशील, आधुनिक और जागरूक राष्ट्र बनाये, जो विश्वशांति के स्थापनार्थ संसार के राष्ट्रों में समुचित रीति से प्रभाव डाल सके।

कार्यप्रणाली

जनसंघ व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर आधारित जनतन्त्र और वैधानिक शासन में विश्वास रखता है। अतः यह तानाशाही में विश्वास रखने वालों की हिंसात्मक प्रणाली की निन्दा करता है। जनसंघ अपनी कार्य-सिद्धि में केवल शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक मार्ग ही अपनायेगा।

कार्यक्रम

भारतीय जीवन के केन्द्र ग्राम रहे हैं। 'सर्वोदय' का आदर्श प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनका यह महत्वपूर्ण स्थान उन्हें पुनः मिले और वे राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के केन्द्र बनें। भारतीय जनसंघ के राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों प्रकार की सत्ता का ग्रामों में विकेन्द्रीयकरण करते हुए ग्रामतन्त्र की स्थापना है।

सर्वाधिक विषम आर्थिक समस्या

आज देश की सबसे विषम समस्याएं भोजन, वस्त्र और निवास की हैं। इन समस्याओं के हल में असफलता होने पर हमारे सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे की जड़ें हिल जायेंगी और देश में एक क्रान्ति हो जायगी। जनसंघ किसी वाद विशेष से बंधा हुआ नहीं है। किन्तु उसे इनका प्रबन्ध करने के हेतु कोई

कदम उठाने में भी कुछ संकोच न होगा। प्रत्येक को सब के हित में त्याग करना ही होगा। सर्वसाधारण के जीवन में सुधार करना ही होगा और मध्यवर्ग को जो सर्वाधिक दुःखी है, उसको बचाना ही होगा। अन्यथा देश में बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास सर्वथा नष्ट हो जाएगा।

कृषि नीति

हमारी आर्थिक समस्या का सबसे मार्मिक प्रश्न है—अन्न, कपास और पटसन की कमी। और उसका एकमात्र स्थायी सुलझाव यही है कि बोई हुई धरती पर पहिले की अपेक्षा अधिक उत्पादन किया जाय और ऊसर धरती को खेती योग्य बनाया जाये।

खेती की उपज बढ़ाने के लिए जनसंघ नीचे लिखे कार्य करेगा :

(1) देशव्यापी आन्दोलन और उत्साहवर्धन द्वारा किसानों में अधिक उपजाने के लिए परिश्रम करने की भावना और चेतना उत्पन्न् करना।

(2) गाँवों में अन्न-संचय के लिए अच्छे कोठों और खत्तियों तथा कृमिनाशक द्रव्यों की व्यवस्था।

(3) बिखरे हुए खेतों की चकबन्दी और छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन पर रोक।

(4) बढ़िया बीज और खेती की अर्वाचीन पद्धतियों का गांवों में प्रचार करना।

(5) सिंचाई का प्रबन्ध नीचे लिखे प्रकार से करना :

(i) कुएं, बंध और कूल आदि बनाने के लिए किसानों को सामूहिक उद्योग के लिए प्रेरित करना और इसमें उनकी सहायता करना।

(ii) पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बगाल, उड़ीसा और ऐसे अन्य प्रदेशों में जहां भूगर्भ से जल निकाला जा सकता है वहां नल-कूप लगाना।

(iii) सिंचाई के बड़े आयोजनों में से जिन पर इस समय काम चल रहा है, ऐसे कुछ एक को तुरन्त पूर्ण करने के लिए पहिले हाथ में लेना, जिनकी पूर्ति से न्यूनतम समय में अधिकतम सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सके।

(6) खेती के लिए कलों के प्रयोग का प्रचार।

यह कार्य भृत्यशासकों के द्वारा सफलतापूर्वक चलाये नहीं जा सकते। अतः जनसंघ देश-सेवा की भावना से प्रेरित स्वयंसेवकों की एक सेना के द्वारा इन कामों को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलायेगा।

कृषि के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि पन्द्रह करोड़ एकड़ के लगभग जो खेती-योग्य भूमि अभी बञ्जर पड़ी है, उसे खेती के लिए तैयार किया जाय। जनसंघ सरकार और जनता के सामूहिक उद्योग से

धरती को उपजाऊ बनाने का काम बढ़ायेगा, और ऐसी नई धरती स्वयं खेती करने वाले किसानों को सरल शर्तों पर देगा।

भूमि सुधार

उत्पादन बढ़ाने के लिए और कृषक की स्थिति में सुधार करने के लिए जनसंघ भूमि सुधार के लिए सब प्रयत्न करेगा, जिससे कृषक क्षेत्र-पाल अर्थात् भूमि का स्वामी बन सके। देश की आर्थिक अवस्था के हितार्थ जनसंघ जागीरदारी और जमींदारी का उन्मूलन कर कृषकों में भूमि बांट देगा। किन्तु ऐसे जमींदारों और जागीरदारों के पास जो कि स्वयं खेती करना प्रारम्भ करेंगे, पर्याप्त भूमि छोड़ दी जायेगी।

ग्राम-जीवन सुधार

जनसंघ उद्योग करेगा कि गांवों के जीवन में सुधार हो और वहां अर्वाचीन सुख-साधन प्राप्त हों, गांवों का जीवन उन्नतमुख तथा रोचक बने, गांव-गांव में पाठशालाओं और सड़कों का जाल बिछा दिया जाय जिससे ग्रामीणों का भौतिक और मानसिक विकास हो। ग्रामीणों के खाली समय के उद्योग के लिए तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए कृषि पर आश्रित छोटे उद्योग-धंधों की ग्रामों में स्थापना की जायगी।

गोरक्षा

गो-वध बन्द करने के लिए जनसंघ वचनबद्ध है। गो-वंश का सुधार कर देश के कृषि जीवन में उसे आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए जनसंघ विशेष उद्योग करेगा।

औद्योगिक नीति

जनसंघ की औद्योगिक नीति का उद्देश्य यह होगा कि थोड़े से थोड़े समय में सब प्रकार के उद्योगों की स्थापना और प्रसार किया जाय, जिससे जनता के उपयोग में आने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं के विषय में देश स्वावलम्बी हो जाय।

बड़े उद्योग

वे उद्योग जो देश-रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, वे किसी की निजी सम्पत्ति न होकर राष्ट्रीय सम्पत्ति होने चाहिए। इनके अतिरिक्त अन्य बड़े उद्योगों के विषय में राजकीय प्रबन्ध उपज और व्यय में बचत दोनों ही दृष्टियों से असफल सिद्ध हुआ है। दूसरे, पूंजी और उत्पादन पर शासन का सर्वाधिकार देश को तानाशाही की ओर ले जा सकता है। अतः राष्ट्रीयकरण की व्यर्थ चर्चा छोड़कर जनसंघ औद्योगिकों का उत्साहवर्धन करेगा जिससे उत्पादकों और खरीदारों दोनों के हितों की रक्षा करते हुए शासन के निरीक्षण और नियन्त्रण के अधीन उद्योगधंधे उन्नति पावें। इस दृष्टि से

आवश्यक कार्यवाही की जायेगी कि, आपस में समझौता अथवा संघटन करके कुछ उद्योगपति अपने हाथों में देश की आर्थिक शक्ति को केन्द्रित न कर लें और अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति न बढ़े ।

विकेंद्रीकरण

देश की सामूहिक समृद्धि के लिए उद्योग-धन्धों को देश के भिन्न-भिन्न भागों में स्थापित किया जाय जिससे न्यूनतम व्यय से देश में अधिकतम उपज हो । इस प्रकार उद्योगों के कुछ स्थानों पर केन्द्रित होने के कारण जो सामाजिक दोष उत्पन्न होते हैं उनसे देश बच जायेगा । दूसरे, सब प्रदेशों में आत्म-निर्भरता बढ़ेगी और तीसरे, युद्ध की दिशा में देश-रक्षा की दृष्टि से भी विकेन्द्रीकरण उचित है ।

लघु और ग्राम उद्योग

देश को उपयोगी वस्तुओं में स्वावलम्बी बनाने के लिए छोटे-छोटे धंधों और ग्रामोद्योगों की स्थापना जापान के उदाहरण पर की जायेगी । इस उद्योग की सिद्धि के लिए निम्न साधन उपयोग में लाये जायेंगे :

(1) जल-विद्युत-शक्ति का शीघ्रतर और अधिक उत्पादन ।

(2) ग्रामोपयोगी छोटी मशीनों और कलों द्वारा अर्वाचीन पद्धति से उद्योग चलाने की शिक्षा, गांवों के श्रमिक को देने के लिए उद्योग शिक्षा-शालाओं की स्थापना ।

(3) ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादक वस्तुओं के विक्रय के लिए संगठित सुवि-धायें पहुंचाना ।

(4) संयुक्त और सहकारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना ।

स्वदेशी

राष्ट्रीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जनसंघ स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार के लिए लोकमत को पुनः जागृत करेगा । इसी उद्देश्य से नये उद्योगों की रक्षा के लिए विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर लगाया जायगा और जिन उद्योगों को इसका पात्र समझा जायगा उन्हें शासन की ओर से धन की सहा-यता भी दी जायगी ।

पूंजी और श्रम के परस्पर सम्बन्ध

जनसंघ श्रमिकों के साथ न्याय और उदारता चाहता है । पूंजी और श्रम में पारस्परिक सद्भावना बढ़ाने के लिए, श्रमिकों का जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिए और औद्योगिक उपज बढ़ाने के लिए जनसंघ इस बात का उद्योग करेगा कि श्रम को उद्योग के लाभ में साझीदार बना दिया जाय । अंतरिम काल में जब तक देश की औद्योगिक उपज इच्छित स्तर तक न पहुंच जाय, सब प्रकार की हड़ताल और कारखानाबन्दी, विशेषकर उन उद्योगों में जिनका

राष्ट्रीय महत्व है, अवैध कर दिया जायगा । श्रम और पूंजी के आपसी झगड़ों के औद्योगिक अधिकरणों द्वारा निर्णय कराये जायेंगे । इन अधिकरणों में निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्त किये जायेंगे और उनके ये निर्णय पूंजी और श्रम दोनों पर लागू होंगे ।

पूंजी निर्माण

देश में उद्योगों की वृद्धि के मार्ग में सबसे बड़ी रोक यह है कि पूंजी की कमी है और इसी कारण शासन की आर्थिक स्थिति भी कठिन है । इस स्थिति को सुधारने के लिए जनसंघ ऐसी कार्यवाही करेगा, जिससे पूंजी का संचार हो और उपजाऊ उद्योगों में उसका विनियोग हो । किसानों के हाथों में जो धन बेकार पड़ा है, उसका उपयोग पूंजी-निर्माण में करने के लिए गांवों में बैंक खुलवाये जायेंगे और जीवन, पशुओं और खड़ी खेती के बीमों की प्रथा चलाई जाएगी ।

विदेशी पूंजी का स्वागत किया जाएगा, विशेषकर उत्पादक-द्रव्यों के उद्योगों की स्थापना के लिए । परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विदेशी पूंजी के साथ कोई राजनीतिक शर्त न बंधी हों और विदेशी संस्थाएं भारतीय नागरिकों को सब प्रकार की शिक्षा की सुविधाएं दें ।

व्यापार—देश में स्वदेशी-प्रसार और आत्मनिर्भरता के हित को दृष्टि में रखते हुए आयात-निर्यात का नियंत्रण किया जाएगा । आवश्यक उत्पादक द्रव्यों से आयात को प्रोत्साहन दिया जाएगा । उपभोक्ता वस्तुओं और प्रसाधनों के आयात पर रोक लगाई जाएगी ।

कण्ट्रोल—जनसंघ क्रमवर्द्धमान विनियंत्रण की नीति के पक्ष में है क्योंकि उसका निश्चित मत है कि कण्ट्रोल रिश्वतखोरी, चोरबाजारी और अन्य भ्रष्टा-चार का मूल कारण है ।

कराधान—कर लगाते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि विभिन्न वर्गों की आय में बहुत अंतर न रहे और साथ ही देश की रक्षा और निर्माण के कार्यों के लिए पर्याप्त वित्त संचय भी हो जाए ।

प्रशासन-व्यय में बचत—जनसंघ प्रशासन के व्यय में बचत करने के लिए कार्यवाही करेगा और भृत्यवर्गों के जीवन-स्तर को देशवासियों के साधारण स्तर तथा भारतीय आदर्शों के अनुकूल ढालने का यत्न करेगा । शासक वर्ग और देश के जन-समुदाय के बीच जो आर्थिक भिन्नता की खाई है, उसे पाटना होगा ।

विदेश नीति

जनसंघ की विदेश नीति का निर्धारण मुख्यतः देश के हित एवं प्रगति की दृष्टि से ही होगा । भारतीय परम्परा के अनुरूप वह विश्व-शांति एवं

पारस्परिक सद्भावना के लिए प्रयत्नशील रहेगा। जनतंत्रीय जीवन-पद्धति पर विश्वास रखते हुए भारत के प्रति मित्र भाव रखने वाले सभी देशों के प्रति वह समान भाव रखेगा। इसके सम्मुख कोई साम्राज्यवादी योजनाएं नहीं हैं तथा इस प्रकार की सभी योजनाओं का चाहे वे किसी ओर से हों, विरोध करेगा। यह प्रत्येक राष्ट्र के इस मूलभूत अधिकार को मानता है कि वह अपनी जीवन-पद्धति का स्वयं अपनी इच्छानुसार निर्माण करे तथा इस कल्पना का विरोध करता है कि सभी देश एक ही सांचे में ढाले जाएं।

जनसंघ भारत में विदेशी बस्तियों को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने की कोशिश करेगा।

राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध

यह देखते हुए कि राष्ट्रमण्डल का सदस्य होने से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ है, अपितु ब्रिटेन ने बराबर भारतीय हितों के विरुद्ध पाकिस्तान के के प्रति, पक्षपात की नीति बरती है, जनसंघ अनुभव करता है कि राष्ट्रमंडल में रहने के प्रश्न पर पूर्णतः पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान

जब तक पाकिस्तान का अलग अस्तित्व है, भारतीय जनसंघ आज तक भारत के हितों और सम्मान के विरुद्ध बरती गई तुष्टीकरण की नीति के स्थान पर 'जैसे को तैसा' की नीति बरतेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान सरकार अपने यहां उन अल्पमतों के जीवन और सुरक्षा का यथोचित प्रबन्ध नहीं कर पाई है, जिन्होंने विभाजन के लिए कभी मांग नहीं की थी, जनसंघ इसे भारत का नैतिक कर्तव्य समझता है कि वह सभी उपलब्ध उपायों से उनके लिए समानता और सम्मान का जीवन प्राप्त करवाने के लिए प्रयत्न करे। पाकिस्तान में छूटी हुई हजारों महिलाओं का उद्धार भी भारत का दर्द भरा कर्तव्य है।

काश्मीर

काश्मीर के भारत का अभिन्न अंग होने के कारण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके प्रति अपनाये हुए रुख को ध्यान में रखते हुए जनसंघ अनुभव करता है कि काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ से अविलम्ब वापिस ले लेना चाहिए तथा मतसंग्रह का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि काश्मीर को भी भारत के साथ सम्मिलित होने वाले अन्य राज्यों के समान समझा जाए।

सुरक्षा

संसार के सबल राष्ट्रों की आपसी गुटबंदी और उनके संघर्षों को देखते तथा यह ध्यान में रखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय कलह की दशा में सामरिक दृष्टि

से भारत का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, यह आवश्यक है कि राष्ट्र की आवश्यकताओं और उसकी उत्पादन शक्ति के अनुरूप सैनिक सामर्थ्य के शीघ्रतर निर्माण के कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जनसंघ राष्ट्र को मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार से तैयार बनाने के लिए नीचे लिखे उद्योग करेगा :

(1) समस्त राष्ट्र के युवकों और युवतियों को सैनिक शिक्षा देने की व्यवस्था।

(2) सुरक्षा सेनाओं की सभी शाखाओं का स्वरूप और अंतःस्फूर्ति —दोनों दृष्टियों से पूर्ण राष्ट्रीयकरण।

(3) एक विशाल प्रादेशिक सेना का संगठन।

(4) सुरक्षा-संबंधी उद्योगों की शीघ्र संस्थापना।

गृहनीति

जनसंघ प्रांतों के अंतर्गत जनसाधारण को विकेन्द्रित स्वायत्त शासन का अवसर प्रदान करने के लिए जनपदों की स्थापना करेगा तथा केन्द्र में सुदृढ़ शक्तिशाली प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन के हेतु प्रयत्नशील होगा जो कि राष्ट्र-व्यापी नीतियों के निर्देशन और समायोजन में समर्थ हो।

पिछड़े वर्ग

जनसंघ की दृष्टि में सब नागरिक चाहे उनकी जाति, संप्रदाय, अथवा वर्ग कुछ भी हो, समान अधिकार रखते हैं। उपासना-पद्धति के आधार पर बहु-संख्यक और अल्पसंख्यक जातियों की कल्पना इसे सर्वथा अमान्य है। देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए जनसंघ का सिद्धांत होगा—सबके लिए समान अवसर और पिछड़े हुओं को आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना।

जनाधिकार

लोकतंत्रीय देशों में जनता के जो मौलिक अधिकार समझे जाते हैं, जन-संघ उनका संरक्षण करेगा। अतएव वह उद्योग करेगा कि हिंसात्मक पद्धति में विश्वास रखने वालों के सिवाय सब व्यक्तियों और दलों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। जनसंघ संविधान के संशोधन का तथा प्रेस और प्लेट-फार्म की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले उन सब विधानों का, जो उसके कारण संभव हो गये हैं, विरोध करता है।

पुनर्वास

विस्थापितों के पुनर्वास को जनसंघ प्रथम महत्व देता है। इसकी मान्यता है कि विभाजन के कारण जिनको हानि उठानी पड़ी और जो घरबार छोड़-कर भारत आये हैं उनके प्रति भारत का नैतिक और वैधानिक दायित्व है

जिसे टाला नहीं जा सकता। इस दायित्व को निभाने के लिए जनसंघ निर्वासितों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी हुई संपत्ति की पूर्ण क्षतिपूर्ति दिलाने का पूरा प्रयत्न करेगा।

स्वास्थ्य

एलोपैथी तथा अन्य मान्य पद्धतियों को उचित मान्यता देते हुए जनसंघ अर्वाचीन वैज्ञानिक शैली से आयुर्वेद के विकास का उद्योग करेगा जिससे कि अन्य सब पद्धतियों में जो भी शुद्ध और ग्राह्य है उसे आत्मसात् करके आयुर्वेद इस देश की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति का स्थान ग्रहण करे।

प्रशासन की शुचिता

जनसंघ मुनाफाखोरी, कुनबा-परस्ती तथा रिश्वतखोरी को समाप्त करने का पूरा प्रयत्न करेगा और प्रशासन कार्य में दक्षता तथा ईमानदारी का स्तर ऊंचा करने के लिए जनमत का निर्माण करेगा।

बेरोजगारी का उन्मूलन

बेरोजगारी (विशेषकर शिक्षित मध्यम वर्ग की) के उन्मूलन की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश की औद्योगिक तथा शैक्षणिक नीति का उद्देश्य बढ़ती हुई टेकनिकल शिक्षा और काम की मांग को पूरा करना होगा।

हिन्दू कोड बिल

जनसंघ का मत है कि समाज-सुधार ऊपर से लादा नहीं जाना चाहिए, उसका आविर्भाव समाज के अन्दर से ही होना चाहिए। जैसे दूरगामी परिवर्तन हिन्दू कोड बिल में प्रस्तावित हैं वे तब तक विचार योग्य नहीं, जब तक उनके पीछे एक सबल सार्वजनिक मांग न हो और उसके विषय में देश के निर्वाचकों का स्पष्ट मत न ले लिया जाए।

राष्ट्रभाषा

हिन्दी को सार्वदेशिक भाषा के रूप में शीघ्रतर प्रतिष्ठापित करना और साथ ही देश की अन्य भाषाओं का पूर्ण विकास करना जनसंघ का उद्योग होगा। उसका मत है कि भारत की समस्त भाषाओं द्वारा देवनागरी लिपि और संस्कृत पर आधारित एक सांझी पारिभाषिक शब्दावली का अंगीकरण देश में सांस्कृतिक एकता, सौहार्द और राष्ट्रीय गठन का सम्पादन करेगा।

भारतीय संस्कृति का आधार और भारत की समस्त भाषाओं का उद्गम और आश्रय संस्कृत है; अतः संस्कृत-शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जनसंघ विशेष उद्योग करेगा।

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में जनसंघ देश की शिक्षा-पद्धति का भारतीय संस्कृति के आधार पर बहिरंग और अन्तरंग में आमूल पुनर्गठन करने का प्रयत्न करेगा जिससे कि वह जनता के चरित्रोत्थान और शरीर-सुधार का एक समर्थ राष्ट्रीय उपक्रम बन सके। इसका कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा :

(1) उच्चतम वैज्ञानिक शिक्षा और शोध के लिए सुविधाओं का प्रबंध।

(2) सबके लिए प्रारम्भिक और योग्य तथा निर्धन विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक का बिना मूल्य प्रबंध।

(3) व्यवसाय और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी ('वोकेशनल' और 'टेकनिकल') शिक्षा देना, विशेष कर गांवों में जहां उसका घरेलू उद्योगों के विकास के साथ मेल होना चाहिए।

(4) सभी वयस्कों के लिए सैनिक शिक्षा।

जनसंघ का प्रयास है कि हमारी शिक्षा पद्धति का ऐसा लोकतंत्रीकरण होना चाहिए कि धनी हो चाहे निर्धन, प्रत्येक प्रतिभावान व्यक्ति को उच्चतम शिक्षा प्राप्त हो सके जिससे शिक्षा समाज के विभिन्न अंगों के परस्पर संघटन का कारण हो और कुछ शिक्षितों तथा जन-साधारण के बीच एक खाई बन कर न रह जाए।

लक्ष्य

इस प्राचीन और पवित्र देश में अपने प्राचीन और नित्य शुद्ध आदर्शों की नींव पर एक नये समाज का निर्माण करना जनसंघ का परम उद्देश्य है जिसमें कि व्यक्तियों और सामाजिक, उपासनात्मक और आजीविकापरक वर्गों के परस्पर सहयोग द्वारा समस्त राष्ट्र और उसके सब अंगों का सामूहिक हित निष्पादन हो और जिसमें एक ओर उच्छृंखल व्यक्तिवाद और दूसरी ओर वर्ग-विभेद और परस्पर विस्फोट करने वाले समूहवाद के लिए कोई स्थान न हो, जो कि दोनों ही भारतीय प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल हैं और हमारे राष्ट्रीय जीवन के सब अंगों पर घातक प्रहार कर रहे हैं।

[21 अक्टूबर, 1951; दिल्ली, आद्य सा० अ०]

1954

प्रस्तावना

अपेक्षा

भारत उज्ज्वल भविष्य के द्वार पर खड़ा है। नवार्जित स्वतन्त्रता को स्थायी बनाने तथा आर्थिक दुर्व्यवस्था एवं सामाजिक अन्याय के पाटों में पिसनेवाले जन-जीवन को सुरक्षित, समृद्ध एवं सुखी करने का महान अवसर आज उपस्थित है। नवनिर्माण के इस यज्ञ की सफलता के लिए पर्याप्त जनबल हमारे पास है, किन्तु उसे जागृत करना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि भारत के 'स्व' का साक्षात्कार किया जाए, राष्ट्र की मूल प्रकृति, प्रतिभा एवं प्रवृत्ति को पहचाना जाए और भारतीय परम्परा तथा परिस्थिति के अनुरूप भविष्य के विकासक्रम का निर्धारण किया जाए। सुखी राष्ट्र-जीवन का शुभारम्भ सबके द्वारा स्वेच्छा से किए जानेवाले कठोर श्रम तथा सहयोग पर ही निर्भर है। यह महान कार्य राष्ट्रजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नये नेतृत्व की अपेक्षा रखता है। भारतीय जनसंघ का जन्म इसी अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हुआ है।

आधारभूत मान्यताएं

एक देश

उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी पर्यन्त समस्त भारतवर्ष भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सदैव एक और अखण्ड रहा है। इस जीवमान एकता तथा अखण्डता की आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अभिव्यक्ति हुई है। देश के कण-कण के प्रति अपना पवित्र एवं अटूट प्रेम प्रकट करने के लिए हमने उसकी भारतमाता के रूप में उपासना की है।

एक जन

भारत की भूमि पर निवास करनेवाला तथा उसके प्रति ममता रखनेवाला विशाल मानव-समुदाय एक जन है। अनेक विविधताओं के होते हुए इसकी एकता अक्षुण्ण रही है। विविधताएं विकृति अथवा विघटन की सूचक नहीं, उसके स्वाभाविक विकास का परिणाम एवं सांस्कृतिक समृद्धि की परिचायक हैं।

एक संस्कृति

एक भूमि के ऊपर एक जन के रूप में जीवित भारतीय समाज ने आसेतु-

हिमाचल जिस संस्कृति का विकास किया है, वह एक है। भारत जैसे विशाल देश में यह स्वाभाविक है कि विभिन्न प्रादेशिक, स्थानीय अथवा जातिगत जीवन-पद्धतियों का विकास हो। भारतीय संस्कृति में उन सबका समन्वय हुआ है। यह किसी एक वाद या पंथविशेष से बंधी कभी नहीं रही। परन्तु वे सभी भारतीय राष्ट्र के विशाल कुटुम्ब के अंग रहे हैं और भारतीय संस्कृति के विकास में उन सबने भाग लिया है। इसकी धारा वैदिक काल से अब तक अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित चली आती है। समय-समय पर विभिन्न जातियों, पन्थों और संस्कृतियों से सम्पर्क आने पर इसने उनको इस रूप में आत्मसात् कर लिया कि वे इसके मूल प्रवाह के साथ अभिन्न हो गईं। यह भारतीय संस्कृति भारत के समान एक और अखण्ड है। मिली-जुली संस्कृति की चर्चा तर्कविरुद्ध ही नहीं, प्रत्युत भयावह भी है क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता को क्षीण कर विघटनात्मक प्रवृत्तियों को पुष्ट करती हैं।

एक राष्ट्र

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। स्वतन्त्रता की प्राप्ति से इसके चिरकालीन इतिहास में एक नवीन अध्याय का आरम्भ हुआ है, किसी नये राष्ट्र का जन्म नहीं। स्वभावतः भारतीय राष्ट्रवाद का आधार सम्पूर्ण भारत एवं इस सनातन संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा का भाव ही हो सकता है, जो कि भारत को बाकी देशों से पृथक करती है।

एक आदर्श

विकासोन्मुख भारतीय जीवन का लक्ष्य भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष रहा है। एक को छोड़कर दूसरा न सम्भव है और न हितावह। अभ्युदय और निश्रेयस् के साधन का ही नाम धर्म है जो 'रिलिजन' मजहब अथवा उपासना-पद्धति से भिन्न हैं। भारतीय जनसंघ जीवन के सभी क्षेत्रों में भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए धर्म राज्य की अनिवार्यता को स्वीकार करता है।

भारतीय कल्पना के अनुसार राज्य का सनातन आदर्श धर्मराज्य ही रहा है। किन्तु यह मजहबी राज्य (Theocratic State) नहीं है। भारतीय राज्य मजहब से अलिप्त सभी मतों और पंथों को समान संरक्षण देते हुए असाम्प्रदायिक संगठन रहा है। 'खिलाफत' जैसी कल्पना भारतीय परम्परा और संस्कृति के विरुद्ध है और यहां वह कभी उत्पन्न नहीं हुई। आजकल जिस असाम्प्रदायिकता की बात की जाती है, वह मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय मात्र है। यह न तो राष्ट्रवाद है और न सैक्युलरवाद ही, अपितु उस साम्प्रदायिकता के साथ समझौता है जो मुंह-दिखाऊ देशभक्ति के लिए भी भारी मूल्य मांगती है।

जनसंघ भारतीय संस्कृति तथा विशुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद के आधार पर,

उसमें समयोचित विकास एवं विस्तार के साथ, भारत को एक आधुनिक प्रगतिशील तथा सुदृढ़ राज्य बनाना चाहता है, जिसमें सभी मतमतान्तरों, भाषाओं तथा प्रदेशों के स्त्री-पुरुष एकता, स्वतन्त्रता तथा सद्भावना के वातावरण में रह सकें और एक संस्कृति एवं मातृभूमि के विकासार्थ कार्य करते हुए प्रगति के भारतीय आदर्श—भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील हो सकें।

उद्देश्य

जनसंघ का उद्देश्य भारत को उसकी संस्कृति और मर्यादा के आधार पर एक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जनतन्त्र बनाना है जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतन्त्रता प्राप्त हो तथा जो भारत को सुदृढ़ एवं सुसम्पन्न बनाते हुए उसे एक प्रगतिशील, आधुनिक और जागरूक राष्ट्र बनाए, जो दूसरों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना कर सके और विश्व-शांति के स्थापनार्थ राष्ट्र संघ में समुचित रीति से प्रभाव डाल सके।

नीति

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनसंघ सभी शांतिपूर्ण एवं लोकतन्त्रीय उपायों का अवलम्बन करेगा। जनसंघ व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर आधारित जनतन्त्र और वैधानिक शासन में विश्वास रखता है। अतः वह अधिनायकवादी एवं हिंसात्मक कार्यप्रणाली का विरोधी है।

कार्यक्रम

एकात्मक शासन

भारतीय जनसंघ का लक्ष्य केन्द्रीय शासन को सुदृढ़ बनाते हुए राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना है। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए जनसंघ संघात्मक शासन प्रणाली की अपेक्षा एकात्मक शासन-प्रणाली को अधिक उपयुक्त समझता है।

सत्ता का विकेन्द्रीकरण

भारत ग्रामों में निवास करता है। हमारे ग्राम राजनीतिक शक्ति एवं आर्थिक सामर्थ्य के अधिष्ठान हैं। इस दृष्टि से जनसंघ केन्द्रीय सत्ता के विकेन्द्रीकरण की समुचित व्यवस्था करेगा।

नई अर्थव्यवस्था

देश की अन्न, वस्त्र तथा निवास की समस्या सुलझाने तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जनसंघ किसी वाद विशेष से बंधा हुआ नहीं है। उत्पादन में वृद्धि, वितरण में औचित्य तथा उपभोग में संयम के द्वारा ही आर्थिक समस्या का निराकरण हो सकता है। इस दृष्टि से जनसंघ का विश्वास है कि पूर्ण राष्ट्रीयकरण अथवा निजी उद्योग दोनों में से किसी एक के द्वारा समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। राज्य के आर्थिक सामर्थ्य का कुछ

हाथों में केन्द्रीकरण जिस प्रकार व्यक्तिगत पूंजीवाद को जन्म देता है, उसी प्रकार पूर्ण राष्ट्रीयकरण का सिद्धांत राजकीय पूंजीवाद की स्थापना करेगा, जिसकी परिणति अधिनायकवाद में होगी। अतः जनसंघ ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास करेगा, जिसमें निजी उद्योग एवं राष्ट्रीयकरण को मर्यादित करते हुए व्यक्तिगत प्रयत्न के लिए पूर्ण अवसर रहे।

रोजगार का अधिकार

जनसंघ प्रत्येक नागरिक के जीवनोपार्जन के अधिकार को स्वीकार करता है। संविधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकारों में आजीविका के लिए कर्म के अधिकार का भी समावेश होना चाहिए।

आय की मर्यादा

जनसंघ समाज के विभिन्न वर्गों की आय के अंतर में कमी करने के लिए धन का सम-वितरण तथा सभी नागरिकों को जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर का आश्वासन देगा। वर्तमान परिस्थिति में इस दृष्टि से अधिकतम आय 2000 रु० प्रति मास तथा न्यूनतम आय 100 रु० प्रति मास निर्धारित कर यह प्रयत्न किया जाए कि न्यूनतम आय निरन्तर बढ़ती रहे, जिससे दृश्यमान भविष्य में अधिकतम और न्यूनतम आय के अन्तर का अनुपात 1 : 10 का हो जाए।

स्वदेशी की भावना का पुनर्जागरण

राष्ट्रीय उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए जनसंघ स्वदेशी के मन्त्र को पुनः जागृत करेगा, विदेशी वस्तुओं के उपयोग को निरुत्साहित करेगा और राष्ट्रीय उद्योगों को अनुचित विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षण प्रदान करेगा।

जनसंघ देश में तैयार होने वाले माल का स्तर उठाने के लिए प्रयत्न करेगा, जिससे वह विदेशी माल से टक्कर ले सके और इसके लिए पूंजी, श्रम तथा उपभोक्ता तीनों का सहयोग प्राप्त करेगा।

औद्योगिक विकास

जनसंघ विभिन्न प्रकार के उद्योगों की शीघ्र स्थापना चाहता है, जिससे देश सुरक्षा, उत्पादक तथा उपभोक्ता वस्तुओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सके।

लघु तथा ग्रामोद्योग

छोटे-छोटे धंधे तथा ग्रामोद्योग जनसंघ की अर्थनीति का आधार हैं। सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए काम की व्यवस्था करने तथा उपभोक्ता वस्तुओं की दृष्टि से देश को आत्मभरित बनाने के लिए सम्पूर्ण देश में छोटे, कुटीर तथा ग्रामोद्योगों का जाल फैलाना होगा। राज्य का कर्तव्य है कि वह बड़े तथा छोटे उद्योग धंधों के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण करे, जिससे सिद्धान्ततः उपभोग्य वस्तुएं केवल छोटे उद्योग के आधार पर तथा उत्पादक वस्तुएं बड़े

उद्योगों के द्वारा तैयार होनी चाहिए ।

छोटे उद्योगों के विकास के लिए निम्न साधन उपयोग में लाये जायेंगे :

(1) जल-विद्युत-शक्ति का शीघ्रतर और अधिक उत्पादन ।

(2) ग्रामोपयोगी छोटी मशीनों और कलों द्वारा अर्वाचीन पद्धति से उद्योग चलाने की शिक्षा गांवों के कारीगरों को देने के लिए औद्योगिक शिक्षालयों की स्थापना ।

(3) ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए संघटित सुविधायें पहुंचाना।

(4) संयुक्त और सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देना ।

बड़े उद्योग

जनसंघ की नीति आधारभूत तथा सुरक्षा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की है । अन्य उद्योगों को उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए शासन के निरीक्षण और नियंत्रण के आधीन विकसित होने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए । देश की आर्थिक शक्ति को कुछ हाथों में केन्द्रित होने से रोकने तथा अनुचित लाभ उठाने की वृत्ति को नियंत्रित करने के लिए जनसंघ आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही करेगा ।

पूंजी और श्रम का सम्बन्ध

जनसंघ वर्ग-विद्वेष एवं वर्ग-संघर्ष के सिद्धांत को अशुद्ध एवं अहितकर मानता है । पूंजी तथा श्रम एक दूसरे के विरोधक नहीं, पूरक हैं । जनसंघ श्रमिक को उद्योग के लाभ तथा प्रबन्ध में साझीदार बनाने का प्रयत्न करेगा ।

जनसंघ श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वीकार करता है, किन्तु इस अधिकार का प्रयोग अंतिम हथियार के रूप में ही होना चाहिए । साधारणतः जनसंघ औद्योगिक पैदावार को बढ़ाने के लिए श्रम तथा पूंजी के झगड़ों को औद्योगिक अधिकरणों द्वारा हल करायेगा, जिसमें निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्त किये जायेंगे और जिनके निर्णय दोनों पक्षों पर लागू होंगे । जनसंघ कारखानाबन्दी के विपक्ष में हैं । किसी भी परिस्थिति में कारखानाबन्दी की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य का कर्तव्य है कि वह उस कारखाने को लेकर चलाए ।

पूंजी निर्माण

देश के औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी बाधा पूंजी की कमी तथा शासन की वित्त सम्बन्धी स्थिति का कठिन होना है । इस स्थिति को सुधारने के लिए जनसंघ पूंजीनिर्माण तथा उत्पादक उद्योगों में उसके विनियोग के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा । देश में बेकार पड़े हुए धन को आकर्षित करने के लिए ग्रामों में बैंक खुलवाये जायेंगे और ग्रामजनों तथा उनकी फसलों और पशुओं के बीमे की प्रथा चलाई जाएगी ।

विदेशी सहायता

देश के आर्थिक उत्थान के लिए जनसंघ स्वावलम्बन पर बल देगा । उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों की स्थापना के निमित्त विदेशी सहायता को स्वीकार किया जाएगा, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विदेशी सहायता के साथ कोई राजनीतिक शर्त न बंधी हो और एक निश्चित अवधि के पश्चात् उस पर निर्भर न रहकर देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके ।

देश में चलने वाली विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में जनसंघ की नीति उनका भारतीयकरण करने की है । इस दृष्टि से इन कम्पनियों की कम से कम 66 प्रतिशत पूंजी भारतीय होनी चाहिए, और न केवल कर्मचारी, अपितु विशेषज्ञ भी भारतीय होने चाहिए ।

व्यापार तथा व्यवसाय

देश में स्वदेशी-प्रसार और आत्मनिर्भरता के हित को दृष्टि में रखते हुए आयात-निर्यात का नियन्त्रण किया जाएगा । आवश्यक उत्पादक वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन दिया जाएगा और उपभोक्ता वस्तुओं, विशेषकर आराम और प्रसाधन की वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण किया जाएगा ।

आन्तरिक व्यापार की दृष्टि से सम्पूर्ण देश को एक इकाई माना जाएगा और समान व्यापार नीति को लागू किया जाएगा । अंतर्राज्यीय बिक्री कर समाप्त किया जाएगा ।

भूमि सुधार

उत्पादन की वृद्धि तथा ग्राम समाज की पुनर्रचना के लिए जनसंघ भूमि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करेगा । भूमि सम्पूर्ण समाज की है अतः जागीरदारी तथा जमींदारी प्रथा का अंत कर कृषकों और भूमिहीनों में भूमि का वितरण कर दिया जाएगा ।

जमींदारी-उन्मूलन के परिणामस्वरूप जो व्यक्ति निराश्रित होंगे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, किन्तु जो जागीरदार तथा जमींदार अन्य उपायों द्वारा अपनी आजीविका चलाने में समर्थ होंगे, उन्हें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार न होगा ।

भूमि को कुछ हाथों में केन्द्रित होने से रोकने के लिए तथा भूमिहीनों को भूमि देने के लिए, भूमि का वितरण किया जाएगा । वितरण का न्यूनतम एवं अधिकतम आधार सिंचाई के प्रबन्ध से युक्त अच्छी भूमि का क्रमशः 5 एकड़ एवं 30 एकड़ होगा ।

उत्पादन-वृद्धि

उत्पादन-वृद्धि के लिए जनसंघ बोई हुई धरती पर पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन करने और धरती को खेती योग्य बनाने पर बल देगा ।

खेती की उपज बढ़ाने के लिए जनसंघ नीचे लिखे कार्य करेगा :

(1) देशव्यापी आन्दोलन और उत्साहवर्धन द्वारा किसानों में अधिक अन्न-उपजाने के लिए परिश्रम करने की भावना तथा चेतना उत्पन्न करना।

(2) बिखरे हुए खेतों की चकबन्दी करना और छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन पर रोक लगाना।

(3) बढ़िया बीज और खेती की अर्वाचीन पद्धतियों का गांवों में प्रचार करना।

(4) अच्छी खाद की सामूहिक व्यवस्था करना और गोबर को ईंधन के रूप में प्रयुक्त न करके खाद बनाने के काम में लाना।

(5) गांवों में अन्न संचय के लिए अच्छे कोठों और खत्तियों तथा कृमि-नाशक औषधियों की व्यवस्था करना।

(6) खेती के लिए ट्रैक्टरों के प्रयोग को न्यूनतम करना। जमीन तोड़ने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है।

(7) खेती एवं खाद के लिए गो-वंश संवर्धन तथा गोचर भूमि का प्रबन्ध करना।

(8) आदर्श गांवों की स्थापना करना, जो अधिकाधिक आत्म-निर्भर हों और जिनमें प्रत्येक घर के आस-पास बगीचा तथा सागसब्जी लगाने के लिए भूमि छोड़ी जाए।

(9) किसानों को अन्न के साथ-साथ सागसब्जी तथा फल लगाने के लिए प्रोत्साहन देना और उसके लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान करना।

(10) ग्रामों में डेयरियां स्थापित करना, जिनके द्वारा शुद्ध दूध, मक्खन तथा घी प्राप्त हो सके तथा जो ग्राम की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ नगरों को भेजे जा सकें।

(11) ग्रामीणों के खाली समय के उपयोग के लिए तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए कृषि के सहायक तथा पूरक उद्योगों की स्थापना करना। अन्य कुटीर तथा छोटे उद्योगों में सुधार करके न्यूनतम व्यय में अधिकतम उत्पादन करना और उनके लिए बाजार का प्रबन्ध करना।

(12) सिंचाई का प्रबन्ध करना और इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाना—

(*i*) कूप, बंध, और कूल आदि बनाने के लिए किसानों को सामूहिक उद्योग के लिए प्रेरित करना और सहायता देना।

(*ii*) पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और ऐसे अन्य प्रदेशों में, जहां भू-गर्भ से जल निकाला जा सकता है, नलकूप लगाना।

(*iii*) सिंचाई के बड़े आयोजनों में से, जिन पर इस समय काम चल रहा है, ऐसे कुछ एक को तुरन्त पूर्ण करने के लिए हाथ में लेना, जिनकी पूर्ति से अल्पतम समय में अधिकतम सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सके।

यह कार्य केवल शासन द्वारा सफलतापूर्वक चलाये नहीं जा सकते। इसके लिए जन-सहयोग आवश्यक है। जनसंघ जनता के राष्ट्रसेवा-भाव को जागत कर इन कामों को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाएगा।

गो रक्षा

गौ भारत का राष्ट्रीय मानबिन्दु तथा भारतीय संस्कृति का चिरन्तन प्रतीक है। आदि काल से यह पूज्य एवं अवध्य रही है। भारत की अर्थव्यवस्था भी गौ पर केन्द्रित है। अतः गोरक्षण केवल एक पुनीत कर्तव्य ही नहीं, अनिवार्य आवश्यकता है। किन्तु गोहत्या के चलते गोरक्षण तथा गोसंवर्धन असम्भव है। देश में गोधन का ह्रास जिस द्रुत गति से हो रहा है, उसे रोकने का एकमेव मार्ग गोवंश के वध पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाना है। जनसंघ गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएगा और शासन तथा जन दोनों के सहयोग से गोधन की उन्नति करेगा।

गृह नीति

जनसंघ, जनसाधारण को विकेन्द्रित शासन का अवसर प्रदान करने के लिए जनपदों की स्थापना करेगा तथा केन्द्र में सुदृढ़ व शक्तिशाली प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन के हेतु प्रयत्नशील होगा, जो कि राष्ट्रव्यापी नीतियों के निर्देशन और समायोजन में समर्थ हो।

जनसंघ की दृष्टि में सब नागरिक, चाहे उनकी जाति, सम्प्रदाय, वर्ण अथवा लिंग कुछ भी हो, समान अधिकार रखते हैं। उपासना-पद्धति के आधार पर बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक जातियों की कल्पना इसे सर्वथा अमान्य है। जनसंघ का सिद्धांत होगा—सबके लिए समान अवसर एवं पिछड़े हुए वर्गों की आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष सहायता।

राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से भारतीय जन के उन अंगों का, जो विदेशियों द्वारा स्वदेश-पराङ्मुख तथा विदेशाभिमुख बना दिये गये हैं, राष्ट्रीयकरण करने का प्रयत्न किया जाएगा और स्वार्थसिद्धि के लिए भारतबाह्य निष्ठा रखने वाले तत्वों एवं वर्गों का दृढ़ता से निर्मूलन किया जाएगा।

ग्राम पंचायत

जनसंघ ग्राम-पंचायतों को ग्राम जीवन का केन्द्र तथा शासन का आधार बनाएगा। पंचायतों को भूमि-कर में से एक निश्चित धनराशि पाने का अधिकार होगा, जिससे वे अपने दायित्वों का भलीभांति पालन कर सकें। दलबंदी

के वर्तमान दोष के निराकरण के लिए तथा पंचायतों की प्राचीन भारतीय परिकल्पना के पुनरुज्जीवन के लिए पंचों का निर्वाचन सर्वसम्मति से कराने की व्यवस्था का विकास किया जाएगा।

जनसंघ ग्राम्य-जीवन को उन्नत एवं अर्वाचीन सुविधाओं से सम्पन्न बनाने का प्रयत्न करेगा। ग्राम-ग्राम में पाठशालाओं तथा सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे ग्रामों तथा नगरों के बीच खड़ी हुई पृथकता की दीवारें ढह जाएं।

पाकिस्तान का कोई भाग यदि शान्तिपूर्ण, समृद्ध तथा मुक्त जीवन···

विभाजन स्वीकार करना एक महान दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। विभाजन के बाद का इतिहास प्रमाण है कि देश के बंटवारे से देश की पुरानी समस्याओं का निराकरण होना तो दूर रहा, नित्य नई तथा अधिक जटिल एवं गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

'अखण्ड भारत' में जनसंघ की श्रद्धा है। किन्तु जब तक पाकिस्तान का पृथक अस्तित्व है, जनसंघ, आज तक भारत के हितों तथा सम्मान के विरुद्ध बरती गई तुष्टीकरण की नीति के स्थान पर 'जैसे को तैसा' की नीति बरतेगा। वह पाकिस्तान पर एक आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दबाव डालेगा जिससे अल्पमतों के जीवन, धन, और सम्मान की रक्षा हो और वे समानाधिकार का उपभोग कर सकें तथा मौलिक स्वाधीनता के दमन के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होने वाली विस्फोटक परिस्थिति का दुष्प्रभाव पड़ोसी के नाते भारत को न भुगतना पड़े।

पाकिस्तान का कोई भाग यदि अधिनायकवाद से संत्रस्त एवं विभाजन के दुष्परिणामों से प्रताड़ित होकर और भारत की शांति, समृद्धि तथा मुक्त जीवनव्यवस्था से आकृष्ट होकर भारत के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहेगा तो जनसंघ उसका स्वागत करेगा।

काश्मीर

जम्मू-काश्मीर प्रदेश को भारत में अंतिम तथा पूर्ण रूप से सम्मिलित करने के लिए प्रजापरिषद तथा जनसंघ द्वारा परिचालित वीरतापूर्ण संघर्ष तथा जनसंघ के संस्थापक-प्रधान डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के महान बलिदान के फलस्वरूप काश्मीर संविधान सभा ने जम्मू-काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का जो अंतिम तथा अटूट निर्णय किया है उससे काश्मीर के भविष्य के सम्बन्ध में अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो गई है। अतः अब जनमत-संग्रह की चर्चा, जो पहले भी राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों के विपरीत तथा अनावश्यक थी और जिसके भीषण दुष्परिणाम हमारे सम्मुख आ चुके हैं, बन्द कर देनी चाहिए और काश्मीर के एक-तिहाई भू-भाग को मुक्त कराने का उद्योग करना चाहिए।

जनसंघ भारत में काश्मीर के सम्मिलन को अधिक स्थायी तथा अटूट रूप देने के लिए जम्मू-काश्मीर को पूर्ण रीति से भारतीय संविधान के अंतर्गत लाने का यत्न करेगा जिससे उसके तथा अन्य प्रदेशों के बीच कोई असमानता न रह जाए और जम्मू-काश्मीर के निवासी भारतीय नागरिक के रूप में अपने अन्य बन्धुओं के साथ समान अधिकारों, सुविधाओं तथा अवसरों का उपभोग कर सकें।

पुनर्वास

विस्थापित-समस्या के मुख्यतः दो पहलू हैं – पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति। जनसंघ की मान्यता है कि विभाजन के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास तथा पाकिस्तान में छोड़ी हुई उनकी सम्पत्ति के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करना भारत का नैतिक और वैधानिक दायित्व है।

प्रशासन शुचिता

जनसंघ मुनाफाखोरी, कुनबा-परस्ती तथा रिश्वतखोरी को समाप्त करने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करेगा और शासन-कार्य में दक्षता तथा प्रामाणिकता का स्तर ऊंचा करने के लिए जनमत का निर्माण करेगा।

जनसंघ प्रशासन-व्यय में बचत करने के लिए कार्यवाही करेगा और शासक वर्ग तथा जनसमुदाय के बीच जो आर्थिक-भिन्नता की खाई है, उसे पाटने के लिए अधिकतम आय 2000 रु० प्रतिमास तक मर्यादित करेगा और भृत्यवर्गों के जीवन-स्तर को देशवासियों के साधारण स्तर तथा भारतीय आदर्शों के अनुकूल ढालने का यत्न करेगा।

सुरक्षा

संसार के सबल राष्ट्रों की पारस्परिक गुटबन्दी और उनके संघर्षों को देखते तथा यह ध्यान में रखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय कलह की दशा में सामरिक दृष्टि से भारत का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह आवश्यक है कि राष्ट्र की आवश्यकताओं और उसकी उत्पादन शक्ति के अनुरूप सैनिक सामर्थ्य के शीघ्रतर निर्माण के कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जनसंघ राष्ट्र को मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार से तैयार करने के लिए नीचे लिखे हुए उद्योग करेगा।

(1) समस्त राष्ट्र के युवकों और युवतियों को सैनिक शिक्षा देने की व्यवस्था।

(2) सुरक्षा सेनाओं की सभी शाखाओं का स्वरूप और अन्तःस्फूर्ति—दोनों दृष्टियों से पूर्ण राष्ट्रीयकरण।

(3) एक विशाल प्रादेशिक सेना का संगठन।

(4) सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योगों की शीघ्र संस्थापना।

न्याय-पद्धति

जनसंघ वर्तमान न्यायपद्धति में, जिसका आधार अभारतीय है, ऐसे परिवर्तन का उद्योग करेगा जिससे वह भारतीय प्रकृति तथा परिस्थिति के अनुरूप हो सके।

लोकतन्त्र की सफलता के लिए न्यायपालिका (Judiciary) का सर्वथा स्वतन्त्र होना आवश्यक है। अतः जनसंघ न्यायपालिका को कार्यपालिका (Executive) से सब स्तरों पर पृथक तथा उसके प्रभाव से विमुक्त करने का उद्योग करेगा और न्यायालयों के अधिकार कम करके प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारों में वृद्धि करने की वर्तमान प्रवृत्ति का विरोध करेगा। न्याय सस्ता, सुलभ और शीघ्रतर हो, इसके लिए जनसंघ प्रयत्नशील होगा।

जनाधिकार

लोकतान्त्रिक देशों में जनता के जो मौलिक अधिकार समझे जाते हैं जनसंघ उनका संरक्षण करेगा। अतः वह उद्योग करेगा कि हिंसात्मक पद्धति में विश्वास रखनेवालों को छोड़कर शेष सब व्यक्तियों तथा दलों को कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो।

जनसंघ अभिव्यक्ति (प्रेस तथा प्लेटफार्म) की स्वतन्त्रता को सीमित करने के लिए संविधान में स्वीकृत परिवर्तनों तथा भारतीय दण्डविधान में प्रस्तावित संशोधनों का और निवारक निरोध अधिनियमों का, जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल हैं, विरोधी है और उन्हें रद्द कराने का उद्योग करेगा।

विदेश नीति

जनसंघ की विदेश नीति का निर्धारण मुख्यतः देश के हित एवं प्रगति की दृष्टि से ही होगा। भारतीय परम्परा के अनुकूल वह विश्वशान्ति एवं पारस्परिक सद्भावना के लिए प्रयत्नशील रहेगा। जनतन्त्रीय जीवन-पद्धति पर विश्वास रखते हुए भारत अपने प्रति मित्र भाव रखनेवाले सभी देशों के प्रति समान भाव रखेगा। इसके सम्मुख कोई साम्राज्यवादी योजनाएं नहीं हैं और इस प्रकार की सभी साम्राज्यवादी योजनाओं को चाहे वे उपनिवेशवाद अथवा अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद किसी ओर से हों, विरोध करेगा। यह प्रत्येक राष्ट्र के इस मूलभूत अधिकार को मानता है कि वह अपनी जीवन-पद्धति का स्वयं अपनी इच्छानुसार निर्माण करे तथा इस कल्पना का विरोध करता है कि सभी एक सांचे में ढाले जाएं।

जनसंघ विश्व के दोनों शक्ति गुटों से अलग रहकर प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर भारत के हित तथा विश्वशान्ति की दृष्टि से विचार करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय उलझनों से यथासम्भव दूर रहकर सभी राष्ट्रों की सद्भावना तथा मित्रता के लिए उद्योग करेगा।

दक्षिण-पूर्व एशिया के राष्ट्रों के साथ भारत के प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्धों का पुनरुज्जीवन कर उन्हें अधिक दृढ़ आधार पर विकसित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा और एशिया के राष्ट्रों को दोनों शक्ति-गुटों से अलग रहकर अपना प्रभाव विश्वशान्ति तथा स्वतन्त्रता के पक्ष में डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विदेशी बस्तियां

भारत की भूमि पर पुर्तगाली बस्तियों का अस्तित्व राष्ट्रीय सार्वभौमिकता तथा सुरक्षा के लिए संकट है। भारतीय जनसंघ विदेशी साम्राज्यवाद के इन अवशिष्ट भग्नावशेषों को समाप्त कर वहां के निवासियों को भारतीय नागरिकता का समान अधिकारी बनाने के लिए सब सम्भव उपायों से काम लेगा।

प्रवासी भारतीय

प्रवासी भारतीय भारत के सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक दूत हैं। उनके हितों की रक्षा करना भारत का कर्तव्य है। ये लोग अपने रहने के देशों में समान अधिकार पावें और वहां के राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण ढंग से निर्वाह कर सकें, इसके लिए जनसंघ प्रयत्नशील रहेगा।

राष्ट्रभाषा

हिन्दी को सार्वदेशिक भाषा के रूप में अविलम्ब प्रतिष्ठापित करना और साथ ही देश की अन्य भाषाओं का पूर्ण विकास करना जनसंघ का उद्देश्य होगा। उसका मत है कि भारत की समस्त भाषाओं द्वारा देवनागरी लिपि और संस्कृत तथा अन्य बोलचाल की भारतीय भाषाओं पर आधृत एक संयुक्त पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक शब्दावली का अंगीकरण देश में सांस्कृतिक एकता, सौहार्द और राष्ट्रीय सुदृढ़ता का सम्पादन करेगा।

जिन अविकसित क्षेत्रों की अपनी कोई लिपि नहीं है, उन्हें नागरी लिपि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजी राज्य में रोमन लिपि थोपी गई थी, उन्हें नागरी लिपि अपनाने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। जम्मू काश्मीर राज्य में हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाया जाएगा। शिक्षा के माध्यम के संबंध में जनसंघ की नीति इस प्रकार होगी—

(1) प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी।

(2) माध्यमिक, उच्चतर तथा उच्चतम शिक्षा प्रादेशिक भाषा के माध्यम द्वारा दी जाएगी और हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

जनसंघ उर्दू तथा अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं के रूप में मान्यता देने का विरोधी है अतः वह संविधान द्वारा मान्य भारतीय भाषाओं की सूची में से उर्दू तथा अंग्रेजी के निष्कासन के लिए प्रयत्नशील होगा। भारतीय संस्कृति का आधार और भारत की समस्त भाषाओं का आश्रय संस्कृत है; अतः संस्कृत

शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जनसंघ विशेष उद्योग करेगा।

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में जनसंघ देश की शिक्षा पद्धति का भारतीय संस्कृति के आधार पर बहिरंग और अन्तरंग आमूल पुनर्गठन करने का प्रयत्न करेगा जिससे कि वह जनता के चरित्रोत्थान तथा शरीर-सुधार का एक समर्थ राष्ट्रीय उपकरण बन सके। इसका कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा :

(1) प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का सबके लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रबन्ध।

(2) योग्य तथा निर्धन छात्र एवं छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा तक की बिना मूल्य व्यवस्था।

(3) विज्ञान, व्यवसाय तथा उद्योग सम्बन्धी (सांइटिफिक, वोकेशनल तथा टेकनिकल) शिक्षा को प्राथमिकता देना।

(4) उच्चतम वैज्ञानिक शिक्षा और शोध के लिए सुविधाओं का प्रबन्ध।

(5) लड़कियों के लिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, पृथक पाठ्यक्रम की रचना जिससे वे आदर्श माता एवं गृहणी बन सकें तथा उनमें राष्ट्रीय चरित्र और स्वावलम्बन का समुचित विकास हो सके।

(6) संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी तथा स्थापत्यकला की शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा उसके लिए उचित प्रबन्ध करना।

स्वास्थ्य

सबके लिए निःशुल्क वैद्यकीय सहायता का प्रबन्ध करना जनसंघ अपना दायित्व समझेगा। ऐलोपैथी, होम्योपैथी तथा यूनानी पद्धतियों को उचित मान्यता देते हुए जनसंघ अर्वाचीन वैज्ञानिक शैली से आयुर्वेद के विकास का उद्योग करेगा जिससे अन्य सब पद्धतियों में जो भी शुद्ध एवं ग्राह्य है उसे आत्मसात् करके आयुर्वेद इस देश की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति का स्थान ग्रहण करे।

पिछड़ी जातियां

जनसंघ जातिभेद के कारण उत्पन्न ऊंच-नीच तथा छुआछूत आदि विषमताओं को समाप्त कर पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा जससे वह समाज में पूर्ण समता का स्थान ग्रहण कर सुदृढ़ समाज-रचना में सहायक सिद्ध हो सकें। सभी सार्वजनिक स्थान, विशेषतः मन्दिर तथा कुएं, हिन्दू मात्र के लिए खोल दिये जायेंगे और अस्पृश्यता को प्रज्ञेय अपराध घोषित कर दिया जाएगा।

इस दृष्टि से जनसंघ हिन्दू समाज की सुप्त एकात्मता को जागृत करेगा और समाज सुधार के लिए केवल कानून पर निर्भर न रहकर लोकमत को प्रबल बनाते हुए हिन्दू समाज के सभी अंगों के बीच एकात्म्य की स्थापना करेगा।

[19 अगस्त, 1954; इन्दौर, भा० प्र० स०]

1957

प्रस्तावना

भारत को स्वतन्त्र हुए दस वर्ष होने आए, किन्तु जिन परिस्थितियों में स्वतंत्रता आई उनके दुष्परिणामों से देश अभी तक छुटकारा नहीं पा सका है। भारत का विभाजन एक भयंकर भूल सिद्ध हुई है। भारत की भूमि पर एक पृथक साम्प्रदायिक राज्य की स्थापना से न केवल अन्य विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला है, बल्कि भारत की स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा के लिए भी स्थायी संकट पैदा हो गया है।

पाक-पुर्तगाली गठजोड़

कांग्रेस-कर्णधारों की सद्भावना तथा कांग्रेस शासन की तुष्टीकरण की नीति भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के आक्रमणात्मक रवैये को बदलने में असफल रही है। पाकिस्तान भारत को अपना 'एकमेव शत्रु' समझता है और उससे निबटने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिक तैयारियां कर रहा है। जम्मू-काश्मीर के एक-तिहाई भाग पर उसका बलात कब्जा है और शेष को हथियाने के लिए वह सब कुछ करने पर उतारू है। पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं को योजनाबद्ध रीति से निर्वासित करने का क्रम, जो विभाजन के पूर्व से आरम्भ हुआ था, अब तक जारी है। भारत की आंतरिक शान्ति को भंग करने तथा तोड़-फोड़ मचाने के लिए जासूसों तथा भारत-स्थित पंचमांगियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

भारत को क्षति पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी नेता किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं यह संसार के निकृष्टतम साम्राज्यवादी देश पुर्तगाल के प्रति उसके बढ़ते हुए मैत्री-संबंधों से स्पष्ट है। गोआ आदि पुर्तगाली बस्तियों की स्वतन्त्रता की न्यायोचित मांग का विरोध करके तथा भारत सरकार द्वारा लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्धों को विफल करने के लिए, भारत की उदारता का अनुचित लाभ उठाकर भी पुर्तगाल को सक्रिय सहायता द्वारा, पाकिस्तान ने अपने शत्रुभाव का परिचय दिया है। भारत की भूमि पर पुर्तगाली बस्तियों का अस्तित्व भारत की सुरक्षा तथा अखण्डता के लिए पहले ही एक संकट है, किन्तु पाकिस्तान तथा पुर्तगाल के घृणित गठबन्धन से तो यह संकट कई गुना

बढ़ गया है, जो भारत के दक्षिण-पश्चिम सीमांत के लिए कभी भी भयावह रूप ले सकता है।

चीनी संकट

भारत की उत्तरी सीमा भी पूर्ण निरापद नहीं। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की घोषणा के बावजूद कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत की स्वतन्त्रता को समाप्त कर उस पर कब्जा जमा रखा है। नेपाल के साथ हुए समझौते में भी चीन ने नेपाल में भारत की विशेष स्थिति का सम्मान नहीं किया। चीनी नक्शों में भारतीय प्रदेश का समावेश (जिसे बाद में 'भूल' कहकर समझाने का प्रयत्न किया गया), बर्मा की सीमा में चीनी सेनाओं का प्रवेश (जिसे 'धोखे से' हुआ बताया गया), और दक्षिण-पूर्व एशिया के छोटे-छोटे देशों में प्रवासी चीनियों की गतिविधियां भारत के लिए सतत सतर्क रहने का संकेत है।

राष्ट्रीय एकात्मता

कांग्रेस शासन राष्ट्रीय एकता का संरक्षण तथा संवर्धन करने में असफल रहा है। उत्तर-पूर्वी सीमा पर नागाजन का सशस्त्र उपद्रव, जिसे सेना के प्रयोग से इतने दिन बाद भी पूर्णतया शान्त नहीं किया जा सका, पृथक द्रविड़स्तान का आन्दोलन, जिसके संचालक किसी अन्य प्रान्तवासी को अपने राज्यपाल के रूप में भी सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तथा प्रान्त-पुनर्रचना के प्रश्न पर देश के भिन्न-भिन्न भागों में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, जिनके मूल में भाषावाद, प्रांतवाद तथा सम्प्रदायवाद की संकुचित एवं संकीर्ण प्रवृत्तियां—जिनके लिए कांग्रेस की नीतियां ही उत्तरदायी हैं—निहित हैं, राष्ट्र शरीर में व्याप्त भयंकर रोग के स्पष्ट लक्षण हैं। रोग का ठीक-ठीक निदान कर उसको जड़ से मिटाने का उपचार करने के बजाय कांग्रेस शासन ऐसी नीति अपना रहा है जिससे रोग थोड़े समय के लिए दबकर पुनः भीषण रूप में प्रकट होगा। विदेशी मिशनरियों की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने से इंकार, मुस्लिम सम्प्रदायवाद को जीवित रखने तथा बढ़ावा देने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन और अकाली दल के साथ सौदेबाजी, दलगत स्वार्थसिद्धि के लिए राष्ट्रहित के बलिदान का स्पष्ट उदाहरण है।

योजना की असफलता

स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता के आगमन से भारतीय जनता ने अपने लिए जिस स्वतन्त्र, सुखी तथा समृद्ध जीवन की आशा की थी, कांग्रेस के दस-वर्षीय शासनकाल में वह निराशा में बदल गई है। जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेस अपने वायदों को पूरा करने में असफल रही है।

कांग्रेस प्रशासन नागरिकों की अन्न, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य

की प्राथमिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ सिद्ध हुआ है। 'अधिक अन्न उपजाओ' की व्ययसाध्य तथा प्रचारात्मक योजनाओं तथा अनाज की पैदावार बढ़ने के सरकारी दावों के बावजूद अनाज की कीमतें बढ़ीं हैं और यही स्थिति कपड़े की भी है। मकानों की कमी में कोई सुधार नहीं हुआ। प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण देश में अनिवार्य नहीं किया गया। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का व्यय-भार सर्वसाधारण के लिए दुर्वह हो गया है। भारत के गांव, जहां 83 प्रतिशत लोग रहते हैं, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़े-बड़े बांधों तथा भारी उद्योगों के निर्माण की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। किन्तु उसके लिए जनता को काफी मूल्य चुकाना पड़ा है। दूसरी योजना भी, जिसके ऊपर भारत के सम्पूर्ण भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है और जिसे सभी ने अत्यधिक महत्वाकांक्षी घोषित किया है, अन्न, वस्त्र तथा बेरोज़गारी की समस्या को सुलझा नहीं सकेगी। इसमें भारत की परिस्थिति, हमारे सामर्थ्य तथा साधन-स्रोतों और आज की आवश्यकताओं का पूरा विचार नहीं रखा गया है। फलतः करभार और मुद्रा स्फीति से उत्पन्न मूल्य-वृद्धि के दोहरे पाटों में जनता पिसती जा रही है। कुटीर तथा छोटे उद्योगों को भारत के औद्योगीकरण का आधार बनाने तथा उनका विकास करने के लिए धन-विनियोग के स्थान पर शब्दों तथा भाषणों का ही बाहुल्य है।

कृषि उत्पादन

किसान, मजदूर, कर्मचारी, अध्यापक, दुकानदार तथा व्यापारी सभी त्रस्त तथा पीड़ित हैं। किसान छाती फाड़कर मेहनत करता है, उसकी मेहनत से पैदावार भी बढ़ती है; किन्तु पैदावार के साथ किसान का सुख नहीं बढ़ता; उल्टे उसकी मुसीबत बढ़ती है। जब तक अनाज खेतों, खलिहानों में रहता है, उसका भाव गिरता रहता है; किन्तु किसान के हाथ से निकलकर गोदामों में पहुंचते ही, उसकी कीमत चढ़ जाती है। कृषि-उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन के बीच कीमतों का तालमेल न होने के कारण किसान अपनी चीजें सस्ते भाव पर बेचने और अपनी आवश्यक वस्तुएं महंगे भाव पर खरीदने के लिए विवश होता है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भी किसान के लगान में कमी न होने तथा अनेक नये-नये टैक्सों के लग जाने से किसान की कमर टूट रही है। भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। मजदूरों की मजदूरी तथा भत्ते में वृद्धि होना तो दूर रहा, उनके सामने छंटनी तथा बेरोज़गारी का दैत्य मुंह बाये खड़ा है।

मूल्य वृद्धि

नगरों में रहने वाले मध्यमवर्गीयों की दशा और भी दयनीय है। आमदनी के साधन सीमित होने के कारण जीवनोपयोगी वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि से उन्हें गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

छोटे-छोटे दुकानदार, व्यापारी तथा उद्योग-संचालक भी शासन की नीतियों के कारण परेशान हैं। बिक्री-कर सबके लिए अभिशाप है। दलगत स्वार्थ तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सहायता, संरक्षण, यातायात की सुविधा तथा आयात-निर्यात के लाइसेंसों की प्राप्ति में भी छोटे व्यापारियों तथा उद्योग संचालकों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है।

बढ़ती बेरोजगारी

बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन उग्रतर होती जा रही है। करोड़ों व्यक्ति काम की खोज में मारे-मारे फिर रहे हैं और सत्ताधीश काम देने के स्थान पर 'आराम हराम है' के खोखले तथा आकर्षक नारों से मन बहलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में बेरोजगारी बढ़ी है। द्वितीय योजना में 80 लाख लोगों को काम देने का लक्ष्य रखा गया है। यदि योजना पूर्ण भी हो गई, जो कि साधनों तथा शिक्षित कर्मचारियों की कमी और जनोत्साह के अभाव में संदिग्ध जान पड़ती है, तो भी योजना की समाप्ति पर बेरोजगारों की संख्या में कमी नहीं आएगी क्योंकि जितने बेरोजगारों को काम मिलेगा, उनसे भी कहीं अधिक (90 लाख) नये बेरोजगार तैयार हो जाएंगे।

शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी न केवल हृदयविदारक है, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा है। जो शासन अपने पढ़े-लिखे नौजवानों के मन में भविष्य के प्रति आस्था तथा आश्वस्ति का भाव पैदा नहीं कर सकता वह बहुत दिनों तक अपने लोकतन्त्रीय स्वरूप को कायम नहीं रख सकता। राष्ट्र की तरुणाई के मनोभावों को सहानुभूतिपूर्ण अन्तःकरण से ठीक-ठीक समझकर उनकी आशंकाओं तथा अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार की उपाय-योजना करने के स्थान पर वर्तमान शासन ने उनके असंतोष को, जो यदाकदा विस्फोटक रूप धारण कर लेता है, लाठी तथा गोली के बल पर दबाने का प्रयास किया है।

दमनचक्र

स्वतन्त्रता के इन दस वर्षों में जनता की आवाज को कुचलने तथा अपने अलोकतांत्रिक निर्णयों को लादने के लिए कांग्रेस शासन ने अश्रु-गैस, लाठी-प्रहार तथा गोली-वर्षा का जैसा खुलकर प्रयोग किया है उसके सामने अंग्रेजी-राज का 150 वर्ष का दमन-चक्र भी फीका पड़ गया है। शासनकर्ताओं में पुलिस-गोलीकाण्डों की अदालती जांच की मांग को स्वीकार करने तक का साहस नहीं रहा है। लोकप्रियता की कमी को अधिकारों की वृद्धि से पूरा करने का असफल प्रयास चल रहा है। न्यायालयों के अधिकारों में कमी करने, पुलिस को अधिक अधिकार-सम्पन्न बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को सीमित करने तथा विरोधी दलों की बढ़ती हुई शक्ति तथा प्रभाव को रोकने के लिए नजरबन्दी कानून, सुरक्षा कानून तथा अन्य काले कानूनों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बलवती हो रही है।

पुलिस

पुलिस प्रशासन में यदि सुधार हुआ है तो विरुद्ध दिशा में ही। स्वतन्त्रता के बाद जनता तथा पुलिस के बीच की चौड़ी खाई पटनी चाहिए थी और पुलिस को जनता के रक्षक, सहायक तथा सेवक के रूप में विकास होना चाहिए था। किन्तु पुलिस आज भी आतंक तथा उत्पीड़न का प्रतीक बनी हुई है। अपराधों का पता लगाने के लिए तीसरे दर्जे के तरीकों को अपनाना जारी है। फिर भी अपराधों में कोई कमी नहीं हो रही है। शायद पुलिस के बजट तथा अपराधों की संख्या में होड़ लगी हुई है। बजट के साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं। ग्रामवासी अपने को सर्वथा अरक्षित अनुभव करते हैं और नगरों का जीवन भी पूर्ण सुरक्षित नहीं कहा जा सकता।

गुप्तचर-विभाग विरोधी दलों के कार्यों पर नजर रखने तथा उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों का पीछा करने में बड़ा तेज है, किन्तु विदेशी जासूसों तथा पंचमांगियों के भारत-विरोधी कार्य-कलापों तथा षड्यंत्रों का पता लगाने में उसकी योग्यता तथा क्षमता न जाने कहां चली जाती है।

भ्रष्टाचार

प्रशासन में सर्वत्र भ्रष्टाचार है। मंत्रिगण भी उससे मुक्त नहीं हैं। व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए सरकारी पद तथा प्रतिष्ठा का खुला दुरुपयोग किया जाता है। मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की अदालती जांच नहीं कराई जाती, अपितु उन्हें कांग्रेस का 'घरेलू मामला' समझकर दबा दिया जाता है। अपने प्रियजनों तथा परिवार-जनों को सत्ता में सहभागी बनाने के लिए नैतिकता तथा प्रशासकीय आवश्यकता को ताक पर रख दिया जाता है। इसके लिए लोक सेवा आयोग की अवहेलना करने में भी संकोच नहीं होता, बल्कि 'नियुक्ति के अधिकार' की दुहाई देकर उसे उचित ठहराने का प्रयत्न किया जाता है। इससे भी यदि काम नहीं बनता तो नये पद, यहां तक कि नये विभाग ही कायम किये जाते हैं।

इसके फलस्वरूप जहां प्रशासन का व्यय अनाप-शनाप बढ़ गया है, वहां भ्रष्टाचार तथा अक्षमता में भी कई गुना वृद्धि हुई है। जब ऊँचे नेताओं का आचरण ही संदिग्ध हो तो अधिकारियों तथा कर्मचारियों से उच्चादर्श की क्या आशा की जा सकती है। ईमानदार व्यक्ति, यदि उसमें खुशामद का गुण नहीं है, अपनी तरक्की के सारे रास्ते बन्द पाता है। नतीजा यह है कि प्रशासन की अक्षमता बढ़ रही है। सेवाएं पूर्णतया हतोत्साहित हो रही हैं। मंत्रियों के अनुचित हस्तक्षेप के कारण नीचे के स्तर पर खुद होकर काम करने तथा काम को अपना समझने की वृत्ति समाप्त हो गई है। कर्मचारी अधिकारियों का मुंह देखते हैं और अधिकारी मंत्रियों का, और मंत्री प्रधान-मंत्री के भ्रू-विलास पर अपनी दृष्टि गड़ाए रहते हैं। सम्पूर्ण प्रशासन एक व्यक्ति का मुखापेक्षी बन गया है।

प्रशासकीय अधिनायकवाद

शासन में अधिनायकवादी प्रवृत्तियां बल पकड़ रही हैं। समाजवादी ढांचे के नाम पर सम्पूर्ण आर्थिक सामर्थ्य को केन्द्रित करने का प्रयत्न हो रहा है। सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में भी शासन द्वारा अधिकाधिक नियंत्रण तथा हस्तक्षेप की नीति बरती जा रही है। शिक्षा की स्वतन्त्रता सीमित करने का प्रयत्न हो रहा है और शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता का हनन किया जा रहा है। साहित्य, कला तथा विज्ञान के विकास को भी शासनाधिष्ठित तथा शासनाकूल बनाने का उद्योग हो रहा है। साधु-संतों तथा मठ-मंदिरों पर भी शासन की गिद्ध-दृष्टि लगी है।

कार्यक्रम

इस विषम परिस्थिति में—जब बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक विघटन से भारत की सुरक्षा, स्वतन्त्रता, एकता तथा अखण्डता के लिए संकट पैदा हो गया है और कांग्रेस के अलोकतांत्रिक, अधिनायकवादी, भ्रष्ट तथा अक्षम शासन से पीड़ित तथा संत्रस्त भारतीय जनता एक नया मार्ग खोज रही है, भारतीय जनसंघ भारत की सर्वांगीण प्रगति का एक विधायक तथा ठोस कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ है।

यह कार्यक्रम किसी वाद विशेष पर आधारित नहीं है। इसके निर्धारण में भारतीय प्रतिभा तथा परम्परा और राष्ट्र-जीवन की वर्तमान स्थिति—हमारे सामर्थ्य तथा न्यूनताओं का—पूरा ध्यान रखा गया है। इसके द्वारा हम न केवल अन्न, वस्त्र तथा मकान की समस्याओं का समाधान कर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेंगे, अपितु भारत को उसकी संस्कृति और मर्यादा के आधार

पर एक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जनतन्त्र, जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, बनाने में सफल होंगे। यह कार्यक्रम भारत को सुदृढ़ तथा सम्पन्न बनाते हुए उसे एक प्रगतिशील, आधुनिक और जागरूक राष्ट्र बनाएगा जो दूसरों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगा और विश्वशान्ति के स्थापनार्थ राष्ट्रसंघ में समुचित रीति से प्रभाव डाल सकेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा

भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को उच्चतम प्राथमिकता देगा। देश के विस्तार तथा जनसंख्या के अनुरूप सैन्यबल में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी और उसे आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित किया जाएगा। राष्ट्र को मानसिक तथा शारीरिक दोनों दृष्टियों से सुरक्षार्थ-सन्नद्ध करने के लिए जनसंघ निम्नलिखित उद्योग करेगा :

(1) राष्ट्र के युवकों के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा की व्यवस्था।
(2) सुरक्षा सेनाओं की सभी शाखाओं का स्वरूप और अन्तःस्फूर्ति—दोनों दृष्टियों से पूर्ण राष्ट्रीयकरण।
(3) सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योगों की शीघ्रतर स्थापना।
(4) एक विशाल प्रादेशिक सेना का संगठन।

भारतीय सीमाओं की देखभाल के लिए एक विशेष पुलिस दल संगठित किया जाएगा जिसका दायित्व केन्द्र पर होगा। अन्तर्प्रवेश तथा अवैध व्यापार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जाएंगे जिससे गुप्तचरों तथा पंचमांगियों पर कठोर दृष्टि रखी जा सके और उनके राष्ट्र-विरोधी षड्यन्त्रों को पनपने से पूर्व ही विफल किया जा सके।

राष्ट्रीय एकता

राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता की रक्षा के लिए, जिसके बिना न तो स्वतन्त्रता को ही कायम रखा जा सकता है और न आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक पुनर्निर्माण की महती योजनाओं को ही कार्यान्वित किया जा सकता है, जनसंघ द्विविध कार्यक्रम अपनायेगा :

(1) हिन्दू समाज के अन्तर्गत ऊंच-नीच, छुआछूत आदि हटाकर एक-निष्ठता का सम्पादन करना; और
(2) हिन्दू के अतिरिक्त सभी जनों को भारतीय संस्कृतिभुक्त करके उनको राष्ट्रभावापन्न करना।

भारतीय ईसाइयों को विदेशी मिशनरियों के अराष्ट्रीय प्रभाव से मुक्त करने के लिए नियोगी-समिति तथा रेगे-समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय एकात्मता के मार्ग में वर्तमान संविधान बाधक है जिसमें संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और भारत को 'भारतीय संघ' तथा प्रान्तों को 'राज्यों' की संज्ञा देकर उनके मध्य अधिकारों का इस ढंग से वितरण किया गया है जिससे प्रान्तों में केन्द्र के प्रतिस्पर्धी होने का भाव जागृत होता है। जनसंघ संविधान में संशोधन कर भारत को एकात्मक राज्य घोषित करेगा।

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण

किन्तु जनसंघ की परिकल्पना के एकात्मक शासन में राजनीतिक सत्ता को केन्द्रित नहीं होने दिया जाएगा। जनसंघ जनतन्त्र में विश्वास करता है; अतः प्रत्येक जन को शासन में भागीदार बनाने के लिए वह राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेगा।

ग्राम-पंचायतें, नगरपालिकाएं, निगम तथा अन्य स्थानीय संस्थाएं जो जन-साधारण को विकेन्द्रित शासन का अवसर प्रदान करती हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च अधिनियम—संविधान में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगी और उसी से शक्ति ग्रहण करेंगी। स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों तथा उनके साधन-स्रोतों की आश्वस्ति और वृद्धि की जाएगी जिससे वे अपने दायित्वों का उचित रीति से निर्वाह कर सकें।

ग्राम-पंचायतों को ऊपर से न लादकर जन-सहयोग द्वारा नीचे से ही विकसित किया जाएगा। दलबंदी तथा जातिवाद को जो वर्तमान पंचायत-व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है, न पनपने देने के लिए पंचायत की स्थापना सर्वसम्मति से करने की प्राचीन पद्धति को प्रचलित किया जाएगा। निर्वाचन गुप्त मतदान से होगा। पंचायतों को भूमि-कर में से एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें अनुदानों पर निर्भर न रहना पड़े।

विधान परिषदों की समाप्ति

वर्तमान विधान परिषदें द्वितीय सदनों के उद्देश्यों की पूर्ति में असफल सिद्ध हुई हैं। जनसंघ उन्हें समाप्त करेगा।

मूलभूत अधिकारों का संरक्षण

जनसंघ भारतीय जन के मूलभूत अधिकारों—बोलने, लिखने, संगठन बनाने तथा अपने विचारों का प्रचार करने—का पूर्ण संरक्षण करेगा।

वर्तमान शासन ने जनाधिकारों को कुंठित तथा सीमित करने के लिए जो जन-सुरक्षा अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम तथा प्रेस अधिनियम बनाये हैं, जनसंघ उनको अविलम्ब रद्द कर देगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 108, 109, 144 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 124 ए तथा 153 में ऐसे संशोधन करेगा जिससे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए उनका दुरुपयोग न किया जा सके।

प्रशासन में सुधार

जनसंघ प्रशासन को नौकरशाही, लालफीताशाही, अक्षमता, अदक्षता तथा भ्रष्टाचार के वर्तमान दोषों से मुक्त करने के लिए उसके ढांचे में आमूल परिवर्तन करेगा।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच जो खाई आज विद्यमान है और जो अधिकारियों में अहंमन्यता तथा कर्मचारियों में हीनता का भाव पैदा करती है, उसे पाटा जाएगा और सभी के अन्तःकरण में राष्ट्र निर्माण के महान दायित्व में सहभागी होने का गौरव जागृत किया जाएगा। शासन के अस्थायी विभागों में काम करनेवाले कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा और विभागों के समाप्त होने पर इन कर्मचारियों को अन्यत्र स्थान देने का दायित्व शासन पर होगा।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग को अधिक अधिकार सम्पन्न किया जाएगा और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाएगी।

राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझाव के अनुसार न्याय, स्वास्थ्य, वन तथा इंजीनियरिंग की 'अखिल भारतीय सेवाएं' (इण्डियन सर्विस) संगठित की जायेंगी।

प्रशासन-व्यय में बचत

प्रशासन के व्यय में, जो गत वर्षों में कई गुना हो गया है, कमी करने के लिए जनसंघ कठोर कार्यवाही करेगा। भारतीय जनता निर्धन है; उसके पसीने के गाढ़ी कमाई की एक-एक पाई को उसी के हित में व्यय किया जाएगा, किसी शान-शौकत पर नहीं। सादगी, सरलता और मितव्ययिता का भारतीय आदर्श राष्ट्रपति-भवन से लेकर प्रशासन के निम्नतम स्तर तक और गांव के कार्यालयों से लेकर विदेश-स्थित भारतीय राजदूतावासों तक प्रस्थापित होगा।

इस संबंध में मंत्रियों का विशेष उत्तरदायित्व होगा। अपने व्यक्तिगत आचरण से उन्हें जनता के सम्मुख उदाहरण रखना होगा। जनसंघ का यह निश्चित मत है कि यदि जनसाधारण को मितव्ययिता तथा सादगी के लिए प्रेरित करना है तो मन्त्रियों को 500 रु० से अधिक वेतन नहीं लेना चाहिए और उनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए।

जनसंघ शासक-वर्ग के जीवन-स्तर को सामान्य जन के स्तर के अधिक निकट लाने के लिए, आय की अधिकतम मर्यादा 2000 रु० प्रतिमास निर्धारित करेगा। किसी भी कर्मचारी का वेतन 100 रु० प्रति मास से कम न होगा।

सस्ता और सुलभ न्याय

न्याय को सस्ता, सर्वजनसुलभ तथा शीघ्रतर बनाया जाएगा । इस दृष्टि से उच्च न्यायालयों की बैंचें समाप्त करने का सुझाव अनुपयुक्त है । जनसंघ न्याय शुल्क में कमी करेगा और न्याय को जनसाधारण की पहुंच तक लेजाने के लिए चलते-फिरते न्यायालयों की स्थापना करेगा । न्यायपालिका को कार्यपालिका से सब स्तरों पर पृथक किया जाएगा । जनसंघ न्यायालयों के कार्यक्षेत्र को सीमित करने के विरुद्ध है और इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न करेगा । अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा समाप्त कर दी जाएगी ।

आर्थिक जनतंत्र की स्थापना

जनसंघ का उद्देश्य भारत को एक आर्थिक जनतंत्र बनाना है जिसमें एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण के लिए कोई स्थान नहीं होगा और हरएक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर तथा स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनसंघ देश के वर्तमान आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करेगा । यह परिवर्तन भारत की मूल प्रकृति तथा वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप होगा । भारत की परिस्थिति रूस तथा अमेरिका दोनों से भिन्न है । यहां मनुष्य अधिक हैं और जमीन कम है । औद्योगिक दृष्टि से भारत पिछड़ा हुआ है । तैयार माल के लिए बाजारों की कमी है । अतः रूस अथवा अमेरिका का अनुकरण भारत के लिए हितावह नहीं हो सकता ।

नई अर्थव्यवस्था

जनसंघ भारत की परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुरूप एक नई अर्थव्यवस्था का विकास करेगा जिसमें व्यक्तिगत प्रयत्नों के लिए पूर्ण अवसर रहेगा, किन्तु आर्थिक सामर्थ्य को कुछ हाथों में केन्द्रित नहीं होने दिया जाएगा, साथ ही राज्य को भी अमर्यादित अधिकार प्राप्त नहीं होंगे । व्यक्तिगत पूंजीवाद तथा राजकीय पूंजीवाद से बचने का और वास्तविक जनतंत्र की स्थापना का यही सर्वोत्तम मार्ग है ।

जनसंघ के आर्थिक कार्यक्रम का तात्कालिक उद्देश्य द्विविध होगा—

(1) देश की अन्न, वस्त्र, निवास तथा बेरोज़गारी और विषमता की समस्या को सुलझाना; और

(2) देश को सुरक्षा, उत्पादक तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओं की दृष्टि से उसे आत्मनिर्भर बनाना ।

काम करने का अधिकार; बेरोजगारी भत्ता

भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसका जनबल है । आर्थिक नवनिर्माण का आधार यही जनबल होगा । इसे जाग्रत करने के लिए जनसंघ प्रत्येक व्यक्ति

के लिए काम की व्यवस्था करेगा । कर्म करने का अधिकार मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है । जनसंघ आजीविका के लिए कर्म के अधिकार को संविधान द्वारा स्वीकृत मूलभूत अधिकारों में समाविष्ट करेगा । जिन नागरिकों के लिए काम की व्यवस्था नहीं की जा सकेगी उनके उदर-भरण का दायित्व शासन पर होगा ।

उत्पादन-प्रणाली में परिवर्तन

कृषि तथा उद्योग संबंधी पैदावार की वृद्धि के संबंध में सब एकमत हैं । जब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी, उसका वितरण कैसे होगा और समुचित वितरण के अभाव में निर्धनता तथा विषमता कैसे मिटेगी ? किंतु पैदावार की वर्तमान प्रणाली भारत के लिए अनुपयुक्त है । उसमें पैदावार तो बढ़ती है, किंतु पैदा करने वाले हाथ घट जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है, कि घटी हुई क्रय-शक्ति के कारण बढ़ी हुई पैदावार के लिए देश के भीतर बाजार नहीं मिलता। पैदावार के साथ बेरोजगारी भी बढ़ती है । पंचवर्षीय योजनाओं के चलते बेरोज़गारी में वृद्धि का यही रहस्य है ।

जनसंघ उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन करेगा तथा अधिक उत्पादन के साथ साथ अधिक व्यक्तियों द्वारा उत्पादन पर बल देगा । इस दृष्टि से जनसंघ कृषि के यंत्रीकरण को तथा औद्योगिक क्षेत्र में समय तथा श्रम की बचत के लिए अपनाये जा रहे उपायों को, जिनका परिणाम बेरोज़गारी की वृद्धि में होगा, निरुत्साहित करेगा ।

लघु उद्योग

सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए काम की व्यवस्था करने तथा श्रम तथा पूंजी के एकीकरण से उत्पन्न बुराइयों से बचने के लिए जनसंघ आर्थिक सामर्थ्य का विकेन्द्रीकरण करेगा । सम्पूर्ण देश में छोटे, कुटीर तथा ग्राम उद्योगों का जाल फैलाया जाएगा । छोटे और बड़े उद्योग-धंधों के मध्य चल रही प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए उनके कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा । आर्थिक ढांचे का आधार छोटे उद्योग होंगे, अतः बड़े उद्योगों को उनके अनुसार स्वयं को ढालना होगा ।

छोटे उद्योगों के विकास के लिए निम्न साधन उपयोग में लाये जायेंगे :

(1) नई छोटी मशीनों तथा कलों का निर्माण जो कुटीरों तथा ग्रामों में चल सकें और माल के स्तर तथा उत्पादनकर्ता की आय में वृद्धि कर सकें ।

(2) ग्रामों में औद्योगिक शिक्षालयों की स्थापना जिनमें श्रमिकों को अर्वाचीन पद्धति से उद्योग चलाने की शिक्षा दी जा सके ।

(3) छोटे, कुटीर तथा ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार सुरक्षित करना ।

(4) संयुक्त तथा सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

जनसंघ हथकरघा उद्योग को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेगा। वर्तमान परिस्थिति में हथकरघों के स्थान पर बिजली के करघे लगाने की नीति अनुपयुक्त है। हथकरघा उद्योग के लिए सस्ते तथा सुलभ सूत की प्राप्ति के लिए सहकारी सूती मिलों की स्थापना की जाएगी।

आधारभूत तथा सुरक्षा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

जनसंघ की नीति आधारभूत तथा सुरक्षा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की है। अन्य सभी उद्योगों को सार्वजनिक हितों का ध्यान रखते हुए शासन के निरीक्षण, नियमन तथा नियंत्रण के आधीन विकसित होने का पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए।

अधिकाधिक उद्योगों को राज्य के स्वामित्व तथा प्रबंध में लेने की वर्तमान प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए ही घातक नहीं, प्रत्युत आर्थिक विकास की दृष्टि से भी अनुपयुक्त है। राष्ट्रीयकृत उद्योगों का अनुभव बड़ा कटु तथा निराशाजनक है। सार्वजनिक धन का अपव्यय तथा जनसाधारण के प्रति उपेक्षा—राष्ट्रीयकृत उद्योग की यही दो विशेषतायें हो गई हैं। जनसंघ निजी उद्योग में अनुचित लाभ उठाने की वृत्ति को नियन्त्रित करने तथा आर्थिक नवनिर्माण के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए शासन को अधिक अधिकार देने का विरोधी नहीं, किन्तु वह पूर्ण राष्ट्रीयकरण को अनुपयुक्त समझता है। जनसंघ सड़क-यातायात, बीमा तथा बैंकों को राज्य के स्वामित्व में लेने की नीति से असहमत है।

विदेशी उद्योगों का भारतीयकरण

खान, चायबागान, काफी, रबर आदि उद्योगों के संबंध में जो प्रमुखतया विदेशियों के हाथों में हैं, जनसंघ की नीति उनका भारतीयकरण करने की है। इस दृष्टि से साबुन तथा दियासलाई उद्योगों का, जिनका अधिकांश उत्पादन विदेशी कम्पनियों से ही होता है, अविलम्ब भारतीयकरण किया जाएगा। अन्य सभी विदेशी कम्पनियों की कम से कम दो-तिहाई पूंजी भारतीय होनी चाहिए, और न केवल कर्मचारी अपितु विशेषज्ञ भी भारतीय होने चाहिएं।

जनसंघ विदेशी कम्पनियों के लाभ को देश के बाहर भेजने की अधिकतम मर्यादा निश्चित करेगा।

श्रमिक का प्रबन्ध तथा लाभ में साझा

जनसंघ मजदूरों को उद्योग के प्रबंध तथा लाभ में साझीदार बनाएगा। इस दृष्टि से राष्ट्रीयकृत उद्योगों तथा निजी उद्योगों के निगमों तथा संचालक-मण्डलों में उनके उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी।

मजदूर संगठनों को प्रोत्साहन

मजदूरों में कर्तव्यों के प्रति निष्ठा तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उनका सुदृढ़ संगठन आवश्यक है। जनसंघ मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करेगा और मजदूर को किसी न किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मजदूर संगठनों की मान्यता के नियमों में परिवर्तन किये जाएंगे। किसी संगठन के पंजीयत होते ही उसे स्वतः मान्यता प्राप्त हो जाएगी।

स्थायी वेतन आयोग की नियुक्ति

मजदूरों के वेतन-दर निर्धारित करने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय वेतन-आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो जीवनयापन के माप के अनुरूप समय-समय पर राष्ट्रीय न्यूनतम आय को ध्यान में रखते हुए वेतन निश्चित करेगा। किसी भी मजदूर का न्यूनतम वेतन आज की परिस्थिति में 100 रु० प्रति मास से कम नहीं होना चाहिए।

मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा

मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का दायित्व राज्य पर होगा। मजदूरों की तब तक छंटनी नहीं की जाएगी जब तक उनके लिए दूसरे काम की व्यवस्था नहीं की जाती। खतरे का काम करने वाले मजदूरों को अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाएगा। बीमा तथा वृद्धावस्था के लिए भी समुचित प्रबन्ध किया जाएगा।

समान काम के लिए सबको समान वेतन मिलेगा। महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिला मजदूरों के लिए दो मास के सवेतन अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए।

शिक्षित बेरोजगारों को काम

शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी के निराकरण के लिए जनसंघ विशेष उद्योग करेगा। शिक्षापद्धति में परिवर्तन तथा प्राविधिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा के व्यापक प्रबन्ध से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में कमी होगी। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा छोटे, कुटीर तथा ग्रामोद्योगों की स्थापना से शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर की जा सकेगी।

आर्थिक समता और पूंजी निर्माण

आर्थिक विषमता को दूर करने और विकास के लिए पूंजी निर्माण करने के लिए जनसंघ व्यय-योग्य आय की अधिकतम मर्यादा आज के मूल्यों के अनुसार 2000 रु० प्रतिमास निर्धारित करेगा। जनसंघ सभी नागरिकों के जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर का आश्वासन देता है और आज की परिस्थिति में

न्यूनतम आय 100 रु० प्रति मास निर्धारित कर यह प्रयत्न करेगा कि वह निरन्तर बढ़ती रहे, जिससे निकट भविष्य में न्यूनतम और अधिकतम आय का अनुपात 1 : 10 का रह जाए।

आय की अधिकतम मर्यादा से ऊपर धन को दान, कर, अनिवार्य ऋण अथवा विनियोजन के रूप में विकास-कार्य के लिए प्राप्त किया जाएगा।

स्वदेशी भावना का पुनर्जागरण

उद्योग-धंधों के विकास तथा विदेशी मुद्रा की बचत के लिए जनसंघ स्वदेशी के मंत्र का पुनर्जागरण करेगा। उपभोग्य वस्तुओं, विशेषकर शृंगार और प्रसाधन की वस्तुओं के आयात पर कठोर नियंत्रण किया जाएगा। स्वदेशी उद्योगों को अनुचित विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए समुचित संरक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशासन कार्य में स्वदेशी का व्यवहार अनिवार्य होगा।

कर-पद्धति में सुधार

जनसंघ कर-पद्धति में सुधार के लिए उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। इस दृष्टि से वह अप्रत्यक्ष करो को जिनका भार प्रमुखतया जन-साधारण के ऊपर पड़ता है, अनुचित समझता है। न्यूनतम आय तक के व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं लगेगा।

जनसंघ बिक्रीकर को प्रतिगामी स्वरूप का मानता है और उसे पूर्णतया समाप्त कर देने के पक्ष में है। इस दिशा में प्रथम पग यह होगा कि :

(1) जीवन की आवश्यक वस्तुएं बिक्री कर से अविलम्ब मुक्त कर दी जाएंगी।

(2) कुटीर तथा ग्रामोद्योग से निर्मित वस्तुओं पर बिक्री-कर न लगाया जाएगा।

(3) सब राज्यों में समान दरें लागू की जाएंगी।

(4) बिक्री-कर एक-सूत्रीय होगा।

(5) अंतर्राज्यीय बिक्री-कर समाप्त कर दिया जाएगा।

(6) बिक्री-कर शक्यतया उत्पादन-केन्द्रों पर ही संग्रहीत किया जाएगा।

जनसंघ जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर उत्पादन-कर लगाने का विरोधी है। इस दृष्टि से मोटे कपड़े पर बढ़ाया गया उत्पादन कर रद्द कर दिया जाएगा। कर चुराने वालों के विरुद्ध जनसंघ कठोरतम दण्ड की व्यवस्था करेगा।

स्वावलम्बन पर बल

यद्यपि जनसंघ विदेशी आर्थिक सहायता का, यदि वह बिना किसी राजनीतिक शर्तों के प्राप्त हो, विरोधी नहीं है, किन्तु जनसंघ ने जिस आर्थिक ढांचे का चित्र रखा है, उसमें विदेशी सहायता अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। विदेशी पूंजी के साथ विदेशी प्रभाव का आना स्वाभाविक है। अतः

जनसंघ देश के आर्थिक उत्पादन के लिए स्वावलम्बन पर बल देगा और राष्ट्रीय साधन-स्रोतों के अनुसार ही विकास योजनाओं का निर्माण करेगा।

भूमि-सुधार

खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्म-निर्भर बनाने तथा ग्राम-समाज की पुनर्रचना के लिए जनसंघ भूमि-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करेगा। भूमि जोतने वाले की होगी और कृषक तथा राज्य के बीच किसी मध्यस्थ को नहीं रहने दिया जाएगा। जमींदारी तथा जागीरदारी के उन्मूलन से निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।

कांग्रेस शासन के बहुप्रचारित भूमि-सुधारों के बाद भी किसानों, कृषि-मजदूरों और भूमिहीनों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जनसंघ किसानों की बेदखली बन्द करेगा, बेदखल किसानों को उनको भूमि वापस दिलाएगा, लगान तथा अन्य करों में कमी करेगा और भूमिहीनों को भूमि देने के लिए भूमि का पुनर्वितरण करेगा। वितरण का न्यूनतम तथा अधिकतम आधार सिंचाई के प्रबन्ध से युक्त अच्छी भूमि का क्रमशः 5 एकड़ तथा 30 एकड़ अथवा उसकी पैदावार के बराबर होगा। कृषि-मजदूरों का न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाएगा।

उत्पादन-वृद्धि के लिए जनसंघ बोई हुई धरती पर पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन करने तथा बंजर भूमि को खेती-योग्य बनाने पर बल देगा। किन्तु जनसंघ खेती के समूहीकरण को भारत के लिए अनुपयुक्त समझता है।

कृषि तथा उद्योग का समन्वित विकास

जनसंघ कृषि तथा उद्योग के समन्वित विकास पर बल देगा। कृषि-पैदावार तथा औद्योगिक पैदावार के बीच मूल्यों का तालमेल स्थापित किया जाएगा जिससे समाज के किसी भी वर्ग को मूल्यों के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न संकट का सामना न करना पड़े।

भूमि के भार को कम करने के लिए ग्रामों में कृषि को सहायक तथा पूरक उद्योगों की स्थापना की जाएगी तथा अन्य कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के विस्तार द्वारा ग्रामीणों के खाली समय के लिए काम की व्यवस्था की जाएगी।

ग्रामों की उन्नति के लिए जनसंघ निम्नलिखित कार्य करेगा।

(1) देशव्यापी आन्दोलन तथा उत्साहवर्धन द्वारा किसानों में अधिक अन्न उपजाने के लिए परिश्रम करने की भावना तथा चेतना उत्पन्न करना।

(2) बढ़िया बीज तथा अच्छी खाद की व्यवस्था करना, गोबर को ईंधन के रूप में प्रयुक्त न करके खाद बनाने के काम में लाना और रसायनिक खाद के प्रयोग को निरुत्साहित करना।

(3) खेती के लिए ट्रैक्टरों के प्रयोग को निरुत्साहित करना।

(4) किसानों को अन्न के साथ-साथ साग-सब्जी तथा फल लगाने के लिए प्रोत्साहन देना और उसके लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

(5) ग्रामों में दुग्धशालाएं स्थापित करना जिनके द्वारा शुद्ध दूध, घी तथा मक्खन प्राप्त हो तथा जो ग्राम की आवश्यकता को पूरा करने के साथ नगरों को भेजा सके।

(6) ग्रामों में सहकारी बैंकों की स्थापना करना तथा, ग्रामजनों और उनकी फसलों तथा पशुओं के बीमे की प्रथा आरम्भ करना।

परिवहन

जनसंघ सड़क, रेल, जल एवं हवाई यातायात के विस्तार एवं विकास की ओर विशेष ध्यान देगा।

रेलवे में तीसरे दर्जे की वातानुकूलित गाड़ियां चलाने के प्रचारात्मक तथा प्रदर्शनात्मक तरीकों के स्थान पर जनसंघ अधिक जनता-गाड़ियां चलाने, लम्बी यात्रा करने वालों को बिना मूल्य सोने की सुविधाएं प्रदान करने तथा माल ढोने के लिए अधिक डब्बे जुटाने का प्रयत्न करेगा। अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को रेलवे से सम्बद्ध किया जाएगा।

रेलवे कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। छोटे-छोटे स्टेशनों के कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए जिससे उनके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आदि का उचित प्रबन्ध हो सके, जनसंघ विशेष उद्योग करेगा। रेलवे में से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कृपलानी समिति के सुझावों को कार्यान्वित किया जाएगा।

रेलवे पर भार को कम करने के लिए जनसंघ सड़क, जल एवं हवाई यातायात का विस्तार करेगा। प्रत्येक ग्राम को सड़क से जोड़ने और प्रत्येक बड़े नगर को हवाई यातायात से सम्बद्ध करने का उद्योग किया जाएगा। मोटर वाहन कर की दरों में कमी करने तथा सम्पूर्ण देश में समान दर लागू करने का प्रयत्न होगा।

पटना से कलकत्ता तक गंगा नदी को जहाजरानी के लिए उपयुक्त बनाने की योजना तैयार की जाएगी। घाटों के प्रबन्ध में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जाएगी और उनका प्रबन्ध जलनाविकों की सहायता से चलाया जाएगा।

पाकिस्तान

भारत का विभाजन एक भीषण भूल थी, जिससे न हिन्दुओं का लाभ हुआ है और न मुसलमानों का। भारत और पाकिस्तान में ऐसे व्यक्तियों की संख्या

निरन्तर बढ़ रही है, जो यह अनुभव करते हैं कि दोनों की भलाई और विश्व-शांति की रक्षा के लिए विभाजन को समाप्त करना अनिवार्य है। वस्तुतः भारत और पाकिस्तान की अधिकांश समस्यायें—काश्मीर, विस्थापितों का पुनर्वास, आर्थिक अस्तव्यस्तता, सुरक्षा-व्यय में वृद्धि आदि विभाजन से ही उत्पन्न हैं और उनके स्थायी हल के लिए अखण्ड भारत की स्थापना आवश्यक है, जिसमें समस्त हिन्दू, मुसलमान अन्य मतावलम्बी समान अधिकारों तथा अवसरों का उपभोग करते हुए एक महान् राष्ट्र के निष्ठापूर्ण घटक के नाते अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। स्पष्ट है कि ऐसे अविभाज्य भारत की रचना जोर-जबरदस्ती या बलप्रयोग से नहीं की जा सकती। इसके लिए लोगों के दिलों और दिमागों को बदलना होगा। जनसंघ का सांस्कृतिक एकीकरण का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से प्रेरित है।

किन्तु जब तक पाकिस्तान का पृथक अस्तित्व है, जनसंघ उसके प्रति असहयोग की नीति का पालन करेगा। आज तक बरती गई तुष्टीकरण की नीति से पाकिस्तानी नेताओं की भारत-विरोधी प्रवृत्तियों को बल ही मिला है। जनसंघ ऋण की वसूली, निष्क्रांत-सम्पत्ति, नहरी पानी आदि प्रश्नों पर पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की रियायत करने के विरुद्ध है। जब एक बार पाकिस्तान के नेता भारत को अपना 'एकमेव शत्रु' घोषित कर चुके हैं, तो उन्हें अपने प्रति भारत के तत्सम व्यवहार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह पाकिस्तान की जनता का काम है कि वह ऐसे नेतृत्व को ठुकरा दे, जिसका आधार भारत के प्रति घृणा है और जो भारत को क्षति पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को युद्ध की भट्टी में ढकेलने को तैयार है।

पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर की मुक्ति—काश्मीर संविधान सभा ने जम्मू-काश्मीर प्रदेश के भारत का अभिन्न अंग होने के निर्णय की जो पुष्टि की है, जनसंघ उसका स्वागत करता है। भारत में जम्मू-काश्मीर का सम्मिलन स्थायी तथा अटूट है। काश्मीर में जनमत-संग्रह आदि की चर्चा तर्कहीन तथा अनावश्यक है।

जनसंघ का यह निश्चित मत है कि पाकिस्तान को काश्मीर के सम्बन्ध में बोलने का कोई अधिकार नहीं। वह आक्रमणकारी है और उसके साथ इसी रूप में व्यवहार होना चाहिए। वर्तमान युद्ध-विराम रेखा के आधार पर काश्मीर के विभाजन का सुझाव कायरतापूर्ण तथा राष्ट्र-हित विरोधी है। जनसंघ संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा पाकिस्तान के प्रति आक्रमणकारी के नाते कार्यवाही करने के लिए प्रयत्नशील होगा और पाक-अधिकृत काश्मीर की मुक्ति के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय अपनायेगा।

जनसंघ जम्मू-काश्मीर का पृथक संविधान रखने का विरोधी है। इससे

भारत और काश्मीर के बीच में द्वैत की भावना जीवित रहेगी जो पृथकतावादी तथा विघटनकारी मनोवृत्तियों को बलवती बनायेगी। जम्मू-काश्मीर शासन में कम्युनिस्टों का बढ़ता हुआ प्रभाव गम्भीर चिन्ता का विषय है। उससे पुनः ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, जो काश्मीर तथा भारत दोनों के लिए भयावह सिद्ध हो। जम्मू-काश्मीर प्रदेश के भविष्य को, जिसके साथ भारत का भविष्य भी जुड़ा हुआ है, सदा के लिए सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे पूर्ण रीति से संविधान के अंतर्गत लाने लिए संविधान की धारा 370 को समाप्त किया जाए।

पुनर्वास

कांग्रेस-शासन भारत विभाजन के परिणामस्वरूप बेघरबार हुए व्यक्तियों के पुनर्वास में सफल नहीं हुआ। विभाजन के 10 वर्ष बाद भी विस्थापित स्वयं को असहाय तथा अपने भविष्य को असुरक्षित पाते हैं।

जनसंघ इस प्रश्न को प्राथमिकता देगा और विस्थापितों के पुनर्वास तथा पाकिस्तान में छोड़ी हुई उनकी सम्पत्ति के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगा। इस दृष्टि से जनसंघ निम्नलिखित उपाय करेगा :

(1) छोटे दावों का भुगतान अविलम्ब किया जाएगा।

(2) विस्थापितों के लिए निर्मित मकानों तथा दुकानों का पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा और उन्हें लागत मूल्य पर विस्थापितों को दे दिया जाएगा।

(3) अब तक वसूल किराये को मूल्यों में शामिल किया जाएगा।

(4) जो विस्थापित इस समय पूरा मूल्य देने की स्थिति में नहीं होंगे उनसे वह ऋण के रूप में 30 वर्ष की अवधि में सरल किस्तों में वसूल किया जाएगा।

(5) दावों की स्वीकृति के बाद विस्थापितों को दिये गये ऋण का ब्याज नहीं लिया जाएगा।

(6) शासन द्वारा सहायता के रूप में दी गई 1000 रु० तक की राशि की वसूली रोक दी जाएगी।

(7) देहाती और शहरी विस्थापितों में कोई भेद नहीं किया जाएगा।

(8) जिन विस्थापितों के दावे नहीं हैं अथवा नाममात्र के दावे हैं उनके पुनर्वास का पूर्ण दायित्व सरकार लेगी।

(9) छिपी हुई निष्क्रान्त सम्पत्ति का पता लगाने के लिए संबंधित कानूनों में संशोधन किया जाएगा और उसकी वापसी बन्द कर दी जाएगी।

पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का निष्क्रमण

कांग्रेस शासन पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के लिए सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा सम्मान का जीवन प्राप्त कराने में, जिसके लिए वह वचनबद्ध है, बुरी तरह विफल रहा है। आज वहां कोई हिन्दू ससम्मान जीवित नहीं रह सकता। जनसंघ पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के बलात् निष्कासन के विरुद्ध विश्व के जनमत को जागृत करेगा और विस्थापित हिन्दुओं के पुनर्वास के लिए पाकिस्तान से भूमि की मांग करेगा। प्रस्तुत परिस्थिति में इनके पुनर्वास को सुलभ बनाने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में रोज़गार व उपार्जन की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

पूर्वी बंगाल से भारत आने के इच्छुक हिन्दुओं के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा या प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। जो हिन्दू किसी प्रकार भारत में आ गये हैं उनको विस्थापित मानकर उनके पुर्नवास की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।

भारतीय भाषाएं

जनसंघ अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को राज्य-भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए संविधान द्वारा नियत 15 वर्ष की अवधि को, जो सन् 1965 में समाप्त होगी, आगे बढ़ाने का विरोधी है। राष्ट्र-निर्माण में भाषा एक विधायक तत्व है जिसकी पूर्ति किसी विदेशी भाषा से नहीं हो सकती।

भारतीय जनसंघ हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाएगा जिसके अन्तर्गत अधिकृत विद्वानों द्वारा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं पर आधारित एक सामान्य, पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक शब्दावली तैयार की जाएगी और विश्व की समस्त प्रमुख भाषाओं के उपयोगी साहित्य को, विशेषतः उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक ग्रन्थों को, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित किया जाएगा।

जनसंघ लोकभाषाओं को प्रोत्साहित करेगा। संविधान द्वारा मान्य भारतीय भाषाओं की सूची में सिंधी का समावेश किया जाएगा। हिन्दी को जम्मू-काश्मीर में उसका उचित स्थान दिलाया जाएगा। सम्पूर्ण पंजाब में शासनकार्य और शिक्षा के लिए हिन्दी को मान्यता प्राप्त होगी। शिक्षा के माध्यम के सम्बंध में जनसंघ की नीति इस प्रकार होगी :

(1) प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी।

(2) माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतम शिक्षा प्रादेशिक भाषा के माध्यम से दी जायेगी और हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

(3) हिंदी-भाषी विद्यार्थियों के लिए किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा।

(4) संस्कृत भाषा की शिक्षा अनिवार्य होगी।

(5) हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की विभिन्न मान्यताप्राप्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण स्नातकों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित स्नातकों के समकक्ष माना जाएगा।

शिक्षा-पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन

जनसंघ देश की वर्तमान शिक्षा-पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन करेगा। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का समन्वित विकास तथा जीवन में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना है जिससे शिक्षा व्यक्ति तथा राष्ट्र के वास्तविक उत्थान का समर्थ एवं सशक्त साधन बन सके। शिक्षा को, न्यायपालिका की भांति, शासन के नियंत्रण तथा हस्तक्षेप से मुक्त किया जाएगा और शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान एवं संरक्षण किया जाएगा।

प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों को अध्यापन-कार्य की ओर आकृष्ट करने के लिए और अध्यापकों को सुखी और सन्तुष्ट जीवन की आश्वस्ति प्रदान करने के लिए उनके वेतन-क्रम में वृद्धि की जाएगी और उन्हें समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में जनसंघ का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा:

(1) प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का सबके लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रबन्ध।

(2) निर्धन किन्तु प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा तक की निःशुल्क व्यवस्था।

(3) प्राविधिक, वैज्ञानिक तथा बहूद्देशीय शिक्षा का व्यापक प्रबंध।

(4) उच्चतम वैज्ञानिक शिक्षा तथा शोध के लिए सुविधायें।

(5) प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था तथा ललित कलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन।

निःशुल्क चिकित्सा का प्रबंध

जनसंघ सबके लिए निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध करेगा। ऐलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को उचित मान्यता देते हुए आयुर्वेद का राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के रूप में विकास किया जाएगा और उसे स्वास्थ्य संवर्धन का माध्यम बनाया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में औषधालय की स्थापना जनसंघ का लक्ष्य होगा और इसकी पूर्ति होने तक सुदूर गांवों में चिकित्सा की सुविधा पहुंचाने के लिए चलते-फिरते चिकित्सालयों तथा औषधालयों की व्यवस्था की जाएगी। आयुर्वेदिक औषधियों के शोध तथा निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अनुसंधानशालायें स्थापित की जायेंगी। विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण की दृष्टि से देश को आत्म-निर्भर बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। क्षय-निरोधक टीके (बी. सी. जी.) की उप-

युक्तता के सम्बंध में जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी। सरकारी अस्पतालों तथा चिकित्सालयों की दशा में सुधार किया जाएगा।

जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जनसंघ इस बात की व्यवस्था करेगा कि सभी प्रकार के खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं शुद्ध रूप में मिल सकें। जनसंघ खाद्यान्न में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था करेगा।

पिछड़ी जातियों को विशेष सुविधाएं

सामाजिक दृष्टि से अभिशप्त तथा आर्थिक दृष्टि से उत्पीड़ित एवं अभावग्रस्त वर्गों को समाज में पूर्ण समता का स्थान दिलाने के लिए जनसंघ विशेष प्रयत्न करेगा। मनुष्य-मनुष्य के बीच खड़ी हुई ऊंच-नीच तथा छूत-अछूत की दीवारें ढा दी जायेंगी और सार्वजनिक मन्दिरों तथा उपासना-गृहों में सबको बिना भेदभाव के दर्शन करने का अधिकार होगा।

दलित वर्गों तथा वनवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें भूमि-वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। उनके परम्परागत धंधों और हस्तकलाओं को अधिक विकसित किया जाएगा और उनके लिए मकानों तथा पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा की विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। वनवासी क्षेत्रों को नगरों से जोड़ने के लिए यातायात का विस्तार किया जाएगा।

हिन्दू-विरोधी कानूनों की समाप्ति

हिन्दू समाज के संगठन का आधार संयुक्त परिवार की प्रणाली तथा अटूट दाम्पत्य सम्बन्ध है। ऐसे सभी कानून जो इस आधार में परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे, हिन्दू समाज को विघटित तथा विश्रृंखलित बनायेंगे। इस दृष्टि से जनसंघ हिन्दू-विवाह कानून तथा हिन्दू-उत्तराधिकार कानून को रद्द करेगा।

महिलाओं को प्रगति के पूर्ण अवसर

जनसंघ महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक अयोग्यताओं को दूर करने लिए विशेष उद्योग करेगा, जिससे वे घर, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाह कर सकें। जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर प्राप्त होगा।

समाजगठन के वैज्ञानिक तथा अनुभवसिद्ध आधारों में मौलिक परिवर्तन किये बिना जनसंघ महिलाओं के सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकारों को अधिक व्यापक तथा वास्तविक बनाने के लिए प्रयत्न करेगा। स्त्री को श्वसुर के संयुक्त परिवार का सदस्य मानकर सम्पत्ति में पति के साथ अधिकार दिया जाएगा।

गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध

गोहत्या के विरुद्ध भारतीय जनता की प्रबल भावनाओं तथा गौ की आर्थिक उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनसंघ गोवंश की हत्या और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएगा। गोहत्या निरोध समिति के सत्-

प्रयत्नों के फलस्वरूप जिनमें जनसंघ का पूर्ण सहयोग था, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार तथा पंजाब में गोवंश की हत्या के विरुद्ध कानून बने हैं । किन्तु अनेक प्रांतों में यथा, पश्चिमी बंगाल, बम्बई, मद्रास, केरल, कर्नाटक, आंध्र तथा आसाम में इस प्रकार के कानून नहीं है जिसके फलस्वरूप गोवंश का द्रुतगति से ह्रास हो रहा है । जनसंघ भारतीय संसद द्वारा गोवंश को अवध्य घोषित करने के लिए प्रयत्नशील होगा और गोधन की उन्नति के लिए शासन तथा जन दोनों को प्रवृत्त करेगा ।

जनसंघ प्रत्येक जिले में गोसदनों की स्थापना करेगा तथा गोशालाओं की दशा सुधारने की ओर विशेष ध्यान देगा । नगरों में दुग्ध के वितरण के लिए सहकारी समितियां स्थापित की जायेंगी और हर ग्राम में गोचरभूमि की व्यवस्था की जाएगी । जंगलों में पशुओं के चरने पर लगे हुए प्रतिबंध रद्द कर दिए जायेंगे । जनसंघ जमाए हुए तेल के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाएगा ।

विदेश नीति

जनसंघ की विदेश नीति का उद्देश्य भारत के उदात्त हितों का संरक्षण तथा संवर्धन करना होगा । शांति तथा युद्ध की व्यापक समस्याओं पर भी वह प्रमुखतया राष्ट्र के हिताहित की दृष्टि से विचार करेगा । किसी अन्य राष्ट्र के प्रति उसके आक्रमणात्मक इरादे नहीं हैं, किन्तु यदि राष्ट्रहित पर आंच आएगी तो भारत सम्पूर्ण शक्ति के साथ अपनी रक्षा करेगा ।

जनसंघ का यह सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट मत है कि जब तक विश्व में राजनीतिक पराधीनता, आर्थिक शोषण तथा सामाजिक भेदभाव और उनके मूल में निहित स्वार्थान्धता तथा अधिकार-लिप्सा कायम है, स्थायी शांति की स्थापना संभव नहीं है । मिस्र तथा हंगरी की घटनाओं से यह कटु सत्य एक बार पुनः सम्मुख आ गया है कि दुर्बलता एक अभिशाप है और यदि विश्व में स्वतन्त्रता तथा सम्मान के साथ जीवित रहना है तो सैनिक बल-संग्रह तथा आर्थिक सामर्थ्य के निर्माण की नितान्त आवश्यकता है । जनसंघ की विदेश नीति इन दोनों के त्वरित विकास में सहायक होगी ।

इस दृष्टि से जनसंघ :—

(1) विश्व के दोनों शक्ति-गुटों से अलग रहेगा और ऐसी किसी अन्तर्राष्ट्रीय उलझन में नहीं फंसेगा जो राष्ट्र-हित से सीधी संबंधित न हो ।

(2) सभी राष्ट्रों की सद्भावना तथा मित्रता के लिए उद्योग करेगा ।

(3) सभी देशों की स्वतन्त्रता तथा समता पर आधारित विश्वशांति की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और उसके उद्देश्य-पत्र में ऐसे संशोधन कराने का प्रयत्न करेगा, जिनसे वह विश्व की जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सके और विश्वशांति तथा विश्वसहयोग का समर्थ अन्तर्राष्ट्रीय उपकरण बन सके ।

(4) भारत को सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बनाने के लिए प्रयत्नशील होगा ।

(5) पश्चिमी उपनिवेशवाद तथा सोवियत साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसे हुए देशों के स्वाधीनता-आन्दोलनों को अपना पूर्ण नैतिक समर्थन प्रदान करेगा और उन्हें स्वतन्त्र विदेश-नीति का अवलम्बन करने के लिए प्रेरित करेगा ।

(6) अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों को दोनों शक्ति-गुटों से अलग रहकर अपना प्रभाव विश्वशांति तथा स्वतन्त्रता के पक्ष में डालने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनके आर्थिक विकास के लिए सम्मिलित प्रयत्न करेगा ।

(7) पुर्तगाली बस्तियों की अविलम्ब मुक्ति के लिए सभी उपाय, जिनमें पुलिस कार्यवाही भी शामिल है, अपनायेगा ।

(8) प्रवासी भारतीयों को उनके अपने रहने के देशों में समान नागरिकता के अधिकार दिलाने के लिए उद्योग करेगा ।

आह्वान

इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भारतीय जनसंघ भारत की चालीस करोड़ जनता का आह्वान करता है ।

आज हमारे सम्मुख एक महान् अवसर उपस्थित है । हमें निर्णय करना है कि हम भारत को भारत के रूप में, उसकी सम्पूर्ण गौरव-गरिमा के साथ जीवित तथा विकसित देखना चाहते हैं अथवा उसे दूसरे देशों की कार्बन कापी बनाना चाहते हैं; हमें तय करना है कि हम व्यक्ति को राज्य की विशाल मशीन का एक पुर्जा-मात्र बनाना चाहते हैं या पेट के साथ उसके मन और आत्मा की भूख को भी मिटाना चाहते हैं ।

'अंधकार से प्रकाश की ओर'— यही प्रगति का भारतीय आदर्श रहा है । इस आदर्श को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करने के लिए और इसके अनुरूप भारत का नवनिर्माण करने के लिए भारतीय जनसंघ यह कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ है ।

इस कार्यक्रम के द्वारा बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक विघटन से देश की रक्षा होगी और आर्थिक दुर्व्यवस्था तथा सामाजिक अन्याय के पाटों में पिसने वाले जनसाधारण के लिए सुखी, समृद्ध तथा सुसंस्कृत राष्ट्रजीवन का शुभारम्भ होगा ।

जनसंघ इस कार्यक्रम को लेकर चुनाव के मैदान में उतर रहा है। हमारे प्रतिनिधि लोकसभा तथा विधानसभाओं के भीतर इस कार्यक्रम को शासन द्वारा क्रियान्वित करायेंगे, और संसद तथा विधानमण्डलों से बाहर हम जनमत को जागृत तथा प्रशिक्षित कर इस कार्यक्रम के पक्ष में प्रचण्ड जनशक्ति खड़ी करेंगे।

गत पांच वर्ष का जनसंघ का कार्य साक्षी है कि जनता की अतृप्त आकांक्षाओं तथा आशाओं को पूरा करने के लिए हमने सतत संघर्ष किया है और राष्ट्रहित के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने में भी संकोच का अनुभव नहीं किया। दमन और अत्याचार के बावजूद यदि जनसंघ उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है तो केवल इसलिए कि जनसंघ भारत की जनता का संघ है जो कि जनता से ही शक्ति ग्रहण करता है और जिसका सर्वस्व जनता के हित के लिए ही समर्पित है।

हमें विश्वास है कि देश की जनता— स्त्री और पुरुष—सन् 57 के पावन प्रसंग पर प्राप्त भाग्यनिर्माण के इस महान् अवसर को हाथ से न जाने देगी। जनता, जनार्दन का रूप है। जनसंघ उसके निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार करेगा।

[31 दिसम्बर, 1956; दिल्ली; पांचवां सा० अ०]

1958

प्रस्तावना

अपेक्षा

भारत उज्ज्वल भविष्य के द्वार पर खड़ा है। नवार्जित स्वतन्त्रता को स्थायी बनाने तथा आर्थिक दुर्व्यवस्था एवं सामाजिक अन्याय के पाटों में पिसने वाले जन-जीवन को सुरक्षित, समृद्ध एवं सुखी करने का महान् अवसर आज उपस्थित है। नवनिर्माण के इस यज्ञ की सफलता के लिए पर्याप्त जनबल हमारे पास है, किन्तु उसे जागृत करना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि भारत के 'स्व' का साक्षात्कार किया जाए; राष्ट्र की मूल प्रकृति, प्रतिभा एवं प्रवृत्ति को पहचाना जाए और भारतीय परम्परा तथा परिस्थिति के अनुरूप भविष्य के विकासक्रम का निर्धारण किया जाए। अज्ञान, अभाव तथा अन्याय की परिसमाप्ति और सुदृढ़, समृद्ध, सुसंस्कृत एवं सुखी राष्ट्र-जीवन का शुभारम्भ सबके द्वारा स्वेच्छा से किये जाने वाले कठोर श्रम तथा सहयोग पर निर्भर है। यह महान कार्य राष्ट्रजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नये नेतृत्व की अपेक्षा रखता है। भारतीय जनसंघ का जन्म इसी अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हुआ है।

आधारभूत मान्यताएं

एक देश

उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी-पर्यन्त समस्त भारत-वर्ष भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सदैव एक और अखण्ड रहा है। इस जीवमान एकता तथा अखण्डता की आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अभिव्यक्ति हुई है। देश के कण-कण के प्रति अपना पवित्र एवं अटूट प्रेम प्रकट करने के लिए हमने उसकी भारतमाता के रूप में उपासना की है।

एक जन

भारत की भूमि पर निवास करने वाला तथा उसके प्रति ममता रखने वाला विशाल मानव-समुदाय एक जन है। अनेक विविधताओं के होते हुए इसकी एकता अक्षुण्ण रही है। विविधताएं विकृति अथवा विघटन की सूचक नहीं हैं; उसके स्वाभाविक विकास का परिणाम एवं सांस्कृतिक समृद्धि की परिचायक हैं।

एक संस्कृति

एक भूमि के ऊपर एक जन के रूप में जीवित भारतीय समाज ने आसेतुहिमाचल जिस संस्कृति का विकास किया है, वह एक है। भारत जैसे विशाल देश में यह स्वाभाविक है कि विभिन्न प्रादेशिक, स्थानीय अथवा जातिगत जीवन-पद्धतियों का विकास हो। भारतीय संस्कृति में उन सबका समन्वय हुआ है। यह किसी एक वाद या पंथविशेष से बंधी कभी नहीं रही। परन्तु वे सभी भारतीय राष्ट्र के विशाल कुटुम्ब के अंग रहे हैं और भारतीय संस्कृति के विकास में उन सबने भाग लिया है। इसकी धारा वैदिक काल से अब तक अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित चली आती है। समय-समय पर विभिन्न जातियों, पंथों और संस्कृतियों से सम्पर्क आने पर इसने उनको इस रूप में आत्मसात् कर लिया कि वे इसके मूल प्रवाह के साथ अभिन्न हो गई। यह भारतीय संस्कृति भारत के समान एक और अखण्ड है। मिली-जुली संस्कृति की चर्चा तर्कविरुद्ध हो नहीं, प्रत्युत भयावह भी है क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता को क्षीण कर विघटनात्मक प्रवृत्तियों को पुष्ट करती है।

एक राष्ट्र

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। स्वतन्त्रता की प्राप्ति से इसके चिरकालीन इतिहास में एक नवीन अध्याय का आरम्भ हुआ है, किसी नये राष्ट्र का जन्म नहीं। स्वभावतः भारतीय राष्ट्रवाद का आधार सम्पूर्ण भारत एवं इस सनातन संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा का भाव ही हो सकता है, जो कि भारत को बाकी देशों से पृथक करती है।

एक आदर्श

विकासोन्मुख भारतीय जीवन का लक्ष्य भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष रहा है। एक को छोड़कर दूसरा न सम्भव है और न हितावह। अभ्युदय और निश्रेयस् के साधन का ही नाम धर्म है जो 'रिलिजन', मजहब अथवा उपासना-पद्धति से भिन्न है। भारतीय जनसंघ जीवन के सभी क्षेत्रों में भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए धर्मराज्य की अनिवार्यता को स्वीकार करता है।

भारतीय कल्पना के अनुसार राज्य का सनातन आदर्श धर्मराज्य ही रहा है। किन्तु यह मजहबी राज्य (Theocratic State) नहीं है। भारतीय राज्य मजहब से अलिप्त सभी मतों और पंथों को समान संरक्षण देते हुए असाम्प्रदायिक संगठन रहा है। 'खिलाफत' जैसी कल्पना भारतीय परम्परा और संस्कृति के विरुद्ध है और यहां वह कभी उत्पन्न भी नहीं हुई। आजकल जिस असाम्प्रदायिकता की बात की जाती है, वह मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्यायमात्र है। वह न तो राष्ट्रवाद है और न सैक्युलरवाद ही, अपितु उस साम्प्रदायिकता के साथ समझौता है जो मुंह-दिखाऊ देशभक्ति के लिए भारी मूल्य मांगती है।

जनसंघ भारतीय संस्कृति तथा विशुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद के आधार पर, उसमें समयोचित विकास एवं विस्तार के साथ, भारत को एक आधुनिक, प्रगतिशील तथा सुदृढ़ राज्य बनाना चाहता है, जिसमें सभी मतमतान्तरों, भाषाओं तथा प्रदेशों के स्त्री-पुरुष एकता, स्वतन्त्रता तथा सद्भावना के वातावरण में रह सकें और एक संस्कृति एवं मातृभूमि के विकासार्थ कार्य करते हुए प्रगति के भारतीय आदर्श—भौतिक एवं आध्यात्मिक—उन्नति के लिए प्रयत्नशील हो सकें।

उद्देश्य

जनसंघ का उद्देश्य भारत को उसकी संस्कृति और मर्यादा के आधार पर एक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जनतन्त्र बनाना है जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतन्त्रता प्राप्त हो तथा जो भारत को सुदृढ़ एवं सुसम्पन्न बनाते हुए उसे एक प्रगतिशील, आधुनिक और जागरूक राष्ट्र बनाये, दूसरों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना कर सके और विश्वशांति के स्थापनार्थ राष्ट्रसंघ में समुचित रीति से प्रभाव डाल सके।

नीति

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनसंघ सभी शान्तिपूर्ण एवं लोकतन्त्रीय उपायों का अवलम्बन करेगा। जनसंघ व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर आधारित जनतंत्र और वैधानिक शासन में विश्वास रखता है। अतः वह अधिनायकवादी एवं हिंसात्मक कार्यप्रणाली का विरोधी है।

कार्यक्रम

भारतीय जनसंघ भारत की सर्वांगीण प्रगति का एक विधायक तथा ठोस कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ है। यह कार्यक्रम किसी वाद विशेष पर आधारित नहीं है। इसके निर्धारण में भारतीय प्रतिभा तथा परम्परा और राष्ट्र-जीवन की वर्तमान स्थिति—सामर्थ्य तथा न्यूनताओं का—पूरा ध्यान रखा गया है। इसके द्वारा हम न केवल अन्न, वस्त्र तथा मकान की समस्या का समाधान कर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेंगे, अपितु भारत को उसकी संस्कृति और मर्यादा के आधार पर एक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जनतन्त्र, जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, बनाने में सफल होंगे। यह कार्यक्रम भारत को सुदृढ़ तथा सम्पन्न बनाते हुए उसे एक प्रगतिशील, आधुनिक और जागरूक राष्ट्र बनाएगा जो दूसरों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगा और विश्वशान्ति के स्थापनार्थ राष्ट्रसंघ में समुचित रीति से प्रभाव डाल सकेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा

भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को उच्चतम प्राथमिकता देगा। देश के विस्तार तथा जनसंख्या के अनुरूप सैन्य-बल में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी और उसे आधुनिकतम शस्त्रों से सज्जित किया जाएगा। राष्ट्र को मानसिक तथा शारीरिक दोनों दृष्टियों से सुरक्षार्थ सन्नद्ध करने के लिए जनसंघ निम्न-लिखित उद्योग करेगा :

(1) राष्ट्र के युवकों के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा की व्यवस्था।

(2) सुरक्षा सेनाओं की सभी शाखाओं का स्वरूप और अन्तःस्फूर्ति, दोनों दृष्टियों से पूर्ण राष्ट्रीयकरण।

(3) सुरक्षा-संबंधी उद्योगों की शीघ्रतर स्थापना।

(4) एक विशाल प्रादेशिक सेना का संगठन।

भारतीय सीमाओं की देखभाल के लिए एक विशेष पुलिस दल संगठित किया जाएगा जिसका दायित्व केन्द्र पर होगा। अंतःप्रवेश तथा अवैध व्यापार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जायेंगे। गुप्तचर विभाग को अधिक सक्रिय एवं सक्षम बनाया जएगा जिससे विदेशी गुप्तचरों तथा पंचमांगियों पर कठोर दृष्टि रखी जा सके और उनके राष्ट्र-विरोधी षड्यन्त्रों को पकने से पूर्व ही विफल किया जा सके।

राष्ट्रीय एकता

जनसंघ की दृष्टि में सब नागरिक, चाहे उनकी जाति, सम्प्रदाय, वर्ण अथवा लिंग कुछ भी हो, समान अधिकार रखते हैं। उपासना-पद्धति के आधार पर बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक जातियों की कल्पना इसे सर्वथा अमान्य है। जनसंघ का सिद्धान्त होगा—सबके लिए समान अवसर एवं पिछड़े हुए वर्गों की आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष सहायता।

राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से भारतीय जन के उन अंगों का, जो विदेशियों द्वारा स्वदेश-पराङ्मुख तथा विदेशाभिमुख बना दिये गये हैं, राष्ट्रीय-करण करने का प्रयत्न किया जाएगा और स्वार्थ सिद्धि के लिए भारतबाह्य निष्ठा रखने वाले तत्वों एवं वर्गों का दृढ़ता से निर्मूलन किया जाएगा।

राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता की रक्षा के लिए, जिसके बिना न तो स्वतन्त्रता को ही कायम रखा जा सकता है और न आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक पुनर्निर्माण की महती योजनाओं को ही कार्यान्वित किया जा सकता है, जनसंघ द्विविध कार्यक्रम अपनायेगा :

(1) हिन्दू समाज के अन्तर्गत ऊंचनीच, छुआछूत आदि को हटाकर; एकनिष्ठता सम्पादन करना; और

(2) भारत के सभी जनों को भारतीय संस्कृतिभुक्त करके उनको

राष्ट्रभावापन्न करना।

भारतीय ईसाइयों को विदेशी मिशनरियों के अराष्ट्रीय प्रभाव से मुक्त करने के लिए नियोगी-समिति तथा रेगे-समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय एकात्मता के मार्ग में वर्तमान संविधान बाधक है जिसमें संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और भारत को 'भारतीय संघ' तथा प्रान्तों को 'राज्यों' की संज्ञा देकर उनके मध्य अधिकारों का इस ढंग से वितरण किया गया है जिससे प्रान्तों में केन्द्र के प्रतिस्पर्धी होने का भाव जागृत होता है। जनसंघ संविधान में संशोधन कर भारत को एकात्मक राज्य घोषित करेगा।

राजनैतिक विकेन्द्रीकरण

किन्तु जनसंघ की परिकल्पना के एकात्मक शासन में राजनीतिक सत्ता को केन्द्रित नहीं होने दिया जाएगा। जनसंघ जनतंत्र में विश्वास करता है; अतः वह जनसाधारण को विकेन्द्रित शासन का अवसर प्रदान करने के लिए जनपदों की स्थापना करेगा तथा केन्द्र में सुदृढ़, शक्तिशाली प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन के हेतु प्रयत्नशील होगा, जो कि राष्ट्रव्यापी नीतियों के निर्देशन और समायोजन में समर्थ हो।

ग्राम-पंचायतें, नगरपालिकायें, निगम तथा अन्य स्थानीय संस्थायें जो विकेन्द्रित शासन की आधारभूत इकाइयां हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च अधिनियम-संविधान में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगी और उसी से शक्ति ग्रहण करेंगी। स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों तथा साधन-स्रोतों की आश्वस्ति तथा उनमें वृद्धि की जाएगी जिससे वे अपने दायित्वों का उचित रीति से निर्वाह कर सकें।

ग्राम-पंचायतों को ऊपर से न लादकर जन-सहयोग द्वारा नीचे से ही विकसित किया जाएगा। दलबन्दी तथा जातिवाद को जो वर्तमान पंचायत-व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है, न पनपने देने के लिए पंचायत की स्थापना सर्वसम्मिति से करने की प्राचीन पद्धति को प्रचलित किया जाएगा। तब तक निर्वाचन गुप्त मतदान से होगा। पंचायतों को भूमि-कर में से एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें अनुदानों पर निर्भर न रहना पड़े।

विधान-परिषदों की समाप्ति

वर्तमान विधान परिषदें द्वितीय सदनों के उद्देश्यों की पूर्ति में असफल सिद्ध हुई हैं। जनसंघ उन्हें समाप्त करेगा।

मूलभूत अधिकारों का संरक्षण

जनसंघ भारतीय जन के मूलभूत अधिकारों—बोलने, लिखने, संघटन बनाने तथा अपने विचारों का प्रचार करने—का पूर्ण संरक्षण करेगा।

वर्तमान शासन ने जनाधिकारों को कुंठित तथा सीमित करने के लिए जो

जन-सुरक्षा अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम तथा प्रेस अधिनियम बनाए हैं, जनसंघ उन्हें अविलम्ब रद्द कर देगा और दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 107, 108, 109, 114 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 124 ए तथा 153 में ऐसे संशोधन करेगा जिससे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिए उनका दुरुपयोग न किया जा सके।

प्रशासन में सुधार

जनसंघ प्रशासन को नौकरशाही, लालफीताशाही, अक्षमता, अदक्षता तथा भ्रष्टाचार के वर्तमान दोषों से मुक्त करने के लिए उसके ढांचे में आमूल परिवर्तन करेगा।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच जो खाई आज विद्यमान है और जो अधिकारियों में अहंमन्यता तथा कर्मचारियों में हीनता का भाव पैदा करती है, उसे पाटा जाएगा और सभी के अन्तःकरण में राष्ट्र-निर्माण के महान् दायित्व में सहभागी होने का गौरव जागृत किया जाएगा। शासन के अस्थायी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा और विभागों के समाप्त होने पर इन कर्मचारियों को अन्यत्र स्थान देने का दायित्व शासन पर होगा।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग को अधिक अधिकार सम्पन्न किया जाएगा और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाएगी।

राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझाव के अनुसार न्याय, स्वास्थ्य, वन तथा इंजीनियरिंग की 'अखिल भारतीय सेवाएं' (All India Services) संगठित की जाएगी।

प्रशासन-व्यय में बचत

प्रशासन के व्यय में, जो गत वर्षों में कई गुना हो गया है, कमी करने के लिए जनसंघ कठोर कार्यवाही करेगा। भारतीय जनता निर्धन है। उसके पसीने की गाढ़ी कमाई की एक-एक पाई को उसी के हित में व्यय किया जाएगा, किसी शान-शौकत पर नहीं। सादगी, सरलता और मितव्ययिता का भारतीय आदर्श राष्ट्रपति-भवन से लेकर प्रशासन के निम्नतम स्तर तक और गांव के कार्यालयों से लेकर विदेश-स्थित भारतीय राजदूतावासों तक प्रस्थापित होगा।

इस संबंध में मंत्रियों का विशेष उत्तरदायित्व होगा। अपने व्यक्तिगत आचरण से उन्हें जनता के सम्मुख उदाहरण रखना होगा। जनसंघ का यह निश्चित मत है कि यदि जनसाधारण को मितव्ययिता तथा सादगी के लिए प्रेरित करना है तो मंत्रियों को 500 रु० से अधिक वेतन नहीं लेना चाहिए और

उनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए।

जनसंघ शासक-वर्ग के जीवन-स्तर को सामान्य जन के स्तर के अधिक निकट लाने के लिए, आय की अधिकतम मर्यादा 2000 रु० प्रतिमास निर्धारित करेगा। किसी भी कर्मचारी का वेतन 100 रु० प्रतिमास से कम न होगा।

सस्ता और सुलभ न्याय

न्याय को सस्ता, सर्वजनसुलभ तथा शीघ्रतर बनाया जाएगा। इस दृष्टि से उच्च न्यायालयों की बेंचें समाप्त करने का सुझाव अनुपयुक्त है। जनसंघ न्याय शुल्क में कमी करेगा और न्याय को जनसाधारण की पहुंच तक ले जाने के लिए चलते-फिरते न्यायालयों की स्थापना करेगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से सब स्तरों तक पृथक किया जाएगा। जनसंघ न्यायालयों के कार्य-क्षेत्र को सीमित करने के विरुद्ध है और इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न करेगा। अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा समाप्त कर दी जाएगी।

आर्थिक जनतन्त्र की स्थापना

जनसंघ का उद्देश्य भारत को एक आर्थिक जनतंत्र बनाना है, जिसमें एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण के लिए कोई स्थान नहीं होगा और हरेक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर तथा स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनसंघ देश के वर्तमान आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करेगा। यह परिवर्तन भारत की मूल प्रकृति तथा वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप होगा। भारत की परिस्थिति रूस तथा अमेरिका दोनों से भिन्न है। यहां मनुष्य अधिक हैं और जमीन कम है। औद्योगिक दृष्टि से भारत पिछड़ा हुआ है। तैयार माल के लिए बाजारों की कमी है। अतः रूस अथवा अमेरिका का अनुकरण भारत के लिए हितावह नहीं हो सकता।

नई अर्थव्यवस्था

जनसंघ भारत की परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुरूप एक नई अर्थव्यवस्था का विकास करेगा जिसमें व्यक्तिगत प्रयत्नों के लिए पूर्ण अवसर रहेगा, किन्तु आर्थिक सामर्थ्य को कुछ हाथों में केन्द्रित नहीं होने दिया जाएगा; साथ ही राज्य को अमर्यादित अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। व्यक्तिगत पूंजीवाद तथा राजकीय पूंजीवाद दोनों से बचने का और वास्तविक जनतंत्र की स्थापना का यही सर्वोत्तम मार्ग है।

जनसंघ के आर्थिक कार्यक्रम का तात्कालिक उद्देश्य द्विविध होगा—

(1) देश की अन्न, वस्त्र, निवास तथा बेरोजगारी और विषमता की समस्या को सुलझाना; और

(2) देश को सुरक्षा, उत्पादक तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना।

काम करने का अधिकार; बेरोजगारी भत्ता

भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसका जनबल है। आर्थिक नवनिर्माण का आधार यही जनबल होगा। इसे जाग्रत करने के लिए जनसंघ प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम की व्यवस्था करेगा। कर्म करने का अधिकार मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार है। जनसंघ आजीविका के लिए कर्म के अधिकार को संविधान द्वारा स्वीकृत मूलभूत अधिकारों में समाविष्ट करेगा। जिन नागरिकों के लिए काम की व्यवस्था नहीं की जा सकेगी उनके उदरभरण का दायित्व शासन पर होगा।

उत्पादन-प्रणाली में परिवर्तन

कृषि तथा उद्योग संबंधी पैदावार की वृद्धि के संबंध में सब एकमत हैं। जब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी, उसका वितरण कैसे होगा और समुचित वितरण के अभाव में निर्धनता तथा विषमता कैसे मिटेगी? किन्तु पैदावार की वर्तमान प्रणाली भारत के लिए अनुपयुक्त है। उसमें पैदावार तो बढ़ती है, किन्तु पैदा करने वाले हाथ घट जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि घटी हुई क्रय-शक्ति के कारण बढ़ी हुई पैदावार के लिए देश के भीतर बाजार नहीं मिलता। पैदावार के साथ बेरोज़गारी भी बढ़ती है। पंचवर्षीय योजनाओं के चलते बेरोज़गारी में वृद्धि का यही रहस्य है।

जनसंघ उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन करेगा तथा अधिक उत्पादन के साथ-साथ अधिक हाथों द्वारा उत्पादन पर बल देगा। इस दृष्टि से जनसंघ कृषि में यंत्रीकरण को तथा औद्योगिक क्षेत्र में समय तथा श्रम की बचत के लिए अपनाये जा रहे उपायों को, जिनका परिणाम बेरोजगारी की वृद्धि में होगा, निरुत्साहित करेगा।

लघु उद्योग

सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए काम की व्यवस्था करने और श्रम तथा पूंजी के एकीकरण से उत्पन्न बुराइयों से बचने के लिए जनसंघ आर्थिक सामर्थ्य का विकेन्द्रीकरण करेगा। सम्पूर्ण देश में छोटे, कुटीर तथा ग्रामोद्योगों का जाल फैलाया जाएगा। छोटे और बड़े उद्योग-धंधों के मध्य चल रही प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए उनके कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा। आर्थिक ढांचे का आधार छोटे उद्योग होंगे, अतः बड़े उद्योगों को उनके अनुसार स्वयं को ढालना होगा।

छोटे उद्योगों के विकास के लिए निम्न साधन उपयोग में लाये जायेंगे :

(1) नई छोटी मशीनों तथा कलों का निर्माण जो कुटीरों तथा ग्रामों में चल सकें और माल के स्तर में तथा उत्पादनकर्ता की आय में वृद्धि कर सकें।

(2) ग्रामों में औद्योगिक शिक्षालयों की स्थापना जिनमें श्रमिकों को अर्वाचीन पद्धति से उद्योग चलाने की शिक्षा दी जा सके।

(3) छोटे, कुटीर तथा ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार सुरक्षित करना।

(4) संयुक्त तथा सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

जनसंघ हथकरघा उद्योग को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेगा। वर्तमान परिस्थिति में हथकरघों के स्थान पर बिजली के करघे लगाने की नीति अनुपयुक्त है। हथकरघा उद्योग के लिए सस्ते तथा सुलभ सूत की प्राप्ति के लिए सहकारी सूती मिलों की स्थापना की जाएगी।

आधारभूत तथा सुरक्षा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

जनसंघ की नीति आधारभूत तथा सुरक्षा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की है। अन्य सभी उद्योगों को सार्वजनिक हितों का ध्यान रखते हुए शासन के निरीक्षण, नियमन तथा नियन्त्रण के अधीन विकसित होने का पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए।

अधिकाधिक उद्योगों को राज्य के स्वामित्व तथा प्रबन्ध में लेने की वर्तमान प्रवृत्ति लोकतन्त्र के लिए ही घातक नहीं, प्रत्युत आर्थिक विकास की दृष्टि से भी अनुपयुक्त है। राष्ट्रीयकृत उद्योगों का अनुभव बड़ा कटु तथा निराशाजनक है। सार्वजनिक धन का अपव्यय तथा जनसाधारण के प्रति उपेक्षा—राष्ट्रीयकृत उद्योग की यही दो विशेषतायें हो गई हैं। जनसंघ निजी उद्योगों में अनुचित लाभ उठाने की वृत्ति को नियन्त्रित करने तथा आर्थिक नवनिर्माण के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए शासन को अधिक अधिकार देने का विरोधी नहीं, किन्तु वह पूर्ण राष्ट्रीयकरण को अनुपयुक्त समझता है। जनसंघ सड़क-यातायात, बीमा तथा बैंकों को राज्य के स्वामित्व में लेने की नीति से असहमत है।

विदेशी उद्योगों का भारतीयकरण

खान, चायबागान, कॉफी, रबर आदि उद्योगों के संबंध में जो प्रमुखतया विदेशियों के हाथों में हैं, जनसंघ की नीति उनका भारतीयकरण करने की है। इस दृष्टि से साबुन तथा दियासलाई उद्योगों का, जिनका अधिकांश उत्पादन विदेशी कम्पनियों से होता है, अविलम्ब भारतीयकरण किया जाएगा। अन्य सभी विदेशी कम्पनियों की कम से कम दो-तिहाई पूंजी भारतीय होनी चाहिए, और न केवल, कर्मचारी अपितु विशेषज्ञ भी भारतीय होने चाहिएं।

जनसंघ विदेशी कम्पनियों के लाभ को देश के बाहर भेजने की अधिकतम

मर्यादा निश्चित करेगा।

श्रमिक का प्रबन्ध तथा लाभ में साझा

जनसंघ मजदूरों को उद्योग के प्रबन्ध तथा लाभ में साझीदार बनाएगा। इस दृष्टि से राष्ट्रीयकृत उद्योगों तथा निजी उद्योगों के निगमों तथा संचालक-मण्डलों में उनके उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी।

मजदूर संगठनों को प्रोत्साहन

मजदूरों में कर्तव्यों के प्रति निष्ठा तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उनका सुदृढ़ संगठन आवश्यक है। जनसंघ मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करेगा और प्रत्येक मजदूर को किसी न किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मजदूर संगठन की मान्यता के नियमों में परिवर्तन किये जायेंगे। किसी संगठन के पंजीयत होते ही उसे स्वतः मान्यता प्राप्त हो जाएगी।

स्थायी वेतन आयोग की नियुक्ति

मजदूरों के वेतन-दर निर्धारित करने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय वेतन-आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो जीवनयापन के माप के अनुरूप समय-समय पर राष्ट्रीय न्यूनतम आय को ध्यान में रखते हुए वेतन निश्चित करेगा। किसी भी मजदूर का न्यूनतम वेतन आज की परिस्थिति में 100 रु० प्रति मास से कम नहीं होना चाहिए।

मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा

मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का दायित्व राज्य पर होगा। मजदूरों की तब तक छंटनी नहीं की जाएगी जब तक उनके लिए दूसरे काम की व्यवस्था नहीं की जाती। खतरे का काम करने वाले मजदूरों को अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का चन्दा नहीं लिया जाएगा। बीमा तथा वृद्धावस्था के लिए भी समुचित प्रबन्ध किया जाएगा।

समान काम के लिए सबको समान वेतन मिलेगा। महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिला मजदूरों के लिए दो मास के सवेतन अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए।

शिक्षित बेरोजगारों को काम

शिक्षित व्यक्तियों की बेरोज़गारी के निराकरण के लिए जनसंघ विशेष उद्योग करेगा। शिक्षापद्धति में परिवर्तन तथा प्राविधिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा के व्यापक प्रबन्ध से शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या में कमी होगी। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा छोटे, कुटीर तथा ग्रामोद्योगों की स्थापना से शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर की जा सकेगी।

आर्थिक समता और पूंजी निर्माण

आर्थिक विषमता को दूर करने और विकास के लिए पूंजी निर्माण करने के लिए जनसंघ व्यययोग्य आय की अधिकतम मर्यादा आज के मूल्यों के अनुसार 2000 रु० प्रतिमास निर्धारित करेगा। जनसंघ सभी नागरिकों के जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर का आश्वासन देता है और आज की परिस्थितियों में न्यूनतम आय 100 रु० प्रतिमास निर्धारित कर यह प्रयत्न करेगा कि वह निरन्तर बढ़ती रहे, जिससे निकट भविष्य में न्यूनतम और अधिकतम आय का अनुपात 1 : 10 का रह जाए।

आय की अधिकतम मर्यादा से ऊपर धन को दान, कर, अनिवार्य ऋण अथवा विनियोजन के रूप में विकास कार्य के लिए प्राप्त किया जाएगा।

स्वदेशी भावना का पुनर्जागरण

उद्योगधंधों के विकास तथा विदेशी मुद्रा की बचत के लिए जनसंघ स्वदेशी के मन्त्र का पुनर्जागरण करेगा। उपभोग्य वस्तुओं, विशेषकर शृङ्गार और प्रसाधन की वस्तुओं के आयात पर कठोर नियन्त्रण किया जाएगा। स्वदेशी उद्योगों को अनुचित विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए समुचित संरक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशासन कार्य में स्वदेशी का व्यवहार अनिवार्य होगा।

कर-पद्धति में सुधार

जनसंघ कर-पद्धति में सुधार के लिए उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। इस दृष्टि से वह अप्रत्यक्ष करों को, जिनका भार प्रमुखतया जनसाधारण के ऊपर पड़ता है, अनुचित समझता है। न्यूनतम आय तक के व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं लगेगा।

जनसंघ बिक्री कर को प्रतिगामी स्वरूप का मानता है और उसे पूर्णतया समाप्त कर देने के पक्ष में है। इस दिशा में प्रथम पग यह होगा कि,

(1) जीवन की आवश्यक वस्तुएं बिक्री-कर से अविलम्ब मुक्त कर दी जाएंगी।
(2) कुटीर तथा ग्रामोद्योग से निर्मित वस्तुओं पर बिक्री-कर न लगाया जाएगा।
(3) सब राज्यों में समान दरें लागू की जाएंगी।
(4) बिक्री-कर एकसूत्रीय होगा।
(5) अंतर्राज्यीय बिक्री-कर समाप्त कर दिया जाएगा।
(6) बिक्री-कर मुख्यतया उत्पादन-केन्द्रों पर ही संग्रहीत किया जाएगा।

जनसंघ जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर उत्पादन-कर लगाने का विरोधी है। इस दृष्टि से मोटे कपड़े पर बढ़ाया गया उत्पादन-कर रद्द कर दिया जाएगा। कर चुराने वालों के विरुद्ध जनसंघ कठोरतम दण्ड की व्यवस्था करेगा।

स्वावलम्बन पर बल

यद्यपि जनसंघ विदेशी आर्थिक सहायता का, यदि वह बिना किसी राजनीतिक शर्तों के प्राप्त हो, विरोधी नहीं है, किन्तु जनसंघ ने जिस आर्थिक ढांचे का चित्र रखा है उसमें विदेशी सहायता अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। विदेशी पूंजी के साथ विदेशी प्रभाव का आना स्वाभाविक है। अतः जनसंघ देश के आर्थिक उत्पादन के लिए स्वावलम्बन पर बल देगा और राष्ट्रीय साधन-स्रोतों के अनुसार ही विकास योजनाओं का निर्माण करेगा।

भूमि-सुधार

खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्राम-समाज की पुनर्रचना के लिए जनसंघ भूमि-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करेगा। भूमि जोतने वाले की होगी और कृषक तथा राज्य के बीच किसी मध्यस्थ को नहीं रहने दिया जाएगा। जमींदारी तथा जागीरदारी के उन्मूलन से निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।

कांग्रेस शासन के बहुप्रचारित भूमि-सुधारों के बाद भी किसानों, कृषि-मजदूरों और भूमिहीनों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जनसंघ किसानों की बेदखली बन्द करेगा, बेदखल किसानों को उनकी भूमि वापस दिलाएगा, लगान तथा अन्य करों में कमी करेगा और भूमिहीनों को भूमि देने के लिए भूमि का पुनर्वितरण करेगा। वितरण का न्यूनतम तथा अधिकतम आधार सिंचाई के प्रबन्ध से युक्त अच्छी भूमि का क्रमशः 5 एकड़ तथा 30 एकड़ अथवा उसकी पैदावार के बराबर होगा। कृषि-मजदूरों का न्यूनयम वेतन निश्चित किया जाएगा।

उत्पादन-वृद्धि के लिए जनसंघ बोई हुई धरती पर पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन करने तथा बंजर भूमि को खेती-योग्य बनाने पर बल देगा। किन्तु जनसंघ खेती के समूहीकरण को भारत के लिए अनुपयुक्त समझता है।

कृषि तथा उद्योग का समन्वित विकास

जनसंघ कृषि तथा उद्योग के समन्वित विकास पर बल देगा। कृषि-पैदावार तथा औद्योगिक पैदावार के बीच मूल्यों का तालमेल स्थापित किया जाएगा जिससे समाज के किसी भी वर्ग को मूल्यों के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न संकट का सामना न करना पड़े।

भूमि पर भार को कम करने के लिए ग्रामों में कृषि के सहायक तथा पूरक उद्योगों की स्थापना की जाएगी तथा अन्य कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के विस्तार द्वारा ग्रामीणों के खाली समय के लिए काम की व्यवस्था की जाएगी।

ग्रामों की उन्नति के लिए जनसंघ निम्नलिखित कार्य करेगा :

(1) देशव्यापी आंदोलन तथा उत्साहवर्धन द्वारा किसानों में अधिक अन्न उपजाने के लिए परिश्रम करने की भावना तथा चेतना उत्पन्न करना।

(2) बढ़िया बीज तथा अच्छी खाद की व्यवस्था करना, गोबर को ईंधन के रूप में प्रयुक्त न करके खाद बनाने के काम में लाना और रसायनिक खाद के प्रयोग को निरुत्साहित करना।

(3) खेती के लिए ट्रैक्टरों के प्रयोग को निरुत्साहित करना।

(4) किसानों को अन्न के साथ-साथ साग-सब्जी तथा फल लगाने के लिए प्रोत्साहन देना और उसके लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

(5) ग्रामों में दुग्धशालाएं स्थापित करना जिनके द्वारा शुद्ध दूध, घी तथा मक्खन प्राप्त हो सके तथा जो ग्राम की आवश्यकता को पूरा करने के साथ नगरों को भेजा जा सके।

(6) ग्रामों में सहकारी बैंकों की स्थापना करना तथा ग्रामजनों और उनकी फसलों तथा पशुओं के बीमे की प्रथा आरम्भ करना।

परिवहन

जनसंघ सड़क, रेल, जल एवं हवाई यातायात के विस्तार एवं विकास की ओर विशष ध्यान देगा।

रेलवे में तीसरे दर्जे की वातानुकूलित गाड़ियां चलाने के प्रचारात्मक तथा प्रदर्शनात्मक तरीकों के स्थान पर जनसंघ अधिक जनता-गाड़ियां चलाने, लम्बी यात्रा करने वालों को बिना मूल्य सोने की सुविधाएं प्रदान करने तथा माल ढोने के लिए अधिक डिब्बे जुटाने का प्रयत्न करेगा। अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को रेलवे से सम्बद्ध किया जाएगा।

रेलवे कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। छोटे-छोटे स्टेशनों के कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए जिससे उनके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आदि का उचित प्रबन्ध हो सके, जनसंघ विशेष उद्योग करेगा। रेलवे में से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कृपलानी समिति के सुझावों को क्रियान्वित किया जाएगा।

रेलवे पर भार को कम करने के लिए जनसंघ सड़क, जल एवं हवाई यातायात का विस्तार करेगा। प्रत्येक ग्राम को सड़क से जोड़ने और प्रत्येक बड़े नगर को हवाई यातायात से सम्बद्ध करने का उद्योग किया जाएगा। मोटर वाहन टैक्स की दरों में कमी करने तथा सम्पूर्ण देश में समान दर लागू करने का प्रयत्न होगा।

पटना से कलकत्ता तक गंगा नदी को जहाजरानी के लिए उपयुक्त बनाने

की योजना तैयार की जाएगी। घाटों के प्रबन्ध में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जाएगी और उनका प्रबन्ध जलनाविकों की सहायता से चलाया जाएगा।

पाकिस्तान

भारत का विभाजन एक भीषण भूल थी, जिससे न हिन्दुओं का लाभ हुआ है और न मुसलमानों का। भारत और पाकिस्तान में ऐसे व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है, जो यह अनुभव करते हैं कि दोनों की भलाई और विश्वशांति की रक्षा के लिए विभाजन को समाप्त करना अनिवार्य है। वस्तुतः भारत और पाकिस्तान की अधिकांश समस्यायें—काश्मीर, विस्थापितों का पुनर्वास, आर्थिक अस्तव्यस्तता, सुरक्षा-व्यय में वृद्धि आदि—विभाजन से ही उत्पन्न हैं और उनके स्थायी हल के लिए अखण्ड भारत की स्थापना आवश्यक है जिसमें समस्त हिन्दू, मुसलमान तथा अन्य मतावलम्बी समान अधिकारों तथा अवसरों का उपभोग करते हुए एक महान राष्ट्र के निष्ठापूर्ण घटक के नाते अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। स्पष्ट है कि ऐसे अविभाज्य भारत की रचना जोर-जबरदस्ती या बल-प्रयोग से नहीं की जा सकती। इसके लिए लोगों के दिलों और दिमागों को बदलना होगा। जनसंघ का सांस्कृतिक एकीकरण का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से प्रेरित है।

किन्तु जब तक पाकिस्तान का पृथक अस्तित्व है, जनसंघ उसके प्रति समसहयोग की नीति का पालन करेगा। आज तक बरती गई तुष्टीकरण की नीति से पाकिस्तानी नेताओं की भारत-विरोधी प्रवृत्तियों को बल ही मिला है। जनसंघ ऋण की वसूली, निष्क्रांत सम्पत्ति, नहरी पानी आदि प्रश्नों पर पाकिस्तान को किसी प्रकार की रियायत देने के विरुद्ध है। जब एक बार पाकिस्तान के नेता भारत को अपना 'एकमेव शत्रु' घोषित कर चुके हैं, तो उन्हें अपने प्रति भारत से तत्सम व्यवहार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह पाकिस्तान की जनता का काम है कि वह ऐसे नेतृत्व को ठुकरा दे, जिसका आधार भारत के प्रति घृणा है और जो भारत को क्षति पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को युद्ध की भट्टी में ढकेलने को तैयार हैं।

पाक-अधिकृत काश्मीर की मुक्ति

काश्मीर संविधान सभा ने जम्मू-काश्मीर प्रदेश के भारत का अभिन्न अंग होने के निर्णय की जो पुष्टि की है, जनसंघ उसका स्वागत करता है। भारत में जम्मू-काश्मीर का सम्मिलन स्थायी तथा अटूट है। काश्मीर में जनमत संग्रह आदि की चर्चा तर्कहीन तथा अनावश्यक है।

जनसंघ का यह निश्चित मत है कि पाकिस्तान को काश्मीर के सम्बन्ध में बोलने का कोई अधिकार नहीं। वह आक्रमणकारी है और उसके साथ उसी रूप में व्यवहार होना चाहिए। वर्तमान युद्ध-विराम रेखा के आधार पर

काश्मीर के विभाजन का सुझाव कायरतापूर्ण तथा राष्ट्र-हित विरोधी है। जनसंघ पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा आक्रमणकारी घोषित कराने तथा पाकिस्तान के प्रति आक्रमणकारी के नाते कार्यवाही कराने के लिए प्रयत्नशील होगा और पाक-अधिकृत काश्मीर की मुक्ति के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय अपनायेगा।

जनसंघ जम्मू-काश्मीर का पृथक संविधान रखने का विरोधी है। इससे भारत और काश्मीर के बीच में द्वैत की भावना जीवित रहेगी जो पृथकतावादी तथा विघटनकारी मनोवृत्तियों को बलवती बनायेगी। जम्मू-काश्मीर शासन में कम्युनिस्टों का बढ़ता हुआ प्रभाव गम्भीर चिन्ता का विषय है। उससे पुनः ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, जो काश्मीर तथा भारत दोनों के लिए भयावह सिद्ध हो। जम्मू-काश्मीर प्रदेश के भविष्य को, जिसके साथ भारत का भविष्य भी जुड़ा हुआ है, सदा के लिए सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे पूर्ण रीति से संविधान के अन्तर्गत लाने के लिए संविधान की धारा 370 को समाप्त किया जाय।

पुनर्वास

कांग्रेस-शासन भारत-विभाजन के परिणामस्वरूप बेघरबार हुए व्यक्तियों के पुनर्वास में सफल नहीं हुआ। विभाजन के इतने वर्ष बाद भी विस्थापित स्वयं को असहाय तथा अपने भविष्य को असुरक्षित पाते हैं।

जनसंघ इस प्रश्न को प्राथमिकता देगा और विस्थापितों के पुनर्वास तथा पाकिस्तान में छोड़ी हुई उनकी सम्पत्ति के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगा। इस दृष्टि से जनसंघ निम्नलिखित उपाय करेगा :

(1) छोटे दावों का भुगतान अविलम्ब किया जाएगा।

(2) विस्थापितों के लिए निर्मित मकानों तथा दुकानों का पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा और उन्हें लागत मूल्य पर विस्थापितों को दे दिया जाएगा।

(3) अब तक वसूल किराए को मूल्यों में शामिल किया जाएगा।

(4) जो विस्थापित इस समय पूरा मूल्य देने की स्थिति में नहीं होंगे उनसे वह ऋण के रूप में 30 वर्ष की अवधि में सरल किश्तों में वसूल किया जाएगा।

(5) दावों की स्वीकृति के बाद विस्थापितों को दिए गए ऋण का ब्याज नहीं लिया जाएगा।

(6) शासन द्वारा सहायता के रूप में दी गई 1000 रु० तक की राशि की वसूली रोक दी जाएगी।

(7) देहाती और शहरी विस्थापितों में कोई भेद नहीं किया जाएगा।

(8) जिन विस्थापितों के दावे नहीं हैं अथवा नाममात्र के दावे हैं उनके पुनर्वास का पूर्ण दायित्व सरकार लेगी।

(9) छिपी हुई निष्क्रांत सम्पत्ति का पता लगाने के लिए सम्बन्धित कानूनों में संशोधन किया जाएगा और उनकी वापसी बन्द कर दी जाएगी।

पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का निष्क्रमण

कांग्रेस शासन पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के लिए सुरक्षा, स्वतन्त्रता तथा सम्मान का जीवन प्राप्त कराने में, जिसके लिए वह वचनबद्ध हैं, बुरी तरह विफल रहा है। आज वहां कोई हिन्दू ससम्मान जीवित नहीं रह सकता। जनसंघ पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के बलात निष्कासन के विरुद्ध विश्व के जनमत को जागृत करेगा और विस्थापित हिन्दुओं के पुनर्वास के लिए पाकिस्तान से भूमि की मांग करेगा। प्रस्तुत परिस्थिति में इनके पुनर्वास को सुलभ बनाने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में उपार्जन की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

पूर्वी बंगाल से भारत आने के इच्छुक हिन्दुओं के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा या प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। जो हिन्दू किसी प्रकार भारत में आ गए हैं उनको विस्थापित मानकर उनके पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।

भारतीय भाषायें

जनसंघ अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को राज्यभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए संविधान द्वारा नियत 15 वर्ष की अवधि को, जो सन् 1965 में समाप्त होगी, आगे बढ़ाने का विरोधी है। राष्ट्रनिर्माण में भाषा एक विधायक तत्व है जिसकी पूर्ति किसी विदेशी भाषा से नहीं हो सकती।

भारतीय जनसंघ हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनायेगा जिसके अन्तर्गत अधिकृत विद्वानों द्वारा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं पर आधारित एक सामान्य, पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक शब्दावली तैयार की जाएगी और विश्व की समस्त प्रमुख भाषाओं के उपयोगी साहित्य को, विशेषत: उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक ग्रन्थों को, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित किया जाएगा।

जनसंघ लोकभाषाओं को प्रोत्साहित करेगा। संविधान द्वारा मान्य भारतीय भाषाओं की सूची में सिन्धी का समावेश किया जाएगा। हिन्दी को जम्मू-काश्मीर में उसका उचित स्थान दिलाया जाएगा। सम्पूर्ण पंजाब में शासनकार्य और शिक्षा के लिए हिन्दी को मान्यता प्राप्त होगी। शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में जनसंघ की नीति इस प्रकार होगी—

(1) प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी।

(2) माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतम शिक्षा प्रादेशिक भाषा के माध्यम से दी जाएगी और हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

(3) हिन्दी-भाषी विद्यार्थियों के लिए किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा।

(4) संस्कृत भाषा की शिक्षा अनिवार्य होगी।

(5) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की विभिन्न मान्यता प्राप्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण स्नातकों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित स्नातकों के समकक्ष माना जाएगा।

शिक्षा पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन

जनसंघ देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन करेगा। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का समन्वित विकास तथा जीवन में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना है जिससे शिक्षा व्यक्ति तथा राष्ट्र के वास्तविक उत्थान का समर्थन एवं सशक्त साधन बन सके। शिक्षा को, न्यायपालिका की भांति, शासन के नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप से मुक्त किया जाएगा और शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान एवं संरक्षण किया जाएगा।

प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों को अध्ययन-कार्य की ओर आकृष्ट करने के लिए उनके वेतन-क्रम में वृद्धि की जाएगी और उन्हें समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में जनसंघ का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा :

(1) प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का सबके लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्रबन्ध।

(2) निर्धन किन्तु प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा तक की नि:शुल्क व्यवस्था।

(3) प्राविधिक, वैज्ञानिक तथा बहुद्देशीय शिक्षा का व्यापक प्रबन्ध।

(4) उच्चतम वैज्ञानिक शिक्षा तथा शोध के लिए सुविधायें।

(5) प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था तथा ललित कलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन।

नि:शुल्क चिकित्सा

जनसंघ सबके लिए नि:शुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध करेगा। ऐलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धतियों को उचित मान्यता देते हुए आयुर्वेद का राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के रूप में विकास किया जाएगा और उसे स्वास्थ्य-संवर्धन का माध्यम बनाया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में औषधालय की स्थापना जनसंघ का लक्ष्य होगा और इनकी पूर्ति होने तक सुदूर गांवों में

चिकित्सा की सुविधा पहुंचाने के लिए चलते-फिरते चिकित्सालयों तथा औषधालयों की व्यवस्था की जाएगी। आयुर्वेदिक औषधियों के शोध तथा निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अनुसन्धान-शालायें स्थापित की जायेंगी। विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण की दृष्टि से देश को आत्म-निर्भर बनाने का प्रयत्न किया जायेगा। क्षय-निरोधक टीके (बी.सी.जी.) की उपयुक्तता के सम्बन्ध मे जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी। सरकारी अस्पतालों तथा चिकित्सालयों की दशा में सुधार किया जाएगा।

जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जनसंघ इस बात की व्यवस्था करेगा कि सभी प्रकार के खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं शुद्ध रूप में मिल सकें। जनसंघ खाद्यान्न में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था करेगा।

पिछड़ी जातियों को विशेष सुविधाएं

सामाजिक दृष्टि से अभिशप्त तथा आर्थिक दृष्टि से उत्पीड़ित एवं अभावग्रस्त वर्गों को समाज में पूर्ण समता का स्थान दिलाने के लिए जनसंघ विशेष प्रयत्न करेगा। मनुष्य-मनुष्य के बीच खड़ी हुई ऊंच-नीच तथा छूत-अछूत की दीवारें ढा दी जाएंगी और सार्वजनिक मन्दिरों तथा उपासना-गृहों में सबको बिना भेदभाव के प्रवेश करने का अधिकार होगा।

दलित वर्गों तथा वनवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें भूमि-वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। उनके परम्परागत धन्धों और हस्त-कलाओं को अधिक विकसित किया जाएगा। उनके लिए मकानों तथा पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा की विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। वनवासी क्षेत्रों को नगरों से जोड़ने के लिए यातायात का विस्तार किया जाएगा।

हिन्दू विरोधी कानूनों की समाप्ति

हिन्दू समाज के संगठन का आधार संयुक्त परिवार की प्रणाली तथा अटूट दाम्पत्य सम्बन्ध है। ऐसे सभी कानून जो इस आधार में परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे, हिन्दू समाज को विघटित तथा विश्रृंखलित बनायेंगे। इस दृष्टि से जनसंघ हिन्दू-विवाह कानून तथा हिन्दू-उत्तराधिकार कानून को रद्द करेगा।

महिलाओं को प्रगति के पूर्ण अवसर

जनसंघ महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक अयोग्यताओं को दूर करने के लिए विशेष उद्योग करेगा, जिससे वे घर, समाज तथा राष्ट्र के प्रति, अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाह कर सकें। जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर प्राप्त होगा।

समाज-गठन के वैज्ञानिक तथा अनुभवसिद्ध आधारों में मौलिक परिवर्तन किए बिना जनसंघ महिलाओं के सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकारों को अधिक व्यापक तथा वास्तविक बनाने के लिए प्रयत्न करेगा। स्त्री को श्वसुर के संयुक्त

परिवार का सदस्य मानकर सम्पत्ति में पति के साथ अधिकार दिया जाएगा।

गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध

गोहत्या के विरुद्ध भारतीय जनता की प्रबल भावनाओं तथा गौ की आर्थिक उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनसंघ गोवंश की हत्या और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएगा। जनसंघ भारतीय संसद द्वारा गोवंश को अवैध घोषित करने के लिए प्रयत्नशील होगा और गोधन की उन्नति के लिए शासन तथा जन दोनों को प्रवृत्त करेगा।

जनसंघ प्रत्येक जिले में गोसदनों की स्थापना करेगा तथा गोशालाओं की दशा सुधारने की ओर विशेष ध्यान देगा। नगरों में दुग्ध के वितरण के लिए सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी और हर ग्राम में गोचरभूमि की व्यवस्था की जाएगी। जंगलों में पशुओं के चरने पर लगे हुए प्रतिबन्ध रद्द कर दिये जाएंगे। जनसंघ जमाए हुए तेल के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाएगा।

विदेश नीति

जनसंघ की विदेश नीति का उद्देश्य भारत के उदात्त हितों का रक्षण तथा वर्धन करना होगा। शांति तथा युद्ध की व्यापक समस्याओं पर भी वह प्रमुखतया राष्ट्र के हिताहित की दृष्टि से विचार करेगा। किसी अन्य राष्ट्र के प्रति उसके आक्रमणात्मक इरादे नहीं हैं, किन्तु यदि राष्ट्रहित पर आंच आएगी तो भारत सम्पूर्ण शक्ति के साथ अपनी रक्षा करेगा।

जनसंघ का यह सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट मत है कि जब तक विश्व में राजनीतिक पराधीनता, आर्थिक शोषण तथा सामाजिक भेदभाव और उनके मूल में निहित स्वार्थान्धता तथा अधिकार-लिप्सा कायम है, स्थायी शांति की स्थापना सम्भव नहीं है। मिस्र तथा हंगरी जैसी घटनाओं से यह कटु सत्य एक बार पुनः सम्मुख आ गया है कि दुर्बलता एक अभिशाप है और यदि विश्व में स्वतन्त्रता तथा सम्मान के साथ जीवित रहना है तो सैनिक बल-संग्रह तथा आर्थिक सामर्थ्य के निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। जनसंघ की विदेश नीति इन दोनों के त्वरित विकास में सहायक होगी।

इस दृष्टि से जनसंघ :

(1) विश्व के दोनों शक्ति-गुटों से अलग रहेगा और ऐसी किसी अन्तर्राष्ट्रीय उलझन में नहीं फंसेगा जो राष्ट्र-हित से सीधी सम्बन्धित न हो।

(2) सभी राष्ट्रों की सद्भावना तथा मित्रता के लिए उद्योग करेगा।

(3) सभी देशों की स्वतन्त्रता तथा समता पर आधारित विश्वशांति की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, और उसके उद्देश्य-पत्र में ऐसे संशोधन कराने का प्रयत्न करेगा, जिनसे वह विश्व की जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सके और विश्वशांति

तथा विश्वसहयोग का समर्थ अन्तर्राष्ट्रीय उपकरण बन सके ।

(4) भारत को सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बनाने के लिए प्रयत्नशील होगा ।

(5) पश्चिमी उपनिवेशवाद तथा सोवियत साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसे हुए देशों के स्वाधीनता-आन्दोलनों को अपना पूर्ण नैतिक समर्थन प्रदान करेगा और उन्हें स्वतन्त्र विदेश-नीति का अवलम्बन करने के लिए प्रेरित करेगा ।

(6) अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों को दोनों शक्ति-गुटों से अलग रहकर अपना प्रभाव विश्वशांति तथा स्वतन्त्रता के पक्ष में डालने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनके आर्थिक विकास के लिए सम्मिलित प्रयत्न करेगा ।

(7) पुर्तगाली बस्तियों की अविलम्ब मुक्ति के लिए सभी उपाय, जिनमें पुलिस कार्यवाही भी शामिल है, अपनायेगा ।

(8) प्रवासी भारतीयों को उनके अपने रहने के देशों में समान नागरिकता के अधिकार दिलाने के लिए उद्योग करेगा ।

आह्वान

इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भारतीय जनसंघ भारत की चालीस करोड़ जनता का आह्वान करता है ।

आज हमारे सम्मुख एक महान् अवसर उपस्थित है । हमें निर्णय करना है कि हम भारत को भारत के रूप में, उसकी सम्पूर्ण गौरव-गरिमा के साथ जीवित तथा विकसित देखना चाहते हैं अथवा उसे दूसरे देशों की कार्बन-कापी बनाना चाहते हैं; हमें तय करना है कि हम व्यक्ति को राज्य की विशाल मशीन का एक पुर्जा मात्र बनाना चहाते हैं या पेट के साथ उसके मन और आत्मा की भूख को मिटाना चाहते हैं ।

'अन्धकार से प्रकाश की ओर'—यही प्रगति का भारतीय आदर्श रहा है । इस आदर्श को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करने के लिए और इसके अनुरूप भारत का नवनिर्माण करने के लिए भारतीय जनसंघ यह कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ है ।

इस कार्यक्रम के द्वारा बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक विघटन से देश की रक्षा होगी और आर्थिक दुर्व्यवस्था तथा सामाजिक अन्याय के पाटों में पिसने वाले जनसाधारण के लिए सुखी, समृद्ध तथा सुसंस्कृत राष्ट्रजीवन का शुभारम्भ होगा ।

[26 दिसम्बर, 1958; बंगलौर, सातवां सा० अ०]

1962

प्रस्तावना

जनसंघ बीड़ा उठाता है

1962 पुनः एक बार भारतीय जनता को लोकतांत्रिक तरीके से वर्तमान शासन को बदलने और एक नए नेतृत्व के हाथों में राष्ट्रनौका की पतवारों को सौंपने का महान् अवसर प्रदान करता है ।

जो शासन जनता की अन्न, वस्त्र तथा आवास की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तो दूर, बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक विघटन को रोकने के अपने प्राथमिक कर्तव्य का भी पालन नहीं कर सका, उसे सत्तारूढ़ रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

जो दल अपने उच्च आदर्शवाद से गिरकर सत्ता-प्राप्ति के लिए स्वार्थप्रिय, अवसरवादी, अनुशासनहीन व्यक्तियों का अखाड़ा बन गया है, और जो अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए राष्ट्रद्रोही एवं पृथकतावादी शक्तियों के साथ गठबंधन कर रहा है, वह भारतीय जनता को आसन्न संकटों के निवारण और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के हेतु प्रखर आदर्शवाद से अनुप्राणित साहसपूर्ण पग उठाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता ।

समय की मांग है ऐसे नेतृत्व की जो समाजनिष्ठ तथा कर्तव्यदक्ष हो; ऐसे दल की जो सुसंगठित तथा अनुशासित हो; ऐसे कार्यक्रम की जो यथार्थवादी और राष्ट्र की प्रकृति, प्रतिभा और परम्परा पर आधारित हो । भारतीय जनसंघ भारतीय संस्कृति और मर्यादाओं को, जिनके आधार पर ही देश का विकास एवं उसकी सभी समस्याओं का सफल समाधान सम्भव है तथा लोकतंत्र को परिपुष्ट करने के लिए प्रचारात्मक और आवश्यकतानुसार आंदोलनात्मक मार्गों द्वारा जनमत के जागरण तथा प्रकटीकरण के हेतु प्रयत्नशील रहा है । स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रश्नों के अतिरिक्त शेष भारत के साथ जम्मू काश्मीर के एकीकरण, गोवा की मुक्ति, चीनी आक्रमण, पाकिस्तान के प्रति सन्तुष्टीकरण की नीति, महंगाई, बेरोजगारी, कर वृद्धि, राजकीय व्यापार और सहकारी खेती आदि सार्वदेशिक महत्त्व के प्रश्नों पर जनसंघ ने अपनी भावनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति की है । जब विभिन्न राजनैतिक दल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए साम्प्रदायिकता, जातिवाद तथा क्षेत्रीयता को बढ़ावा देते

रहे हैं, भारतीय जनसंघ ने राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि मानते हुए इन विकृतियों के विरुद्ध सतत् संघर्ष किया है।

भारतीय जनसंघ के प्रति जनता के बढ़ते हुए विश्वास तथा समर्थन ने हमें इस बात के लिए उत्साहित किया है कि हम उसकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सम्पूर्ण शक्ति लगाकर प्रयत्न करें। जनता से भी हम आशा करते हैं कि भाग्य-निर्णय की इस घड़ी में वह अपने गम्भीर दायित्व को पहचान कर भय अथवा प्रलोभन से विचलित न होते हुए अपने लोकतंत्रीय अधिकार का उपयोग करेगी।

आज की स्थिति में जिन समस्याओं की ओर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए और जिनको हल किये बिना न तो स्वतंत्रता का संरक्षण ही किया जा सकता है और न देश का आर्थिक विकास ही संभव है, वे निम्नलिखित हैं :

(1) राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता;
(2) शासन की शुचिता और दक्षता;
(3) मूल्यों का स्थिरीकरण, तथा बेरोजगारी का उन्मूलन; और
(4) शिक्षा-पद्धति का पुनर्गठन।

भारतीय जनसंघ आगामी वर्षों में इन समस्याओं के समाधान का बीड़ा उठाता है।

सीमाओं की सुरक्षा

भारत की सीमाएं आज आक्रमित हैं। एक ओर पाकिस्तान ने तथा दूसरी ओर कम्युनिस्ट चीन ने विशाल भू-भागों पर अपना बलात अधिकार जमा रखा है। गोआ, दमन और दीव में अब तक पुर्तगाली साम्राज्यवाद कायम है। देश में आक्रमणकारियों का सफल सामना करने की सामर्थ्य होते हुए भी कांग्रेस शासन ने जिस तुष्टीकरण की नीति का पालन किया है उससे शत्रुओं को अपनी मोर्चेबंदी सुदृढ़ करने का अवसर मिला है। तथा जनता का मनोबल क्षीण हुआ है। भारतीय जनसंघ स्वतंत्रताओं एवं प्रभुसत्ता को विद्यमान, इस चुनौती का सभी संभव उपायों से मुकाबला करेगा तथा भारत की समस्त भूमि को मुक्त करके रहेगा।

प्रशासन में भ्रष्टाचार

शासन में भ्रष्टाचार एक संक्रामक रोग का रूप धारण कर चुका है। इसके लिए शासन की नीतियां, नियम और उच्चपदस्थ शासकों का व्यवहार उत्तरदायी है। भारतीय जनसंघ जहां भ्रष्ट कर्मचारियों और जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था करेगा वहां कर्तव्य-दक्ष एवं ईमानदार जनसेवकों को सब प्रकार से बढ़ावा देगा। जनसंघ प्रशासन में बढ़ती हुई केन्द्रीकरण की वृत्ति को हटाकर नीचे के कर्मचारियों को अधिकाधिक जिम्मेदारी

तथा स्वविवेक से कार्य करने का अवसर देगा।

आर्थिक विकास में खिंचाव

मूल्यों के उतार-चढ़ाव से देश की आर्थिक व्यवस्था असन्तुलित हो गई है। इसका परिणाम उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर हो रहा है। भारतीय जनसंघ अर्थव्यवस्था के सन्तुलित विकास के लिए आवश्यक समझता है कि कृषि और उद्योग-उत्पादनों के मूल्य, वेतन और मजदूरी, ब्याज और मुनाफा—इन सबके बीच तालमेल बैठाया जाए। भारतीय जनसंघ पंचवर्षीय योजनाओं तथा शासन की मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों का इस प्रकार निर्धारण करेगा कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि में देश के सभी वर्ग समान रूप से साझीदार हो सकें व अर्थ-व्यवस्था में उत्पन्न खिंचाव विकास के मार्ग में बाधक न हों।

रोजगार का अधिकार

रोजगार के अधिकार को भारतीय जनसंघ व्यक्ति का मौलिक अधिकार मानता है। बिना काम की व्यवस्था के व्यक्ति न तो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है और न राष्ट्र-निर्माण में ही योगदान दे सकता है।

शिक्षा का पुनर्गठन

शिक्षा का जीविकोपार्जन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। आज न तो शिक्षा का पुनर्गठन किया गया है, जिससे वह व्यक्तित्व का समन्वित विकास करते हुए व्यक्ति को समाज के प्रति अपने दायित्वों के निर्वाह और जीविकोपार्जन में समर्थ बना सके और न ही प्रत्येक बालक-बालिका के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई है। भारतीय जनसंघ आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक युवक को निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा और रोजगार की गारंटी देता है।

निकट भविष्य में विशेषतः उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति तथा सामान्यतः भारतीय संस्कृति और मर्यादाओं के आधार पर भारत में एक राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जनतंत्र की स्थापना तथा उसे सुदृढ़ एवं सुसंपन्न करते हुए एक आधुनिक और जागरूक राष्ट्र बनाने के अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए भारतीय जनसंघ की नीतियों का आधार निम्नलिखित कार्यक्रम होगा।

कार्यक्रम

राष्ट्रीय सुरक्षा

चीन और पाकिस्तान दोनों के आक्रमण मन्तव्यों को ध्यान में रखकर भारत की रक्षा-शक्ति का विकास तथा उसे आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित किया जाएगा। प्रक्षेपणास्त्रों, पनडुब्बियों तथा लड़ाकू विमानों की देश में निर्मिति अथवा प्राप्ति की व्यवस्था की जाएगी। भारत किसी सैन्य संगठन में

सम्मिलित नहीं होगा।

एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का निर्धारण एवं विकास करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की नियुक्ति की जाएगी जिसमें देश की सभी राष्ट्रीय शक्तियों का समावेश होगा।

एन० सी० सी० का विस्तार करके प्रत्येक विद्यार्थी को उसमें समाविष्ट किया जाएगा।

प्रादेशिक सेना का विशाल आधार पर संगठन किया जाएगा।

नये सुरक्षा उद्योगों की स्थापना तथा पुरानों की कार्यक्षमता में वृद्धि की जाएगी।

जवानों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। सेवा निवृत्त सैनिकों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दृष्टि से योग्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनायें बनायी जायेंगी और आवश्यक हुआ तो सुरक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होंगी। यातायात परिवहन के साधनों के विस्तार के साथ क्षेत्र के आर्थिक विकास पर भी बल दिया जाएगा।

सीमाओं की देखभाल के लिए एक विशेष दल संगठित किया जाएगा जिसका दायित्व केन्द्र पर होगा। अंतःप्रवेश तथा अवैध व्यापार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जायेंगे। गुप्तचर विभाग को अधिक सक्रिय एवं सक्षम बनाया जाएगा जिससे विदेशी गुप्तचरों तथा पंचमांगियों पर कठोर दृष्टि रखी जा सके और उनके षडयंत्रों को पनपने से पूर्व ही विफल किया जा सके। देश में (प्रमुखतः आसाम और काश्मीर में) अवैध रूप से आये पाकिस्तानियों के निष्कासन के लिए प्रभावी कार्यवाहीं की जाएगी।

भारत की सीमाओं का पूर्णतः संरक्षण किया जाएगा। अतिक्रमण के विरुद्ध जनसंघ की नीति विरोधपत्र से सन्तोष न करते हुए जवाबी कार्यवाही की रहेगी।

शस्त्र अधिनियम को उदार बनाया जाएगा और टोपीदार बन्दूक के लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं होगा।

राष्ट्रीय एकता

विघटन और विच्छेद की प्रवृत्तियों का उभार इस बात का द्योतक है कि राष्ट्रीय निष्ठाओं को बलवती बनाने के भावात्मक प्रयत्न नहीं किये गये। उपासना-पद्धति की पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए भी भारतीय जनसंघ मजहब को राजनीति के साथ मिलाने अथवा साम्प्रदायिक आधार पर विशेष अधिकारों की मांग करने की प्रवृत्ति का, जो असाम्प्रदायिक राज्य के सिद्धांत के प्रतिकूल तथा राष्ट्रीय एकात्मता के निर्माण में बाधक है, विरोधी है और उसे किसी

प्रकार का प्रश्रय नहीं देगा।

मजहब के आधार पर भारतीय जन को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों में बांटना अतर्कसंगत और राष्ट्रीयता की शुद्ध परिकल्पना के अज्ञान का परिचायक है। राजनीति तथा प्रशासन में इस प्रकार की भ्रान्त धारणाओं पर आधारित वर्गीकरण के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

सभी नागरिकों में भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा पैदा करके राष्ट्रीय एकता को बलवती बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम अपनाये जायेंगे।

समाज के अन्तर्गत ऊंच-नीच, छुआछूत आदि को हटाकर एकनिष्ठता सम्पादन करने के हेतु पिछड़े हुए लोगों के आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

भारत स्थित प्रत्येक विदेशी मिशनरी के कार्य और व्यवहार की जांच की जाएगी और जो मिशनरी आपत्तिजनक रीति से मत-परिवर्तन करने अथवा राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न पाये जायेंगे उन्हें भारत से निष्कासित किया जाएगा। नियोगी समिति तथा रेगे समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा। सामान्यतः वनवासी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी मिशनरियों का प्रवेश निषिद्ध होगा।

एकात्मक शासन

राष्ट्रीय एकात्मकता के मार्ग में वर्तमान संविधान बाधक है, जिसमें संघात्मक शासन की स्थापना की गयी है और भारत को भारतीय संघ तथा प्रान्तों को राज्यों की संज्ञा देकर उनकी पृथकता और प्रभुता को मान्य किया गया है। जनसंघ संविधान में संशोधन कर भारत को एकात्मक राज्य घोषित करेगा जिसमें नीचे के स्तर तक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था होगी।

राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण

ग्राम पंचायतें, नगरपालिकाएं, निगम तथा अन्य स्थानीय संस्थाएं जो कि प्रजातंत्रीय शासन की आधारभूत इकाइयां हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च अधिनियम, संविधान में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगी और उसी से शक्ति ग्रहण करेंगी। जिला परिषदों तथा जनपद सभाओं का गठन किया जाएगा तथा उन्हें प्रादेशिक शासनों की कृपा और अनुदानों पर निर्भर न रखते हुए संविधानान्तर्गत अधिकारों तथा साधन-स्रोतों से सम्पन्न किया जाएगा। विधिवत् निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं को अवक्रान्त अथवा भंग करने या उनके किसी सदस्य को निलम्बित अथवा अपदस्थ करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं रहेगा। यह अधिकार एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय को सौंपा जाएगा।

ग्राम पंचायतों को भूमि-कर में से धनराशि का निश्चित अंश प्रदान किया जाएगा।

काश्मीर

भारतीय जनसंघ सम्पूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग मानता है। जनसंघ उसे भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष लाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करके रियासत के ऊपर उसे पूर्ण रूप से लागू करेगा। वे सब प्राविधान जो जम्मू और काश्मीर में रहने वाले भारतीय नागरिकों तथा शेष भारतीयों के बीच विभेद पैदा करते हैं, समाप्त कर दिये जायेंगे। जम्मू और काश्मीर राज्य के नागरिकों को लोकसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन का मताधिकार दिया जाएगा।

राज्य में रहने वाले विस्थापितों को मताधिकार दिया जाएगा।

पाक-अधिकृत काश्मीर से विस्थापित परिवारों को पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की वे सब सुविधाएं प्राप्त होंगी जो अन्य विस्थापितों को उपलब्ध रही हैं।

भारतीय जनसंघ काश्मीर पर हुए आक्रमणों को भारत पर आक्रमण मानता है और सभी सम्भव उपायों से पाकिस्तान और चीन द्वारा आक्रान्त भू-भाग को मुक्त करेगा।

प्रशासन

जनसंघ प्रशासन को नौकरशाही, लालफीताशाही, अक्षमता, अदक्षता तथा भ्रष्टाचार के वर्तमान दोषों से मुक्त करने के लिए उसके ढांचे में आमूल परिवर्तन करेगा।

अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जो खाई आज विद्यमान है और जो अधिकारियों में अहंमन्यता तथा कर्मचारियों में हीनता का भाव पैदा करती है, उसे पाटा जाएगा तथा सभी के अन्तःकरण में जन सेवा का भाव तथा राष्ट्र-निर्माण के महान् दायित्व में सहभागी होने का गौरव जागृत किया जाएगा। प्रशासन के अस्थायी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा और विभागों के समाप्त होने पर इन कर्मचारियों को अन्यत्र काम देने का दायित्व शासन पर होगा।

सरकारी कर्मचारियों को अपना संगठन बनाने का और सामूहिक वार्ता का अधिकार अक्षुण्ण रखा जाएगा और उनकी शिकायतों तथा मांगों पर विचार करने के लिए स्थायी समझौता वार्ता यंत्र (Negotiating Machinery) की स्थापना की जाएगी।

केन्द्र, प्रदेश एवं स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए समान वेतन दरें लागू कर सबको केन्द्रीय स्तर पर लाया जाएगा। महंगाई के अनुपात में उन्हें महंगाई भत्ता मिलेगा।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को अधिक सशक्त बनाने के साथ-साथ एक उच्चाधिकारसम्पन्न आयोग नियुक्त किया

जाएगा जो उच्चपदासीन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाएगी।

न्याय, स्वास्थ्य, कृषि, इंजीनियरिंग, शिक्षा तथा सार्वजनिक उद्योगों के प्रबन्ध के लिए अखिल भारतीय सेवाएं संगठित की जाएंगी।

प्रशासन-व्यय में बचत

प्रशासन के व्यय में, जो गत वर्षों में कई गुना हो गया है, कमी करने की ओर जनसंघ विशेष ध्यान देगा। ऐसे विभाग एवं पद जो अनावश्यक हैं समाप्त कर दिये जायेंगे। राज्यपालों की संख्या कम करके उन्हें क्षेत्रीय आधार पर नियुक्त किया जाएगा। विधान परिषदें अनावश्यक हैं। अतः उन्हें समाप्त कर दिया जायगा।

मंत्रियों को तथा राज्य के किसी भी अधिकारी को राष्ट्रीय आय की अधिक मर्यादा अर्थात् 2000 रु० प्रतिमास से अधिक वेतन नहीं दिया जाएगा।

न्याय

न्याय को सस्ता, सर्वजन-सुलभ तथा शीघ्रतर बनाया जाएगा। न्याय शुल्क कम किया जाएगा तथा सभी प्रदेशों में समान होगा। समादेश याचिकायें न्याय-शुल्क से मुक्त रहेंगी। निर्धन व्यक्तियों की रक्षा के लिए शासन की ओर से अभिभावकों की व्यवस्था की जाएगी। सामान्य अपराधों के लिए चलते-फिरते न्यायालयों की व्यवस्था की जाएगी।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से सब स्तरों पर पृथक किया जाएगा। न्यायालयों के कार्यक्षेत्र को सीमित करने की प्रवृत्ति को रोका जाएगा।

अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा समाप्त की जाएगी।

जनाधिकार

जनसंघ वर्तमान शासन द्वारा जनाधिकारों को कुंठित तथा सीमित करने के लिए बनाये गये जनसुरक्षा अधिनियम, निवारक-निरोध अधिनियम आदि को रद्द कर देगा और दण्ड-प्रक्रिया संहिता की 107, 108, 109 तथा 144 धाराओं और भारतीय दण्ड विधान की 124अ तथा 153, 153अ धाराओं में ऐसे संशोधन करेगा जिससे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए उनका दुरुपयोग न किया जा सके।

समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने की प्रशासन की नीति का निर्धारण पक्ष-पात रहित तथा केवल प्रचार की दृष्टि से किया जाएगा।

पुनर्वास

पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों के दावों का शीघ्र भुगतान किया जाएगा। पाकिस्तान में छोड़ी हुई सम्पत्ति के लिए पू ' क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होगी।

पूर्वी बंगाल से आए विस्थापितों को उनके लिए अनुकूल स्थिति में बसाने का प्रयत्न होगा तथा उन्हें पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। दण्डकारण्य योजना को विस्थापितों तथा स्थानीय निवासियों के सहयोग से शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

भाषा

जनसंघ हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को संविधान द्वारा नियत अवधि के अन्दर राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करेगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो वर्ग निश्चित अवधि में हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषाओं का आवश्यक ज्ञान अर्जित नहीं कर पाये वे सरकारी नौकरियों तथा अन्य सेवाओं में स्थान पाने तथा पदोन्नति में न पिछड़ें।

विभिन्न प्रदेशों के राजभाषा सम्बन्धी विवादों के हल के लिए जनसंघ एक उच्चाधिकारयुक्त आयोग की नियुक्ति करेगा, जिसकी सिफारिशें अनिवार्यतः लागू होंगी।

भारतीय जनसंघ हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनायेगा जिसके अन्तर्गत अधिकारी विद्वानों द्वारा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं पर आधारित एक सामान्य पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक शब्दावली तैयार की जाएगी और विश्व की समस्त प्रमुख भाषाओं के उपयोगी साहित्य को, विशेषतः उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक ग्रन्थों को हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित किया जाएगा।

संस्कृत की सार्वभौम मान्यता के आधार पर उसके विकास और प्रसार के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

जनसंघ लोकभाषाओं को प्रोत्साहित करेगा। संविधान द्वारा मान्य भारतीय भाषाओं की सूची में सिन्धी का समावेश किया जाएगा।

शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में जनसंघ की नीति इस प्रकार होगी :

(1) प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी।

(2) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रादेशिक भाषा के माध्यम से दी जाएगी और हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

(3) हिन्दी-भाषी विद्यार्थियों के लिए किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा।

(4) संस्कृत भाषा की शिक्षा अनिवार्य होगी।

शिक्षा

कांग्रेस शासन राष्ट्र-निर्माण में शिक्षा के महत्व को समझने में विफल रहा है। वर्तमान शिक्षा-पद्धति, जो ब्रिटिश राज की देन है और उसके उपनिवेशवादी मन्तव्यों को पूर्ण करने के लिए गढ़ी गई थी, स्वतंत्र देश की

आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। भारतीय जनसंघ एक नई शिक्षा-पद्धति का विकास करेगा जिसमें गुरुकुलों की प्राचीन प्रणाली तथा वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल देने वाली आधुनिक पद्धति का समन्वय किया जाएगा।

भारतीय जनसंघ प्रत्येक बालक-बालिका के लिए माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य प्रबन्ध करेगा। विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर तब तक कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा जब तक शासन विद्यार्थियों के लिए अन्य किसी वैकल्पिक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं कर लेता। प्रतिभासम्पन्न तथा परिश्रमी छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा तक का निःशुल्क प्रबन्ध होगा। शोध की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाएगा। परीक्षा की वर्तमान पद्धति में सुधार किये जायेंगे। प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान लिया जाएगा।

भारतीय जनसंघ अध्यापकों की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। निजी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को वेतनक्रम तथा सुविधाओं की दृष्टि से राजकीय अध्यापकों के समकक्ष लाया जाएगा। चिर उपेक्षित प्राथमिक शिक्षा एवं उसके शिक्षकों की अवस्था सुधारने के लिए जनसंघ विशेष कार्यक्रम बनाएगा।

आर्थिक क्रांति की आवश्यकता

देश के आर्थिक विकास को सर्वोपरि महत्व देने के उपरांत भी कांग्रेस शासन ने जो नीतियां एवं कार्यक्रम अपनाए हैं, उनके परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था अधिकाधिक विश्रृङ्खलित एवं विपन्न होती जा रही है। वह न तो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है और न देश के सुरक्षा-सामर्थ्य की गारंटी दे सकती है। पिछले वर्षों में विनियोजन एवं उत्पादन में वृद्धि अवश्य हुई है, किन्तु उससे न तो बेरोज़गारी कम हुई है और न सामान्य जन के जीवन-स्तर में वृद्धि। आर्थिक क्षेत्र में विषमता और केन्द्रीकरण, अभाव और महंगाई, कर और कर्जा, हीनार्थ-प्रबन्धन और अवमूल्यन परावलम्बन और परानुकरण सबकी वृद्धि हुई है। अधिकाधिक क्षेत्र पर राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण के फलस्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेरणा पर प्रतिकूल परिणाम हुआ है। आज किसान, मजदूर, कर्मचारी, अध्यापक, दुकानदार और व्यापारी सभी त्रस्त तथा पीड़ित हैं। इस अवस्था को बदलने के लिए क्रांतिकारी पग उठाने पड़ेंगे।

नियोजन

राष्ट्र के साधनों को न्यूनतम काल में अधिकतम लाभ के लिए प्रयुक्त करने के लिए जनसंघ नियोजन की आवश्यकता को स्वीकार करता है। किन्तु

योजना साधन है, साध्य नहीं। उसका निर्माण समाज की स्थायी निष्ठाओं की मर्यादाओं के अंतर्गत तथा राष्ट्र के सामर्थ्य की सीमाओं का समुचित आंकलन कर यथार्थ की ठोस भूमिका पर करना होगा। वर्तमान योजना की परिकल्पना और व्यवहार में राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता तथा लोकतंत्रीय पद्धति के लिए गम्भीर संकट की संभावनाएं निहित हैं। साथ ही उसमें एक ओर जनता के ऊपर वह बोझा डाला गया है जिसे वह वहन नहीं कर सकती और दूसरी ओर उसकी उन शक्तियों की ओर दुर्लक्ष्य किया गया है जिनके उपयोग से वह तीसरी योजना से भी बड़ी योजना को पूर्ण करके राष्ट्रीय आय में भारी वृद्धि कर सकती है।

भारतीय जनसंघ योजना में आमूल परिवर्तन करेगा। आगे दिए हुए आर्थिक कार्यक्रम के अतिरिक्त उसमें प्रमुखतया निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे :

(1) कृषि को प्राथमिकता देकर देश को अन्न एवं कच्चे माल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

(2) कुटीर, छोटे यंत्रचालित एवं उपभोक्ता उद्योगों को प्राथमिकता देकर उन्हें व्यापक रूप से फैलाया जाएगा।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को रोककर उसका दृढ़ीकरण किया जाएगा। पिछली योजना के अंतर्गत लिए गए कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा किया जाएगा तथा आगे केवल वे ही कार्यक्रम लिए जाएंगे जो आधारभूत उद्योगों के रूप में कृषि और अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक हों।

(4) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सैद्धांतिक एवं कृत्रिम भेद को समाप्त कर दिया जाएगा। एक राष्ट्रीय क्षेत्र की परिकल्पना कर उसमें सबको अपनी-अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार साझेदार बनाते हुए उद्योगों की स्थापना और प्रबन्ध की व्यवस्था की जाएगी।

(5) मूल्यों का स्थिरीकरण, अधिकतम उत्पादन, समानतर वितरण, प्रत्येक को सामान्य जीवन-स्तर की गारंटी, अधिकतम रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का संतुलित और समान विकास, योजना के लक्ष्य रहेंगे।

(6) सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य योजना से बंधी हुई अलग योजना बनाई जाएगी।

योजना आयोग

भारतीय जनसंघ योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का पुनर्गठन करेगा। योजना आयोग में केवल विशेषज्ञ रखे जाएंगे जिससे वे निष्पक्ष तथा

राजनीतिक प्रभाव से मुक्त विचार रख सकें।

राष्ट्रीय विकास परिषद में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, प्रदेशों के मुख्यमन्त्री तथा संसद और विधान सभाओं के आनुपातिक प्रणाली से चुने हुए प्रतिनिधि रखे जाएंगे।

कृषि नीति

भारत में कृषि का अधिकतम उत्पादन सघन खेती से ही सम्भव है। इस हेतु भारतीय जनसंघ कृषि के लिए आवश्यक साधन और पूंजी की व्यवस्था करेगा। किसान को समय पर पर्याप्त मात्रा में तथा उचित दाम में अच्छा बीज, खाद और उर्वरक, कृषि के औजार, बैल तथा ऋण-प्राप्त हो सकें इसकी व्यवस्था की जाएगी। प्राप्त साधनों की उपलब्धि का सम्बन्ध पैदावार की वृद्धि के साथ जोड़ा जाएगा। फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। खेतिहर मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सिंचाई

खेती को अदेवमातृका बनाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। बड़ी-बड़ी योजनाओं को शीघ्र पूरा करके उनका लाभ किसान बिना किसी अतिरिक्त कर के ले सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। छोटी योजनाओं, बांध, तालाब, नलकूप, कुओं आदि को प्रमुखता देकर अधिकतम भूमि को सिंचित बनाया जाएगा। नई योजनाओं के साथ पुराने सिंचाई के साधनों की भी मरम्मत की चिन्ता की जाएगी।

आज सिंचाई के साधन जहां हैं वहां भी उनसे पूरा लाभ नहीं मिल पाता। नहरों से समय पर और पूरा पानी नहीं मिलता। सिंचाई की दरें अधिक तथा अनार्थिक हैं। सिंचाई की व्यवस्था के साथ अन्य साधन अनुपलब्ध हैं। नई नहरें तो बन गई हैं, किन्तु बम्बे और गूल नहीं बने हैं। भारतीय जनसंघ इन सब अव्यवस्थाओं को दूर कर सिंचाई विभाग को अधिक कार्यदक्ष बनाएगा। सिंचाई की दरें खेती की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाएंगी। सिंचाई विभाग से लाभ कमाने का दृष्टिकोण नहीं रहेगा।

पानी के बहाव का देशव्यापी अध्ययन नहीं किया गया है। फलतः एक ओर बहुत-सा पानी जिसको छोटे-छोटे ताल और तलैयों में इकट्ठा कर सिंचाई के काम में लाया जा सकता है, व्यर्थ बह जाता है तो दूसरी ओर उससे बाढ़ की समस्या पैदा होती है। जनसंघ देश में उपलब्ध जल के सही एवं वैधानिक उपयोग की ओर विशेष ध्यान देगा।

भूमि-सुधार

भारतीय जनसंघ किसान को भूमि का मालिक बनाएगा। इस दृष्टि से अभी तक पारित अधिनियमों की खामियों को दूर कर तुरन्त प्रभावी ढंग से

उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा।

भारतीय जनसंघ बेदखली रोकेगा और गैरकानूनी और अनुचित तरीकों से बेदखल किए गए किसानों को उनकी भूमि वापस करेगा। विधवा, नाबालिग, अपंग व्यक्तियों, सैनिकों, धर्म स्थानों तथा ४ एकड़ तक के भूस्वामियों को अपनी भूमि लगान पर खेती के लिए देने का अधिकार दिया जाएगा।

भूमि पुर्नवितरण

भूमि की अधिकतम जोत के कानून प्रायः सभी प्रदेशों में बन चुके हैं किन्तु उनमें अनेक त्रुटियां हैं और उनके कार्यान्वयन में ढिलाई बरती जा रही है। फलस्वरूप किसान के मन में अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है जो उत्पादन-वृद्धि में बाधक है। भारतीय जनसंघ एक वर्ष के अंदर इन कानूनों के प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था करके बकाया तथा नौतोड़ बंजर जमीनों को अनार्थिक जोत के किसानों तथा भूमिहीनों में बांटकर उन्हें भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देगा। अधिकतम जोत निश्चित करते समय संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत मान्य विधानों का ध्यान रखा जाएगा।

आर्थिक जोत

भारतीय जनसंघ इस बात की व्यवस्था करेगा कि छोटे किसान अधिक जमीन लेकर अथवा सघन खेती से अपनी जोत को लाभकर बना सकें। अपखण्डन और अंतविभाजन के कारण जोतों को अलाभकर बनाने से रोकने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हिन्दू उत्तराधिकार कानून में इस संबंध में संशोधन किया जाएगा।

चकबन्दी

चकबन्दी में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार, पक्षपात और धांधली के निराकरण के लिए जनसंघ प्रभावी कार्यवाही करेगा। चकबंदी की आवश्यकता होने पर उससे पूर्व प्रत्येक गांव का भू सर्वेक्षण किया जाएगा तथा एक 'मास्टर प्लान' बनाया जाएगा।

सेवा सहकारितायें

कृषकों को ऋण, बीज, खाद, औजार आदि देने तथा उनके माल को बेचने के लिए सेवा-सहकारी समितियां गठित की जाएंगी तथा उनको इस योग्य बनाया जाएगा कि वे कृषक की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। सहकारी संस्थाओं को प्रशासनिक हस्तक्षेप एवं दबाव से मुक्त कर स्वयंस्फूर्ति से विकसित एवं आत्मनिर्भर बनने दिया जाएगा। शासन की ओर से आवश्यक सहायता एवं परामर्श मिलता रहेगा।

सहकारी खेती

भारतीय जनसंघ सहकारी खेती को लोकतंत्र के लिए घातक तथा प्रति

एकड़ अधिकतम उत्पादन की दृष्टि से अनुपयुक्त समझता है। उन सभी प्रावधानों को रद्द किया जाएगा जो किसान को अपनी भूमि के स्वामित्व से वंचित करके उसे सहकारी कृषि समिति में सम्मिलित होने को विवश करते हैं। शासन की ओर से मिलने वाली सभी सुविधायें किसान को बिना किसी भेदभाव तथा पक्षपात के प्राप्त होंगी।

भूमि वितरण में भूमिहीनों को सहकारी समिति गठित करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। उन्हें भूमि निजी स्वामित्व के आधार पर मिलेगी।

कृषि-हाट

भारतीय जनसंघ इस बात की व्यवस्था करेगा कि किसान अपनी उपज का उचित दाम पा सके, इस हेतु गोदामों का निर्माण किया जाएगा। उचित दाम न मिलने की दशा में न्यूनतम पूर्वघोषित मूल्यों पर कृषि उपज को शासन के द्वारा खरीदने की व्यवस्था होगी। न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कृषक को उत्पादन मूल्य के साथ-साथ उचित लाभ भी मिल सके।

गोरक्षा तथा पशुपालन

पशुपालन एवं विकास की ओर अभी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। भारत में खेती के लिए ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनें अनुपयुक्त हैं। खेती के काम तथा ढुलाई, दोनों के लिए अच्छे बैलों की आवश्यकता है। कृषि के साथ यदि पशु-पालन को भी किसान अपनाये तो वे एक दूसरे के लिए पूरक हो सकते हैं तथा विकास की आमदनी में बहुत वृद्धि हो सकती है।

भारत में दूध और घी का उत्पादन बहुत बढ़ाया जा सकता है। इसकी उपलब्धि से हमारी खाद्य-समस्या बहुत दूर तक हल हो सकेगी तथा हमें पौष्टिक पदार्थ भी मिल सकेंगे। आवश्यक है कि गोपालन के महत्व को समझ कर उसे कृषि विकास के कार्यक्रम का अनिवार्य अंग मानकर चला जाए। भारतीय जनसंघ तदनुसार चरागाहों को छोड़ने, वैज्ञानिक आधार पर उनका विकास करने, गोसदनों, गोशालाओं, दुग्धशालाओं आदि की स्थापना के कार्यक्रम हाथ में लेगा। पशुपालन पर ही जिनकी जीविका निर्भर है उनको भूधृति की अधिकतम मर्यादा से मुक्त किया जाएगा। राजस्थान, पर्वतीय, तराई तथा वन क्षेत्रों में, जहां बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जा सकता है, इस व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। अकाल और महामारी के प्रकोप से पशुओं की रक्षा के लिए कदम उठाये जाएंगे। पशु-बीमा की योजना लागू की जाएगी। इन क्षेत्रों में दुग्धशालाएं खोलकर उपज के विपणन की व्यवस्था होगी।

हरियाणा, गीर, ओंगोल आदि क्षेत्रों की नस्लों की रक्षा एवं सुधार का प्रबन्ध किया जाएगा। गोवंश की अवध्यता के लिए भारतीय जनसंघ संविधान

में संशोधन करेगा और इस विषय में कानून बनाएगा।

वन

वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारतीय जनसंघ वर्तमान वन-नीति में परिवर्तन करेगा। वनोपज के लिए ही नहीं, भूरक्षण को रोकने, बाढ़-नियंत्रण, वर्षा आदि अनेक दृष्टियों से वनों की आवश्यकता है। आज की नीति का आधार वनों से अधिकाधिक आमदनी करने का है जिसमें वनों के संवर्धन और संरक्षण और वनोपज पर जीविकोपार्जन करने वाले स्थानीय वासियों की अवहेलना ही की जाती है। भारतीय जनसंघ की नीति का आधार वनवासियों एवं कृषकों के हितों का संरक्षण करते हुए वनश्री का वर्धन और दोहन होगा। वन-विभाग के ठेके श्रमिक एवं वनवासियों की सहकारी समितियों को दिये जायेंगे।

वनवासियों को वनों में कृषि के लिए टोंग्या पद्धति पर भूमि दी जाएगी। वनोपज के संग्रह की उन्हें सुविधा रहेगी तथा उसके उन्हें उचित दाम मिल सकें, इस हेतु व्यवस्था की जाएगी। वनवासियों की साहूकारों एवं ठेकेदारों के शोषण से रक्षा की जाएगी। कर्ज निवारण कानून को वनवासी क्षेत्र में विशेष रूप से लागू करके वनवासियों को सुविधा दी जाएगी।

वनों में आस-पास के ग्रामवासियों के निस्तार के अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। ग्रामवासियों को अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वन-ग्रामों को राजस्व विभाग के अंतर्गत देकर वहां के कृषकों को उनके द्वारा जोते जाने वाली भूमि पर स्वामित्व के अधिकार दिये जायेंगे।

औद्योगिक विकास

भारतीय जनसंघ कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवाओं, चारों के संतुलित एवं समन्वित विकास का समर्थक है। भूमि पर भार कम करने तथा देश की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए शीघ्र औद्योगीकरण आवश्यक है।

भारतीय जनसंघ का मत है कि उचित एवं शीघ्र औद्योगीकरण के लिए हमें पाश्चात्य देशों का अनुकरण करने के स्थान पर अपनी प्रौद्यौगिकी का विकास करना चाहिए। उत्पादन के उपलब्ध साधनों का अधिकतम फलदायी संयोजन प्रत्येक देश और काल की परिस्थिति पर निर्भर करता है। हमारे देश की प्राकृतिक सम्पदा, श्रम-शक्ति, प्रबन्ध और उद्यम की संभावनाएं, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य तथा जीवन की भौतिक आवश्यकताएं सभी पश्चिमी देशों से इतनी भिन्न हैं कि हम वहां की उत्पादन-प्रक्रिया का अनुकरण कर न तो अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं और न आत्मनिर्भर व स्वचालित अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।

भारतीय जनसंघ नई प्रौद्योगिकी का विकास करेगा जिसमें विकेन्द्रित

अर्थ-रचना के आधार पर प्रत्येक कुटुम्ब को उत्पादन इकाई बनाते हुए सबके लिए काम, अधिकतम उत्पादन और समतर वितरण का लक्ष्य सिद्ध हो सकेगा।

लघु उद्योग

उपर्युक्त दृष्टि से छोटे और कुटीर उद्योगों का विकास कर जनसंघ उन्हें भारत के औद्योगीकरण का आधार बनाएगा। अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं उन्हीं के द्वारा तैयार होंगी। बड़े उद्योग छोटे उद्योगों के लिए उत्पादक वस्तुएं तैयार करने, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के एकीकरण से नई वस्तुएं बनाने तथा निर्यात के लिए विशेष उत्पादन के लिए ही स्थापित किए जायेंगे। छोटे उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने तथा उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उनका अभिनवीकरण आवश्यक है। भारी सरकारी सहायता के उपरान्त भी खादी उद्योग आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर नहीं बन पाया है। यह उद्योग आत्म-निर्भर बने इस दृष्टि से जनसंघ एक अवधि निश्चित करेगा। हथकरघा उद्योग को सहायता देकर करघे को यंत्रचालित बनाने का प्रयत्न करेगा, किन्तु यह ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी बुनकर बेरोजगार न होने पाये।

छोटे उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित साधन उपयोग में लाये जायेंगे :

(1) नई छोटी मशीनों तथा कलों का निर्माण जो कुटीरों तथा ग्रामों में चल सकें और माल के स्तर तथा उत्पादनकर्ता की आय में वृद्धि कर सके। विद्युत शक्ति के वितरण में कुटीर तथा ग्रामोद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(2) ग्रामों में औद्योगिक शिक्षालयों की स्थापना जिसमें श्रमिकों को अर्वाचीन पद्धति से उद्योग चलाने की शिक्षा दी जा सके।

(3) छोटे कुटीर तथा ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार सुरक्षित करना।

(4) संयुक्त तथा सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

उद्योगों का विकेन्द्रीकरण

उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत बड़े उद्योगों को विकास का पूर्ण अवसर दिया जाएगा किन्तु उन्हें न तो एक स्थान पर और न कुछ प्रान्तों अथवा क्षेत्रों में केन्द्रित होने दिया जाएगा। कुछ बड़े नगरों में केन्द्रित उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की योजना बनायी जाएगी।

आधारभूत उद्योग व संयुक्त क्षेत्र

भारतीय जनसंघ की नीति आधारभूत एवं सुरक्षा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की है, किन्तु वर्तमान में राज्य की शक्ति मुख्यतः सुरक्षा उद्योगों के विकास

और विस्तार पर लगाएगा। आधारभूत उद्योगों में विशेषत: रेल, खनिज, तेल तथा बिजली पर बल देगा। अन्य उद्योगों के विकास में व्यक्तिगत प्रयत्नों को संयुक्त करके, संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector) को अनुमति दी जाएगी।

सार्वजनिक उद्योग

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आये उद्योगों के लिए स्वायत्त कॉरपोरेशन बनायी जाएंगी। उनको राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रभाव से मुक्त रखा जाएगा। उनके उत्पादों के मूल्यों के निर्धारण में सामान्य मूल्य-नीति का ध्यान रखा जाएगा। उनमें लाभ प्रबन्ध की दक्षता के आधार पर होना चाहिए न कि एकाधिकार अथवा मूल्यों में कराधान के आंशिक समावेश के द्वारा। उनके ऊपर वे सब नियम लागू होंगे जो अन्य उद्योगों पर लागू होते हैं। उनके कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार रहेगा।

स्वदेशी भावना का पुनर्जागरण

उद्योग धन्धों के विकास तथा विदेशी मुद्रा की बचत के लिए जनसंघ स्वदेशी के मन्त्र का पुनर्जागरण करेगा। उपभोग्य वस्तुओं, विशेषकर शृंगार और प्रसाधन की वस्तुओं के आयात पर कठोर नियंत्रण किया जाएगा। राष्ट्रीय उद्योगों को अनुचित विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए समुचित संरक्षण दिया जाएगा। शासन कार्य में स्वदेशी का व्यवहार अनिवार्य होगा।

विदेशी पूंजी

भारतीय जनसंघ का बल स्वावलम्बन पर है। उसने जिस अर्थ-रचना का चित्र रखा है, उसमें विदेशी पूंजी का बहुत कम स्थान है। आधारभूत एवं आवश्यक नये उद्योगों के लिए बिना किसी राजनीतिक शर्त के मिलने वाली विदेशी पूंजी का वह स्वागत करेगा, किन्तु अपनी योजनाओं को वह इस प्रकार बनाएगा कि बिना विदेशी पूंजी के भी उसे पूरा किया जा सके। विदेशी पूंजी के साथ भारतीय पूंजी का गठबन्धन आवश्यक होगा तथा यह भी शर्त होगी कि एक निश्चित अवधिमें भारतीय प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षित करके अथवा उसके पूर्व भी यदि वे उपलब्ध हों तो उनके सहारे सम्पूर्ण उद्योग को चलाया जाए।

विदेशी उद्योगों का भारतीयकरण

भारतीय जनसंघ इस बात का प्रयत्न करेगा कि खान, जूट, तम्बाकू, कॉफी, चाय, रबर, दियासलाई, साबुन, वनस्पति तथा ऐसे अन्य उद्योगों का जो बहुतांशत: विदेशियों के हाथों में हैं, भारतीयकरण हो जाए।

कराधान

भारतीय जनसंघ कर-पद्धति में सुधार करेगा जिससे करों के दुर्वह बोझ से दबी जनता को राहत मिल सके। जीवन की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष करों से मुक्त किया जाएगा। न्यूनतम आय के व्यक्तियों पर कोई प्रत्यक्ष कर नहीं

लगाया जाएगा।

कर उगहाने की पद्धति को सरल बनाया जाएगा। यह प्रयत्न किया जाएगा कि केन्द्र, प्रान्त तथा स्थानीय संस्थाओं के कर एक सुगठित तंत्र के द्वारा एक साथ वसूल किये जा सकें जिससे कर उगाहने का व्यय कम हो, कर की चोरी रुक जाए तथा ईमानदार व्यक्ति अनेक अधिकारियों के सामने पेशियां भुगताने के झंझट से बच जायें।

संग्रहीत कर का विभाजन विभिन्न शासनों में उनकी आवश्यकतानुसार करने के लिए संविधान में योग्य संशोधन किये जाएंगे। आज स्थानीय संस्थायें प्रान्तों के तथा केन्द्र के अनुदानों पर निर्भर हैं। यह स्थिति बदलकर प्रत्येक को आत्मनिर्भर बनाना होगा जिससे वे अपने दायित्वों का ठीक प्रकार निर्वाह कर सकें।

पूंजी निर्माण

औद्योगिक विकास के लिए पूंजी का निर्माण आवश्यक है। एक ओर बचत करने तथा दूसरी ओर बचत को पूंजी के रूप में लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय जनसंघ जहां सामान्य जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करेगा वहां उन सब खर्चों पर रोक लगाएगा जो केवल शान-शौकत और ऐश के लिए किये जाते हैं। शासन की वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों का उद्देश्य निश्चित दिशाओं में अधिकतम विनियोजन होगा। इस दृष्टि से जनसंघ 2000 रु० प्रति मास व्यय-योग्य आय निर्धारित कर अर्थ-नीतियों को कार्यान्वित करेगा।

आयात-निर्यात नीति

भारतीय जनसंघ व्यापार-सन्तुलन बनाये रखने के लिए सभी संभव उपायों को काम में लाएगा। जनसंघ की कल्पना की अर्थरचना में आयात का परिमाण बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो विदेशी आयात पर कम से कम निर्भर करते हैं। जनसंघ निर्यात के लिए नये-नये बाजारों के शोध और विकास का प्रयत्न करेगा।

श्रम नीति

मजदूरों में कर्तव्यनिष्ठा तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जनसंघ मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करेगा और प्रत्येक मजदूर को किसी न किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने को प्रोत्साहित करेगा। जनसंघ रोजगारी के अधिकार के साथ-साथ सामूहिक वार्ता के अधिकार को भी स्वीकार करता है। मजदूर संगठन के पंजीयत होते ही उसे मान्यता प्राप्त हो जाएगी।

श्रमिक का प्रबन्ध तथा लाभ में साझा

भारतीय जनसंघ मजदूरों को उद्योग के प्रबन्ध और लाभ में साझीदार बनाएगा। इस दृष्टि से मजदूरों को संचालक-मंडलों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

स्थायी वेतन आयोग की नियुक्ति

देश के विभिन्न श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वेतन दरों को निश्चित करने के लिए एक स्थायी वेतन आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो जीवनयापन के माप के अनुरूप समय-समय पर राष्ट्रीय न्यूनतम आय को ध्यान में रखते हुए वेतन निश्चित करेगा। किसी भी मजदूर अथवा कर्मचारी का न्यूनतम वेतन आज की परिस्थिति में 125 रु० प्रति मास से कम नहीं होगा।

श्रम कल्याण

मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का दायित्व राज्य पर होगा। मजदूरों की तब तक छटनी नहीं की जाएगी, जब तक उनके लिए दूसरे काम की व्यवस्था नहीं हो जाती। खतरे का काम करने वाले मजदूरों को अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कर्मचारियों से किसी प्रकार का चन्दा नहीं लिया जाएगा। समान काम के लिए सबको समान वेतन मिलेगा। महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिला मजदूरों के लिए तीन मास के सवेतन अवकाश की व्यवस्था होगी।

सामाजिक कल्याण

भारतीय जनसंघ प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन-स्तर की गारंटी करता है। अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना जनसंघ के कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य रहेगा।

जनसंघ सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाएगा। जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, विद्यालयीन स्वास्थ्य सेवा, बीमारी एवं बेरोजगारी का बीमा, वृद्धों की पेंशनों आदि की व्यवस्था रहेगी। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की पेंशन दरों में महंगाई के अनुपात में वृद्धि की जाएगी और पेंशनों की अदायगी में होने वाले विलम्ब तथा अन्य असुविधाओं का निराकरण किया जाएगा।

स्वास्थ्य और चिकित्सा

ऐलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को उचित मान्यता देते हुए आयुर्वेद का राष्ट्रीय-चिकित्सा पद्धति के रूप में विकास किया जाएगा, और उसे स्वास्थ्य संवर्धन का माध्यम बनाया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में औषधालय की स्थापना जनसंघ का लक्ष्य होगा और इसकी पूर्ति होने तक सुदूर गांवों में चिकित्सा की सुविधा पहुंचाने के लिए चलते-फिरते चिकित्सालयों तथा औषधालयों की व्यवस्था की जाएगी। आयुर्वेदिक औषधियों के शोध एवं

निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अनुसंधानशालाएं स्थापित की जाएंगी। विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण की दृष्टि से देश को आत्म-निर्भर बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों तथा चिकित्सालयों की दशा में सुधार किया जाएगा।

जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जनसंघ इस बात की व्यवस्था करेगा कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं आवश्यक वस्तुएं शुद्ध रूप में मिल सकें। जनसंघ खाद्यान्न में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था करेगा।

आवास

गत वर्षों में विभिन्न कार्यों के लिए बड़े-बड़े भवन तो बनाए गये हैं, किन्तु सामान्य जन के आवास की ओर दुर्लक्ष्य रहा है। भारतीय जनसंघ प्रत्येक परिवार के लिए एक साफ-सुथरे मकान की आवश्यकता को स्वीकार करता है तथा एक विशाल आवास-निर्माण का कार्यक्रम हाथ में लेकर इस बात की व्यवस्था करेगा कि नगरों और गांवों में सभी जगह सस्ते मकान सुलभ हो सकें। गन्दी बस्तियों की समाप्ति तथा उनमें निवास करने वालों के लिए पुनर्वास के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

महिलाओं की प्रगति

जनसंघ महिलाओं की सामाजिक तथा शैक्षणिक बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष उद्योग करेगा, जिससे वे घर, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाह कर सकें। जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पूर्ण अवसर प्राप्त होगा।

समाज गठन के वैज्ञानिक तथा अनुभवसिद्ध आधारों में मौलिक परिवर्तन किये बिना भारतीय जनसंघ महिलाओं के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों को अधिक व्यापक तथा वास्तविक बनायेगा और स्त्री को श्वसुर एवं पति के संयुक्त परिवार का सदस्य मानकर सम्पत्ति का अधिकार देगा।

पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा

सामाजिक दृष्टि से अभिशप्त तथा आर्थिक दृष्टि से उत्पीड़ित एवं अभाव-ग्रस्त वर्गों को समाज में पूर्ण समता का स्थान दिलाने के लिए जनसंघ विशेष प्रयत्न करेगा। मनुष्य मनुष्य के बीच खड़ी हुई ऊंच-नीच तथा छूत-अछूत की दीवारें ढा दी जाएंगी और सार्वजनिक मंदिरों तथा उपासना गृहों में सबको बिना भेदभाव के दर्शन करने का अधिकार होगा।

दलित वर्गों तथा वनवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें भूमि वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। उनके परम्परागत धन्धों और हस्तकलाओं को अधिक विकसित किया जाएगा। उनके लिए मकानों तथा पीने

के पानी की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा की विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वनवासी क्षेत्रों को नगरों से जोड़ने के लिए यातायात का विस्तार किया जाएगा।

परिवहन

जनसंघ सड़क, रेल, जल एवं हवाई यातायात के विस्तार एवं समन्वित विकास की ओर विशेष ध्यान देगा। जनसंघ सड़क-यातायात के राष्ट्रीयकरण का विरोधी है। जहां राष्ट्रीयकरण हो चुका है वहां निजी मोटरों को अनुमति देकर सरकारी सेवाओं से प्रतियोगिता से सुकार्य की वृद्धि करेगा।

जनता गाड़ियां चलाने, रात्रि की यात्रा करने वालों को बिना मूल्य सोने की सुविधाएं प्रदान करने तथा माल ढोने के लिए अधिक डिब्बे जुटाने का प्रयत्न किया जाएगा। अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को रेलवे से सम्बद्ध किया जाएगा।

रेलवे कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। छोटे-छोटे स्टेशनों के कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आदि का उचित प्रबन्ध हो सके, जनसंघ विशेष उद्योग करेगा।

रेलवे पर भार को कम करने के लिए जनसंघ सड़क, जल एवं हवाई यातायात का विस्तार करेगा। प्रत्येक ग्राम को सड़क से जोड़ने और प्रत्येक नगर को हवाई यातायात से सम्बद्ध करने का उद्योग किया जाएगा। मोटर वाहन-कर की दरों में कमी करने तथा सम्पूर्ण देश में समान दर और नियम लागू करने का प्रयत्न होगा। अन्तर्राज्यीय सड़क यातायात की सुविधा दी जाएगी।

पटना से कलकत्ता तक गंगा नदी को जहाजरानी के लिए उपयुक्त बनाने की योजना तैयार की जाएगी। घाटों के प्रबन्ध की ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जाएगी और उनका प्रबन्ध जलनाविकों की सहायता से चलाया जाएगा।

जहाजरानी के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी जिससे निकट भविष्य में ही हम अपने सम्पूर्ण विदेशी व्यापार को ढोने में आत्मनिर्भर बन सकें। छोटे-छोटे और नये बन्दरगाहों का विकास किया जाएगा तथा तटीय नौकायन में सवारी और माल की दरों में वृद्धि नहीं होने दी जाएगी। नाविकों और कर्मचारियों में विदेशियों के स्थान पर भारतीय नियुक्त किये जाएंगे।

विदेश नीति

विदेश नीति की सफलता की कसौटी राष्ट्र के उदात्त हितों का संरक्षण तथा संवर्धन करने की उसकी क्षमता है। इस कसौटी पर कांग्रेस शासन की विदेश नीति पूर्णतया असफल सिद्ध हुई है। उससे न तो भारत के प्रति पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण नीति को बदला जा सकता है, और न कम्युनिस्ट

चीन को भारत की भूमि पर से अपने आक्रमण को हटाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। विश्व-शांति तथा सभी राष्ट्रों के प्रति मित्रता की नीति के बावजूद जम्मू काश्मीर के प्रश्न पर भारत के न्यायपूर्ण पक्ष का किसी बड़े राष्ट्र ने समर्थन नहीं किया। सुरक्षा परिषद् में रूस का विशेषाधिकार भी तब तक प्रयुक्त नहीं हुआ जब तक पाकिस्तान ने पश्चिम के सैनिक गठबन्धनों की सहायता स्वीकार नहीं की। भारत पर चीन का आक्रमण तो वर्तमान विदेश नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। तिब्बत में अपने अधिकारों का परित्याग करके और उस पर चीन की प्रभुसत्ता को स्वीकार करके कांग्रेसी शासकों ने न केवल भारत की उत्तरी सीमाओं के लिए स्थायी संकट मोल ले लिया है, अपितु 'विश्व की छत' पर एक नये तथा अपेक्षाकृत अधिक भयानक कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद को सिर उठाने का अवसर देकर सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है। इस प्रश्न पर भी भारत की विदेश नीति विश्व के जनमत को अपने पक्ष में संगठित करने में तथा उन राष्ट्रों का भी नैतिक समर्थन प्राप्त करने में विफल रही है जिन्हें कठिनाइयों में से निकालने के लिए भारत ने अपने हितों की भी उपेक्षा करने में संकोच नहीं किया। भारत को अपने पड़ौसी राष्ट्रों से पृथक करने के कम्युनिस्ट चीन के प्रयत्न को आंशिक सफलता मिली है। नेपाल में भारत-विरोधी भावना बढ़ी है। बर्मा और हिन्द एशिया ने भारत-चीन विवाद में जो रवैया अपनाया है उससे कम्युनिस्टों द्वारा प्रचारित इस भ्रम की ही पुष्टि होती है कि चीन शांतिपूर्ण समझौता चाहता है, जबकि भारत उसके विपरीत है। अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया के देशों में भारत का न्यायपूर्ण पक्ष उचित प्रचार के अभाव में समर्थन नहीं पा सका।

भारत की विदेश नीति उपनिवेशवाद के उन्मूलन पर आधारित है, किन्तु पुर्तगाली साम्राज्यवाद स्वतन्त्र भारत के मानचित्र को अब तक कलंकित किये हुए हैं। शासन ने गोवा की मुक्ति के लिए न तो स्वयं कोई प्रभावी कार्रवाई की है और न जनता को ही गोवा के स्वातन्त्र्य प्रेमियों की सहायता के लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह का पग उठाने का अवसर दिया है।

कांग्रेस शासन दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, कीनिया, मॉरीशस, फिजी आदि देशों में बसे हुए भारतीयों को नागरिकता के पूर्ण अधिकार दिलाने में विफल रहा है।

विश्व के दोनों शक्ति-गुटों से अलग रहने की विदेश नीति पर चलने का दावा करते हुए भी वर्तमान शासन अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर यदा-कदा ऐसा रवैया अपनाता रहा है जिससे यह धारणा उत्पन्न हुई है कि उसका झुकाव एक विशेष गुट की ओर है।

भारतीय जनसंघ विदेश नीति को अधिक यथार्थवादी, तेजस्वी तथा पौरुषपूर्ण बनायेगा जिससे वह भारत के हितों का संरक्षण और राष्ट्रों की स्वतन्त्रता तथा मानवाधिकारों की प्रतिष्ठापना करते हुए विश्वशांति के पोषण में अपना योगदान दे सके।

इस दृष्टि से भारतीय जनसंघ—

(1) विश्व के दोनों गुटों से अलग रहेगा और किसी ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय उलझन में नहीं फंसेगा जिसका संबंध भारत से न हो।

(2) सभी राष्ट्रों की सद्भावना तथा मित्रता के लिए उद्योग करेगा।

(3) सभी देशों की स्वतंत्रता तथा समता पर आधारित विश्वशांति की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और उसके घोषणा-पत्र में ऐसे संशोधन कराने का यत्न करेगा कि जिससे वह विश्व की जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सके और विश्वशांति तथा विश्व सहयोग का समर्थ अन्तर्राष्ट्रीय उपकरण बन सके।

(4) भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए प्रयत्नशील होगा।

(5) पश्चिमी उपनिवेशवाद तथा कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसे हुए देशों के स्वाधीनता आन्दोलनों को अपना पूर्ण नैतिक समर्थन प्रदान करेगा और उन्हें स्वतंत्र विदेश नीति का अवलम्बन करने के लिए प्रेरित करेगा।

(6) तिब्बत को चीनी साम्राज्यवाद से मुक्ति के प्रयत्नों में अपना योग देगा।

(7) जब तक पाकिस्तान एक पृथक राज्य के रूप में विद्यमान है, भारतीय जनसंघ उसके प्रति समसहयोग की नीति का अवलम्बन करेगा, बेरूबाड़ी के हस्तांतरण को रद्द कर देगा और निष्क्रांत सम्पत्ति व ऋण आदि की वसूली के सम्बन्ध में दृढ़ता से काम लेगा।

(8) विदेश स्थित भारतीयों को उनके अपने देशों में समान नागरिकता के अधिकार दिलाने के लिए उद्योग करेगा।

[12 नवम्बर, 1961; वाराणसी, भा०प्र०स०]

1967

प्रस्तावना

युग परिवर्तन के लिए कृत संकल्प भारत की जनता के लिए चौथा आम चुनाव एक महान अवसर और चुनौती है। कांग्रेस दल पिछले बीस वर्षों से सत्तारूढ़ है। उसने जनता का विश्वास खो दिया है। वह भारतीय राष्ट्र के सामर्थ्य, स्वाभिमान और साधना को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने जनता और जवानों के पौरुष, पराक्रम और प्रतिकार-क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं किया, देश की एकता और आत्मीयता की अनुभूति नहीं की, जनमत का समादर नहीं किया और न जनहित की चिन्ता ही की। स्वतन्त्रता, समृद्धि और सामर्थ्य के साधक भारत को आज उसने दासता, दरिद्रता और दयनीयता के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज वह परावलम्बन, परानुकरण और पराभव की प्रतिमूर्ति है। अपने स्वदेश, स्वधर्म और स्वतन्त्रता के लिए सदियों से संघर्ष करने वाला भारत स्वराज्य में ऐसी सरकार को कभी सहन नहीं कर सकता। कांग्रेस के शासन को हमें बदलना ही होगा।

विकल्प

देश को एक पर्याय दल चाहिए। यह स्थान वही दल ले सकता है जिसके सिद्धांत सत्य, नीतियां स्पष्ट और कार्यक्रम सुनिश्चित हों; जिसकी जड़ें जनता में गहरी हों और जिसका संगठन व्यापक हो, जिसके पास लगन वाले ध्येयनिष्ठ, समाजसेवी और अनुशासनपूर्ण कार्यकर्ताओं का बल हो; जो यथार्थ की ठोस धरती पर खड़े होकर राष्ट्र को आत्मविश्वास, साहस और धैर्यपूर्वक ध्येय की ओर ले जा सके। इस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए ही भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। उसे जनता का बढ़ता हुआ सहयोग और विश्वास प्राप्त हुआ है। उसकी नीतियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उसकी दृष्टि रचनात्मक रही है। प्रजातंत्र में विरोधी दल के नाते उसने जनहित और जनाधिकार के पहरेदार का काम अत्यन्त सतर्कता और दक्षता से किया है। उसने जहां एक ओर शासन की गलत नीतियों की निर्भीकता और स्पष्टता से आलोचना की है वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की रक्षा और जनता के हित के प्रत्येक काम में शासन को सक्रिय सहयोग भी दिया है।

आज की विषम परिस्थितियों में भारत की जनता जनसंघ की ओर एक अपेक्षाभरी दृष्टि से देखती है। जनसंघ अपने दायित्व के प्रति जागरूक है और उसका निर्वाह करने की योजना से ही चतुर्थ महा-निर्वाचन में उतर रहा है।

भारतीय जनसंघ की 'सिद्धांत और नीतियां' के अधीन हम अगले पांच वर्षों के लिए शासन का निम्नलिखित कार्यक्रम मतदाताओं के विचार और स्वीकृति लिए प्रस्तुत करते हैं।

यथार्थवादी दृष्टि

आज देश की स्थिति अति विषम है। बाह्य आक्रमण और आन्तरिक विघटन एवं विद्रोह का संकट बढ़ रहा है। आर्थिक स्थिति अत्यन्त क्षीण, अभावग्रस्त और विपन्न है। शासनतन्त्र भ्रष्ट, अदक्ष एवं प्रभावहीन हो गया है। समृद्धि, सुख और शांति से सपनों का साकार होना तो दूर प्रत्युत हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा कानून और व्यवस्था को भी खतरा पैदा हो गया है। अतः आवश्यक है कि स्थिति को सम्भालने के लिए अविलम्ब उपाय किए जाएं। दुख का विषय है कि कांग्रेस और दूसरे दल परिस्थिति का यथार्थवादी आंकलन करने के स्थान पर विभिन्न वादों में उलझे हुए हैं। भारतीय जनसंघ राष्ट्र की सुरक्षा तथा जनता की रोटी, कपड़े, मकान आदि की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विषय में किसी 'वाद' से नहीं बंधा है। 'वाद' से न तो भूख का शमन होता है और न आक्रमणकारी और आसुरी तत्वों का दमन। जनसंघ इन प्रश्नों को राष्ट्रहित में यथार्थवादी दृष्टि से सुलझायेगा।

कार्यक्रम

आक्रान्त भूभाग की मुक्ति

कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के बड़े भूभागों पर बलात अधिकार कर बैठे हैं। कांग्रेस शासन की नीति इन क्षेत्रों को मुक्त कराने की नहीं रही। कोलम्बो प्रस्तावों की आड़ में चीन द्वारा अधिकृत भूभाग को भुलाने की कोशिश हुई है। कच्छ के रन में भारत की प्रभुता को अन्तर्राष्ट्रीय पंचाट का विषय बना दिया गया। ताशकन्द घोषणा के नाम पर पाक अधिकृत काश्मीर के जिन भूभागों को हमारी सेना ने पिछले वर्ष आजाद किया था उन्हें भी वापस पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इस नीति से दोनों शत्रुओं को अपनी स्थिति दृढ़ करने का मौका मिला है। अब वे मिलकर फिर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। जनता ने शासन की इस नीति का कभी समर्थन नहीं किया। उसने दृढ़ता और प्रतिकार की मांग की है। जनसंघ के आह्वान पर 16 अगस्त 1965 को संसद के समक्ष जनता का प्रदर्शन इसी भावना का प्रकटीकरण था। इसके उपरान्त ही भारत के जवानों ने लाहौर और स्यालकोट की ओर कूच किया तथा सम्पूर्ण राष्ट्र आन्दोलित हो उठा। उस समय देश की जनता और जवानों ने जिस एकता, अनुशासन, पुरुषार्थ और पराक्रम का परिचय दिया वह भारत के स्वातन्त्र्योत्तर काल की एक अभूतपूर्व घटना है। कुछ दिनों तक लगा कि शासन जनभावनाओं के अनुसार ही चल रहा है। इससे भारत की साख ऊंची उठी तथा जनता में विश्वास और साफल्य का भाव जागा। किन्तु दुर्भाग्य से, कांग्रेस शासन इस नीति को अधिक नहीं चला सका। वह अन्तर्राष्ट्रीय दबावों के सामने झुक गया। और फिर से समय से पूर्व युद्ध विराम तथा अतर्कसंगत और खेदजनक बातचीत का अप्रतिष्ठाकारक दौर प्रारम्भ हो गया। भारतीय जनसंघ जनता की भावनाओं और शासन की नीतियों के बीच की इस खाई को पाटेगा और आक्रान्त भूभाग की मुक्ति के लिए पग उठाएगा।

सुरक्षा

कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान के विद्यमान आक्रमण तथा उनके कुत्सित इरादों को ध्यान में रखते हुए आज की सुरक्षा नीति और विदेश नीति में परिवर्तन करना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित पग उठाए जाएंगे :

(1) जल, थल और वायु सेना की संख्या में वृद्धि कर उन्हें आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित करना। गुप्तचर विभाग में सुधार करना तथा सेना और नागरिक गुप्तचर विभागों के बीच तालमेल की व्यवस्था करना।

(2) एक विशाल प्रादेशिक सेना का संगठन करना।

(3) विद्यालयों में 2 वर्षों के लिए सैनिक शिक्षा का गहन प्रशिक्षण तथा विश्वविद्यालयों में युद्ध शास्त्र की शिक्षा।

(4) रक्षा सम्बन्धी उद्योगों का विकास एवं सुरक्षा विभाग का पुनर्गठन एवं अनुसंधान की समुचित व्यवस्था, जिससे देश इस दिशा में स्वावलम्बी हो सके।

(5) परमाणु एवं प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण।

(6) नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण तथा उसकी स्थायी व्यवस्था।

(7) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों की सहायतार्थ प्रत्येक जिले में एक ट्रस्ट बनाना।

(8) सीमान्त क्षेत्रों के विकास, बसावट एवं प्रशासन के लिए विशेष योजना और सुविधा।

विदेश नीति

भारत की बिनलगाव की विदेश नीति विश्व के दो गुटों में विभाजन तथा

उनके बीच के संघर्ष की पृष्ठभूमि में बनाई गई थी। उसकी उपयोगिता विश्व की विशेष स्थिति तथा दोनों गुटों में संघर्षोन्मुख सम्बन्धों तक सीमित है। बिनलगाव न तो हमारी विदेश नीति का स्थायी और एकमात्र आधार बन सकता है, और न उसका निर्णायक सिद्धांत। आज जब हम आक्रमण के शिकार हैं हमें मित्र-संचय करना पड़ेगा। अतः भारतीय जनसंघ अपने राष्ट्रीय हितों को सामने रखकर एक स्वतन्त्र विदेश नीति का निर्धारण करेगा तथा सभी देशों के साथ अपने सम्बन्ध समसहयोग के आधार पर बनायेगा। चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के विरुद्ध विभिन्न देशों के साथ, फिर वे किसी भी गुट में क्यों न हों, द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते किए जाएंगे।

जनसंघ ताशकन्द समझौते और कोलम्बो प्रस्तावों की रट बन्द करेगा। वह तब तक चीन और पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि वे आक्रान्त भूभाग को खाली करना स्वीकार नहीं करते।

भारतीय जनसंघ कम्युनिस्ट चीन का आक्रमण विद्यमान रहने तक उसके संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का विरोध करेगा।

भारतीय जनसंघ फारमोसा की चीन सरकार द्वारा भारत की प्रादेशिक अखण्डता स्वीकार करने पर उसे मान्यता देगा।

जनसंघ तिब्बत और सिक्यांग की स्वतन्त्रता का हामी है। वह दलाई-लामा की विस्थापित सरकार को मान्यता देगा।

भारत की पाकिस्तान की जनता के साथ कोई लड़ाई नहीं है। जनसंघ पाकिस्तानी जनता के उन सब आन्दोलनों के प्रति सहानुभूति रखता है जो वहां तानाशाही की समाप्ति तथा स्वतंत्रता के लिए किये जा रहे हैं। भारतीय जनसंघ की भारत और पाकिस्तान के एकीकरण में निष्ठा है। वह उन सभी प्रयत्नों और प्रस्तावों का स्वागत करेगा जो बिना किसी तीसरी शक्ति की प्रेरणा के एकता हेतु किये जाएं।

दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के देशों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करने का विशेष प्रयास किया जाएगा।

रंगभेद तथा रोडेशिया की गोरी सरकार के विरुद्ध अफ्रीकी जनता के संघर्ष, जिसमें बल प्रयोग भी सम्मिलित है, को पूरा समर्थन देगा।

भारतीय जनसंघ इजरायल के साथ दौत्य सम्बन्ध प्रस्थापित करेगा।

भारत की स्थिति और विश्व में उसके महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि वह सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य हो। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्रसंघ के संविधान में संशोधन का प्रयास किया जाएगा।

प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना भारतीय जनसंघ भारतीय राज्य का दायित्व मानता है। भारतीय जनसंघ गुआना, सुरिनाम, त्रिनीदाद,

मॉरीशस, फिजी जैसे नये राज्यों के साथ, जहां प्रवासी भारतीय काफी संख्या में बसे हैं, विशेष निकटता के सम्बन्ध विकसित करेगा। ब्रह्मदेश तथा तनजानिया के शासकों की नीति के परिणामस्वरूप जो भारतीय विस्थापित हुए हैं तथा जिनकी सम्पत्ति जब्त की गई है उन्हें पूर्ण क्षति-पूर्ति दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा। श्रीलंका के जिन वासियों को उनके पूर्वजों का भारत के साथ सम्बन्ध होने के कारण नागरिकता से वंचित किया गया है उन्हें वहां की नागरिकता दिलाने के लिए श्रीलंका के साथ हुए समझौते में सुधार और उसके क्रियान्वयन के लिए पग उठाये जाएंगे।

राष्ट्रीय एकता

आज देश में ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो भारत की एकता और प्रभुता को चुनौती दे रही हैं तथा विदेशी शक्तियों के पंचमांगी के रूप में काम कर रही हैं, उनका दृढ़ता से उन्मूलन आवश्यक है। भारतीय जनसंघ 'राष्ट्रद्रोह' के विरुद्ध एक कानून बनायेगा जिसके अन्तर्गत इन तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

देश की सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक विकास तथा भौगोलिक स्थिति का विचार कर पूर्वांचल प्रदेशों का पुनर्गठन किया जाएगा।

देश में राष्ट्रीय भावना के संस्कार दृढ़ करने के लिए पग उठाए जाएंगे। भारत का वर्तमान संविधान देश की एकता को प्रकट नहीं करता। अतः संविधान को बदलकर एकात्मक शासन घोषित किया जाएगा।

साथ ही एक ऐसे उच्चाधिकार सम्पन्न पंचाट की नियुक्ति की जाएगी जो विभिन्न प्रान्तों अथवा प्रान्त और केन्द्र के बीच उठने वाले किसी भी विवाद पर निर्णय दे सके। उसका निर्णय सबको मान्य होगा।

विदेशी मिशनरियों पर नियोगी एवं रैगे समितियों की सिफारिशों के अनुसार रोक लगाई जाएगी।

जम्मू और काश्मीर राज्य को अन्य प्रदेशों के स्तर पर लाने तथा वहां के वासियों को भारतीय संविधान में प्रदत्त सभी सुविधाएं और अधिकार दिलाने के हेतु जनसंघ संविधान के अनुच्छेद 370 को विलोपित करने के लिए पग उठायेगा।

फ्रांसीसी और पुर्तगाली चंगुल से मुक्त भारतीय भूभागों को राज्य-पुनर्रचना के आधारभूत सिद्धान्तों के अनुसार पड़ोसी प्रान्तों में मिला दिया जाएगा।

समानता

भारत के संविधान ने सम्पूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता तथा समान अधिकार दिये हैं, संविधान की इस भावना तथा एक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के विपरीत कहीं-कहीं जाति, प्रान्त, भाषा, मजहब के आधार पर भेदभाव की

शिकायत या इन आधारों पर विशेष सुविधा और संरक्षण की मांग की जाती है। जनसंघ पृथकतावादी मांगों तथा विभेदकारी व्यवहार दोनों को ही रोकेगा।

समान संहिता

भारत के सभी जनों के लिए विवाह, उत्तराधिकार, दत्तकविधान आदि के लिए एक से कानून बनाये जाएंगे।

प्रशासन

आज प्रशासन का ढांचा जर्जर हो गया है। शासक वर्ग में एक ओर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अदक्षता है तो दूसरी ओर भृत्य वर्ग में अपनी सेवाओं और परिलाभ की स्थिति के सम्बन्ध में घोर असन्तोष; दोनों ही दृष्टि से सुधार के उपाय अपनाने होंगे। पानी के समान भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। साथ ही वस्तुओं का बढ़ता हुआ अभाव तथा अधिकाधिक सरकारी नियन्त्रण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अतः अभाव मिटाना होगा, नियन्त्रण ढीले करने होंगे, काम में विलम्ब करने की पद्धतियों और प्रवृत्तियों को समाप्त करना होगा तथा सुधार ऊपर से शुरू करना होगा।

भारतीय जनसंघ एक उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग बनायेगा जो बड़े से बड़े व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर सकेगा। जनप्रतिनिधियों के व्यवहार के लिए एक आचरणसंहिता तैयार की जाएगी तथा विशेष कानून बनाकर उनके भ्रष्टाचार के लिए दण्ड की व्यवस्था की जाएगी।

जनसंघ पिछले सभी मंत्रियों तथा विशेष अधिकार सम्पन्न व्यक्तियों की सम्पत्ति की जांच कराएगा। आगे भी सत्तारूढ़ व्यक्तियों की सम्पत्तियों की जांच होती रहेगी।

केन्द्र, प्रान्त और स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन और परिलाभ समान स्तर पर होंगे। महंगाई बढ़ने पर महंगाई भत्ता उसी अनुपात में बढ़ाया जाएगा।

ऐसे कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है जो वर्षों से काम करने पर भी अस्थायी हैं, उन्हें स्थायी किया जाएगा। आकस्मिक श्रमिक के रूप में काम करने वाले मजदूरों का वेतन और परिलाभ बढ़ाया जाएगा तथा उन्हें अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं दी जाएंगी।

कार्यालयों में ऐसा स्वचालित यन्त्रीकरण नहीं होगा जो बेरोजगारी बढ़ावे।

शासन अपने सभी कर्मचारियों के आवास, उनके परिवार की चिकित्सा तथा बालकों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा।

प्रशासकीय कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए ब्रिटिश ह्विटले कौंसिल (Whitley Council) के समान एक प्रतिनिधिपूर्ण तथा प्रभावी वार्तातन्त्र स्थापित किया जाएगा।

आज के जीवनयापन के खर्चों की पृष्ठभूमि में पेंशनवालों की पेंशनें बढ़ाने तथा उनके हित की अन्य बातों का ध्यान रखा जाएगा।

मितव्ययिता और दक्षता

कर्मचारियों को पूरे परिलाभ देते हुए जनसंघ प्रशासन में मितव्ययिता और सादगी का आदर्श रखेगा। इस दृष्टि से अधिकारियों का अधिकतम वेतन राष्ट्रीय अधिकतम व्यय-योग्य आय की मर्यादा के अनुरूप 2000 रु० रखा जाएगा। मन्त्रिमण्डल की संख्या कम की जाएगी। राज्यपालों की नियुक्ति क्षेत्रीय आधार पर होगी। विधान परिषदें समाप्त कर दी जाएंगी। कमेटियों व परामर्शदाता बोर्डों के कार्य की जांच करके, अधिकांश को जो फालतू हैं, भंग कर दिया जाएगा।

प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी तथा उसकी सेवाओं का विचार अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह के अनुसार किया जाएगा। आये दिन चलने वाले अभियान, सप्ताह आदि दिखाऊ काम बन्द कर दिये जाएंगे।

भारतीय जनसंघ न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, इंजीनियरिंग, प्रबन्ध आदि की अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करेगा।

जनाधिकार

भारतीय जनसंघ आपात स्थिति की घोषणा को समाप्त कर देगा तथा भारत सुरक्षा नियम स्थगित कर दिये जाएंगे।

जनसंघ उन सभी अधिनियमों की जांच करेगा जो आधारभूत अधिकारों को सीमित करते हैं तथा जो अनावश्यक और अवांछित हैं उन्हें रद्द कर देगा। एक ओर इस बात की सतर्कता रखी जाएगी कि जनाधिकारों और प्रजातान्त्रीय पद्धतियों का दुरुपयोग कर शत्रु के पंचमांगी तथा विध्वंसकारी तत्व देश की स्वतन्त्रता, अखण्डता और शांति को धक्का न लगायें तथा दूसरी ओर जनाधिकारों पर ऐसे बन्धन न लगें जिनमें प्रजातन्त्र कुंठित हो जाए तथा जिसका दुरुपयोग शासक-वर्ग जनता को त्रस्त करने तथा अपनी मनमानी के लिए करें।

आंदोलन संहिता

भारतीय जनसंघ सभी प्रजातन्त्रीय दलों के साथ मिलकर प्रजातन्त्रीय आन्दोलनों तथा मताभिव्यक्ति के तरीकों की एक आचरण संहिता तैयार करेगा।

मूलभूत अधिकारों का संरक्षण

भारतीय जनसंघ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 108, 109, 144, 151 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 124 (अ) तथा 151, 153 (अ) में

संशोधन करेगा जिससे उनका नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए दुरुपयोग न हो सके।

शस्त्राधिकार

जनसंघ नागरिकों को शस्त्र रखने का अधिकार देगा। विशेष सेवा कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी राज्य कर्मचारियों तथा शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार होगा।

सत्ता का विकेन्द्रीकरण

भारतीय जनसंघ राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था करेगा। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, ग्राम पंचायतों तथा जिला परिषदों को संविधान में स्थान तथा उससे अधिकार प्राप्त होगा। उनके साधन स्रोतों की वृद्धि होगी।

ग्राम पंचायतों को ऊपर से न थोपकर नीचे से विकसित किया जाएगा। वहां सर्वसम्मत चुनाव की पद्धति प्रचलित की जाएगी। भूराजस्व में से उन्हें निश्चित धनराशि दी जाएगी।

न्याय

जनसंघ न्याय-पद्धति में सुधार करेगा। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को सभी स्तरों पर पृथक किया जाएगा तथा न्यायपालिका को पूर्णतया उच्च-न्यायालय के आधीन किया जाएगा।

जनसंघ काम के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करेगा। उनके परिलाभ आज की आर्थिक स्थिति के अनुरूप बढ़ाये जाएंगे। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा विभिन्न पदों या आयोगों पर नियुक्त करने की पद्धति समाप्त कर दी जाएगी।

अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की प्रथा खत्म कर दी जाएगी। जनसंघ न्याय को सस्ता और शीघ्रतर करेगा। समादेश याचिकाओं पर कोई फीस नहीं ली जाएगी।

शिक्षा

संविधान में 1961 तक सभी बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का निर्देश राज्य को दिया गया है। किन्तु यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनसंघ अगले पांच वर्षों में इस निर्देश का पालन करने के लिए पग उठायेगा। माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था रहेगी।

भारतीय जनसंघ शिक्षा का भारतीयकरण तथा अभिनवीकरण कर उसे राष्ट्रीय जीवन मूल्यों से सम्बद्ध करेगा।

भारतीय जनसंघ शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का आदर करेगा तथा उनको राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त करेगा। प्रत्येक जिले के आधार पर एक शिक्षा मण्डल का गठन किया जाएगा जिससे जिले के सभी

विद्यालय संलग्न होंगे। मण्डल में शिक्षकों, प्रबन्धकों तथा शासन के प्रतिनिधि होंगे। मण्डल विभिन्न शिक्षा संस्थाओं का अधीक्षण करेगा तथा उनके काम में तालमेल बिठायेगा।

जनसंघ उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को समवर्ती विषय बनायेगा।

जनसंघ सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के वेतनमान के अन्तर को समाप्त कर सबको एक ही स्तर पर लाएगा। सभी विद्यालयों में वेतन-क्रम समान होंगे।

प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण किन्तु उनकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। जनसंघ उनकी स्थिति सुधारने का विशेष प्रयत्न करेगा। उनका न्यूनतम वेतन 150 रु० मासिक निश्चित किया जाएगा।

शिक्षा का माध्यम उच्चतम स्तर तक क्षेत्रीय भाषाएं होंगी। अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम के विद्यालयों की भी व्यवस्था रहेगी। भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने की विशेष योजना बनाई जाएगी।

मातृभाषा, संस्कृत और हिन्दी का समावेश त्रिभाषी-सूत्र में होगा। जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उन्हें एक भारतीय भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। विदेशी भाषा की शिक्षा ऐच्छिक होगी।

भारतीय जनसंघ वर्तमान 'पब्लिक स्कूलों' और दूसरे स्कूलों के बीच विद्यमान अन्तर को समाप्त करेगा। विदेशी परीक्षाओं के लिए तैयार करने वाले स्कूलों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।

जनसंघ उन प्रशिक्षित भारतीयों को जो आज विदेशों में कार्यरत हैं, स्वदेश बुलाकर उनकी प्रतिभा एवं अनुभवों का उपयोग करने के लिए ठोस पग उठायेगा।

राजभाषा

कांग्रेस शासन ने संविधान के राजभाषा सम्बन्धी आदेशों का पूरी तरह उल्लंघन कर अंग्रेजी को देश के ऊपर थोपा है। भारतीय जनसंघ राष्ट्र को अंग्रेजी की दासता से मुक्त करेगा। जनसंघ निम्नलिखित भाषा-नीति को व्यवहार में लायेगा :

(1) संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाएगा। समारोहों तथा सरकारी अवसरों पर उसका ही प्रयोग होगा।

(2) क्षेत्रीय भाषाओं को प्रदेश के राजकाज की भाषा अविलम्ब बना दिया जाएगा।

(3) केन्द्र के उन विभागों का काम, जिनका जनता से सम्बन्ध रहता है, हिन्दी तथा प्रदेश भाषा के माध्यम से चलेगा।

(4) केन्द्र का काम हिन्दी में होगा। जो कर्मचारी हिन्दी नहीं सीख पाये

उन्हें एक निश्चित अवधि तक अंग्रेजी के प्रयोग की छूट रहेगी ।

(5) लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से ली जाएंगी ।

भारतीय जनसंघ हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के लिए समान पारिभाषिक शब्दावली तैयार करवायेगा ।

पुनर्वास

पाकिस्तान की हिन्दू-विरोधी नीति के परिणामस्वरूप तथा समय-समय पर गैर-इस्लामी नागरिकों को बाहर खदेड़ने के लिए होने वाले सुनियोजित दंगों के कारण लगभग एक करोड़ लोग पूर्वी बंगाल से विस्थापित होकर भारत आये हैं । उनके पुनर्वास का दायित्व भारत शासन ने सम्हाला है किन्तु इस दिशा में कोई सन्तोषजनक काम नहीं हुआ । भारतीय जनसंघ इस दिशा में बनी हुई योजनाओं को शीघ्र पूरा करेगा । दण्डकारण्य तथा अन्य योजनाओं में स्थानीय निवासियों का सहयोग लिया जाएगा जिससे विस्थापितों और पुराने लोगों के बीच सौहार्द और आत्मीयता का भाव बना रहे ।

इन विस्थापितों को नागरिकता देने की व्यवस्था पुनर्वास कार्यक्रम के अंग के रूप में ही की जाएगी ।

पाकिस्तान से आये व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति की जाएगी । यह क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास का व्यय पाकिस्तान से वसूल किया जाएगा ।

विस्थापितों को बसाने के लिए पाकिस्तान से भूमि मांगी जाएगी ।

सामाजिक कल्याण

भारत की समाज-व्यवस्था में संयुक्त कुटुम्ब के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा की आश्वस्ति प्राप्त थी । अब संयुक्त कुटुम्ब टूट रहे हैं । अतः हमें सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी । न्यायतः यह दायित्व उन प्रतिष्ठानों पर आता है जहां व्यक्ति श्रम करके राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देता है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना के रूप में यह काम कुछ अंशों में प्रारम्भ हुआ है, किन्तु कोई व्यापक एवं सभी पहलुओं का आंकलन करने वाली योजना नहीं बनाई गई है । भारतीय जनसंघ बीमारी, अपाहिजी, बेरोजगारी, बुढ़ापा तथा आश्रितों की शिक्षा और संस्कार की सभी आवश्यकताओं का विचार कर एक व्यापक सामाजिक कल्याण कानून की रचना करेगा तथा उन सभी विषयों में व्यक्ति को आश्वस्ति देगा ।

पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा

पिछड़ी जातियों को एक निश्चित अवधि में समाज के समान स्तर पर लाने के लिए एक योजनानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा । जो

व्यक्ति आगे बढ़ गये हैं उनका पिछड़ेपन में निहित स्वार्थ विकसित नहीं होने दिया जाएगा । पिछड़ी जातियों के समान ही अल्प आय वाले अन्य व्यक्तियों को भी सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी ।

मद्य-निषेध

भारतीय जनसंघ मद्यपान को सामाजिक बुराई समझता है जिसका निराकरण आवश्यक है । कांग्रेस शासन ने मद्य निषेध की जो नीति अपनाई है वह अपने उद्देश्यों में असफल रही है, उल्टे उससे अनुचित भट्टियां बढ़ी हैं । जनसंघ इस नीति को बदलेगा । वह सम्पूर्ण देश के लिए एक ही नीति बनायेगा और उससे सभी जगह लागू करेगा । साथ ही सुधारवादी कार्यक्रमों पर बल देकर लोगों को मद्यपान से विरत किया जाएगा ।

स्वास्थ्य और चिकित्सा

भारतीय जनसंघ चिकित्सा के क्षेत्र में किसी वाद या प्रणाली विशेष से बंधा नहीं है । वह सभी चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन देगा । आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता दी जाएगी तथा उसका उस नाते विकास किया जाएगा ।

सभी प्रकार की औषधियों के निर्माण में देश को स्वावलम्बी बनाने का यत्न किया जाएगा तथा इस दृष्टि से पेटेण्ट कानून में भी आवश्यक संशोधन किया जाएगा ।

आवास

आज देश में आवास की बहुत ज्यादा कमी है । पिछली तीन योजनाओं में प्रथम तो इस महती आवश्यकता का महत्व ही नहीं आंका गया और दूसरे जो भी कार्यक्रम लिये गये वे पूरे नहीं हुए । भारतीय जनसंघ प्रत्येक कुटुम्ब को एक साफ सुथरा गृह का लक्ष्य रखकर आवास निर्माण की बृहद योजना बनायेगा तथा उसके लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जाएगा ।

शहरों में गन्दी बस्तियों की समाप्ति तथा वहां के निवासियों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी । जब तक ये बस्तियां नहीं हटतीं तब तक के लिए वहां पानी, रोशनी, शौचालय आदि सभी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी ।

आर्थिक नीति

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शासन का ध्यान और शक्ति भारत के आर्थिक विकास पर ही केन्द्रित होने और उसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं की नीति और कार्यक्रमों के अनुसार प्रयत्नशील होने के उपरान्त भी आज देश में न तो एक स्वचालित विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा सकी है और न ही जन-सामान्य के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाया जा सका है । राष्ट्र की

सुरक्षा की आवश्यकताओं का तो योजना के निर्माताओं ने कभी विचार ही नहीं किया था, इसलिये इस दृष्टि से वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था असमर्थ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज जनता के अनेक वर्गों में प्रति व्यक्ति आय गिरी है और विषमताएं बढ़ी हैं। मूलभूत आवश्यकताओं तथा औद्योगिक उत्पादन की आधारभूत वस्तुओं, दोनों का भारी अभाव है। महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को इतना परावलम्बी बना दिया है कि विदेशों से ऋण और भारी आयात प्रत्येक क्षेत्र में अपरिहार्य हो गया है। अमरीकी गेहूं सरकार की खाद्य-नीति का आधार है। बिना कल-पुर्जों और कच्चे माल के आयात के हमारा औद्योगिक उत्पादन गिर जाता है। विकास और विस्तार की योजनाएं तो अनिवार्य रूप से विदेशी पूंजी और प्रविधि के आधार पर बनाई जाती हैं। इतनी अधिक पराश्रयता के कारण ही शासन को बाहरी दबाव में आकर रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। देश की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को भी बदलने के लिए दबाव डाले जा रहे हैं। योजनाओं में जिस व्यूहनीति और प्राथमिकताओं को स्वीकार किया गया है, उनके कारण आज सरकारी तंत्र का व्याप इतना बढ़ गया है कि उद्योगी, व्यापारी, किसान और मजदूर, प्रत्येक नियन्त्रण और नियमन की भूलभुलैयों से बाहर निकलकर साहस और सन्तोष की सांस ही नहीं ले पाता। बढ़े हुए सरकारी खर्च के लिए दुर्वह कर-भार लादा गया है तथा घातक मात्रा में अत्यधिक घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा लिया गया है, फलतः रुपये की क्रय-शक्ति बराबर गिरती जा रही है।

भारतीय जनसंघ प्रारम्भ से ही शासन की योजनाओं तथा आर्थिक नीतियों की गलतियों की ओर तथा उनसे होने वाले दुष्परिणामों की ओर संकेत करता रहा है। अब जबकि ये परिणाम इतने भयावह रूप में देश के सामने आ चुके हैं, हमने आशा की थी कि चौथी योजना को बनाते समय अनुभवों से शिक्षा लेकर पिछली गलतियों को सुधारा जाएगा तथा अर्थव्यवस्था को सन्तुलित करने की दृष्टि से उसके स्वरूप, आकार और व्यूह नीति का विचार किया जाएगा। किन्तु यह कुछ नहीं हुआ, प्रत्युत आयोग ने गलत रास्तों पर और भी तेजी से दौड़ने की सलाह दी है। भारतीय जनसंघ इस आत्मघाती कदम को रोकेगा तथा भारत की आर्थिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। हमें एक ओर तो ऐसे तात्कालिक उपाय अपनाने होंगे जिससे खाद्याभाव, महंगाई और विदेशी मुद्रा के संकट से राहत मिले और दूसरी ओर दूरगामी योजना और नीतियों का निर्धारण कर एक स्वावलम्बी विकासमान तथा समतापूर्ण अर्थ-व्यवस्था की नींव रखनी होगी।

विवरणमूलक आर्थिक योजना
(Micro Economic Planning)

भारतीय जनसंघ आर्थिक नियोजन को मानता है। अभी तक जो योजना बनी हैं वे अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने तथा जनता के कष्टों को दूर करने में असमर्थ रही हैं। प्रत्युत उनसे गम्भीर तनाव और कठिनाइयां पैदा हुई हैं। उनका निराकरण कामचलाऊ उपायों से नहीं हो सकता। चौथी योजना के जिस स्वरूप की कल्पना की जा रही है उसमें मूलगामी उपाय नहीं सुझाए गये। जनसंघ का मत है कि योजनाओं के उद्देश्य, प्राथमिकताएं, तकनीक तथा व्यूह रचना में परिवर्तन करना चाहिए। योजना का आधार देश के साधन और क्षमता होनी चाहिए। वह व्यावहारिक हो तथा उसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का समूल विकास होना चाहिए। बाहर की औद्योगिकी का अनुकरण और आयात करने के स्थान पर हमें अपनी औद्योगिकी का निर्माण करना चाहिए। देश के आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकीय स्वावलम्बन अपरिहार्य है।

भारतीय जनसंघ योजना को बदलेगा। योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को इस योग्य बनाना होना चाहिए कि वह देश की सुरक्षा तथा जनता के वर्धमान जीवन-स्तर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ हो सके। भारत की श्रमशक्ति का पूर्ण उपयोग तथा जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। सार्वदेशिक आधार पर बनी योजना के द्वारा निश्चित नीतियों का तथा कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा का निर्धारण होगा तथा सन्तुलित विकास एवं प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से क्षेत्रीय एवं परियोजनाओं की विवरण-मूलक योजनाएं बनाई जाएंगी।

खाद्य-नीति

खाद्यान्न की कमी, क्रयशक्ति का ह्रास तथा वितरण की खराबी आज की खाद्य-समस्या के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस शासन ने जो नीतियां अपनाई हैं उनसे यह समस्या और उलझी है। भारतीय जनसंघ निम्नलिखित उपाय अपनाएगा :

(1) अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषकों को सब प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाएगा। सिंचाई की दरें तथा लगान में छूट, सस्ते दर पर खाद, बीज, औजार तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) किसानों को खाद्यान्नों का प्रोत्साहक मूल्य दिया जाएगा। लेवी तथा खरीद का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।

(3) खाद्य निगम की शाखाएं सभी प्रदेशों में खोली जाएंगी जो एक

प्रतिस्पर्धी व्यापारी के नाते काम करेंगी। किसानों से बाजार मूल्य पर ही माल खरीदा जाएगा। दाम गिरने पर पूर्व-घोषित न्यूनतम मूल्य पर निगम माल खरीदेगी।

(4) खाद्य निगम किसानों से फसल का अग्रिम सौदा करेगी। इससे एक ओर किसान की कर्जे की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी तथा दूसरी ओर निगम को धान्य की आश्वस्ति रहेगी।

(5) क्रय-विक्रय अथवा बहुद्देश्यीय सहकारी समितियां निगम के अभिकर्ता के रूप में काम करेंगी।

(6) खाद्यान्न के क्षेत्र तोड़ दिए जाएंगे तथा दूसरे इसी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा दिए जायेंगे।

(7) अन्न का वितरण केन्द्रीय विषय होगा। प्रांतों पर केवल उत्पादन वृद्धि का दायित्व रहेगा।

(8) अमरीका से अन्न के आयात को अगले पांच वर्षों में बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। ब्रह्मदेश तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से द्विपक्षीय व्यापार समझौता करके चावल प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी।

(9) बड़े-बड़े नगरों तथा स्थायी रूप से अभाव के क्षेत्रों को अलग करके वहां राशन व्यवस्था लागू की जाएगी। राशन की मात्रा कम से कम 16 औंस प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रहेगी।

(10) सस्ते गल्ले की दुकानों की व्यवस्था सम्पूर्ण देश में रहेगी। केवल अल्प आय वाले व्यक्ति ही वहां से अनाज ले सकेंगे।

(11) सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य उद्योगों के श्रमिकों को महंगाई भत्ते का एक अंश सस्ते भाव पर आवश्यक वस्तुओं के रूप में दिया जाएगा।

(12) अनाज पर बिक्री कर तथा दूसरे कर हटा दिए जाएंगे।

(13) दूध तथा सहायक खाद्यान्नों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाएगा।

(14) जमाए हुए तेल को रंगना अनिवार्य किया जाएगा।

कृषि

भारतीय जनसंघ अपनी योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता देता है। कांग्रेस शासन ने खेती का विचार भूमि-सुधारों, जो अधूरे और अक्रियान्वित रहे हैं, तथा बड़े-बड़े बांधों तक ही किया है। सघन खेती की ओर, जो भारत की कृषि-नीति का लक्ष्य होना चाहिए था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अतः हमारी खेती की उत्पादकता में विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

सघन खेती के साथ ही बंजर भूमि को खेती के काम में लाया जाएगा। कांस तथा दूसरी हानिकारक घासों से खेतों की सफाई के लिए एक नया व्यावहारिक कार्यक्रम अपनाया जाएगा।

भूधृति की निश्चिति

भूमि सुधारों का उद्देश्य किसान के भूमि सम्बन्धी अधिकारों को निश्चित बनाना है जिससे खेती में पूंजी लगाई जाए तथा उसका विकास हो सके। कांग्रेस शासन के भूमि सुधार इस उद्देश्य में असफल रहे हैं। कानून से जो अधिकार मिले हैं वे व्यवहार में नहीं आए। भूमि सुधारों में संशोधन भी लगातार होते रहे हैं। सहकारी खेती और सरकारीकरण के नारों ने तो किसान के मन में भावी के विषय में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। भारतीय जनसंघ किसान को भूमि का मालिक मानता है। इस उद्देश्य से भूमि-सुधारों को अमल में लाया जाएगा तथा आगे भूमि सम्बन्धी अधिकारों में परिवर्तन न करने की आश्वस्ति दी जाएगी। बेदखलियां रोक दी जाएंगी।

चकबन्दी में चलने वाली धांधली बन्द की जाएंगी। चकबन्दी का खर्चा किसान से नहीं लिया जाएगा।

भूमि को पट्टे पर देने का अधिकार समाप्त होने के कारण आज बहुत-सी जमीन बिना जुती रह जाती है। इसने भू-विकास में लगने वाले पूंजी-विनियोजन को भी प्रभावित किया है। भारतीय जनसंघ खेती के आलेखों को ठीक करके भूमि को अनार्थिक जोत वालों तथा भूमिहीनों को पट्टे पर देने का अधिकार स्वीकृत करेगा। सरकारी जमीनों के पट्टे स्थायी किए जाएंगे।

खेती के लिए ऋण

भारतीय जनसंघ गांवों में स्टेट बैंक तथा दूसरे बैंकों की शाखाओं को खुलवायेगा जिससे सस्ते ब्याज पर किसानों की कर्ज की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। साथ ही सहकारी समितियों को भी पर्याप्त सहायता दी जाएगी जिससे वे ऋण की मांग को पूरा कर सकें।

सिंचाई

जनसंघ प्रयत्न करेगा कि प्रत्येक खेत की सिंचाई व्यवस्था हो सके। इस हेतु जो बड़ी योजनाएं चल रही हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। नहरी क्षेत्रों में, जहां सिंचाई पूरी नहीं हो पाती, नलकूपों की पूरक व्यवस्था की जाएगी। जमीन के नीचे के पानी का पूरा अध्ययन करके सिंचाई के उपयुक्त साधनों की योजना बनाई जाएगी। पुराने कुओं, तालाबों और बांधों की मरम्मत की व्यवस्था होगी तथा एक बड़े पैमाने पर सिंचाई के इन छोटे साधनों का विकास किया जाएगा। सरकार की ओर से नलकूप लगवाये जाएंगे तथा उनकी सिंचाई की दर नहरों की दर के समान ही होगी। जो निजी नलकूप लगायेंगे उन्हें

सस्ती दर पर बिजली मिलेगी तथा उन्हें दूसरे किसानों को भी पानी बेचने का अधिकार होगा।

खाद, उर्वरक और बीज

किसानों को कम्पोस्ट खाद तैयार करने और हरी खाद का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बीजों की उन्नत किस्म तैयार की जाएगी। प्रत्येक विकास खण्ड में एक भूमि परीक्षण प्रयोगशाला होगी जो प्रत्येक खेत की मिट्टी का मुफ्त परीक्षण करेगी। भूमि के उपयुक्त ही किसानों को उर्वरक और बीज सस्ते दर पर दिए जावेंगे।

लगान में कमी

कांग्रेस शासन ने किसान के लगान में विभिन्न आधारों पर वृद्धि की है। चौथी योजना में और वृद्धि का सुझाव है। भारतीय जनसंघ इस वृद्धि का विरोधी है। जनसंघ भूमि के लगान की दरों को एक वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित करेगा तथा भूमि की किस्म, पैदावार, भूधृति की पद्धति, किसानों के जीवन-स्तर को ऊंचा करने की आवश्यकता आदि का विचार करके एक-सी कर व्यवस्था लागू करेगा।

कृषि उपज बीमा

जनसंघ कृषि उपज बीमे की व्यवस्था करेगा।

गोरक्षा

गौ भारत का राष्ट्रीय मानबिन्दु है। भारत की खेती का आधार भी गौ है। भारतीय जनसंघ संविधान में संशोधन करके सम्पूर्ण देश में गोवंश हत्या पर प्रतिबन्ध लगाएगा।

गोरक्षा तथा गौ की नस्ल सुधारने के लिए कार्यक्रम लिए जाएंगे। देश भर में गो-सदनों की स्थापना की जाएगी जहां बूढ़ी गायें और बैल रखे जाएंगे। प्रत्येक ग्राम में गोचर भूमि छोड़ी जाएगी। गोशालाओं तथा डेरियों की स्थापना की जाएगी।

कृषि मजदूर

खेतिहर मजदूरों को पड़ती जमीन या हदबन्दी से बची हुई जमीन बांटी जाएगी। उनकी न्यूनतम मजदूरी वर्तमान मूल्यों के हिसाब से निश्चित की जाएगी और उसे लागू किया जाएगा। उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सहायक उद्योगों की स्थापना की जाएगी। खेतिहर मजदूरों को अचल सम्पत्ति के स्थान पर व्यक्तिगत जमानत पर ऋण मिल सकेगा।

वन

भारतीय जनसंघ पर्याप्त वनरोपण की व्यवस्था करेगा। वन महोत्सव एक दिखावा न रहकर प्रभावी कार्यक्रम बनेगा।

वनों के साथ वनवासियों का अभिन्न सम्बन्ध है। वन के विकास और उनसे होने वाली समृद्धि में उन्हें साझीदार बनाया जाएगा। वनोपज संग्रह के उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। वनों के ठेके से होने वाले लाभ में से वनवासी मजदूरों को बोनस दिया जाएगा।

जिन जमीनों पर वनवासी खेती करते हैं उनका पट्टा उनके नाम पर कर दिया जाएगा। उन जमीनों को, जहां वन नहीं रहे तथा खेती के लायक हैं, वनवासियों को खेती तथा वनरोपण के लिए पट्टे पर दी जाएंगी। टोंग्या पद्धति चालू की जाएगी।

तेंदू पत्ते के संग्रह का जहां राष्ट्रीयकरण हुआ है वहां उसे मुक्त कर दिया जाएगा।

उद्योग

पिछले पन्द्रह वर्षों से औद्योगिक विकास पर बहुत बल दिया गया है। अतः कई नये क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ हुआ है। किन्तु जिस औद्योगिकी के आधार पर यह औद्योगीकरण हुआ है वह बाहर से तथा भिन्न-भिन्न देशों से ली हुई है। विदेशी पूंजी और एकस्वों की उसमें बहुत अधिकता है। फलतः उससे पर-निर्भरता बढ़ी है, साथ ही ये उद्योग धन्धे भारत की अर्थव्यवस्था से एकात्म नहीं हो पाए।

आज का औद्योगिक ढांचा बहुत पूंजी-प्रधान है। बड़े उद्योगों पर बल, विदेशी पूंजी से गठबन्धन, खर्चीले सार्वजनिक क्षेत्र का आधिक्य तथा केन्द्रीयकरण ने इसे इतना पूंजी-प्रधान बना दिया है कि भारत जैसे पूंजी विरल देश के लिए वह भार बन गया है। अतः आवश्यक है कि विनियोजन पद्धति को बदला जाए। विकेन्द्रीकरण, स्वदेशी साधन तथा श्रम-प्रधान औद्योगिक प्रणाली को स्वीकार किया जाए तो हमारी भौतिक उपलब्धियां अधिक होंगी, बेरोज़गारी मिटेगी, विषमता कम होगी तथा आयात पर निर्भरता न होने के कारण विदेशी मुद्रा का अभाव भी नहीं रहेगा। अतः भारतीय जनसंघ देश के लिए उपयुक्त नये ढांचे का विकास करके उनको आज के उद्योगों के साथ संकलित करेगा।

भारतीय जनसंघ विकेन्द्रित छोटे उद्योगों को भारत के औद्योगीकरण के लिए उपयुक्त मानता है। अतः यन्त्रचालित छोटे उद्योगों को प्राथमिकता एवं सब प्रकार की सुविधा दी जाएंगी।

स्वदेशी

भारतीय जनसंघ स्वदेशी और स्वावलम्बन पर प्रारम्भ से ही बल दे रहा है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के समय विदेशी सहायता बन्द होने के बाद जब हमारे उद्योगधन्धों को विदेशी कच्चा माल और पुरजे मिलने बन्द हो गये उस समय शासन का तथा देश का ध्यान उस ओर गया तथा आयात प्रतिसंस्थापन

के कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। किन्तु अवमूल्यन और उसके कारण विदेशी सहायता का वचन मिलने के बाद से यह नीति फिर बदल गई है। शासन ने उदारता के नाम पर जो आयात नीति अपनाई है उससे इन कार्यक्रमों को भारी धक्का लगा है। भारतीय जनसंघ आयात नीति में उदारता के स्थान पर युक्ति-युक्तता को अधिक उपयुक्त समझता है। बिना स्वदेशी का अवलम्बन किये हम विदेशी मुद्रा के संकट से नहीं उबर सकते।

औद्योगीकरण

भारतीय जनसंघ अधिक औद्योगीकरण के लिए तथा विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए उन सभी उद्योगों को लाइसेन्स से मुक्त कर देगा जो पूर्णतः स्वदेशी साधन और पूंजी से खड़े किये जाएंगे।

जिन उद्योगों में विदेशी साधन लगते हैं उनमें तब तक विस्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि विद्यमान क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।

प्रत्येक उद्योग में लगने वाले पुर्जों और कच्चे माल के लिए आयात प्रति-संस्थापन का कार्यक्रम बनाकर उसे पूरा किया जाएगा।

भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय अनुसंधानशालाओं के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी डालेगा कि वे आयात प्रतिसंस्थापन के काम में पूरी मदद करें। निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

आयात-निर्यात

कम्यूनिस्ट देशों को छोड़ शेष विदेशी व्यापार निजी क्षेत्र में रहेगा।

भारतीय जनसंघ निर्यात वृद्धि के लिए नये बाजार ढूंढेगा। जहां तक होगा वह विदेशी सहायता निर्यात के साथ सम्बद्ध करेगा। जो देश भारत से माल आयात करने को तैयार नहीं हैं उनसे शक्यतः सहायता नहीं ली जाएगी।

निर्यात नीति का निर्धारण करते समय देश की आवश्यकता तथा मूल्यों का ध्यान रखा जाएगा।

भारतीय जनसंघ विदेशी व्यापार के बीमे का भारतीयकरण करेगा।

विदेशी पूंजी

भारतीय जनसंघ विदेशी पूंजी पर निर्भरता को न्यूनतम करेगा। विदेशी पूंजी के साथ गठबन्धन केवल कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में ही स्वीकार किया जाएगा। विदेशी पूंजी को किसी भी शर्त पर आधे से अधिक अंश नहीं लेने दिये जाएंगे।

भारतीय जनसंघ खान, जूट, तम्बाकू, काफी, चाय, रबर, दियासलाई, साबुन, वनस्पति, बिस्कुट तथा ऐसे अन्य उद्योगों के, जो बहुतांश में विदेशियों के हाथ में हैं, उत्तरोत्तर भारतीयकरण की व्यवस्था करेगा।

भारतीय जनसंघ एकस्व कानून में संशोधन करेगा।

मिश्रित अर्थव्यवस्था

भारतीय जनसंघ मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के नाम पर चलने वाला आज का विवाद और शीत युद्ध सारहीन है। आज देश में विकास के लिए इतना क्षेत्र है कि दोनों ही क्षेत्रों की शक्तियां और साधन अधूरे सिद्ध होंगे।

जनसंघ यह मानता है कि किसी भी उद्योग का दायित्व निर्धारण करते समय समाजवाद के किताबी सिद्धांत की अपेक्षा क्षमता, योग्यता तथा उपयुक्तता का ही मुख्यतः विचार करना चाहिए।

पिछली तीन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र का इतना अधिक विस्तार हुआ है कि उसे अब विद्युत, खनिज-तेल तथा सुरक्षा उद्योगों को छोड़कर शेष में दृढ़ीकरण का ही विचार करना चाहिए।

भारतीय जनसंघ विद्यमान निजी क्षेत्र के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें किसी उद्योग के राष्ट्रीय-करण की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उसका निर्णय राजनीतिक आधार पर न करके एक न्यायिक आयोग की जांच के आधार पर किया जाएगा।

पूंजी-निर्माण

भारतीय जनसंघ पूंजी-निर्माण को सब प्रकार से प्रोत्साहन देगा। लोगों में संयम का भाव पैदा करने, बचत की प्रवृत्ति बढ़ाने तथा पूंजी प्राप्त करने के लिए व्यय-योग्य आय की अधिकतम मर्यादा 2000 रु० प्रति मास निश्चित की जाएगी।

भारतीय जनसंघ अधिकोषण के विस्तार के लिए निजी और शासकीय बैंकों के सामने एक निश्चित कार्यक्रम और लक्ष्य रखेगा। जनसंघ बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को असमीचीन मानता है। अनुसूचित बैंकों के संचालक मंडल में जमाकर्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि के समावेश की व्यवस्था होगी।

कराधान

पिछले पन्द्रह वर्षों में भारत की कर नीति मनमाने ढंग से बनी है। केन्द्र, प्रान्त और स्थानीय संस्थाओं ने अनेक कर लगाये हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो एक ही वस्तु पर या एक ही वर्ग पर पड़ते हैं। इस प्रकार के कराधान का दुष्परिणाम मूल्यों और पूंजी-निर्माण दोनों पर हो रहा है। भारतीय जनसंघ एक कर जांच आयोग का गठन करेगा जो भारत की कर-व्यवस्था की जांच करके करदाताओं को राहत पहुंचाने तथा राष्ट्र की आर्थिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक मूल्यों तथा करदाता के संदर्भ में एक एकात्मक कर नीति का सुझाव दे।

मूल्य नीति

भारतीय जनसंघ एक मूल्य नीति निर्धारित करेगा जिसमें कच्चे और पक्के माल के मूल्य, वेतन और उजरत, ब्याज और लाभ इन सबके बीच तालमेल बना रहे। जनसंघ भौतिक नियंत्रणों के विरुद्ध है। वह मौद्रिक एवं वित्तीय उपायों से ही मूल्य नीति का नियमन करेगा। गन्ना तथा दूसरी नगद फसलों का दाम पक्के माल के मूल्य के अनुपात में बढ़ाया जाएगा।

आज महंगाई रोकने के लिए आवश्यक है कि सरकार के खर्च में भारी कटौती की जाए तथा जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन तथा उपलब्धि बढ़ाई जाए। जनसंघ इस दिशा में पग उठाएगा।

न्यूनतम आय

जनसंघ प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी देता है। आज की स्थिति में प्रत्येक काम करने वाले को कम से कम 125 रु० उजरत के रूप में अवश्य मिलेगा।

जो महिलाएं पूरे समय में काम नहीं कर सकतीं तथा अर्ध-बेरोज़गारों की आय में वृद्धि के लिए सहायक उद्योगों की व्यवस्था की जाएगी।

श्रमिक

भारतीय जनसंघ श्रमिकों को प्रबन्ध और लाभ में साझेदार मानता है। अतः वह औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए एक कार्यक्रम निश्चित करेगा, जिसके अंतर्गत अगले पांच वर्षों में सभी संगठित उद्योगों में यह योजना लागू हो सके।

भारतीय जनसंघ एक स्थायी वेतन बोर्ड गठित करेगा जो प्रत्येक उद्योग में समय-समय पर वेतनमान निश्चित करेगा। जब तक असली उजरत तथा बोर्ड द्वारा नियत उजरत में अन्तर है तब तक जनसंघ बोनस को स्थगित उजरत के रूप में मानेगा। उसके उपरान्त ही बोनस मुनाफे में साझा समझा जाएगा। इस दृष्टि से जनसंघ बोनस कानून में संशोधन करेगा।

भारतीय जनसंघ ठेके वाले मजदूरों के बोनस के अधिकार को भी स्वीकार करता है।

भारतीय जनसंघ जीवन निर्देशांकों की वर्तमान तालिका को बदल कर आधुनिक रूप से तैयार करायेगा।

सरकारी उद्योगों में सभी श्रम कानून अन्य उद्योगों के समान ही लागू होंगे।

परिवहन

जनसंघ सड़क, रेल, जल एवं हवाई यातायात के विस्तार एवं समन्वित विकास की ओर विशेष ध्यान देगा।

जनसंघ सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण का विरोधी है। जहां राष्ट्रीयकरण हो चुका है वहां निजी मोटरों को सरकारी मोटरों की प्रतियोगिता में चलने की अनुमति दी जाएगी।

अधिक जनता गाड़ियां चलाने, रात्रि की यात्रा करने वालों को बिना मूल्य सोने की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न किया जाएगा। रेल के जिन मार्गों पर दूरी से अधिक मीलों का किराया लिया जाता है, वहां किराया कम किया जाएगा।

रेलवे कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सभी रेलों पर सेवा के नियमों और परिलाभों में एकरूपता लाई जाएगी। चयन मण्डलों (Selection Boards) के नाम पर चलने वाली धांधली बन्द की जाएगी।

देश भर में मोटर टैक्सों तथा भारवहन के नियमों में एकरूपता लाई जाएगी। अन्तर्राज्यीय परिवहन के प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये जाएंगे।

पटना से कलकत्ता तक गंगा नदी को तथा डिब्रूगढ़ से गोहाटी तक ब्रह्मपुत्र को जहाजरानी के लिए उपयुक्त बनाने की योजना तैयार की जाएगी। घाटों के प्रबन्ध की ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जाएगी और उनका प्रबन्ध जल-नाविकों की सहायता से चलाया जाएगा।

जहाजरानी के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी जिससे निकट भविष्य में ही हम अपने सम्पूर्ण विदेशी व्यापार को ढोने में आत्मनिर्भर बन सकें। छोटे-छोटे और नये बंदरगाहों का विकास किया जाएगा तथा तटीय नौकायन में सवारी और माल की दरों में वृद्धि नहीं होने दी जाएगी। नाविकों और कर्मचारियों में विदेशियों के स्थान पर भारतीय नियुक्त किये जाएंगे।

सीमा क्षेत्रों में यातायात तथा संचार की व्यवस्था के लिए विशेष योजना ली जाएंगी। असम के लिए पर्याय मार्गों का निर्माण किया जाएगा।

कांग्रेसी शासन की असफलताएं

सुरक्षा नीति

पिछले बीस वर्षों से कांग्रेस शासन ने जो नीतियां अपनाई हैं उनके दूरगामी घातक परिणामों और सम्भावनाओं की ओर हम निरन्तर जनता का ध्यान दिलाते रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने अपनी पिछली कमाई की दुहाई देकर तथा सुखमय भविष्य की आशा पैदा करने वाले मोहक नारों से जनता को बराबर भुलावे में रखा। किन्तु पिछले पांच वर्षों में जो कुछ घटा है उसने देश को बुरी तरह झकझोर दिया है। अब किसी भी नारे अथवा शब्दाडम्बर से इन तथ्यों को नहीं झुठलाया जा सकता कि :

(1) देश की सुरक्षा और सेना की ओर ध्यान न देने के कारण तथा

पंचशील और सह-अस्तित्व के नारे के भुलावे में आकर, कम्युनिस्ट चीन की असलियत न समझने के कारण हमें 1962 में नेफा और लद्दाख में अपमानजनक पराजय देखनी पड़ी।

(2) **विदेश नीति**—अव्यावहारिक विदेश नीति के कारण पाकिस्तानी आक्रमण के समय दुनिया के किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि अमरीका, ब्रिटेन और रूस तीनों ने ही हमारे ऊपर दबाव डाला जिसके सामने झुककर कच्छ के रन का मामला एक अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को सौंपा गया तथा ताशकन्द घोषणा करके भारत के जवानों के पराक्रम और बलिदानों पर पानी फेर दिया गया।

(3) **गृह-नीति**—भारत की मूलभूत एकता और एकात्मता पर बल देने के स्थान पर उसकी विविधताओं की आड़ में काम करने वाली पृथकतावादी-विघटनकारी तथा राष्ट्र-विरोधी शक्तियों के साथ सन्तुष्टीकरण की नीति के कारण काश्मीर का एकीकरण नहीं हुआ। नागा और मिजो क्षेत्रों में विद्रोह पनपा, छोटी-छोटी इकाइयों में अलग रहने की प्रवृत्ति बढ़ी। प्रान्त, केन्द्र के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। भाषा विवाद इतना बढ़ गया है कि अब सदा के लिए अंग्रेजी देश पर थोप दी गई है। प्रान्तीयता, जातिवाद और साम्प्रदायिकता अपने अत्यन्त विषाक्त रूप में सर उठा रही है।

(4) **विदेशी कृपा पर निर्भर योजनाएं**—देश के साधन सामर्थ्य और स्वाभिमान का विचार न करते हुए परानुकरण और पराश्रय के आधार पर बनाई गई योजनाओं के कारण आज हम पूरी तरह परावलम्बी हो गए हैं। यहाँ तक कि हमें अपने रुपये की कीमत भी अन्नदाताओं और धनदाताओं के इशारे पर उनके भले के लिए निश्चित करनी पड़ी है।

(5) **भ्रष्टाचार**—भारत के शील, स्वधर्म और नीति की उपेक्षा कर जनता में अर्थपरायण निष्ठाओं को बलवती करने के कारण आज भ्रष्टाचार इतना व्यापक हो गया है कि कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा तथा बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपवाद मानना कठिन हो गया है। कांग्रेस शासन न तो देश की रक्षा कर पाया और न उसके संविधान की। आज हमारा तन भूखा है, मन टूटा है और धन लुट चुका है। भारत की 49000 वर्गमील भूमि शत्रुओं के हाथ में है। संकटकालीन स्थिति की घोषणा स्थायी-सी कर दी गई है जिससे संविधान और जनता के मौलिक अधिकार समाप्त हो गये हैं। राजभाषा के प्रश्न पर संविधान के अनुच्छेदों को ताक पर रख दिया गया है। गौहत्या बन्दी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण आदि प्रश्नों पर संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की पूरी तरह अवहेलना की गई है।

आह्वान

कांग्रेस को शासन चलाने और देश का स्वरूप अपनी कल्पना के अनुसार ढालने के लिए बीस वर्षों का एक लम्बा समय और पूर्णतः अनियंत्रित सत्ता दी जा चुकी है। वह पूर्णतः असफल रही है। अब और अधिक अवसर नहीं दिया जा सकता। भारत के नागरिकों को जो अपने देश के स्वामी और भाग्य के नियन्ता हैं अब उन चन्द व्यक्तियों के चंगुल से निकलना होगा जिनका कांग्रेस के शासन में निहित स्वार्थ है। इन्होंने देश को लूटा और तबाह किया हैं। आइये चतुर्थ आम निर्वाचन में हम एक प्रजातन्त्रीय क्रान्ति का सृजन करें और देश के पुरुषार्थ को नयी दिशा दें।

1971

प्रस्तावना

स्थिति

भारत आज इतिहास के तिराहे पर खड़ा है। मध्यावधि चुनाव में जनता को तय करना है कि वह देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। पहले कभी देश के सम्मुख इतने महत्वपूर्ण निर्णय की घड़ी नहीं आई। पहले कभी किसी लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र-विरोधी तथा लोकतंत्र-विरोधी शक्तियों के साथ ऐसा खुला गठबन्धन नहीं किया। पहले कभी सत्तारूढ़ गुट ने न्याय-पालिका तथा संसद की इतनी अवहेलना नहीं की। पहले कभी किसी सरकार ने कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने में ऐसी विफलता नहीं पाई जैसी श्रीमती गांधी की सरकार को पश्चिम बंगाल में मिली है। दूसरे शब्दों में, पहले कभी विकल्प इतने स्पष्ट नहीं थे, पहले कभी निर्णय इतने दो टूक नहीं हो सकते थे।

प्रधानमंत्री के इस दावे से शायद ही किसी को भरमाया जा सके कि उन्होंने लोकसभा को भंग करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि 'निहित स्वार्थ' उनकी कथित प्रगतिशील नीतियों के मार्ग में बाधक थे। सचाई यह है कि सत्तारूढ़ दल में देश के सम्मुख उपस्थित बुनियादी समस्याओं को हल करने की न तो क्षमता है और न इच्छा ही है।

बढ़ती हुई बेरोजगारी ने एक विस्फोटक परिस्थिति पैदा कर दी है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं उसको रोकने में विफल हुई हैं। वस्तुतः योजना आयोग बेकारी के विरुद्ध लड़ाई से भाग खड़ा हुआ है और तकनीकी शब्द-जाल के पीछे शरण ले रहा है। सत्तारूढ़ दल को इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि हमारी अपार जनशक्ति को कब और किस रूप में राष्ट्रीय विकास के महान कार्य में लगाया जाएगा।

सरकार की दूसरी भारी विफलता महंगाई में निरन्तर वृद्धि के रूप में सामने आई है। लगातार तीन वर्षों तक अच्छी फसल रहने के बाद भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण बढ़ोतरी यह बताने के लिए पर्याप्त है कि सरकारी नीतियों में कोई मूलभूत दोष है। गत वर्ष के केन्द्रीय बजट में जब 170 करोड़ रु० के नये टैक्स लगाये गये थे तब यह दावा किया गया था कि

मूल्यों में केवल आंशिक वृद्धि होगी। बाद की घटनाओं ने यह बता दिया है कि वह दावा कितना खोखला और प्रपंचपूर्ण था।

मूल्य-वृद्धि के कारण व्यापक जन-असंतोष फैला है और महंगाई भत्ते तथा मजदूरी में बढ़ोतरी की मांगें उठी हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों को अन्तरिम राहत दी गई है वह यद्यपि निराशाजनक और अपर्याप्त है किन्तु इस सम्बन्ध में व्यय की वृद्धि के लिए सरकारी नीतियां प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा वित्त मंत्रालय का भार किसी दूसरे को सौंपना अपनी व्यक्तिगत लोक-प्रियता को बचाने का प्रयास हो सकता है। किन्तु उन्हें पता है कि नये बजट में कई सौ करोड़ के नये टैक्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा बजट सन् 1972 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ दल की संभावनाओं के लिए कितना खतरनाक होगा इसको ध्यान में रखकर ही लोकसभा भंग की गई है।

लोगों से लगातार सादगी अपनाने के लिए कहा जाता है किन्तु सरकार अपने उपदेशों के विपरीत आचरण करके ही उनका पालन करती है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा व्यर्थ के कामों पर पानी की तरह बहाया जा रहा है। शान-शौकत और ठाठ-बाट का भौंडा प्रदर्शन जारी है। प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। नौकरशाही और लालफीताशाही उद्यम का गला घोट रहे हैं। औद्योगिक कारखानों की बहुतांश क्षमता बेकार पड़ी है। सार्वजनिक उद्योगों की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार की इन विफलताओं को यद्यपि आंकड़ों की जादूगरी में छिपाने का प्रयास किया जाता है, किन्तु आम आदमी इस सच्चाई से परिचित हुए बिना नहीं रह सकता कि सत्तारूढ़ दल के समाजवाद का अर्थ केवल इतना है कि जनता कर-वृद्धि और महंगाई के पाटों में पिस रही है, रोजगार के अवसर घट रहे हैं और गरीबी तथा शोषण में वृद्धि हो रही है।

कांग्रेस-विभाजन के बाद से श्रीमती इन्दिरा गांधी एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। आर्थिक मोर्चे पर अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए और स्वयं को सत्ता में बनाये रखने के लिए उन्हें साम्यवादियों और सम्प्रदायवादियों पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ा है। उनके समर्थन की कीमत के रूप में श्रीमती गांधी ने कम्युनिस्टों की हिंसात्मक तथा अराजकतावादी कार्रवाइयों की ओर से तथा मुस्लिम लीग के समूचे देश में पुनः जीवित किये जाने से अपनी आंखें मूंद ली हैं।

केरल के मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने मुस्लिम लीग के साथ खुला गठबन्धन किया। इस निकृष्ट अवसरवादिता पर पर्दा डालने के लिए प्रधानमंत्री ने केरल मुस्लीम लीग को 'असाम्प्रदायिक' होने का सार्वजनिक प्रमाण-पत्र प्रदान किया। अभी हाल में ही जम्मू में अपने वक्तव्य में श्रीमती गांधी ने

समूची मुस्लिम लीग को ही भारत-विभाजन के पाप से मुक्त कर दिया ।

मुस्लिम लीग का मुसलमानों की एकमेव प्रतिनिधि संस्था होने का दावा, विधानमंडलों तथा नौकरियों में पृथक संरक्षण की मांग, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में संशोधन करने के संसद के अधिकार को चुनौती और मुस्लिम उत्पीड़न की मनगढ़न्त कथाओं का प्रचार देश में उसी विषाक्त वातावरण का सृजन कर रहा है जो विभाजन के पूर्व विद्यमान था ।

प्रधानमंत्री ने नक्सलवादियों की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को 'सामाजिक-आर्थिक' कारणों से जोड़कर उन्हें एक आदर का स्थान दे दिया है । यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि नक्सलवादी उपद्रव के कर्णधार लाल चीन के एजेन्ट हैं जो भारत को पीकिंग के प्रभुत्व के अन्तर्गत लाना चाहते हैं ।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन कायम हुए 10 महीने होने आए, किन्तु कानून तथा व्यवस्था की स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है । मां की आंखों के आगे उसके लाड़ले बेटे की निर्मम हत्या करना, छात्रों के सम्मुख उनके अध्यापक का मौत के घाट उतारा जाना, दिन-दहाड़े राह चलते किसी नौजवान को छुरे का निशाना बनाना, किसी क्रांन्ति की अगवानी का सूचक नहीं, विनाश के कगार की ओर खींचे जाने वाले राष्ट्र की स्थिति का द्योतक है । सरकार का प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों के जीवन, धन तथा सम्मान की रक्षा करना है । वर्तमान सरकार इस दायित्व के पालन में पूर्णतया असफल रही है । अतः उसे कायम रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

मतदाताओं को निर्णय करना है कि वे क्या चाहते हैं— लोकतंत्र अथवा अधिनायकवाद, शान्तिपूर्ण परिवर्तन अथवा हिंसात्मक उपद्रव, योजनाबद्ध प्रगति अथवा अराजकता, कानून का राज्य या जंगल का कानून ?

आधारभूत मान्यताएं

भारतीय जनसंघ देश की जागृत जनता से अपील करता है कि वह सत्ता-रूढ़ कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा मुस्लिम लीग के अपवित्र गठबन्धन को चुनाव में पूर्णतया परास्त करे और उसके स्थान पर एक ऐसी वैकल्पिक सरकार को स्थान दे जिसकी राष्ट्रीयता और लोकतंत्र में अटूट निष्ठा हो और जो एक समतायुक्त समाज की रचना कर सके । जनसंघ का विश्वास है कि एक तेजस्वी नये भारत का निर्माण तब तक एक स्वप्न रहेगा जब तक आधारभूत तथ्यों को स्पष्ट शब्दों में नहीं रखा जाता । देश को भ्रमित करने के लिए जिन दिमागी जालों को जानबूझकर बुना गया है उन्हें साफ करना होगा । अतः दल की मूल मान्यताओं को, जिन्हें हम विश्व में अपनी योग्य भूमिका का निर्वाह कर सकने में समर्थ एक पराक्रमपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक समझते हैं, यहां दोहराना समीचीन होगा ।

एक राष्ट्र : एक जन

भारतीय जनसंघ भारत को एक राष्ट्र और सभी भारतीयों को एक जन मानता है । जाति, पंथ, भाषा तथा प्रदेश की विविधताओं ने हमारे जीवन की एकात्मता को अधिक सुन्दर और छविमान ही बनाया है । यहां तक की जो आक्रमण-कारी बनकर आए वे भी भारतीयता के रंग में रंगे गये और एकरूप हो गए ।

मजहब के आधार पर द्वि-राष्ट्रवाद अथवा भाषाओं के आधार पर बहुराष्ट्र-वाद का प्रतिपादन करने वाले हमारे एक राष्ट्रत्व को ही चुनौती देते हैं । यदि भारत को नये विभाजन की विभीषिका से बचाना है तो इन विघटनकारी विचारधाराओं को सदा सर्वदा के लिए समाप्त करना होगा ।

असाम्प्रदायिक राज्य

भारतीय जनसंघ एक असाम्प्रदायिक राज्य के प्राचीन आदर्श में पूर्ण विश्वास करता है । भारत में उपासना-पद्धति के आधार पर कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं बरता गया । राज्य ने विभिन्न मतावलम्बियों को सदैव समान स्वतंत्रता तथा संरक्षण प्रदान किया है । जनसंघ इस सेक्युलर परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है ।

किन्तु जनसंघ सेक्युलरवाद के नाम पर एक ओर अधार्मिकता तथा दूसरी ओर संतुष्टीकरण को प्रोत्साहन देने की नीति का विरोधी है । हम यह भी चाहते हैं कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी 'सर्वधर्म समभाव' के भारतीय आदर्श को अपनायें और अन्य धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता का, अपितु समादर का भाव रखें ।

समतायुक्त समाज

भारतीय जनसंघ एक समतायुक्त समाज की रचना के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है, जिसमें जन्म, वंश, जाति अथवा मजहब के आधार पर न किसी के प्रति भेद-भाव होगा और न पक्षपात किया जाएगा । ऐसा समाज आर्थिक शोषण तथा सामाजिक विषमता से सर्वथा मुक्त होगा ।

भारतीय संस्कृति में जो कुछ उद्दात्त, उत्तम और श्रेष्ठ है जनसंघ उसका संरक्षण और संवर्धन करेगा और असहिष्णुता, अंधविश्वास तथा रूढ़िवाद के विरुद्ध अनवरत संघर्ष करेगा जिससे स्वतंत्रता, समता और बन्धुता के आधार पर एक आधुनिक समाज की रचना का उद्देश्य पूर्ण हो सके ।

दरिद्रता के विरुद्ध पूर्ण युद्ध

जनसंघ दरिद्रता के विरुद्ध पूर्ण युद्ध की घोषणा करता है । इस युद्ध में

हम पूरी तरह विजय पाने के लिए कृत संकल्प हैं। स्वल्प आय, कम होती मांग, घटती बचत, घटते पूंजी विनियोग, रोजगार की कम होती संभावनाओं और गिरते उत्पादन के दूषित चक्रव्यूह को हमें हमेशा के लिए तोड़ देना है। हम रोजगार के अधिकाधिक अवसर, ऊंची आय, बढ़ती मांग, बचत में वृद्धि और अधिक पूंजी विनियोग की स्वस्थ प्रक्रिया को प्रारम्भ करेंगे, जिससे कम लागत पर अधिक उत्पादन हो सके।

भारतीय अर्थतंत्र का विकास ऐसा महान उद्यम है जिसे जाग्रत भारतीय जनता ही सफलता के साथ गतिशील बना सकती है। यह ऐसा गुरुतर भार है, जिसे न तो मुट्ठी भर थैलीशाह संभाल सकते हैं और न छुटभैये मंत्री, जो एक लाइसेंस यहां और दूसरा परमिट वहां बांटते फिरते हैं। भारतीय अर्थतंत्र का विकास कुछ बड़े पूंजीपतियों या बुरी सरकार के बूते की बात नहीं, बल्कि यह तो भारतीय जनता का दायित्व है। राष्ट्र की प्रचण्ड शक्तियों को बन्धन-मुक्त करके ही इसे सजाया और संवारा जा सकता है। प्रत्येक भारतीय, जिसकी भुजाओं में बल और मस्तिष्क में विचार है, ऐसा महसूस करे कि वह उद्योग स्थापित करने को स्वतंत्र है। दरिद्रता को भगाने और सबके लिए रोजगार के रास्ते खोलने का यही एकमात्र रास्ता है।

पूर्ण रोजगार

जनसंघ श्रम करने में समर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार का आयोजन करेगा। हमारा परमाणु कार्यक्रम बेरोजगार शिक्षितों के लिए रोजगार का विशाल क्षेत्र खोल सकेगा। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और प्रत्येक ग्राम समूह के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था करके हम ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी को विदा करेंगे। गांवों में सार्वजनिक निर्माण और आवास का विशाल कार्यक्रम आरंभ करके भारत का कायाकल्प किया जाएगा।

हम ये सब कार्य अपनी श्रम-शक्ति का उपयोग कर के, जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, पूरा करेंगे। प्रत्येक परियोजना को श्रमप्रधान बनायेंगे।

कृषि : हमारा महानतम उद्योग

कृषि हमारा सबसे बड़ा उद्योग है। आगामी पांच वर्षों में जनसंघ देश को खाद्य के मामले में आत्मभरित बना देगा। इसी अवधि में जनसंघ सभी फालतू कृषि-योग्य पड़ती भूमि को भूमिहीन मजदूरों और अलाभकर जोतों वाले किसानों, मुख्यतः अनुसूचित जतियों, जनजातियों और सेवा-निवृत सैनिकों में बांट देगा। अलाभकर जोतों को लाभप्रद बनाने के लिए व्याजमुक्त ऋण देगा। हम अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करेंगे और लघु सिचाई योजनाओं का जाल बिछायेंगे।

नाबालिगों, विधवाओं, अपंगों, सैनिकों और पुलिस के जवानों को छोड़कर

जनसंघ 'जमीन उसकी जो जोते' के सिद्धांत का पक्का हामी है। किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और बटाईदारों के उचित हिस्से की गारंटी की जाएगी। लगान को नये आधार पर निर्धारित किया और घटाया जाएगा। जनसंघ जोत की अधिकतम सीमा में किसी कटौती के खिलाफ है।

जनसंघ सेवा सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा देगा और उन्नत किस्म के बीज, बैल, खाद, कृषि यन्त्र, कीटनाशक दवाएं तथा कृषि के लिए अन्य आवश्यक साजो-सामान सस्ते दामों पर मुहैया कराने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कर्ज और उधार आदि की समुचित व्यवस्था करेगा। सिंचाई और बिजली दरों को घटाएगा, फसल और पशुओं के बीमे की व्यवस्था करेगा तथा पशुपालन और अच्छी नस्ल के पशु तैयार करने के कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। वह खाद्यान्नों की फसलों के लिए लाभप्रद मूल्यों की गारंटी करने के साथ-साथ कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में उचित संतुलन बनाये रखेगा।

हम गांवों में पीने के स्वच्छ जल का प्रबन्ध करेंगे। कृषि उद्योगों का विकास करेंगे और ग्रामीण जीवन का कायाकल्प करने में समर्थ स्वदेशी प्रौद्योगिकी को विकसित करेंगे।

आवास

कृषि के बाद आवास निर्माण देश का सबसे बड़ा उद्योग है। यह उद्योग न केवल प्रत्येक गृहस्थ और कारखाने की, मकान और इमारत की आवश्यकता को पूरा करता है बल्कि आर्कीटेक्ट, इंजीनियर, इमारती मजदूर और इमारती साजो-सामान की पूर्ति करने वालों के लिए रोजगार की असीम संभावनाएं खोलता है। जनसंघ बैंकों और बीमा संस्थाओं को प्रेरित करेगा कि वे विभिन्न आवास सहकारी समितियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दें। हम इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लम्बी अवधि के कर्ज देने वाले एक केन्द्रीय आवास अधिकरण की भी स्थापना करेंगे। इस प्रकार हम सब गन्दी बस्तियों को साफ कर देंगे और प्रत्येक परिवार के लिए रहने के लिए मकान देंगे।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्मित मकान/फ्लैट 'हायर परचेज' आधार पर आवंटित किये जाएंगे और लागत खर्च आसान किस्तों में वसूल किया जाएगा।

ऐसे कदम भी उठाए जाएंगे जिनसे शहरी इलाकों में मकानों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण हो।

औद्योगिक विकास

उद्योग जिस मंदी से पीड़ित और परेशान है, जनसंघ उससे चिन्तित है।

वह उद्योगों में नये जीवन का संचार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा।

हम नये उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस देने का काम राजनीतिज्ञों के हाथ से लेकर एक स्वायत्त संस्था के विशेषज्ञों को सौंप देंगे। यह संस्था सीधी संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। जिन छोटे और मध्यम उद्योगों को बिना किसी विदेशी मुद्रा की मांग के स्थापित किया जा सकेगा उनके लिए लाइसेंस लेने के सभी झंझट खत्म कर दिए जाएंगे। हमारी कोशिश यह होगी कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग को विकसित करने का दायित्व मध्यम और लघु उद्योग क्षेत्र को सौंपा जाए। इससे एकाधिकार रुकेगा और आम जनता के लिए उद्योग शुरू करना आसान होगा।

जनसंघ भारतीय अर्थतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए स्वदेशी भावना को पुनरुज्जीवित करेगा। वह विदेशों में रहने वाले भारतीयों को आमंत्रित और प्रोत्साहित करेगा कि वे भारत में पूंजी लगायें।

औद्योगिक स्वामित्व

जनसंघ समस्त सत्ता के, चाहे वह आर्थिक हो या राजनैतिक, विकेन्द्रीकरण के लिए कृतसंकल्प है। वह सत्ता के कुछ हाथों में केन्द्रीकरण का विरोधी है। परिणामस्वरूप वह व्यक्तिगत और सहकारी दोनों प्रकार के पूंजीवाद के खिलाफ है, क्योंकि इन दोनों का आर्थिक लोकतंत्र के सिद्धान्तों से मेल नहीं बैठता।

जनसंघ तत्काल औद्योगिक स्वामित्व के स्वरूप पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करेगा जो विभिन्न उद्योगों की विशिष्टताओं और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित करेगा कि स्वामित्व के विभिन्न स्वरूपों का वैज्ञानिक मापदंड और आधार क्या हो।

स्वायत्त मुद्रा अधिकरण

जनसंघ इस बात से चिन्तित है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ऋण लेना काफी महंगा और दुष्कर हो गया है। बड़े उद्योगों और बड़े फार्मों के मुकाबले छोटे उद्योगों और छोटे फार्मों को कर्ज ऊंची ब्याज दर पर दिया जाता है। इस सबसे हमारे इस संदेह की ही पुष्टि हुई है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक कदम था।

जनसंघ इस स्थिति को खत्म करेगा। वह राष्ट्रीयकृत बैंकिंग उद्योग को एक स्वायत्त मुद्रा अधिकरण में बदल देगा जो मुद्रा और उधार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। इस अधिकरण का मुखिया रिजर्व बैंक होगा जिसके स्वरूप और गठन में उपयुक्त परिवर्तन किये जाएंगे। इस अधिकरण का दोहरा

उद्देश्य होगा। मुद्रा नियंत्रण द्वारा वह मूल्यों को नियमित करेगा और अपनी ऋण नीतियों द्वारा सबके लिए रोजगार के द्वार खोलेगा।

स्वायत्त मुद्रा अधिकरण से अपेक्षा की जाएगी कि वह छोटे किसानों, गांवों और शहरी-कारीगरों, शिक्षित बेरोजगारों, इंजीनियरों, टेकनीशियनों और नये तथा लघु उद्योगपतियों को ऋण पाने की पात्रता का स्तर उठाने के उद्देश्य से सूक्ष्म आयोजन चलाने के लिए एक वित्तीय सलाहकार सेवा का विशद रूप से संगठन करे और सबको कर्ज की उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करे।

बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क

जनसंघ कर कानूनों को आसान बनाएगा जिससे करों की चोरी बन्द हो। वह कर-भार से दबे वर्गों को राहत प्रदान करेगा। वह ऐसे उपयुक्त उपाय करेगा जिससे अनुपार्जित आय का बड़ा भाग सार्वजनिक उपयोग में आ सके। कराधान का उपयोग व्यय-योग्य आय की वर्तमान असमानताओं को मिटाने और न्यूनतम एवं अधिकतम आय में 1 और 20 का अनुपात कायम करने के लिए किया जाएगा। हम ऐसा कोई कर नहीं लगायेंगे जिससे आम जनता के उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ें। हम कपड़ा, चीनी और तम्बाकू पर बिक्री-कर लगाने का विरोध करते हैं। जहां भी ऐसा बिक्री-कर लागू है जिससे जनता को परेशानी होती है वहां हम उसे हटाकर उत्पादन कर लागू करेंगे। इस बात की पूरी सावधानी बरती जाएगी कि ऐसी व्यवस्था से प्रदेशों को कोई हानि न हो।

हम ऐसे सब करों को खत्म कर देंगे जिनकी वसूली पर उनसे होनी वाली आय के बराबर ही खर्च करना पड़ता है, जैसे व्यवसाय कर, छोटी आय वालों पर आयकर, फेरीवालों पर कर, आदि।

विदेशी सहायता

7,000 करोड़ रु० से भी अधिक का विदेशी कर्ज लेकर सरकार ने एक अर्थ में देश की भावी पीढ़ी के भाग्य को गिरवी रख दिया है। जनसंघ प्रतिकूल शर्तों वाले ऋण समझौतों पर पुनर्विचार करेगा, तथाकथित 'सहायता' के नाम पर जो बोझ डाला गया है उसका भंडाफोड़ करेगा और उनकी शर्तों को बदलवायेगा।

जनसंघ पूर्ण स्वावलम्बी अर्थतंत्र की स्थापना के लिए काम करेगा और सभी विदेशी मदद से छुट्टी लेगा। आयात की जरूरतों को निर्यात से पूरा करेगा और व्यापारिक ऋण विश्व मुद्रा बाजार से प्राप्त करेगा। सभी विदेशी तकनीकी ज्ञान और साजो-सामान दुनिया भर से टेण्डर मांग कर खरीदेगा।

जनसंघ विदेशी सहयोग के सभी समझौतों की जांच-पड़ताल करेगा और उनमें से आपत्तिजनक धाराओं को हटवाएगा।

विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण

जनसंघ भारत में खुले सभी विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेगा और उपभोक्ता सामान बनाने वाली सभी विदेशी फर्मों का भारतीयकरण करेगा। उनकी शेयर पूंजी में भारतीय नागरिकों, खासकर उन विदेशी फर्मों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और निम्न तथा मध्यम आय वाले भारतीयों को भागीदार बनाया जाएगा।

जनसंघ विदेशी व्यापार के बीमे और कम्युनिस्ट देशों के साथ होने वाले सभी आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करेगा।

जनसंघ आयात लाइसेंस देने के लिए एक स्वायत्त बोर्ड गठित करेगा, जो सीधा संसद के अधीन होगा।

सार्वजनिक उद्योग

सरकारी क्षेत्र के कारखानों में विशाल पूंजी लगाने के बाद जो भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है वह गोलमाल का ज्वलन्त उदाहरण है। जनसंघ सरकारी उद्योगों को राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के चंगुल से मुक्त करायेगा और इनका प्रबन्ध, औद्योगिक प्रबन्ध का आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त एवं अनुभवी व्यावसायिक सार्वजनिक प्रशासकों को सौंपेगा।

सरकारी उद्योगों की स्वायत्तता और संसद के प्रति उनकी जवाबदेही के बीच उचित संतुलन रखा जाएगा।

सरकारी उद्योगों को आंख मूंदकर बढ़ाते और फैलाते जाने के बजाय जनसंघ उनको सुदृढ़ करने पर ध्यान देगा। घाटे पर चलने वाले सरकारी उद्योगों को इस तरह पुनर्गठित किया जाएगा कि वे लाभप्रद बन जाएं।

वेतनभोगियों के लिए नयी आशा

जनसंघ ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे शहरी और औद्योगिक मजदूरों एवं कर्मचारियों की रोजी सुरक्षित रह सके, उनका वेतन और मजदूरी आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन के सिद्धान्त के हिसाब से तय किये जाएं, शुद्ध वेतन और मजूरी सुरक्षित रहे तथा यूनियनों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता दी जाए।

मजदूरों और मालिकों के साथ परामर्श करके कानून द्वारा निश्चित 4 से 20 प्रतिशत तक मिलने वाले बोनस (Bonus) की दर को और बढ़ाया जाएगा।

कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अलावा खेतिहर मजदूरों को उनके कृषि उत्पादनों में सहभाग की गारंटी की जाएगी और इसी तरह वनवासी मजदूर वनों के उत्पादनों और वनसंपदा पर आधारित उद्योगों के उत्पादनों में साझीदार बनाए जाएंगे।

जनसंघ सामाजिक सुरक्षा—जिसमें बेरोजगारी-बीमा, मुफ्त डाक्टरी सहायता और सेवानिवृत्ति लाभ शामिल होंगे—तथा श्रमिक-कल्याण की—जिसमें मजदूरों के बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम भी होगा—संगठित योजनाएं शुरू करेगा।

जनसंघ श्रमिक कानूनों और उनके अधीन चलने वाली व्यवस्थाओं में इस तरह संशोधन करेगा जिससे मजदूरों को शीघ्रता से न्याय और औद्योगिक शान्ति को बढ़ावा मिले।

जनसंघ उद्योगों के प्रबन्ध और स्वामित्व में श्रमिक साझेदारी को प्रोत्साहित करेगा और इसके लिए श्रम का मूल्य शेयरों के रूप में आंका जाएगा।

महिला कर्मचारी

जनसंघ महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने का हामी है। जिन कार्यों में महिलाओं की विशेष दिलचस्पी है, उनमें उनको रोजगार से लगाया जाएगा, उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाएगा और महिला कर्मचारियों की ऐसी तर्कसंगत योजना की जाएगी जिससे महिलाओं और पुरुषों की होड़ खत्म हो। जनसंघ महिला मजदूरों के बारे में कानून की व्यवस्थाओं को मुस्तैदी से लागू करेगा और इसकी पक्की व्यवस्था करेगा कि 'समान काम के लिए समान वेतन' के नियम का पालन हो। जनसंघ मालिकों को प्रेरित करेगा कि वे इस तथ्य को स्वीकार करें कि श्रमजीवी गृहणियां एक विशिष्ट वर्ग है और वे ऐसी महिला कर्मचारियों के लिए काम के घंटे, श्रम व्यवस्था, आवास की सुविधा, परिवहन और बाल सेवा की उचित व्यवस्था करें।

हम बड़े शहरों में श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल निर्माण करेंगे।

छंटनी नहीं

जनसंघ ऐसे नवीकरण का विरोधी है जिससे रोजगार की व्यवस्था होने से पूर्व ही कर्मचारियों की छंटनी हो जाए। वह रक्षा और अन्तरिक्ष विज्ञान के अलावा अन्य सब उद्योगों में ऐसे मनमाने स्वचालन (Automation) का विरोध करेगा जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा बढ़े।

पेंशनरों के साथ न्याय

जनसंघ रहन-सहन के खर्च में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए पेंशन की राशि में पर्याप्त वृद्धि करेगा। वह केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ पेंशनरों को भी दिलाएगा।

मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड

मूल्यों को स्थिर रखने के उद्देश्य से जनसंघ घाटे की व्यवस्था में कमी

करेगा और मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड गठित करेगा जो लाभ की सीमा निश्चित करेगा। जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर कठोर दंड की व्यवस्था होगी और उचित मूल्य की दुकानों का जाल बिछाया जाएगा।

स्वदेशी योजना

जनसंघ सरकारी क्षेत्र के लिए सूक्ष्म एवं सविस्तार (Mirco) तथा समूचे अर्थतंत्र के लिए बहुमुखी एवं व्यापक (Macro) योजना के पक्ष में है। उसकी आस्था इसमें है कि सबको पूरा रोजगार मिले, अधिक से अधिक उत्पादन हो, समानतर वितरण हो और मूल्य स्थिर रहें।

इन उद्देश्यों को सामने रखकर जनसंघ चौथी योजना के स्थान पर स्वावलम्बी स्वदेशी योजना शुरू करेगा जिससे 10 प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

सम्पत्ति का अधिकार

जनसंघ जनता का दल है। वह आम आदमी के सम्पत्ति रखने के अधिकार का समर्थक है। वह उस दिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है जब प्रत्येक नागरिक के पास अपनी कहने को कुछ सम्पत्ति होगी। अतः जनसंघ सम्पत्ति रखने के संवैधानिक अधिकार पर कांगी-कम्युनिस्ट प्रहार को विफल बनाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है, क्योंकि यह हमला यदि सफल हुआ तो नागरिकों का वह अधिकार समाप्त हो जाएगा जिसके आधार पर वह यह कहने का साहस करता है कि यह मेरा घर है, यह मेरा खेत है, यह मेरा कारखाना है।

संविधान आयोग

जनसंघ संविधान को जड़ दस्तावेज नहीं मानता। संविधान को ऐसा प्रभावशाली साधन बनाये रखना होगा जिससे जनता की आशा और आकांक्षा पूरी होती चले। यही वजह है कि हमारे संविधान-निर्माताओं ने संविधान को लचीला बनाये रखने के लिए 374वें अनुच्छेद की व्यवस्था की। फिर भी उन्होंने पूरी सावधानी बरती कि संविधान का मूल ताना-बाना न बिखरने पाये (जनसंघ उनकी इस सावधानी को मूलतः उचित मानता है) और कोई उनमें मनमाने ढंग से तोड़-फोड़ न करे।

इधर कुछ समय से शासक दल की प्रवृत्ति यह हो गई है कि संविधान की जो धारा या व्यवस्था उसके राजनीतिक स्वार्थ साधन में बाधक बनती है उसकी निन्दा की जाए। जनसंघ इस प्रवृत्ति को दुर्भाग्यपूर्ण मानता है। फिर भी वह ऐसा महसूस करता है कि समय आ गया है जबकि संविधान के बारे में विधिवेत्ताओं का एक आयोग बैठाया जाए जो पिछले दो दशकों के अनुभवों के आलोक में संविधान पर विचार करे और सुझाव दे।

भारतीयकरण द्वारा राष्ट्रीय एकात्मता

जनसंघ राष्ट्रीय एकात्मता के लिए सक्रिय होगा और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधोलिखित ठोस कदम उठायेगा :

(1) हम संविधान के उन निर्देशक सिद्धांतों को लागू करेंगे जिन्हें भुला दिया गया है यथा—14 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा (45वां अनुच्छेद), गोवंश की रक्षा (48वां अनुच्छेद), नशीले पेयों (शराब) की खपत में शीघ्रता से कमी (47वां अनुच्छेद), समूचे राष्ट्र के लिए समान नागरिक संहिता (44वां अनुच्छेद)।

(2) हम शिक्षा को नैतिकता एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ऐसा सार एवं स्वरूप प्रदान करेंगे जिससे बच्चों में देश की धरती, सभी भारतीयों के प्रति, और सांस्कृतिक परम्परा के प्रति प्रेम जागे। इस उद्देश्य से हम पाठ्य-पुस्तकों में संशोधन करेंगे।

(3) हम किसी तरह के भी दंगे-फसाद को रोकने के लिए सभी कदम उठायेंगे। दंगा होने पर हम अपराधी को दंड और पीड़ित को मुआवजा देंगे।

(4) **अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना**—हम संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना करेंगे जो सरकार को केन्द्र तथा राज्यों से सम्बन्धित सभी मामलों पर परामर्श देगी।

राज्यों के बीच ऐसे विवादों पर जो पारस्परिक समझौता-वार्ता द्वारा तय नहीं हो सकते, जनसंघ पंच फैसला देने के लिए आयोग नियुक्त करेगा।

क्षेत्रीय असंतुलन के कारण पृथक राज्यों की सभी मांगों को भी इस आयोग को सौंपा जाएगा जो उपयुक्त आर्थिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक हल सुझायेगा।

जिस ढंग से वर्तमान सरकार दलगत कारणों से नये-नये राज्यों का निर्माण करती जा रही है उसे जनसंघ अवसरवादी मानता है। इस प्रकार दिल्ली को एक राज्य का दर्जा देने से मना करना और अन्य क्षेत्रों को जो जनसंख्या तथा आर्थिक साधनों की दृष्टि से उससे छोटे हैं, पृथक राज्य बनाना सर्वथा अनुचित है।

(5) संविधान के 371वें अनुच्छेद की व्यवस्था के अनुसार हम विभिन्न प्रदेशों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पृथक विकास बोर्ड गठित करेंगे।

(6) हम विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों पर रोक लगायेंगे। विदेशों से आने वाली सामग्री को सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ही वितरित किया जाएगा।

(7) हम जम्मू और काश्मीर के पृथक विधान को खत्म करके उस राज्य को देश के अन्य राज्यों के समान स्तर पर लायेंगे।

(8) समाज के पिछड़े वर्गों को समान सार्वजनिक अवसर प्रदान करने और उन्हें समाज के विकसित वर्गों के समकक्ष लाने के लिए हम दस वर्ष के भीतर सम्पन्न होने वाला विशाल कार्यक्रम क्रियान्वित करेंगे।

(9) अस्पृश्यता मनुष्य और परमात्मा दोनों के विरुद्ध घोर अपराध है। हम छुआछूत मिटाने के सभी कानूनों को पूर्णतया लागू करेंगे और जहां जरूरी होगा इन कानूनों को और कठोर बनायेंगे। हम उन सब दीवारों को ढहा देंगे जो एक भारतीय को दूसरे भारतीय से जुदा करती है। हम एक समरस और समतायुक्त समाज की स्थापना की प्रक्रिया को तेज करेंगे।

(10) जनसंघ समाज के सभी वर्गों में खासकर उन वर्गों को जो ऐतिहासिक कारणों से राष्ट्रीय जीवन की मूल धारा से अलग-थलग पड़ गए हैं, भारतीयता की भावना भरेगा।

शिक्षा प्रणाली

राष्ट्रीय जीवन मूल्यों को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक भारत की आवश्यकता पूर्ति—इन दोनों ही दृष्टि से, शिक्षा प्रणाली में जनसंघ सुधार करेगा।

भारतीय भाषाओं का विकास

स्वभाषा के बिना स्वराज्य अपूर्ण है। जनसंघ राज्य स्तर पर अंग्रेजी को हटाने और उसके स्थान पर भारतीय भाषाओं को आसीन करने की प्रक्रिया को तेज करेगा तथा प्रशासन, अदालतों और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को ही माध्यम बनायेगा।

जनसंघ अगले पांच वर्षों के भीतर हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करेगा। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं सभी मान्य भारतीय भाषाओं में लेने का प्रबन्ध किया जाएगा जिससे अहिन्दी भाषियों को केन्द्रीय सेवाओं में आने में कोई कठिनाई न हो।

पंजाब में हिन्दी का सदा से व्यापक प्रयोग होता रहा है। उसे शिक्षा और प्रशासन में उचित स्थान दिया जाएगा।

जनसंघ उर्दू भाषा के विकास पर भी पूरा ध्यान देगा और कानून द्वारा उसे जो सुविधाएं प्राप्त हैं उनको दिलाने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जनसंघ

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा देने के खिलाफ है।

लोक संचार का माध्यम

आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा फिल्म विभाग का जनसंघ एक स्वायत्त निगम बनायेगा। दूरदर्शन व्यवस्था की व्यापक स्थापना में गति लाई जाएगी।

जनता के मनोरंजन तथा ज्ञानवृद्धि में फिल्मों का जो महत्वपूर्ण योगदान है—जनसंघ उसे अनुभव करता है। इस महत्वपूर्ण उद्योग को जो भी राहत सम्भव है उसकी व्यवस्था के लिए पग उठाए जाएंगे। नये सिनेमाघर खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

पुनर्वास

विभाजन के तेईस वर्ष बाद भी पूर्व पाकिस्तान से लाखों विस्थापितों का वर्ष-प्रतिवर्ष आना जारी है। वे बड़ी दर्दनाक हालत में रह रहे हैं। जनसंघ इस ओर ध्यान देगा कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ अच्छा व्यवहार हो, जिससे उन्हें अपने प्राण और इज्जत बचाने के लिए भागना न पड़े।

साथ ही जनसंघ भारत आये सभी विस्थापितों को शीघ्रता से बसाने का प्रबन्ध करेगा।

पिछले भारत-पाकिस्तान समझौते पूर्व पाकिस्तान में छोड़ी गई निष्क्रांत सम्पत्ति पर लागू नहीं होते। जनसंघ इन समझौतों को पूर्वी भाग में भी लागू कराने का प्रयत्न करेगा और विस्थापितों को उस सम्पत्ति का मुआवजा देगा जो वे छोड़कर आए हैं।

दो हत्याओं की जांच

श्री लाल बहादुर शास्त्री और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यपूर्ण मृत्यु के बारे में जनता के मस्तिष्क में जो संशय उठे हैं, जनसंघ उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वह इन दोनों रहस्यों का पता लगाने के लिए तीन जजों का जांच आयोग नियुक्त करेगा जिसे जांच के पूरे अधिकार प्राप्त होंगे।

स्वतन्त्र विदेश नीति

हालांकि सरकार गुट निरपेक्ष नीति के प्रति मौखिक आस्था प्रकट करती है, किन्तु नई दिल्ली जिस तेजी से रूस का पुछल्ला बनती जा रही है, जनसंघ उससे चिन्तित है। जनसंघ इस बात को फिर दोहराना चाहता है कि हम रूस से मैत्री चाहते हैं। लेकिन मैत्री तभी कायम रह सकती और बढ़ती है जब वह एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करने पर आधारित हो और एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में दखल देने से बाज आए।

पाकिस्तान को शस्त्र सहायता

इस प्रसंग में रूस द्वारा बराबर ऐसे मानचित्र प्रकाशित करना, जिनमें

भारतीय प्रदेश को चीन का इलाका दिखाया गया हो, हम कभी पसन्द नहीं कर सकते। उसके ऐसे रेडियो प्रसारण, जिनमें भारतीय दलों और नेताओं पर आक्षेप होते हैं, हमारी स्वतन्त्र राजनीतिक संस्थाओं पर खुला प्रहार है। हमारे चुनावों में, यहां तक कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी, उसका हस्तक्षेप हमारी प्रभुसत्ता पर आघात है। इस सबके ऊपर रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र से सज्जित करना हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है।

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को पुनः शस्त्रास्त्र देने को जनसंघ बहुत गंभीर बात मानता है। वह इस कार्रवाई को अमैत्रीपूर्ण कार्य समझता है। पाकिस्तान को हथियारबन्द करने में दोनों महाशक्तियों का एक ही उद्देश्य नजर आता है—भारत को तंग करना, हमारे साधनों पर दबाव बढ़ाना और हमारे आर्थिक विकास में रोड़ा अटकाना।

रबात में हुए इस्लामी शिखर सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधि-मण्डल भेजने का फैसला, अलफतह आतंकवादियों के स्वागत के लिए पलक पांवड़े बिछाना, दक्षिण विएतनाम की विद्रोही नेता, मदाम बिन्ह को अभूत-पूर्व दावतनामा और इंडोनेशिया द्वारा आयोजित कम्बोडिया सम्बन्धी सम्मेलन में भाग लेने से इंकार करना, ये कुछ उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करने को पर्याप्त हैं कि भारत की विदेश नीति और चाहे जो हो, पर वह स्वतंत्र नहीं है।

राष्ट्रमण्डल

जनसंघ भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से हटा लेगा। वह दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ विशेष सम्बन्ध कायम करने की दिशा में प्रयत्नशील होगा।

हम प्रवासी भारतीयों के हितों का संरक्षण और संवर्धन करेंगे।

भारत में बिना किसी रोक-टोक के सक्रिय विदेशी 'लॉबियों'—रूसी, अमेरिकी, चीनी, पाकिस्तानी, अरब आदि—को जनसंघ बड़ी गम्भीर चिन्ता की दृष्टि से देखता है। वह इन समस्त 'लॉबियों' को चकनाचूर कर देगा।

भारत—विश्व की एक महाशक्ति

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने हमेशा 'सब काहू से दोस्ती, ना काहू सों बैर' के सिद्धान्त का पालन किया है। लेकिन जनसंघ महसूस करता है कि दोस्ती और शान्ति की बात करने मात्र से न तो मैत्री सम्भव है और न शान्ति। फिर ये बातें सुरक्षा की उचित नीति की पर्याय नहीं बन सकतीं। यह तथ्य कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व के इन 23 वर्षों में भारत को चार हमलों का सामना करना पड़ा, यह सबक सीख लेने को काफी है कि शांति की साधना करते हुए भी हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।

भारतीय भूमि पर चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के जारी रहने के

प्रति जनसंघ पूरी तरह जागरूक है। हम इस दुहरे आक्रमण को खत्म करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। हम इस बारे में भी जागरूक हैं कि ये दोनों हमला-वर भारत की आजादी और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अतः हम इस बात के लिए कृतसंकल्प हैं कि अगले कुछ वर्षों में ही भारत को इतना शक्तिशाली बना दें कि वह विश्व की एक महाशक्ति बन जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम निम्नलिखित पग उठायेंगे :

(1) भारत की सशस्त्र सेनाओं को शक्तिशाली बनाएंगे और उन्हें आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सज्जित करेंगे।

(2) हम परमाणु आयुधों का शस्त्रागार बनायेंगे जिससे मातृभूमि पर किसी भी आक्रमण को विफल कर सकें।

(3) प्रतिरक्षा अनुसंधान और प्रतिरक्षा उद्योगों के माध्यम से सभी शस्त्रास्त्रों का निर्माण करेंगे और इस मामले में देश को पूर्ण स्वावलम्बी बनायेंगे।

(4) भारत के विशाल समुद्र तटों की रक्षा करेंगे। अपने व्यापार मार्गों को आपदमुक्त रखेंगे और भारतीय नौसेना को हिन्द महासागर की सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना बनायेंगे।

(5) सीमाओं की सुरक्षा की पर्याप्त एवं प्रभावशाली व्यवस्था करेंगे। सीमा क्षेत्रों में निवृत्त सैनिकों को बसायेंगे।

(6) पाकिस्तानी घुसपैठियों का प्रवेश रोक देंगे। देश में घुसे पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना होगा।

(7) समूची भारतीय जनता को सुरक्षा-सजग बनाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में प्रतिरक्षा अध्ययन की व्यवस्था करेंगे और समूचे देश में राइफल क्लबों की स्थापना करेंगे।

विजय-संकल्प

जनसंघ दरिद्रता का उन्मूलन करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ है। हमें इस संकल्प को पूरा करना है—इस पवित्र संकल्प को कि हमारी भावी सन्तानें समृद्धि में जन्म लेंगी और एक प्रथम श्रेणी के राष्ट्र के सम्मानित नागरिक के नाते विश्व में अपना मस्तक ऊंचा करके चल सकेंगी। यह खोखले नारों अथवा थोथी घोषणाओं से संभव नहीं है। दरिद्रता के दानव के विरुद्ध इस महासमर में भारतीय जनता के सफल होने के लिए कठोर परिश्रम, लगन, अनुशासन, निष्ठा तथा सबसे बढ़कर विजय की उद्दाम इच्छा-शक्ति आवश्यक है। देशभक्तों के एक दल के रूप में भारतीय जनसंघ जन-जन के मन में दरिद्रता के विरुद्ध इस पवित्र युद्ध में विजय पाने की दुर्दम्य आकांक्षा जगाएगा।

1972

प्रस्तावना

स्वतन्त्रता के बाद पहली बार अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव संसद के चुनावों से पृथक हो रहे हैं। पहली बार मतदाता को यह अवसर मिला है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग, मुख्य रूप से, प्रदेश स्तर की उन समस्याओं को सामने रख कर करे, जो जन-जीवन के अधिक निकट हैं और जिनसे उसका सीधा सम्बन्ध है। अतः यही अवसर है जब जनता स्वयं निर्णय करे कि सत्तारूढ़ दल ने अपने वायदे पूरे किये अथवा नहीं।

सत्तारूढ़ कांग्रेस विजय और स्थायित्व के नाम पर वोट मांग रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दो में से किसी भी एक मुद्दे पर वह वोट पाने की हकदार नहीं। हाल में ही हमारी जो जीत हुई वह गौरवपूर्ण राष्ट्रीय विजय थी, जो हमारी बहादुर सेनाओं के कारण सम्भव हुई। वास्तविकता तो यह है कि नयी कांग्रेस ने यदि जनसंघ की बात मानकर ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ में ही बंगला देश को मान्यता दे दी होती तो बंगला देश में जाति-नाश को रोकने के साथ-साथ पाकिस्तानी सेना को उसके जमाव और तैयारी से पूर्व ही परास्त किया जा सकता था। पाकिस्तान से मुक्त कराये गये क्षेत्रों, हर्जाने की वसूली और युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकारी रवैये की अनिश्चितता को देखते हुए यह आशंका अब तक बनी हुई है कि चुनावों के बाद कांग्रेस देश को फिर धोखा देगी।

कांग्रेस के दावे

जहां तक स्थायित्व के सम्बन्ध में कांग्रेसी दावे का ताल्लुक है, इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता कि चौथे आम चुनाव के बाद के डेढ़ वर्ष की अवधि को छोड़कर गत पच्चीस वर्ष की अवधि में कांग्रेस को न केवल संसद में वरन् समस्त प्रदेशों के विधान-मंडलों में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, परन्तु इसके बावजूद वास्तविक स्थायित्व स्वप्न ही बना रहा।

सच तो यह है कि पार्टी में फूट और अलगाव के बाद कांग्रेस की राजनीति का समूचा स्वरूप ऐसा रहा कि भारतीय राजनीति में उससे गम्भीर अस्थिरता आई। शासक दल ने दल-बदल को एक व्यापक व्यवसाय बना

दिया। प्रधानमन्त्री प्रांतीय सरकारों को इस मजे से गिराती रहीं कि समूचा तमाशा कठपुतलियों का नाच जैसा प्रतीत हुआ। पार्टी के तात्कालिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए राज्यपाल के ऊंचे पद का भी दुरुपयोग किया जाता रहा है। इस प्रक्रिया में संविधान निष्प्राण हो गया है, प्रादेशिक स्वायत्तता एक मजाक बन गई है और देश एक-दलीय तानाशाही के रास्ते पर ढकेला जा रहा है। हमारी लोकतंत्री स्वतन्त्रता के रक्षक समाचार-पत्र और न्यायपालिका हैं। लेकिन 'प्रतिबद्धता' के नाम पर इन दोनों महान संस्थाओं की स्वतंत्रता को पंगु बनाने के प्रयत्न प्रारम्भ हो गए हैं।

इस सत्य को भलीभांति समझ लिया जाना चाहिए कि स्थायित्व स्वयं साध्य नहीं है। ऐसा स्थायित्व जो तेजी से आर्थिक विकास करने और सामाजिक न्याय दिलाने में सहायक नहीं होता, दुर्गन्धपूर्ण गतिरोध का ही कारण बनता है। 1947 से 1967 तक के बीस वर्षों में कांग्रेस ने अपने विशाल बहुमत के बावजूद मुख्यतः भ्रष्टाचार, बर्बादी, बेरोजगारी और अपने आंतरिक झगड़ों के शर्मनाक प्रदर्शन ही देश को दिये हैं। तेजी से तरक्की के संदर्भ में ही स्थायित्व की सार्थकता है और यह तभी सम्भव है जब सत्ता ऐसे दल के हाथों में हो जो आत्मस्फूर्त व अनुशासनबद्ध हो तथा संकल्प एवं लक्ष्य के बारे में स्पष्ट हों। ये ऐसे गुण हैं जो कांग्रेस के लिए सर्वथा विजातीय हैं। कांग्रेस की तुलना में जनसंघ ने, जो इन सब गुणों से ओतप्रोत है, दिल्ली में शानदार परिणाम दिखाये हैं। समय आ गया है कि देश कांग्रेसजनों को अपदस्थ कर दे ताकि वे फुरसत से और अपने ही नफा-नुकसान से, आपसी झगड़े सुलझा सकें और उनके स्थान पर जनता जनसंघ को अपनी सेवा करने का मौका दे।

कांग्रेस का रिकार्ड, चाहे किसी भी दृष्टि या पहलू से देखा जाए, असहनीय है। प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व शासक दल ने कोई न कोई एक आकर्षक और नया नारा खोज निकाला। 1952 में *लोककल्याणकारी राज* का नारा लगाया था तो 1957 में *समाजवादी ढांचे का समाज* का; 1962 में *सहकारी समाज* (कोआपरेटिव कॉमनवेल्थ) का नारा, तो 1967 में *समाजवाद* का और 1971 में *गरीबी हटाओ* का नारा लगाया गया। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ जनता की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती ही गई।

बेरोजगारी

जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई तब देश में बेरोजगारों की संख्या 33 लाख थी। आज, 20 साल बाद, बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख से भी अधिक है। संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 1971 के आरम्भ में देश में 75 हजार वैज्ञानिक और 64 हजार 700 इंजीनियर तथा तकनीकी (टैक्नालाजिस्ट) बेरोजगार थे।

साथ ही 1597 डाक्टर और 450 विमान चालक भी बेरोजगार थे।

मूल्य

पिछले दस वर्षों में खुदरा मूल्यों में प्रतिवर्ष औसतन 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले केवल एक वर्ष में दालों के थोक भाव के सूचक अंक में 68, चीनी के मूल्यों में 38, अंडे और मछली के मूल्यों में 16, अनाजों के मूल्यों में 13·6 और दूध के थोक मूल्य के सूचक अंकों में 11 अंकों की वृद्धि हुई। कारण यह है कि जब उत्पादन में 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, मुद्रा-पूर्ति में इसकी दूनी गति से भी अधिक की वृद्धि हो रही है। अकेले 1970-71 में 365 करोड़ रु० के 'घाटे की वित्त-व्यवस्था' की गई।

हानियां

राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकारी क्षेत्र की परियोजना में 500 करोड़ रु० से अधिक का घाटा उठाया गया। अकेले हिन्दुस्तान स्टील लि० में 178 करोड़ रु० का घाटा हुआ। यह रकम इतनी है कि इससे मध्यम श्रेणी का एक नया इस्पात कारखाना लगाया जा सकता है। भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्स का घाटा 77 करोड़ रु० तक पहुंच गया है। मशीनरी और एलाइड माइनिंग निगम की स्थापना 20 करोड़ रु० की पूंजी से की गई और यह निगम अपनी लागत की पूरी पूंजी ही घाटे में गंवा चुका है।

हरित क्रांति के बावजूद हम 1971-72 तक पी०एल०-480 के आधीन गेहूं का आयात करते रहे। रुई और तिलहनों की कमी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और हालत बिगड़ती जा रही है। खाद्य-तेलों, दालों, दूध और कपड़े की प्रति व्यक्ति औसत-खपत में वर्ष-प्रति-वर्ष कमी होती जा रही है।

लाइसेंस

सन् 1960-61 को आधार मानकर स्थिर मूल्यों के हिसाब से 1969-70 में औसतन प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन का सूचकांक 110·8 था। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन में वार्षिक वृद्धि औसत से एक प्रतिशत रही जो दुनिया भर में सबसे कम है। लेकिन इन वर्षों में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए दी गई हजारों अर्जियों को सरकार दबाये बैठी रही। 1970 में कुल 1800 अर्जियों में से सिर्फ 334 मंजूर की गईं। 1971 में कुल 3200 अर्जियों में से 495 मंजूर की गईं।

सरकार बात तो बड़े जोर से कहती है कि बिना विदेशी मदद के वह काम चलाएगी, परन्तु चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में 464 करोड़ रु० के बराबर अतिरिक्त विदेशी मदद की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भारत पर विदेशी ऋण की राशि 7800 करोड़ रु० से भी आगे बढ़ चुकी है। सरकार रुपये का एक बार फिर अवमूल्यन करने पर विचार कर रही है। ऐसा

होने पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। यह हमारी उस आर्थिक दुर्दशा का चित्र है जो शासक दल ने दिया है।

संविधान के निदेशक सिद्धांतों की अवहेलना

इधर हाल में सरकार ने एक नयी खोज यह की कि मौलिक अधिकारों का इतना महत्व नहीं है; उनमें संशोधन द्वारा कटौती की जा सकती है और राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत ही विशेष महत्व के हैं। लेकिन, सचाई यह है कि सब महत्वपूर्ण निदेशक सिद्धांतों की घोर उपेक्षा हुई है। उदाहरणस्वरूप, एक निदेशक सिद्धांत यह है कि 1960 तक 14 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी; लेकिन 12 वर्ष बाद आज 1972 में भी, 11-14 वर्ष वर्ग के केवल 35 प्रतिशत बच्चे ही पाठशाला जाते हैं। एक अन्य निदेशक सिद्धांत में भारत के पशु-धन के संरक्षण और सुधार की व्यवस्था है। लेकिन प्रतिवर्ष लाखों गायें कटती हैं जिसका नतीजा यह हुआ है कि पिछले 13 वर्ष में दूध की खपत में प्रति व्यक्ति 23 प्रतिशत की कमी आंकी गई है। एक तीसरा निदेशक सिद्धांत यह है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान विधि-संहिता होगी। लेकिन ऐसी विधि संहिता आज तक नजर नहीं आई। चौथा महत्वपूर्ण निदेशक सिद्धांत नशाबंदी के बारे में है, जिसको हवा में उड़ा दिया गया।

भारतीय जनसंघ—एकमात्र विकल्प

इस प्रकार कांग्रेस का रिकार्ड एक ऐसी कहानी है जिसमें लम्बे-चौड़े वायदे तो हैं किन्तु उपलब्धियां नगण्य हैं। योजनाएं लुभावनी हैं किन्तु उनकी क्रियान्विति असन्तोषजनक है, नारे गगनभेदी हैं मगर कार्य खोखले हैं। पार्टी सिर्फ इसलिए बच निकली क्योंकि वह क्रूर बहुमत में थी। अपनी विकरालता के आधार पर कांग्रेस यह मानकर चली कि वह जो चाहे करे, जनता सब कुछ स्वीकार करेगी। इस समूची अवधि में अधिकांश विधानसभाओं में मान्यता प्राप्त प्रतिपक्षी दल भी नहीं था। अंकुश और संतुलन के अभाव में ही सरकार जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को कुचलती और उसके वास्तविक हितों की बेफिक्री के साथ उपेक्षा करती रही।

राजनीतिक ध्रुवीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अखिल भारतीय स्तर पर अकेला जनसंघ एकमात्र विकल्प के रूप में उभर कर आया है। यह न केवल शक्तिशाली प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकता है बल्कि सुदृढ़ प्रशासन देने में भी समर्थ है।

कार्यक्रम

दल के ग्राम घोषणा-पत्र के अधीन जिसकी रूपरेखा 'सिद्धान्त और नीतियां' शीर्षक अभिलेख में प्रस्तुत है, जनसंघ बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अपने इस संकल्प को दोहराता है कि वह :

किसानों के लिए

भूमि सुधार कानूनों तथा जोत की सीमा निश्चित करने से सम्बद्ध कानूनों को दृढ़ता से लागू करेगा;

योजना की विभिन्न मदों के लिए निर्धारित की जाने वाली राशियों में कृषि को प्राथमिकता देगा;

छोटी सिंचाई योजनाओं का व्यापक रूप से विकास करेगा, नलकूपों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि करेगा और बिजली से चलने वाले पम्पों के लिए सस्ती दर पर बिजली की व्यवस्था करेगा;

सिंचाई दर में कमी करेगा और पांच वर्ष के भीतर प्रत्येक गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ देगा;

कृषि के लिए खाद, बीज आदि की पूर्ति की स्थायी व्यवस्था करेगा। सेवा सहकारिताओं के माध्यम से कीमती मशीनें सस्ते किराये पर दिये जाने का प्रबन्ध करेगा और ट्रैक्टरों के रख-रखाव की उचित व्यवस्था करेगा;

मालगुजारी में कमी करके उसे नये आधार पर निश्चित करेगा; बटाई-दारों के हितों की सुरक्षा और उनके वाजिब हिस्से की व्यवस्था करेगा; पशु और फसल के बीमे की व्यवस्था करेगा, तथा अच्छी नस्ल के पशु तैयार करने को बढ़ावा देगा;

संविधान के 48वें अनुच्छेद में वर्णित निदेशक सिद्धान्त को लागू करके गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएगा। गायों की खरीद के लिए ऋण और अनुदान देगा और धवल-क्रांति लाने के लिए दुग्धशाला उद्योग को विकसित करेगा तथा पांच साल में देश में दूध का उत्पादन दूना कर देगा;

ऐसे उपयुक्त कदम उठाएगा जिससे किसान का, खासकर उस किसान का जो फल, शाक, सब्जी आदि ऐसी फसलें उगाते हैं जो जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं, बिचौलिये शोषण न कर सकें, ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे किसानों को ढुलाई और भंडारन की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हों और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलायेगा; तथा

कृषि उत्पादनों और निर्मित माल के मूल्यों में तालमेल रखेगा और अलाभकर जोतों के किसानों को पंचवर्षीय ब्याज-मुक्त ऋणों की व्यवस्था करेगा ताकि उनकी जोत लाभकर हो सकें और देश के सभी किसानों के लिए

सस्ती ब्याज-दर पर पर्याप्त ऋण की व्यवस्था करेगा जिससे छोटे किसान के खेत में भी कृषि-क्रांति हो सके।

खेतिहर मजदूरों के लिए

फालतू और खेती योग्य पड़ती जमीन को, एक वर्ष के भीतर भूमिहीनों और अलाभकर जोत वाले किसानों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा भूतपूर्व सैनिकों आदि में बांटेगा; और

कानून बनाकर उनके लिए न्यूनतम वेतन तथा अतिरिक्त उपज में हिस्से की व्यवस्था करेगा।

कारीगरों के लिए

उत्पादन की नई तकनीक को बढ़ावा देगा, हाट सहकारिताओं का विकास करेगा और सस्ते मूल्य पर सुघरे किस्म के औजार खरीदने के लिए अनुदान देगा।

गांवों के लिए

गांवों में सार्वजनिक निर्माण और आवास का विशाल कार्यक्रम शुरू करेगा जिससे भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके;

तीन साल के भीतर प्रत्येक गांव में पीने के पानी (drinking water) की व्यवस्था करेगा; और

उत्पादन के विकेन्द्रीकरण के अनुकूल भारतीय प्रौद्योगिकी (technology) का विकास करेगा तथा साथ ही कृषि पर आधारित तथा अन्य लघु उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास करेगा।

अनुसूचित जनजातियों के लिए

इस समय कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुविधाओं को समूचे देश में विस्तृत करेगा;

वनों में और वनों के समीप उपलब्ध खेती के योग्य सब फालतू पड़ती जमीन को उनमें बांटेगा और अब तक विस्थापित हुए व्यक्तियों को बसाएगा;

वनों की छोटी-मोटी उपज को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेगा और सरकारी तथा निजी वन-प्रदेशों में उनके परम्परागत अधिकारों को फिर से स्थापित कर उनकी रक्षा करेगा;

वन सेवाओं में उनको प्राथमिकता देगा और न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत उन्हें संरक्षण देगा;

वनों पर आधारित उद्योग और श्रम-सहकारिताओं का विकास करेगा;

कर्ज से राहत दिलाने के नियमों को मुस्तैदी से लागू करेगा; और

उन्हें समाज की मूलधारा के साथ धीरे-धीरे एकरस करने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठायेगा।

अनुसूचित जातियों के लिए

छुआछूत के विरुद्ध कठोर कानून बनायेगा, और उन्हें सख्ती से लागू करेगा;

दो साल के भीतर ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जिससे सर पर मैला ढोने का तरीका खत्म किया जा सके;

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित कर, इस व्यवस्था को ईमानदारी के साथ लागू करने के उद्देश्य से विधानसभा-स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करेगा;

उनके लाभ के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षाएं, नवीकरण पाठ्यक्रम (रिफ्रैशर कोर्स) और सेवा के दौरान प्रशिक्षण कक्षाएं आरम्भ करेगा;

कुटीर और लघु उद्योगों के लिए निर्धारित साधनों में से उनकी जनसंख्या के अनुपात से साधन निकाल कर उन्हें ऐसे उद्योगों में लगाएगा जिससे अनुसूचित जातियों और जनजातियों को रोजगार मिल सके और समय-समय पर इनकी प्रगति का जाइजः लेगा; तथा

उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों के संरक्षण एवं विकास के लिए संविधान के निदेशक सिद्धान्तों का—भाव एवं भाषा दोनों ही दृष्टियों से—क्रियान्वयन करेगा।

विकलांगों और बाधितों के लिए

विकलांगों और बाधितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार देने के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक नीति का निर्धारण एवं संस्थागत ढांचे का निर्माण करेगा;

उपयुक्त औजार तथा कच्चा माल देकर उनकी मदद करेगा जिससे वे स्वयं अपना रोजगार आरम्भ कर सकें; और

सभी अपाहिजों एवं निराश्रितों की देखभाल की राजकीय व्यवस्था करेगा।

बालकों के लिए

14 वर्ष तक की उम्र के सब बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था करेगा;

मुख्यतः असंगठित उद्योगों में बाल-श्रमिकों की सेवा-शर्तों को नियमित करेगा और उनके कल्याण के लिए बाल कानून लागू करेगा; और

संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार घोषणा-पत्र के दस बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार कर उनके पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा।

महिला श्रमिकों के लिए

उपयुक्त व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार की इस तरह

व्यवस्था करेगा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच की प्रतिद्वन्द्विता को कम किया जा सके;

समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा;

महिला श्रमिकों से सम्बद्ध सब कानूनी व्यवस्थाओं को लागू करेगा और उनके श्रम के घण्टों में आवश्यक तालमेल बैठायेगा; तथा

श्रमजीवी महिलाओं के लिए विशेष आवासों की व्यवस्था करेगा, उनको परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करेगा तथा उनके बच्चों की देखभाल का प्रबन्ध करेगा।

असंरक्षित मेहनतकशों के लिए

मछुओं, नमक बनाने वाले मजदूरों, धोबियों, कुलियों, नाइयों और उनके साथ ही बाजारों या दुकानों, गोदियों, रेलवे यार्डों, मालगोदामों, गोदामों में सरकारी गाड़ियों पर माल लादने-तोलने आदि की दैनिकी पर काम करने वाले मजदूरों या ऐसे ही अन्य छोटे-मोटे काम करके गुजर बसर करने वाले असंरक्षित मेहनतकशों के लिए, राज्यों में विशेष कानून बनाएगा और प्रत्येक राज्य में उनकी समस्याओं पर विचार एवं उनके हितों की रक्षा करने के लिए परिषदें गठित करेगा; और

शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, घरेलू कर्मचारियों, अस्पतालों, सहकारिताओं, निर्माण-कार्यों, छोटे और मौसमी उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों, रिक्शाचालकों, स्कूटर और टैक्सी चालकों, बुनकरों, वकीलों की फर्मों, भूतपूर्व देशी नरेशों के नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए विशेष औद्योगिक विवाद कानून बनाएगा।

पेंशनभोगियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए

भूतपूर्व सैनिकों की भलाई के लिए बनाये गये विभिन्न कानूनों और कानूनी संरक्षणों को दृढ़ता से लागू करेगा;

सब प्रकार की पेंशनों की राशि में वृद्धि करेगा और उन्हें जीवन-निर्वाह व्यय के सूचकांकों से सम्बद्ध करेगा;

श्रमिक कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त संरक्षण को पेंशनभोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके संगठनों पर लागू करेगा; तथा

विभिन्न सेवाओं में पेंशन समितियों का गठन करेगा जिससे उनके मामलों और उनकी कठिनाइयों को तेजी से हल किया जा सके।

शहरी निराश्रितों के लिए

निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों को तेज करेगा, सब प्रकार के इमारती मजदूरों के लिए रोजगार की विशाल संभावनाओं का निर्माण करेगा;

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निश्चित करेगा तथा मकानों के

स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करेगा।

आवास

आवास व निर्माण समितियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देगा;

इस कार्य के लिए सस्ती ब्याज-दर पर दीर्घकालिक ऋण देने वाले एक केन्द्रीय आवास अधिकरण की स्थापना करेगा; और

गन्दी बस्तियों का सुधार, उनकी सफाई और मकानों-फ्लैटों का निर्माण तथा 'हायर परचेज' आधार पर उनका आवंटन करेगा।

श्रम वेतन-भोगियों के लिए

वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किये बिना छंटनी पर प्रतिबन्ध लगायेगा;

भर्ती, तरक्की, तबादले और सेवानिवृत्ति के मामलों में उपयुक्त एवं तर्कसंगत नीतियां अपनायेगा और सेवा की सुरक्षा का प्रबन्ध करेगा;

आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन, वास्तविक वेतन की रक्षा और न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस की गारण्टी करेगा;

संगठित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगा जिसमें बेरोजगारी का बीमा, निःशुल्क चिकित्सा, सेवा निवृत्ति सुविधाएं और श्रम-कल्याण (जिसमें श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा देना भी शामिल होगा) की परियोजनाएं शामिल होंगी;

औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था में सुधार करेगा जिससे न्याय आसानी से और मामूली खर्च से सुलभ हो सके;

उद्योगों के प्रबन्ध एवं स्वामित्व में श्रमिकों की साझेदारी का निर्माण करेगा; और

पुलिस कर्मचारियों तथा औद्योगिक सुरक्षा दल के सदस्यों की शिकायतें दूर करने के लिए विशेष व्यवस्था करेगा।

उपभोक्ताओं के लिए

घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी करके राज्यों के ओवर ड्राफ्ट (खाते में जमा राशि से अधिक रकम निकालने) में कमी करके और सरकारी खर्च में अपव्यय को खत्म करके मूल्यों के स्तर को नियमित करेगा; मूल्य स्थिरीकरण मंडल की स्थापना करेगा; जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों को कड़ा दंड देगा और उचित दर की दुकानें खोलेगा; तथा

शहरों में गरीब वर्गों को सस्ते भाव पर अनाज एवं खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानें एवं कैंटीनें खोलने के लिए सरकारी सहायता देगा।

उद्योगपतियों के लिए

जिन छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को शुरू करने के लिए विदेशी

मुद्रा की आवश्यकता न हो उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करेगा तथा सब प्रकार के एकाधिकार से मुक्त, स्वतन्त्र और विकेन्द्रीकृत अर्थतन्त्र के निर्माण के उद्देश्य से विशाल पैमाने पर उद्योगों की शुरूआत के लिए अन्य आवश्यक कदम उठायेगा।

करदाताओं के लिए

कर-कानूनों को आसान और कर-ढांचे को युक्तियुक्त बनायेगा जिससे करों की चोरी बन्द हो सके;

बिक्री-कर समाप्त करके उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लागू करेगा, इस शुल्क की वसूली केन्द्र करेगा और एक स्थायी वित्त आयोग के माध्यम से राज्यों में इसका इस प्रकार से आवंटन करेगा कि राज्यों के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

जिन करों की वसूली पर उनसे होने वाली आय से अधिक खर्च करना पड़ता है, तथा व्यवसाय कर, साइकल कर आदि, को समाप्त करेगा; और

कराधान व्यवस्था का उपयोग इस तरह करेगा कि आय वर्गों का अंतर कम हो और ऐसी कोशिश करेगा जिससे न्यूनतम और अधिकतम व्यय-योग्य आय का अनुपात धीरे-धीरे घटकर 1 और 20 का हो जाए।

अध्यापकों और छात्रों के लिए

शिक्षा प्रणाली के ढांचे में सुधार तथा उसका आधुनिकीकरण और भारतीयकरण करेगा ताकि वह व्यक्ति के चहुंमुखी विकास में सहायक हो और व्यक्ति को इस योग्य बना सके कि अपना जीविकोपार्जन करते हुए वह राष्ट्र के एक जिम्मेदार और संवेदनशील सदस्य के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह कर सके;

प्रत्येक बालक-बालिका के लिए माध्यमिक श्रेणी तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा;

गरीब किन्तु प्रतिभाशाली बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क उच्चतम शिक्षा का प्रबन्ध करेगा;

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और उनके सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहने की व्यवस्था करेगा, प्रत्येक जिले में एक शिक्षा बोर्ड गठित किया जाएगा जिससे जिले के सभी स्कूल सम्बद्ध होंगे, बोर्ड में अध्यापकों, अभिभावकों और प्रबन्धकों तथा सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए जायेंगे, यह बोर्ड जिले की सब शिक्षा संस्थाओं की देखभाल करेगा और उनके क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करेगा;

सरकारी और निजी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान के अन्तर को मिटायेगा और गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को सीधा राज्य सरकार की ओर से एक

निश्चित तिथि पर वेतन दिये जाने की व्यवस्था करेगा;

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-स्तर और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाएंगे; एक आयोग नियुक्त किया जाएगा जो प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं का बारीकी से और विशद् रूप से अध्ययन करेगा;

साक्षरता आन्दोलन को तेज किया जाएगा, शहरी इलाकों में एक वर्ष में और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन वर्ष में शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य पूरा किया जाएगा; और

ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान प्राप्त हो सके।

प्रशासन के क्षेत्र में

राज्य-स्तर पर कानून बनाकर लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की स्थापना करेगा (प्रशासन सुधार आयोग ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह एक बहुमूल्य सिफारिश की थी जिसे क्रियान्वित करने में भारत सरकार विफल रही);

कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए प्रभावशाली कदम उठायेगा, पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसे विशेष कदम उठायेगा जिससे वह कानून के सच्चे एवं सशक्त संरक्षक बनें;

प्रशासन का काम-काज भारतीय भाषाओं में चलेगा;

केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों में—खासकर वित्तीय मामलों के क्षेत्रों में—समन्वय कायम करेगा (चूंकि राज्यों के विकास-व्यय में दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि हो रही है और राज्यों के साधनों एवं दायित्वों के बीच असंतुलन बढ़ रहा है, अतः वे केन्द्र से मिलने वाले ऐच्छिक अनुदान पर अधिकाधिक निर्भर होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान वित्तीय साधनों की समीक्षा इस आधार पर की जानी चाहिए ताकि उन्हें ऐच्छिक आवंटन के बजाय कानूनी आवंटन से अधिक राशि उपलब्ध हो सके); और

केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों से सम्बद्ध सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए संविधान के 263वें अनुच्छेद की व्यवस्था के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए विशेष प्रयत्न करेगा।

आह्वान

भारतीय जनसंघ आशा और विश्वास के साथ चुनाव के मैदान में उतर रहा है। जनसंघ ही एकमात्र प्रतिपक्षी दल है जिसने गत वर्ष की राजनीतिक

उथल-पुथल में न केवल अपनी शक्ति को अक्षुण्ण रखा है, अपितु उसमें वृद्धि करने में सफलता पाई है। जनता पार्टी का जनसंघ में विलय इस बात का संकेत है कि उन सभी दलों तथा व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जनसंघ एक संयुक्त मंच का काम दे सकता है।

जनसंघ पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों को अस्वीकृत करता है। जनसंघ एक ऐसे समतायुक्त समाज की रचना के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है, जिसमें जन्म, वंश, जाति अथवा मजहब के आधार पर न किसी के प्रति भेदभाव होगा और न पक्षपात किया जाएगा। ऐसा समाज आर्थिक शोषण तथा सामाजिक विषमता से मुक्त होगा। किन्तु ऐसी समाज-रचना के लिए जनसंघ केवल शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके ही अपनायेगा। जनसंघ साध्य के साथ साधनों की शुचिता का हामी है और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की पुनुर्स्थापना के लिए प्रयत्न करेगा।

भारतीय जनसंघ मतदाताओं का आह्वान करता है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें। जनसंघ उन्हें आश्वासन देता है कि अपने ठोस तथा समयबद्ध कार्यक्रम को वह ईमानदारी से पूरा करेगा और विधानसभाओं के भीतर तथा बाहर उस पर दृढ़ता से अमल करायेगा। जनसंघ के लिए चुनाव सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, सेवा करने के अवसर की प्राप्ति का प्रयास है। यदि मतदाता हमें दिल्ली की ही भांति सेवा करने का अवसर देंगे तो हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि उनकी अपेक्षाएं पर्याप्त पूरी होंगी।

भारतीय जनसंघ
का
संविधान

मई 1972, भागलपुर; भा०प्र०स० द्वारा संशोधित

संविधान

अनुच्छेद 1

नाम

संगठन का नाम "भारतीय जनसंघ" होगा।

अनुच्छेद 2

कार्यक्षेत्र

(1) भारतीय जनसंघ का कार्यक्षेत्र भारत तथा विश्व के किसी भी भाग में बसने वाले भारतीय नागरिकों तक व्याप्त होगा।

(2) प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा।

अनुच्छेद 3

उद्देश्य

भारतीय जनसंघ का उद्देश्य भारतीय 'संस्कृति' तथा 'मर्यादा' के आधार पर भारत को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जनतन्त्र बनाना है जिसमें व्यक्ति को समान अवसर तथा स्वतन्त्रता प्राप्त हो और जो भारत को सुसम्पन्न, शक्तिशाली तथा सुसंगठित बनाते हुए उसे प्रगतिशील, आधुनिक और जागरूक राष्ट्र बनाये, जो दूसरों की आक्रामक प्रवृत्तियों का सामना करने में समर्थ हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विश्वशान्ति के स्थापनार्थ समुचित रीति से प्रभाव डाल सके।

अनुच्छेद 4

घटक

1. स्थानीय समिति
2. मण्डल समिति
3. जिला समिति
4. भाग समिति
5. प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा
6. प्रादेशिक कार्यसमिति
7. भारतीय प्रतिनिधि सभा
8. भारतीय कार्यसमिति

9. संसदीय अधिकरण
10. भारतीय प्रतिनिधि सभा अथवा भारतीय कार्यसमिति द्वारा सम्बद्ध अथवा संगठित मोर्चे ।

अनुच्छेद 5

(1) भारतीय जनसंघ के संगठन की आधारभूत इकाई मण्डल होगी । मण्डल के अन्तर्गत विकासखण्ड का क्षेत्र आएगा, किन्तु यह उपबन्ध होगा कि उस क्षेत्र में स्थित ऐसे नगरपालिका क्षेत्र जिनकी संख्या 20 हजार से अधिक हो, मण्डल में सम्मिलित नहीं होंगे । प्रत्येक ऐसे नगर क्षेत्र का अलग मंडल बनाया जाएगा ।

प्रादेशिक कार्यसमिति को अधिकार होगा कि वह किसी मंडल के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सके, दो या अधिक मंडलों का विलय कर एक मंडल बना सके, अथवा एक मंडल के किसी भाग को दूसरे मंडल के साथ सम्बद्ध कर सके ।

(2) स्थानीय जनतन्त्र के विकास की दृष्टि से प्रत्येक मण्डल छोटी इकाइयों में विभक्त किया जाएगा जिनका क्षेत्र एक ग्राम पंचायत या नगर का मुहल्ला होगा । यह परिसीमन मंडल समितियों द्वारा किया जाएगा तथा इसमें कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार अथवा अन्य किसी कारण से समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा ।

(3) प्रादेशिक कार्यसमिति द्वारा मंडलों को मिलाकर जिले, 20 लाख या अधिक जनसंख्या वाले महानगरों के विभिन्न जिलों को मिलाकर 'भाग' तथा भारतीय कार्यसमिति द्वारा जिलों को मिलाकर प्रदेश बनाये जाएंगे ।

अनुच्छेद 6

सदस्यता

18 वर्ष अथवा अधिक आयु का भारत का कोई भी नागरिक **अनुच्छेद** 3 में दिये जनसंघ के उद्देश्यों को स्वीकार करने पर भारतीय जनसंघ का सदस्य बन सकता है तथा वह तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक कि :

(क) प्रति सत्र सदस्यता कोष में कम से कम 50 पैसा देता रहे,
(ख) त्यागपत्र न दे, अथवा
(ग) निकाला या हटाया न जाए ।

अनुच्छेद 7

अर्हता एवं अनर्हता

(1) स्थानीय समितियों के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए प्रत्याशी

होने की अर्हता उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होगी जो प्रति सत्र जनसंघ के कम से कम 11 सदस्य बनायेंगे तथा जो कम से कम एक सत्र के लिए किसी समिति, सभा, अथवा किसी अन्य मोर्चे पर सक्रिय रहे हों ।

(2) किसी भी निकाय पर निर्वाचित या नियुक्त सदस्य के निष्क्रिय होने पर उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा । किन्तु उस स्थान की पूर्ति उच्चतर समिति के आदेश पर ही होगी ।

(3) भारतीय कार्यसमिति समय-समय पर सक्रियता तथा निष्क्रियता के लक्षण निर्धारित करेगी तथा सदस्यों की अर्हता अथवा अनर्हता निश्चित करने के लिए उपयुक्त निकाय स्थापित करेगी ।

अनुच्छेद 8

स्थानीय समिति

प्रत्येक स्थान के सब सदस्य अपनी स्थानीय समिति निर्वाचित करेंगे जिसमें प्रधान, एक मंत्री, एक कोषाध्यक्ष और 100 से कम सदस्य संख्या होने पर 4 तथा 100 या उससे अधिक होने पर 8 सदस्य होंगे । 11 सदस्यीय स्थानीय समिति में एक उपप्रधान तथा एक सहमंत्री भी निर्वाचित किये जाएंगे ।

अनुच्छेद 9

मण्डल समिति

(1) मण्डल के अन्तर्गत कम से कम 5 स्थानीय समितियों के सब निर्वाचित सदस्य निम्नलिखित पदाधिकारी चुनेंगे :

(क) प्रधान
(ख) उपप्रधान (दो से अधिक नहीं)
(ग) मन्त्री
(घ) सहमंत्री (दो से अधिक नहीं)
(ङ) कोषाध्यक्ष

किन्तु यह उपबन्ध होगा कि मंडल में कम से कम 5 स्थानीय समितियां अवश्य होनी चाहिए,

और यह भी उपबन्ध होगा कि जिस स्थानीय समिति के सदस्यों की संख्या 25 से कम होगी उसकी कार्यसमिति के सदस्यों को उक्त निर्वाचन में मतदान का अधिकार नहीं होगा ।

(2) मंडल समिति अधिकतम 21 सदस्यों की होगी जिसमें उपयुक्त निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त शेष की नियुक्ति प्रधान द्वारा होगी । प्रत्येक मंडल समिति में 2 स्थान महिला तथा 2 स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों

के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।

(3) मंडल समिति स्थानीय समितियों के कार्य का अधीक्षण करेगी, नयी समितियां स्थापित करेगी तथा प्रादेशिक कार्यसमिति की स्वीकृति से पुरानी समितियों का पुनर्गठन करेगी। मंडल-समिति साधारण चुनावों के लिए उपयुक्त निकाय निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होगी।

अनुच्छेद 10

जिला समिति

(1) जिले में गठित कम से कम तीन मंडल समितियों के निर्वाचित सदस्य अपनी जिला समिति के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों का निर्वाचन करेंगे :

(क) प्रधान
(ख) उप-प्रधान (दो से अधिक नहीं)
(ग) मन्त्री
(घ) सहमंत्री (दो से अधिक नहीं)
(ङ) कोषाध्यक्ष।

(2) जिला समिति अधिकतम 31 सदस्यों की होगी जिसमें उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त शेष सदस्यों की नियुक्ति प्रधान द्वारा होगी। प्रत्येक जिला समिति में 2 महिला व 2 अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों का होना अनिवार्य होगा।

(3) जिला समिति को अपने क्षेत्र में जनसंघ के कार्य का विस्तार, संचालन तथा समन्वय का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 11

भाग समिति

(1) 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में गठित जिला समितियों के निर्वाचित सदस्य अपनी भाग समिति के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों का निर्वाचन करेंगे :

(क) प्रधान
(ख) उपप्रधान (दो से अधिक नहीं)
(ग) मन्त्री
(घ) सहमंत्री (दो से अधिक नहीं)
(ङ) कोषाध्यक्ष

(2) भागसमिति अधिकतम 31 सदस्यों की होगी जिसमें उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त शेष सदस्यों की नियुक्ति प्रधान द्वारा की जाएगी।

(3) प्रत्येक भाग समिति में 4 महिला तथा 4 अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों का होना अनिवार्य होगा।

(4) भाग समिति को अपने क्षेत्र में जनसंघ के कार्य का विस्तार, संचालन तथा समन्वय का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 12

प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा

(1) प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के निम्नलिखित घटक होंगे :
(क) विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि—प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक। सुरक्षित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों द्वारा होगा।
(ख) महिला प्रतिनिधि—प्रत्येक जिले से एक।
(ग) प्रदेश के भारतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य।
(घ) सदस्यों द्वारा प्रथम अधिवेशन में विनियुक्त सदस्य जिनकी संख्या बीस से अधिक नहीं होगी।
(ङ) भारतीय कार्यसमिति द्वारा मनोनीत सदस्य जो 5 से अधिक नहीं होंगे।
(च) प्रादेशिक कार्यसमिति के सदस्य।
(छ) विधानमंडलों के सदस्य।
(ज) जिला परिषदों के अध्यक्ष।
(झ) 20 हजार से अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के अध्यक्ष।
(2) प्रत्येक जिले के अन्तर्गत गठित मंडल समितियों के निर्वाचित सदस्य क्रमांक (1) (क) व (ख) के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे।
(3) प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक सदस्य प्रतिवर्ष पांच रुपये सदस्यता शुल्क देगा।
(4) प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के (1) (क) और (ख) में वर्णित सदस्य अपने प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित पदाधिकारियों का निर्वाचन करेंगे :--
(क) प्रधान
(ख) उपप्रधान (तीन से अधिक नहीं)
(ग) मन्त्री
(घ) सहमन्त्री (तीन से अधिक नहीं)
(ङ) कोषाध्यक्ष

(5) प्रादेशिक कार्यसमिति यदि चाहे तो प्रादेशिक प्रधान का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रथम अधिवेशन के पूर्व **अनुच्छेद 17** में दी गई

पद्धति से डाक द्वारा भी कर सकती है।

प्रादेशिक मन्त्री निर्वाचन अधिकारी होगा तथा (1) (क) और (ख) में निर्वाचित प्रादेशिक प्रतिनिधियों को नामांकन का अधिकार होगा।

(6) प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे :

(क) भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा निश्चित कार्यक्रम और नीति प्रदेश में कार्यान्वित करना।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि सभा के सामान्य नियन्त्रण तथा अधीक्षण के आधीन प्रदेशान्तर्गत कार्यसमितियों के क्रियाकलाप का दायित्व लेना।

(ग) समय-समय पर भारतीय कार्यसमिति द्वारा मांगे जाने पर प्रदेश में जनसंघ के कार्य का वृत्त देना तथा प्रतिवर्ष संकलित वृत्त देना।

अनुच्छेद 13

प्रादेशिक कार्यसमिति

(1) प्रादेशिक कार्यसमिति, प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों तथा प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्यों के द्वारा बनेगी। उनकी कुल संख्या 41 से अधिक नहीं होगी जिसमें दो महिलाएं तथा दो अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों का होना अनिवार्य होगा।

(2) प्रादेशिक कार्यसमिति जनसंघ की प्रादेशिक कार्यपालिका होगी। वह भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा निश्चित नीति और कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगी।

(3) भारतीय प्रतिनिधि सभा के सामान्य नियन्त्रण एवं अधीक्षण के आधीन प्रदेशान्तर्गत सभी समितियों एवं दल के कार्य का दायित्व प्रादेशिक कार्यसमिति पर होगा।

(4) प्रादेशिक कार्यसमिति को किसी भी ऐसे कारण के लिए जिसे वह माने तथा ऐसी जांच-पड़ताल के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, प्रदेशान्तर्गत किसी भी समिति अथवा सदस्य के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने तथा किसी भी सदस्य को अथवा समिति के पदाधिकारियों को हटाने का अधिकार होगा। इस आदेश के विरुद्ध भारतीय कार्यसमिति को अपील की जा सकती है जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(5) जिन मंडलों अथवा जिलों में निर्वाचित समितियां नहीं बनी हों उनमें अस्थायी समितियां बनाने तथा उनके संयोजक नियुक्त करने का अधिकार प्रादेशिक कार्यसमिति को होगा। अस्थायी समिति का कार्यकाल तीन मास होगा। परन्तु प्रादेशिक कार्यसमिति आवश्यकता समझे तो उसका कार्यकाल कुल 6 मास की अवधि तक बढ़ा सकती है।

(6) प्रदेश अथवा उनके किसी भी भाग में आवश्यकतानुसार प्रादेशिक कार्यसमिति संगठन-मन्त्रियों की नियुक्ति कर उन्हें आवश्यक अधिकार दे सकती है।

अनुच्छेद 14

भारतीय प्रतिनिधि सभा

(1) भारतीय प्रतिनिधि सभा के निम्नलिखित घटक होंगे :

(क) जिला तथा भाग समितियों के प्रधान तथा मन्त्री

[जिन जिलों में लोकसभा के सदस्यों की संख्या दो से अधिक है वहाँ से जिला मन्त्री तथा प्रधान के अतिरिक्त उतने प्रतिनिधि और चुने जायेंगे कि जिससे उनको मिलाकर कुल संख्या उस जिले में विद्यमान लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों (पूर्णतः तथा अंशतः) के बराबर हो जाएं।]

(ख) भारतीय कार्यसमिति के सदस्य

(ग) प्रादेशिक कार्यसमितियों के सदस्य

(घ) भारतीय कार्यसमिति द्वारा मनोनीत विभिन्न मोर्चों पर काम करने वाले स्य

[एक प्रदेश के किसी भी मोर्चे से दो से अधिक सदस्य मनोनीत नहीं होंगे।]

(ङ) सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि

[जिनकी संख्या भारतीय कार्यसमिति द्वारा निश्चित होगी, किन्तु किसी भी एक संस्था के 5 से अधिक प्रतिनिधि न होंगे।]

(च) संसद सदस्य

(छ) सदस्य, जिनकी संख्या 20 से अधिक न हो, जो कि भारतीय प्रतिनिधि सभा के प्रथम अधिवेशन में विनियुक्त किए गए हों।

(2) भारतीय प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक सदस्य दस रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देगा।

(3) भारतीय जनसंघ का प्रधान भारतीय प्रतिनिधि सभा का प्रधान होगा।

(4) भारतीय प्रतिनिधि सभा जनसंघ की नीति और कार्यक्रम निर्धारित करने वाला सर्वोच्च निकाय होगा। उसको अपनी कार्यविधि में उत्पन्न स्थितियों तथा मामलों को संभालने के लिए सभी अधिकार प्राप्त होंगे, और विभिन्न समितियों और भाषाओं को उचित निर्देश देने का अधिकार भी रहेगा।

(5) भारतीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगा। भारतीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन, भारतीय कार्य-

समिति के आवश्यक समझने पर अथवा भारतीय प्रतिनिधि सभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा कारण बताते हुए प्रधान से सामूहिक मांग करने पर होगा। विशेष मांग पर बुलाई गई बैठक में भारतीय कार्यसमिति कार्य सम्बन्धी अतिरिक्त विषय भी प्रस्तुत कर सकती है।

(6) भारतीय प्रतिनिधि सभा किसी भी संगठन अथवा संस्था को जनसंघ से सम्बन्धित कर सकती है तथा जितना आवश्यक समझे उतना प्रतिनिधित्व उनको दे सकती है।

अनुच्छेद 15

भारतीय कार्यसमिति

(1) भारतीय कार्यसमिति में प्रधान तथा उसके द्वारा मनोनीत अधिक से अधिक 51 सदस्य होंगे। 3 महिला, 2 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का होना अनिवार्य होगा।

(2) कार्यसमिति के सदस्यों में से दो या अधिक उपप्रधान, एक महामंत्री, एक या अधिक मंत्री तथा एक कोषाध्यक्ष को प्रधान नियुक्त करेगा।

(3) भारतीय कार्यसमिति जनसंघ की सर्वोच्च कार्यपालिका होगी तथा भारतीय प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। वह भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा निश्चित कार्यक्रम व नीतियों को कार्यान्वित करेगी।

(4) भारतीय कार्यसमिति को निम्नलिखित बातों का अधिकार होगा :—

(क) भारतीय प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति के आधीन संविधान को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाना।

(ख) जिन विषयों की व्यवस्था न की गई हो उनमें निर्देश देना जो कि संविधान एवं उनके नियमों से असंगत न हों।

(ग) सभी प्रादेशिक कार्यसमितियों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

(घ) भारतीय प्रतिनिधि सभा के अतिरिक्त किसी भी समिति या सभा अथवा किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासन-भंग की कार्यवाही, जो उपयुक्त समझे, करना।

(ङ) जनसंघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी कार्य उपयुक्त और आवश्यक हों, करना।

(च) जनसंघ की विभिन्न समितियों की निधि के उपयुक्त व्यय तथा लेखे-जोखे का निर्देशन एवं निरीक्षण करना।

अनुच्छेद 16

संसदीय अधिकरण

(1) भारतीय कार्यसमिति एक संसदीय अधिकरण, जिसकी अधिकतम संख्या 7 होगी, नियुक्त करेगी और निर्वाचन, उसका संगठन तथा विधायी कार्य के संचालन के लिए उसे आवश्यक अधिकार देगी।

(2) प्रदेश कार्यसमिति प्रदेश के लिए संसदीय अधिकरण, जिसकी अधिकतम संख्या 7 होगी, नियुक्त करेगी जो केन्द्रीय संसदीय अधिकरण से प्राप्त निर्देश के अनुसार कार्य करेगा।

अनुच्छेद 17

प्रधान का निर्वाचन

प्रधान का निर्वाचन निम्न प्रकार से होगा

(क) भारतीय कार्यसमिति द्वारा निश्चित कार्यक्रम के अनुसार महामन्त्री प्रत्येक प्रादेशिक कार्यसमिति से प्रधान पद के लिए किसी एक व्यक्ति के नामांकन की मांग करेगा।

(ख) निश्चित अवधि के अन्दर उक्त नामांकन प्राप्त होने पर महामन्त्री नामांकित व्यक्तियों को लिखकर उनसे उस पद के लिए खड़े होने की सम्मति प्राप्त कर लेगा।

(ग) उन व्यक्तियों के नाम, जो अपना नाम वापिस लेना चाहें अथवा जिनकी सम्मति प्राप्त न हुई हो सूची से हटा दिए जाएंगे तथा शेष नाम भारतीय प्रतिनिधि सभा के **अनुच्छेद 14 (1)** में दिए गए सदस्यों के पास डाक द्वारा भेज दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक मतपत्र भी होगा जिसमें निर्दिष्ट पद्धति से वे मतदान कर निश्चित तिथि तक एक संविहित पद्धति से वापिस भेज देंगे।

(घ) इस प्रकार प्राप्त मत, महामन्त्री द्वारा प्रत्याशियों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के समक्ष (यदि वे उपस्थित हों), गिने जाएंगे तथा सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि बराबर मत हों तो निर्णय पर्ची निकालकर किया जाएगा।

अनुच्छेद 18

रिक्त स्थान की पूर्ति

किसी भी पदाधिकारी का स्थान त्यागपत्र, मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर तत्क्षेत्रीय कार्यसमिति को अधिकार होगा कि वह उस स्थान की पूर्ति अवशिष्ट सत्र के लिए कर ले।

अनुच्छेद 19

गणपूरक

कार्यसमितियों का गणपूरक उनकी संख्या का 0·25 तथा प्रतिनिधि सभाओं का उनकी संख्या का 0·10 होगा।

अनुच्छेद 20

निर्वाचन

विभिन्न निकायों तथा पदों के लिए निर्वाचन प्रतिवर्ष होंगे, और भारतीय कार्यसमिति निर्वाचन की पद्धति, समय और स्थान निश्चित करेगी।

अनुच्छेद 21

संविधान में संशोधन

(1) यह संविधान भारतीय प्रतिनिधि सभा के किसी भी अधिवेशन में उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से संशोधित किया जा सकेगा।

(2) यदि संविधान को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उपस्थित हो तो भारतीय कार्यसमिति इस संविधान के लिए किसी प्रावधान में परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन कर सकती है। ऐसे परिवर्तन भारतीय प्रतिनिधि सभा के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

अनुच्छेद 22

वादों का निबटारा

इस संविधान के अन्तर्गत उपस्थित होने वाला वाद दूसरे उच्चतर निकाय अथवा इसके लिए विशेष रूप से गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके निर्णय से जो पक्ष असन्तुष्ट हो वह भारतीय प्रधान को अपील कर सकेगा। प्रधान यदि विषय को महत्वपूर्ण समझे तो वे उसे 3 स्वतन्त्र व्यक्तियों की पंचायत मनोनीत करके उसके सुपुर्द करेंगे। इस पंचायत का निर्णय अन्तिम होगा। कोई व्यक्ति अथवा निकाय जो किसी वाद को किसी बाहरी सत्ता के समक्ष ले जाएगा, अनुशासन-भंग के लिए उत्तरदायी होगा और उसके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

नियम

[अनुच्छेद 15(4)(क) के अन्तर्गत]

1. सदस्यता

(1) सदस्य बनाने का कार्य स्थानीय समितियों के द्वारा हागा। जहां स्थानीय समिति न हों वहां मण्डल समिति यह कार्य करेगी।

(2) सदस्य बनते समय **परिशिष्ट 2** में दिए गए प्रपत्र का ही उपयोग होगा। प्रपत्र का मुद्रण प्रादेशिक समिति करेगी।

(3) पुराने सदस्यों से प्रतिवर्ष सदस्यता-कोष के लिए धन लेने का काम स्थानीय समिति या उसके अभाव में मण्डल समिति के द्वारा होगा। इस हेतु **परिशिष्ट 2** में दिए प्रपत्र का ही उपयोग किया जाएगा।

(4) मण्डल समिति सदस्य-पंजी रखेगी जिसका रूप **परिशिष्ट 1** में दिए नमूने के अनुसार होगा। इसकी एक प्रतिलिपि जिला कार्यालय को भेजनी चाहिए। साथ ही बनाए गए सदस्यों की संख्या तथा संग्रहीत सदस्यता कोष की सूचना प्रदेश कार्यालय को भी भेजी जानी चाहिए।

(5) सदस्यता का सत्र 1 वैशाख (सौर) से प्रारम्भ होगा। सदस्यता का सत्र दो वर्ष का होगा।

2. सक्रियता एवं निष्क्रियता के लक्षण

(1) कोई भी सदस्य सक्रिय समझा जाएगा यदि वह—

(क) समिति या सभा, जिसका वह सदस्य हो, के कम से कम 50 प्रतिशत अधिवेशनों में सम्मिलित हुआ हो; तथा

(ख) प्रतिदिन जनसंघ का प्रत्यक्ष अथवा जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित होकर संसद, विधानमण्डल या स्थानीय निकायों का अथवा समाज सेवा का कोई ऐसा कार्य, जिसे **अनुच्छेद** 7 (3) के अन्तर्गत नियुक्त निकाय ने मान्यता दी हो, करता हो।

(2) कोई भी सदस्य निष्क्रिय समझा जाएगा यदि वह—

(क) प्रति सत्र जनसंघ के 11 सदस्य न बनावें :

(ख) सम्बन्धित निकाय की तीन लगातार बैठकों में बिना अनुमति के उपस्थित रहे; अथवा/और

(ग) संविधान द्वारा निश्चित शुल्क, सदस्य बनने के तीन मास तक न दे।

(3) भारतीय कार्यसमिति को अधिकार होगा कि वह उपर्युक्त नियम में अपवाद कर किसी भी सदस्य को सक्रिय घोषित कर दे। प्रादेशिक प्रधान को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदस्य को निष्क्रियता से उत्पन्न अनर्हता से मुक्त कर दे।

(4) यदि कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक समितियों का सदस्य हो तो अवर समिति की बैठकों में सम्मिलित होना उसकी सुविधा पर निर्भर होगा।

3. निकाय, बैठकें और कार्यवाही

(1) विभिन्न समितियों की बैठकें निम्न अवधि में होना आवश्यक है :

(क) स्थानीय तथा नगर समिति	प्रति पक्ष
(ख) मण्डल तथा भाग समिति	प्रति दो मास
(ग) जिला समिति	प्रति तीन मास
(घ) प्रादेशिक कार्यसमिति और भारतीय कार्यसमिति ...	प्रति चार मास

आवश्यकतानुसार उपर्युक्त अवधि से कम में तथा अधिक बार भी बैठक बुलाई जा सकती है।

(2) उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि किसी भी कारण किसी निकाय की बैठक सम्भव न हो तो एतदर्थ वरिष्ठ निकाय की अनुमति आवश्यक है।

(3) स्थानीय तथा नगर समिति की बैठक के लिए समय और दिन समिति के गठन के पश्चात ही निश्चित कर लेना चाहिए और जब तक समिति उनमें परिवर्तन न करे सदस्यों को अन्य कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं।

(4) अन्य बैठकों के लिए साधारणतः 10 दिन की तथा आवश्यक बैठक के लिए तीन दिन की सूचना देनी चाहिए।

(5) प्रत्येक समिति अपनी कार्यवाही एवं उपस्थिति विवरण-पुस्तिका में लिखेगी जिसकी सम्पुष्टि आगामी बैठक में करायी जाएगी।

(6) प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। बैठक के लिए 21 दिन की पूर्व-सूचना देनी चाहिए। असाधारण बैठक के लिए एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी।

(7) भारतीय प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन के लिए 21 दिन की सूचना आवश्यक होगी। असाधारण बैठक के लिए 7 दिन की सूचना देना पर्याप्त होगा।

(8) कोई भी समिति बैठक की सूचना की कम अवधि के सम्बन्ध में अपने लिए नियम बना सकती है।

4. अधिवेशन

(1) प्रादेशिक कार्यसमिति आवश्यक समझे तो प्रदेश में एक या अधिक अधिवेशन बुला सकती है। उस क्षेत्र के प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के अतिरिक्त प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में निर्णय प्रादेशिक कार्यसमिति करेगी।

(2) भारतीय कार्यसमिति सार्वदेशिक या आंचलिक अधिवेशनों की व्यवस्था कर सकती है। अधिवेशन के निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे :

(क) भारतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य।

(ख) तत्क्षेत्रीय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभाओं के सदस्य।

(ग) संसद और विधानमण्डलों के जनसंघ सदस्य।

(घ) अन्य जिनको भारतीय कार्यसमिति निश्चित करे।

(3) प्रादेशिक, आंचलिक एवं सार्वदेशिक अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि शुल्क 5 रु० होगा।

(4) अधिवेशनों में निश्चित नीति एवं कार्यक्रम, तत्क्षेत्रीय प्रतिनिधि सभाओं द्वारा पारित समझे जाएंगे।

(5) जिस स्थान पर अधिवेशन करना निश्चित हो वहां की कार्यसमिति स्वागत समिति का गठन करेगी और तदर्थ धन संग्रह करेगी। अधिवेशन के उपरान्त सम्पूर्ण आय-व्यय का लेख एक मास के भीतर तैयार करके स्वागत समिति द्वारा स्वीकृत होना चाहिए और उसकी एक प्रति प्रादेशिक तथा भारतीय कार्यसमिति को भेजनी चाहिए। यदि कुछ धन बचा हो तो विनियोग निम्न प्रकार से होगा :

(क) बचे हुए धन का 20 प्रतिशत केन्द्र को,

(ख) 30 प्रतिशत प्रदेश को, तथा

(ग) शेष 50 प्रतिशत स्वागत समिति निर्मात्री समिति को।

प्रादेशिक अधिवेशनों का प्रतिनिधि-शुल्क प्रादेशिक कार्यसमिति को और आंचलिक तथा सार्वदेशिक अधिवेशनों का शुल्क भारतीय कार्यसमिति को जाएगा।

5. निधि : संग्रह और विनियोग

(1) जनसंघ की ओर से किसी भी प्रकार का निधि संग्रह बिना पावती

काटे नहीं होगा । पावती पुस्तकें **परिशिष्ट 3** के अनुसार प्रादेशिक कार्यसमिति द्वारा छपाई जाएगी । प्रादेशिक तथा स्थानीय कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही निधि-संग्रह होना चाहिए ।

(2) प्रत्येक समिति के कोषाध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वह ठीक प्रकार से लेखा रखे, प्रतिवर्ष उसका अंकेक्षण हो तथा समिति द्वारा स्वीकृत हो । समिति किसी भी बैंक में अपना हिसाब खोल सकती है ।

(3) भारतीय कार्यसमिति केन्द्रीय एवं प्रादेशिक लेखा अंकेक्षण की व्यवस्था करेगी । अवर समिति के अंकेक्षण का दायित्व कार्यसमिति पर होगा ।

(4) प्रदेश कार्यसमिति समय-समय पर भारतीय कार्यसमिति द्वारा उसके लिए निश्चित की गई धन-राशि और संग्रहीत धन का यदि केन्द्रांश निश्चित किया गया हो तो वह, प्रतिवर्ष केन्द्रीय कोष में जमा करेगी ।

(5) प्रदेश में विभिन्न समितियों द्वारा संग्रहीत निधि तथा सदस्यता-कोष का विनियोग, प्रदेश कार्यसमिति द्वारा विहित पद्धति एवं अनुपात में होगा ।

(6) प्रत्याशी शुल्क एवं निर्वाचित सदस्यों से संग्रहीत मासिक निधि का विनियोग संसदीय अधिकरण के द्वारा होगा ।

(7) स्थानीय समितियों के लिए निधि का विनियोग मण्डल समिति करेगी ।

(8) मासिक सहायता या अन्य रूप में एकत्र निधि तत्-समिति के उपयोग में आयेगी, किन्तु यह आवश्यक है कि इस प्रकार एकत्र निधि का ब्यौरा प्रादेशिक कार्यसमिति को दिया जाए । प्रादेशिक कार्यसमिति आवश्यक समझे तो उसमें से निश्चित राशि प्रदेश के लिए ले सकती है ।

6. निर्वाचन

(1) भारतीय कार्यसमिति विभिन्न निर्वाचनों के लिए प्रतिवर्ष समय-सारिणी निश्चित करेगी ।

(2) प्रत्येक मण्डल समिति पिछली 1 वैशाख से एक निश्चित तिथि तक जिसकी घोषणा भारतीय कार्यसमिति के द्वारा होगी, बने हुए नये सदस्यों तथा **अनुच्छेद 6** के अन्तर्गत पुराने सदस्यों की, स्थानीय समितियों के परिसीमन के अनुसार मतदाता सूची तैयार करेगी । मतदाता-सूची प्रत्येक मतदाता के निरीक्षण के लिए कार्यालय में उपलब्ध होगी । यदि किसी सदस्य को सूची में संशोधन प्रस्तुत करना हो तो वह मण्डल-प्रधान के पास लिखित एवं सप्रमाण संशोधन देगा । मण्डल-प्रधान उचित कार्यवाही करेगा । संशोधित सूची की एक प्रति प्रादेशिक तथा जिला कार्यालय को भेजी जाएगी ।

(3) महामन्त्री सभी चुनावों के लिए मुख्य-निर्वाचन अधिकारी होगा । वह सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त कर सकेगा और उन्हें विभिन्न चुनावों की व्यवस्था के लिए आवश्यक सूचना और अधिकार दे सकेगा ।

(4) सभी चुनाव तदर्थ बुलाई गई बैठक में मौखिक प्रस्ताव एवं अनुमोदन तथा आवश्यकता हुई तो हाथ उठाकर मतदान द्वारा होंगे । किन्तु चुनाव अधिकारी, यदि किसी कारणवश आवश्यक समझे, तो वह एक पूर्व-निश्चित कार्यक्रम के अनुसार लिखित नामांकन की मांग कर डाक द्वारा अथवा बैठक में हाथ उठाकर या गुप्त मतदान से निर्वाचन करा सकता है । प्रस्तावित व्यक्ति की सम्मति आवश्यक है । चुनाव अधिकारी चाहे तो इस विषय में अपवाद कर सकता है ।

(5) यदि कोई प्रादेशिक कार्यसमिति **अनुच्छेद 12 (5)** के अन्तर्गत प्रादेशिक प्रधान का चुनाव करना चाहे तो प्रादेशिक मन्त्री को निर्वाचन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक प्रतिनिधियों से नामांकन की मांग निर्वाचन की तिथि के एक मास पूर्व करनी चाहिए तथा नामांकन पत्र 10 दिन के अन्दर निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिए ।

(6) निर्वाचन की अर्हता के सम्बन्ध में यदि कोई वाद उपस्थित हो तो उसे **अनुच्छेद 7 (3)** के अन्तर्गत नियुक्त निकाय के समक्ष उपस्थित किया जाए ।

परिशिष्ट-१

सदस्यता पंजी

………………स्थानीय समिति

……………………मण्डल

…………… …… प्रदेश

क्र०	सदस्य पत्र क्र०	नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पता	मतदाता केन्द्र	सदस्य बनाने की तारीख

परिशिष्ट-२

भारतीय जनसंघ ………प्रदेश

सदस्यता पत्र

क्रमांक…… .. दिनांक…………………

श्री मन्त्री महोदय, मण्डल…………………

भारतीय जनसंघ जिला…………………

श्रीमान जी,

मैंने भारतीय जनसंघ के उद्देश्य* और नियमों को समझ लिया है। मैं उनसे सहमत हूं तथा भारतीय जनसंघ का सदस्य बनने/बने रहने का इच्छुक हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जनसंघ के नियमों का सदा पालन करूंगा। मुझे जनसंघ का सदस्य बनाने/बनाए रखने की कृपा करें। साथ में रु०……… पैसा……सदस्यता कोष में अर्पित है।

—भवदीय

प्राप्तकर्ता का ……………………………

नाम……… …………… (हस्ताक्षर)

पता………………………… नाम………………आयु……………

सहायता कोष निधि…………… पिता/पति का नाम………………

…………………………

………………………… व्यवसाय…………………………

(हस्ताक्षर) प्रादेशिक कोषाध्यक्ष पूरा पता…………………………

भारतीय जनसंघ ……… प्रदेश

क्रमांक……… तिथि…………

स्थान……… ... मण्डल ……………………जिला…………

श्री………………………… पुत्र/पुत्री/पत्नी……………जी

से रु०……पैसे……सदस्यता कोष में धन्यवाद सहित प्राप्त किये।

…………… …. …………………………

(हस्ताक्षर) प्राप्तकर्ता (हस्ताक्षर) प्रादेशिक कोषाध्यक्ष

*कृपया उद्देश्य तथा कार्यक्रम पीछे देखिए।

संक्षिप्त उद्देश्य

भारतीय संस्कृति और मर्यादा के आधार पर देश का राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक निर्माण। एकात्मक शासन की प्रतिष्ठापना तथा राजनैतिक एवं आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक हितों का पोषण। अखण्ड भारत की स्थापना। कश्मीर का पूर्ण विलय। चीन एवं पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भू-भाग की मुक्ति। देश के उदात्त हितों पर आधारित विदेश नीति। आधुनिकतम सैन्य-सज्जा। आजीविका के मूलाधिकार की आश्वस्ति। भूमि पर कृषक के पूर्ण स्वामित्व की स्थापना और रक्षा। जोत की हदबन्दी एवं भूमि का पुनर्वितरण। छोटे यन्त्रचालित तथा ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन। आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकार की प्रवृत्तियों पर अंकुश। न्यूनतम एवं अधिकतम व्यय-योग्य आय का निर्धारण। मजदूरों का उद्योग के लाभ तथा प्रबन्ध में साझा। मूल्यों का सुस्थिरीकरण। गोरक्षा तथा गोसंवर्द्धन। अस्पृश्यता निवारण। भ्रष्टाचार उन्मूलन। हिन्दी एवं प्रादेशिक भाषाओं का अपने क्षेत्र में राजभाषा के रूप में उपयोग। निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा। चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। न्याय-पद्धति को भारतीय प्रकृति और परिस्थिति के अनुरूप बनाना।

परिशिष्ट-३

भारतीय जनसंघ	**भारतीय जनसंघ**
·········प्रदेश	·········प्रदेश
क्र०········· दिनांक·········	क्र०········· दिनांक·········
श्री······························	श्री··········· ················
पता······························	पता······························
······························	······························
······························	······························
······························	······························
से·········रु०·········पै०········	से ·········रु०·········पै०········
············कोष में प्राप्त हुआ।	············कोष में प्राप्त हुआ।
ह० प्राप्तकर्ता	ह० प्राप्तकर्ता
······························	······························
ह० प्रादेशिक कोषाध्यक्ष	ह० प्रादेशिक कोषाध्यक्ष
······························	······························

अनुक्रमणिका

अर्थ—
    आयाम 8
    का अभाव और प्रभाव 9
    व्यवस्था—
        की कसौटी 10
        नई, 56, 76, 97
        मिश्रित, 151
        विकेन्द्रित, 11
अध्यापकों तथा छात्रों के लिए कार्यक्रम 181
अनुसूचित—
    जन-जातियों के लिए कार्यक्रम 177
    जातियों के लिए कार्यक्रम 178
अपेक्षा 54, 91
अफ्रीकी देशों से सम्बन्ध 24

आक्रान्त भू-भाग की मुक्ति 23, 134
आर्थिक—
    क्रांति की आवश्यकता 119
    जनतंत्र की स्थापना 76, 97
    नीति 24, 143
    विकास में खिचाव 113
    समता और पूंजी-निर्माण 79, 101
    समस्या, सर्वाधिक विषम 45
आन्दोलन संहित ı139
आय—
    की मर्यादा 57
    न्यूनतम, 152
    आयात-निर्यात (नीति) 127, 150
आराध्य, हमारा 38
आवास 37, 129, 143, 161, 180
आह्वान 12, 89, 110, 155, 182

उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन 77, 98
उत्पादन वृद्धि 59
उद्देश्य 4, 26, 45, 56, 93
उद्योग 149
—व संयुक्त क्षेत्र, आधारभूत 125
—का राष्ट्रीयकरण, आधारभूत तथा प्रतिरक्षा 78, 99
—नीति 31
—बड़े, 47, 58
—लघु, 77, 98, 125
—लघु और ग्राम, 48, 57
—पतियों के लिए कार्यक्रम 180
सार्वजनिक, 126, 164
उपभोक्ता के लिए कार्यक्रम 180

एक—
आदर्श 55, 92
जन 14, 54, 91
देश 14, 44, 54, 91
राष्ट्र 15, 44, 55, 92
राष्ट्र : एकजन 159
संस्कृति 15, 44, 54, 92
एकात्म—
मानववाद 12
वाद 5
एकात्मक शासन 56, 115
एकाधिपत्य पर रोक 34

औद्योगिक—
नीति 47
विकास 57, 124, 161
—विकेन्द्रीकरण 32
स्वामित्व 162
औद्योगीकरण 150

कर्तव्य और अधिकार 7
कम्युनिस्ट चीन का संकट 23
करदाताओं के लिए कार्यक्रम 181
कर पद्धति में सुधार 80, 101
कराधान 37, 49, 126, 151

कांग्रेस के दावे 172
कांग्रेसी शासन की असफलताएं 153
कार्यप्रणाली 45
कारीगरों के लिए कार्यक्रम 177
काश्मीर 50, 62, 116
—की मुक्ति, पाकिस्तान-अधिकृत 83, 104
किसानों के लिए कार्यक्रम 176
कृषि 146
—आदेवमातृका, 29
—उत्पादन 69
—उपज बीमा 148
—तथा उद्योग का समन्वित विकास 81, 102
—नीति 46, 121
—स्वामित्व 30
—हमारा महानतम उद्योग 160
—हाट 123
कंट्रोल 49

खाद उर्वरक और बीज 148
खाद्य—
एवं कृषि 27
नीति 145
खेती—
की पद्धति में सुधार 28
के लिए ऋण 147
सहकारी, 122

ग्राम—
जीवन सुधार 47
पंचायत 61
ग्रामीण कारीगर 33
ग्रामोद्योग 33
गांवों के लिए कार्यक्रम 177
गोवंश की—
अवध्यता 31
हत्या पर प्रतिबन्ध 87, 109
गोरक्षा 47, 61, 148
—तथा पशुपालन 123
गृहनीति 51, 61, 154

चकबंदी 30, 122
चिकित्सा—
(का प्रबन्ध), निःशुल्क 87, 107
स्वास्थ्य और, 38, 128, 143
चिति—
के आविष्कार के उपकरण 6
राष्ट्र की आत्मा, 6
चीनी संकट 68

छंटनी नहीं 165

जनसंघ—
एक ऐतिहासिक आवश्यकता 4
एकमात्र विकल्प, भारतीय 175
बीड़ा उठाता है 111
जनाधिकार 51, 64, 117, 139
जोत—
अधिकतम, (देखिए भूमि)
आर्थिक, (देखिए भूमि)
जोतने वाले की भूमि : व्याख्या (देखिए भूमि)

दमनचक्र 70
दरिद्रता के विरुद्ध पूर्ण युद्ध 159
दुरवस्था का कारण, वर्तमान 3

धर्म—
का स्वरूप 6
राज्य—
आदर्श राज्य, 7
मजहबी राज्य नहीं—न्याय राज्य 44
न्याय 18, 117, 140
—पद्धति 64
सस्ता और सुलभ, 76, 97
नियोजन (देखिए योजना)
निराश्रितों के लिए कार्यक्रम, शहरी 179
निष्क्रमण, पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का 85, 106
नीति 56, 93

प्रगति के मानदंड 11
प्रवासी, भारतीय 24, 65

प्रशासकीय अधिनायकवाद 72
प्रशासन 17, 116, 138
—में भ्रष्टाचार 112
—में सुधार 75, 96
—व्यय में बचत 49, 75, 96, 117
—(की) शुचिता 52, 63
—के क्षेत्र में कार्यक्रम 182
प्रौद्योगिकी, नवीन 32
परिवहन 82, 103, 130, 152
पाक-पुर्तगाली गठजोड़ 67
पाकिस्तान 50, 82, 104
—का कोई भाग यदि शांतिपूर्ण···तथा मुक्तजीवन···62
—के प्रति दृढ़ता 23
—को शस्त्र सहायता 169
पिछड़ी जातियां 66
—को विशेष सुविधाएं 87, 108
पिछड़े वर्ग 51
—वर्गों को विशेष सुविधा 129, 142
पुनर्वास 51, 63, 84, 105, 117, 142, 169
पुरुषार्थ चतुष्टय 5
पुलिस 71
पूंजी—
और श्रम के (परस्पर) सम्बन्ध 48, 58
निर्माण 36, 49, 58, 127, 151
विदेशी, 36, 126, 150
पेंशनरों के साथ न्याय 165
पेंशनभोगियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्यक्रम 179

बालकों के लिए कार्यक्रम 178
बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क 163
बेरोजगारी (देखिए रोजगार)

भारत—विश्व की एक महाशक्ति 170
भारतीयकरण—
द्वारा राष्ट्रीय एकात्मा 167
विदेशी उद्योगों का, 78, 99, 126
भारतीय सांस्कृतिक अधिष्ठान की अपरिहार्यता 4
भाषा(एं) 118
—अनुसूचित, 20
—नीति 19

—भारतीय, 85, 106
—राज, 19, 141
—राष्ट्र, 52, 65
(राष्ट्रभाषा—संस्कृत, 19)
भाषाओं का विकास, भारतीय 168
भूधृति 29
—की निश्चिति 147
भूमि—
पुनर्वितरण 122
सुधार 47, 59, 81, 102, 121
(अधिकतम जोत 30)
(आर्थिक जोत 122)
(जोतने वाले की भूमि : व्याख्या 29)
भ्रष्टाचार 71, 154

मजदूर—
कृषि, 148
खेतीहर, 30
संगठनों को प्रोत्साहन 79, 100
मजदूरों—
की सामाजिक सुरक्षा 79, 100
के लिए कार्यक्रम, खेतीहर 177
मद्यनिषेध 143
मेहनतकशों के लिए कार्यक्रम, असंरक्षित 179
महिला(ओं)—
कर्मचारी 165
की प्रगति 129
को प्रगति के पूर्ण अवसर पर 87, 108
श्रमिकों के लिए कार्यक्रम 178
मितव्ययिता और दक्षता 139
मूल्य 174
—नीति 26, 152
—वृद्धि 70
—स्थिरीकरण बोर्ड 165
मूलभूत अधिकारों का संरक्षण 74, 95, 139

यथार्थवादी दृष्टि 134
योजना(एं)
आयोग 120
की असफलता 68

विदेशी कृपा पर निर्भर, 154
विवरणमूलक आर्थिक, 145
स्वदेशी, 166
(नि)योजन 25, 119

राजभाषा (देखिये भाषा)
राज्य
—असाम्प्रदायिक 159
—की आवश्यकता 6
राष्ट्रभाषा (देखिये भाषा)
राष्ट्रमंडल 170
—से संबंध 50
राष्ट्रीय—
एकता 73, 94, 114, 137
एकात्मता 68
राष्ट्रीयकरण, विदेशी बैंकों का 164
रोजगार—
का अधिकार 57, 113
पूर्ण 34, 160
(बे)रोजगारी 173
– का उन्मूलन 52
—बढ़ती, 70
—भत्ता, काम करने का अधिकार 76, 98
(बे)रोजगारों को काम, शिक्षित 79, 100

लगान में कमी 148
लक्ष्य 53
लाइसेंस 174
लोकतन्त्र 7
लोकसंचार का माध्यम 169

व्यक्ति का सर्वांगीण विकास 5
व्यष्टि और समष्टि 5
व्यापार 49
—तथा व्यवसाय 59
वरीयताएं 26
वन 31, 124, 148
विकल्प 133
विकलांगों और बाधितों के लिए कार्यक्रम 178

विकेन्द्रीकरण 48
—उद्योगों का, 125
—राजनीतिक, 74, 95
—(राजनीतिक) सत्ता का, 56, 115, 140
विजय-संकल्प 171
विदेश (वैदेशिक)—
नीति 22, 49, 64, 88, 109, 130, 135, 154
—स्वतन्त्र, 169
विदेशी—
बस्तियां 65
सहायता 59, 163
विदेशों से संबंधों का आधार 23
विधान परिषदों की समाप्ति 74, 95
विपणन 31
वेतन—
आयोग की नियुक्ति, स्थायी 79, 100, 128
नीति 36
भोगियों के लिए—
कार्यक्रम, ग्राम 180
नई आशा 164
मंडल 35
वैज्ञानिकन 35

स्वतन्त्रता 8
स्वदेशी 48, 149
—का मंत्र 24
—(की) भावना का पुनर्जागरण 57, 80, 101, 126
स्वावलम्बन पर बल 80, 102
स्वायत्त मुद्रा अधिकरण 162
स्वास्थ्य 52, 66
स्थिति 3, 43, 156
संविधान—
आयोग 166
के निदेशक सिद्धांतों की अवहेलना 175
भारतीय जनसंघ का, 185
संस्कृत-राष्ट्रभाषा *(देखिए भाषा)*
संपत्ति कास्वामित्व 9, 166
समतायुक्त समाज 159
समानता 137

समान संहिता 138
सहकारिता 37
सामाजिक—
कल्याण 128, 142
सुरक्षा और कल्याण 37
सांस्कृतिक संबंधों का पुनर्जीवन 24
सिंचाई 121, 147
सीमांत क्षेत्रों का विकास 18
सुरक्षा (प्रतिरक्षा) 50, 63, 135
—नीति 153
—राष्ट्रीय, 18, 73, 94, 113
—सीमाओं की, 112
सेवा सहकारिताएं 122

श्रम—
कल्याण 128
नीति 35, 127
श्रमिक 152
—का प्रबन्ध तथा लाभ में साझा 78, 100, 128
शस्त्राधिकार 140
शासन व्यवस्था 17
शिक्षा 20, 52, 66, 118, 140
—का पुनर्गठन 113
—का माध्यम 21
—प्रणाली 168
—पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन 86, 107
—लोक, 22
—व्यवस्था 20
—स्वायत्त, 21
हत्याओं की जांच, दो 169
हानियां 174
हिन्दू कोड बिल 52
हिन्दू विरोधी कानूनों की समाप्ति 87, 108

क्षेत्र—
विभाजन 33
राष्ट्रीय 33
सार्वजनिक 34

भारतीय जनसंघ घोषणाएं व प्रस्ताव 1951-72

भारतीय जनसंघ

घोषणाएं व प्रस्ताव

1951-72

1

सिद्धान्त और नीतियां

घोषणा-पत्र

संविधान

12C
2066